(4) सर्वधी राम जग मर्मा, एन० बी० बी० राव और केदार प्रसाद सिंह को, जो सभी विजली विभाग के हैं, समसीता कार्यवाही के दौरान मुग्रतली की समयावधि का भुगतान किया जाना चाहिए।

### अनुपूरक मांग .

(1) विजली विभाग के सभी कर्मकारों को वर्दिया दी जानी चाहिए।

(ह०) ग्रार० एस० सिंह, प्रधान सचिव। राष्ट्रीय पाइराईट्स मजदूर संघ, स्थान तथा डाकघर-ग्रमशोर, जिला शाहावाद (बिहार)।
[सं० एल-29013/7/71-एल० ग्रार०-4]

### CORRIGENDUM

### New Delhi, the 8th July 1971

S.O. 2899.—In the order of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour & Employment) No. S.O. 4058 dated the 10th December, 1970 published on pages 5776 and 5777 of the Gazette of India, Part-II Section 3 Sub-Section (ii) dated the 26th December, 1970 in the Schedule

for "1. Bhimraj Mahato, C.C. Machine Driver, 10th April, 1970"
read "1. Bhimbraj Mahato, Machine Driver, 10th April 1970 and 11th April,
1970" and

for "7 Ramdhani Teli" read "7 RamdhaniB Turi".

[No. 2/115/70-LRIL]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

### PUBLIC NOTICE

### New Delhi, the 31st July 1971

S.O. 2506.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhavan, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

Modification.—An area measuring about 2.76 acres (1.12 heets) surrounded by Oberol Intercontinental hotel in the north, 150 ft. wide (45.7 metres) link road in the cast, Institute of Blinds in the south and the area under Golf Course in the west, is proposed to be changed from-"recreational" (District Parks & Playgrounds) to "commercial."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority Delhi Vikas Bhayan, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

ד כדות החלו (חוו של החלוב

## विरुली विकास प्राधिकरण सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1971

एस॰ थो॰ 2900 — निम्नांकित संशोधन जो केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना (मास्टर प्लान) में करने का विचार कर रही है, सार्वजनिक सूचना हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित किया जा रहण है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति आपत्ति अथवा सुझाव को लिखित रूप में सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास भवन, नई दिल्ली को इस सूचना के 30 दिन के अन्दर भेजें। आपत्ति अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी देना वाहिये।

संशोधन :--

DEPOSITION AND A SEC

एक क्षेत्र जिसका माप लगभग 2.76 एकड़ (1.12 हैक्टेयर) है जिस के उत्तर के अविराय इन्टर कोन्टीनन्टल होटल है तथा पूर्व में 159/चौड़ी (45.7 मीटर) लिक रोड़, दक्षिण में इन्स्टीच्यूट आफ ब्लाइन्ड तथा पिव्लिम में गोल्फ कोर्स का क्षेत्र है। तथा उक्त क्षेत्र को "मनोरंजन" (डिस्ट्रिक्ट पार्क्स तथा खेल के मैदान) से "व्यावसायिक" मूमि में बदलने का प्रस्ताव हैं।

2. प्रस्तावित संशोधन को इंगित करने वाला रेखाचित्र प्राधिकरण के कार्यालय, विल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्था एरटेट नई दिल्ली में महा कार्य दिवसों को (शनिवार को छोड़ कर) उपर्युक्त ग्रवधि के भीतर ही निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगी।

[सं० एक० 3(36)/70-एम० पी०]

. एन० एन० फोतेदार, सचिव ।:

Sec. 3(ii)] THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 21, 1971/SRAVANA 30, 1893 4385

3. थीं वरेन्द्र सिंह, सहामक से सम्बद्ध अधिसूचना सं० एस०औ० 120, दिनांक 9-1-71 की इसी काल के उद्देशनहार ।

फाइन सं० टी० 4330/2/70]

New Delhi, the 31st July 1971

S.O. 3433.—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Caths and Fees) Act, 1948, the Central Government hereby authorises Shri 1. S. Ahluwalia, Assistant in the Commission of India; Mombasa to perform the duties of a Consular Agent, with immediate effect, until further

[No. F. T. 4330/4/71.] D. C. GOHAIN, Attache (Consular).

एल ० शो० 3 1 3 3 -- राजनियम एवं कोंसली अधिकारी (शंपश एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 के खंड 2 की घारा (क) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद् द्वारा श्री आई० एस० अहलूवालिया, सहायक, भारत का कमीणन, मोम्बासा, को तत्काल से, अगले आदेश होते तक, कोंसली अभिकर्ता का कार्य करने का ग्रधिकार देती है।

> [फाइल संख्या टी॰ 4330/1/71] डी० सी० गोहैन, सहचारी (कोंसली)।

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 21st August 1971

S.G. 3134.—The following notifications which the Delhi Development Authority proposes to make in the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed change may send the objection/suggestion in writing to the Secretary Delhi Development Authority. Delhi Vikas Bhavan, Indraprastha Estate, New Delhi-1, within a period of 30 days from the date of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address:— Modification

"At page 60 of the text of the Master Plan-

(1) for item (i) of clause (b) of the paragraph headed "III. Government Omces" the following shall be substituted, namely:

(2) After ite m(ii) ibid, the following shall be added as item (iii), namely-(iii) MAR, for plots 6 and 7 of Indraprastha Estate, located to the south of the junction of Ring Road and Indraprastha Marg......400."

[No. F. 3(421)/68-MP. Pt.]

H.N. FOTEDAR, Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

ः गई दिल्ली, 21 अगस्त, 1971

वैद्भुं हु छा ० 3134----दिल्ली विकास प्राधिकरण तीचे लिखे संशोधन गुख्य योजना (गास्टर प्लान) में करेंगी बाहता है और उन्हें सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। जो कोई इनके साबन्ध में कोई आपत्ति या सुझाब देना जाहता हो सो वह अपनी आपत्ति / सुझाब

को लिख कर सचिव, दिल्ली विकास भाधिकरण विकास, भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्ट्रेंट, गई दिल्ली-1 के पास इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर भेज सकता है। जो व्यक्ति आपित्र्ि सुझाव भेजें वह अपना नाम तथा पूरा पता भी लिखें।

संशोधन :---

मुख्य योजना के पृष्ठ 60 पर (1) गद (1) धारा (बी) पैरा (3) के विभे गये शिर्षक" सरकारी कार्यालय" में नीचे लिखा संशोधन किया जाना है।

- (1) मद (2) श्रीर (3) में उल्लिखित भूखण्डों के लिए एफ० ए० हा रू० इस प्रकार ...... 150 होगा "।
- (2) मद (2) कं पश्चात् मद (3) इस प्रकार रखा जायेगा ।
- (3) इन्द्रप्रस्था नार्ग तथा रिंग रोड जंकशन के दक्षित में भूखंड सं० 6 और 7 के लिये एफ० ए० आर० .......... 400 होगा "।

[सं० एफ० 3(421)/68-एन० पी०] एच० एन० कोतेदर, सचित्र।

### MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Expenditure)

New Delhi, the 17th July 1971

- S.O. 3135.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in that behalf the President hereby makes the following rules further to amend the Central Cost Accounts Pool (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1961, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Central Cost Accounts Pool (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Rules, 1971.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official
- 2. In the Central Cost Accounts Pool (Recruitment and Conditions of Service)
  - (i) in Schedule I, for the Table under the heading "Grades and the No. of Posts in each grade", the following Table shall be substituted namely:-

| .1                       | Grade            | Permanent | Temporary | Total                                 |
|--------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| Chieft Cost              | Accounts Officer | 1         |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Deputy Chief<br>Officer. | Cost Accounts    |           | ·         |                                       |
| Senior Co<br>Officers.   | ost Accounts     | ,<br>3    | 5         | 8                                     |
| Cost Accounts            | office;s         | 13        | - 2.1     | 37                                    |
| Assistant C<br>Officers. | ost Accounts     | 13        | 13        | 26                                    |
| Cost Accounts            | ants             | 26        | 15        | 4. T                                  |

<sup>(</sup>ii) in Schodule III-

<sup>(</sup>a) in paragraph 1, in sub-paragraph (1) relating to the post of Chief Cost Accounts Officer, in entry (ii) in the second column, for the

### (स्वास्थ्य विभाग)

### - आदेश

## नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1971

एस० ग्रो० 5385--पतः भारत सरकार के भृतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 31 ग्रगस्त् 1964 की ग्रधिसूचना संख्या 32-563-एम०पी०टी० द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निवेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिपद ग्रधिनियम, 1956 (1956का 102) के प्रयोजनों के लिए यूनिवर्सिटी ग्राफ मिने-सोटा, मैडिकल स्कूल, मिनेपोलिस स० रा० अमेरिका द्वारा प्रदत्त एम० डी० नामक चिकित्सा अर्हना गान्म विकित्सा अर्हता होगी ;

ग्रीर यतः डा० नेवेल विलार्ड होगे को जिसके पास उक्त ग्रह्ता है वर्मार्थ कार्य के प्रयोजनीं के लिए फिलहाल फू निसस न्यूटन अस्पताल, फिरोजपुर केन्ट के साथ सम्बद्ध हैं।

ग्रतः ग्रव उत्त श्रधिनियम की धारा 14की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा :--

(1) ग्रक्तूबर, 1971 से ग्रागे की दो माह की ग्रवधि

(2) उस ग्रवधि को जब डा॰ तक डा॰ एन॰ इब्ल्यू॰ होने उन्त नेन्तिस न्यूटन व्यवस्पताल फिरोजपुर बेन्ट के साथ राम्बद्ध रहते हैं, जो भी यम हो, वह अवधि विनिधिष्ट करती है, जिसमें पूर्वीवत डा॰ मेडिकल प्रेक्टिस कर सकेंगे।

[सं ० एफ ० 19-27/71-एम ०मी ०टी ०] प्राक्तश चन्द्र अरोरा, अवर सचिव

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 8th September 1971

S.O. 5386.—In pursuance of the provisions of sub-section (4) of Seciet 22 of the Delhi Development Act 1957 the Delhi Development Authority by replaced at the disposal of the Central Government the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land and Development Office, Ministry of Works Housing & Urban Development Government of India, No. Delhi for further transfer to the Delhi Productivity Council for construction of Office Building Office Building.

### SCHEDULE

Piece of and measuring about 241.1 sq. yds. situated in Jhandewalan Estate bearing Plot No. 10, Block No  $\,$  J.

The above piece of land is bounded as follows:-

NORTH: ROAD SOUTH: ROAD

EAST : PLOT NO. 11 WEST : PLOT NO. 9

[No. L-2(6)71

H. N. FOTEDAR, SE

## विस्तो। विस्तास प्रविकरण

## नई विकती, 8 मितम्बर, 1971

एस० औ० 5386.— विल्ली विकास प्राधिकरण के दिल्ली हवैत्पर्मेंट एक्ट 1957 की अस 22 उपधारा क्षेत्र प्रकर्णत केन्द्र सरकार के प्रधीन नीचे लिखी सूची के प्रमुक्त स्मूम एव विकास कार्यावय गढ़ और नगर विकास भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा निवर्तत के लिये और विभाग द्वारा दिल्ली प्रोडक्टीविटी कार्च सिल के हित म का्यिक्य भवन वनवाने के लिये हस्तान्तरण करने के लिए समित की जाती है।

### ग्रनुसूची

भूमि का क्षेत्रफल 249 1 वर्ग गण शडेवालान् में स्थित्, भूखण्ड न० 10 ब्लाक नं 0 1

उनर्युक्त गूमि की सीमा इस प्रकार है :---

'इसर्-सडक

दक्षिण-सङ्क

पूर्व-भूखण्ड नं ० 1

पश्चिम-भूखण्ड नं० 9

[सं॰ एल॰ 2 (6)/71] एव॰ एन॰ फोतेदार, सचिव।

### CABINET SECRETARIAT

### (Department of Statistics)

### New Delhi, the 9th November 1971

8.0. 5387.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section & of the Indian Statistical Institute Act, 1959 (57 of 1959), the Central Government hereby constitutes a Committee consisting of:—

### Chairman

1. Dr. Atma Ram.

### Members

- 2. Dr. Ashok Mitra, Chief Economic Adviser, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.
- 3. A representative of Indian Statistical Institute.
- 4. Joint Secretary, Department of Expenditure (Financial Adviser to Department of Statistics).
- 5. Director, Central Statistical Organisation and ex-officio Joint Secretary, Department of Statistics.

### Member-Secretar<u>u</u>

- 6. Deputy Secretary, Department of Statistics, and assigns the following duties to the said Committee, namely:—
  - (a) preparation and submission to the Central Government of statement showing programmes of work agreed to be undertaken by the Indian Statistical Institute during the year 1972-73 for which the Central Government may provide funds, as well as general financial estimates of such work; and

47

Î

[

. .

ie Gwrif

.

ं जनत<sup>्</sup>यानिय की नेख्य प्रमाणक के रूप में नियुतिस के बारे में यदि कोई <mark>बापत्तियां हों तो इस नो</mark>दिस के बनवित्रत कीने के क्षेत्रह किन के अन्दर की है काला कर ने बाल की निख सर भेज सिर्फ जाये ।

[संख्या 22/14/71-स्मायिक (ख)]

के० त्यागराजन,

राधाम प्राधिका 🧎 ।

### DELIN DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 18th September 1971

S.O. 162.—In pursuance of the provisions of Sub-Section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the Schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works Housing & Urban Development, Government of India, New Delhi, for further transfer to the Delhi Prantiya Rehgar Panchayat, Delhi.

#### SCHEDULE

Piece of land measuring about 112.33, situated in Rehgarpura (WEA), bearing Khasra No./Piot No. 9 Block O.

The above piece of land is bounded as follows:-

North: Padam Singh Road.

South: Gali.
East: Plot No. 3.
West: Plot No. 19.

[No. S. 5(119)64.]

### विल्ली विकास प्राधिकरण

### नई दिल्ली 18 सितम्बर, 1971

एस० औ० 162:—विह ी विकास प्राधिकरण के दिल्ली डवैल्पमेंट एक्ट 1957 की धारा 22 की उपधारा 4 के प्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के प्रधीन नीचे लिखी मूची के श्रनुसार भूमि एवं विकास का लिय में क्षिय परह और नगर विकास, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा निवर्तन के लिए और उस विभाग द्वारा दिल्ली प्रान्तीय रहगड़ पंचायत, दिल्ली को हस्तान्तरण करने के लिए समिपत की जाती है।

### **भ्रनगुची**

भूमि का क्षेत्रफल 112-33 वर्ग गज/एकड, रहगच पुरा (चल्ल्फ़ क ए०)में स्थित ब्लाक 'छो'।

उपरोक्त पूमि की सीमा इस प्रकार है :--

उत्तर : पदम सित शोड

दक्षिण : गली

पूर्व : प्लोट नम्बर 8

पश्चिम : प्लाट • 10

[सं० एस 5 (119) / 64]

### NOTICE

### New Delhi, the 22nd December 1971

5.0. 163.—Notice under Section 10(1) of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) read with rules 5 and 15 of the Delhi Development (Master Plan and Roccal Development Plan) Rules, 1959.

- Notice is hereby given that:— 1. (a) a draft of the zonal development plan for each of the following zones,
  - (i) B-1 (Kishanganj area)
  - (ii) B-4 (Sarai Rohilla area)
  - (iii) C-6 (West Malkaganj area)
  - (iv) C-10 (Kamla Nagar)
  - (v) C-13 (University area)
  - (vi) C-20 Adarsh Nagar)

has been prepared.

- (b) a copy thereof will be available for inspection at the following office between the hours of 11-00 and 3-00 p.m. on all working days except Saturdays, till the date mentioned in paragraph 3 hereinafter:—
  - (1) Offices of the D.D.A., Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, 'D' Block, New Delhi.
  - (2) Office of the New Delhi Municipal Committee, Town Hall, New Delhi.
  - · (3) Office of the Municipal Corporation of Delhi, Town Hall, Delhi-6; and
  - (4) Office of the Executive Officer, Delhi Cantt. Board, Delhi Cantt.-10.
- 2 Objections and suggestions are hereby invited with respect to these draft zonal development plans.
- 3. Objections or suggestions may please be sent in writing to the Secreta-Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate,, 'Delock, New Delhi by or before 31st January, 1972.
- 4. Any person making an objection or suggestion should also give his name and address.

[No. F-16(82)/71-MP] H. N. FOTEDAR, Secy. Delhi Development Authority,

## नई दिल्ली, 32 दिसम्बर 1971

का० आ० 163.—दिल्ती उत्रैलांट एक्ट 1957 (1957 का गं०-61) की धारा 10(1) के अधीन मूचना जो नियम 5 व 15 दिल्ली डवैंशमेंट (मास्टर प्लान तिथा जोनस ववैत्वमेंट प्यान) रूरज 1959 के साथ पड़ा जाए।

एतदहारा मृचना दी जाती है कि :--

- (हा) विःचनिविवत जोन्य् में प्रत्येक के निवे जीतन डवैल्पमेंट का द्वापट :---
  - (1) वी-1 (किमनगंज क्षेत्र)
  - (2) बी-4 (सराय रोहिला धिन्न)
  - (3) जी-6 (वैस्ट मलकामंज क्षेत्र)
  - (4) सी-10 (कमला नगर नेज)
  - (5) सी-13 (व्निवसिटी क्षेत्र)
  - (6) सी-20 (ब्राइर्श नगर)

वनकर तैयार हो गमा है।

- (वी) उनकी एक प्रति निम्नांकित कार्यालयों में सभी कार्यगील दिनांक शनिवार के श्रतिरिक्त, में 11 बजे से 3-00 बजे के बीच निरीक्षण के लिये प्रकरण 3 में लिखित दिनांक तक प्राप्य है ।
  - (1) कार्यालाव, दिल्ली विज्ञास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्य उन्टेट, द्यी ब्लाक, नई विल्ली।

- (3) कार्यालय, दिल्लो नगर निगम, टाउन हाल, दिल्ली ।
- (4) कार्यालय, अधिकारो अधिकारी, दिल्ली कंण्डोनगैंड बोर्ड, दिल्ली कंण्ड-10
- इन हाफ्ट जोनल डबैल्पमेंट प्लान्ज के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाय आमिन्यत किये जात हैं।
- 3. आगतियां एवं सुझाव लिखित रूप ने सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, डी ब्लाक, नई दिल्ली के पास 31 जनवरी, 1972 से पहले या तक भेजे जा सकते हैं।
- 4. कोई भी व्यक्ति जो आपत्ति या गुझाव प्रस्तुत करे उसे अवना नाम और पूरा पता भी देना पाहिये ।

[सं० एफ० 16(32)/71-एम० पी०] एच० एन० फोलेदार, सचित्र, दिल्ली विकास प्राधिकरण।

### MINISTRY OF COMMUNICATIONS

### (P. & T. Board)

New Delhi, the 16th November 1971

- S.C. 164.—In exercise of the powers conferred by section 35 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Twentieth Amendment) Rules, 1971.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official
- 2. In the Indian Post Office Rules, 1933, in rule 102, for the words "one year", the words "six months" shall be substituted.

[No. 14/1/71-CI.]

P. S. RAGAVACHARI, Director (Postal Tech.).

संचार मंत्रालय

### जिक-तार बोर्ड

### नई दिल्ली, 16 नवस्वर 1971

एस ० श्रो ० 164 .— भारतीय डाक्घर श्रिधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 35 द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार डाकघर नियम, 1933 में ग्रीर श्रागे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती हैं ग्रथित :—

- (1) इन नियमों का नाम भारतीय डाकघर (20वां संशोधन) नियम 1971 होगा ।
  - (2) ये नियम सरकारी राजवल में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय डाकवर नियम, 1933 के नियम 102 में प्रयुक्त "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "छ: मास" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।

. [सं ० 14-1/71-सी ० ग्राई०]

पी ० एस ० राघवाचारी, निदेशक (डाक तकनीकी)। noin. Geneva to perform the duties of a Consular agent, with effect from the 21st December, 1971 until 'urther orders.

> [No. F. T. 4330/3/72.] PRAMOD KUMAR. Under Secy. (Consular).

विदेश संघालय

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1972

पारतार 743.—राजनियक एवं कोसिली अधिकारी (शपथ रूपं मुक्क) अधिनियम, 1948 के भाग 2 की धारा (क) के ज्यारण में केन्द्र तरकार भारत के जनेवा स्थित उप-कौंसलालय में रहिनक, श्री एम० की अमधुर की एतदहारा तत्काल से, अगला यारेण होते तया, कोंराली पाणियाती या कार्य करने का प्रधिकार

> [रांख्या फा॰ टी॰ 4330/3/72] प्रमोद भुमार, धवर सचिव।

### DELIH DEVELOPMENT AUTHORITY NOTICE

New Delhi, the 26th February 1972

E.O. 744.—The following modifications which the central Government proposes to make to the Master. For Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may and his objection or suggestion in writing to the Section, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhawan, New Delhi within a period of 30 days from the date of this notice. The person making the objection of the proposed modifications may be a proposed modifications may be a proposed modification of the proposed modifications may be a proposed modification of the proposed modifications may be a proposed modification of the proposed modifications may be a proposed modification of the proposed modifications may be a proposed modification of the proposed modifications may be a proposed modification of the proposed modifications may be a proposed modification of the proposed modifications may be a proposed modification of the proposed modifications may be a proposed modification of the proposed modifications may be a proposed modification of the proposed modifications may be a proposed modification of the proposed modifications may be a proposed modification of the proposed modification of the proposed modifications may be a proposed modification of the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and

### Modification

(1) "An area measuring about 4.46 hect. (13.5 acres) smarked in the Master Plan/zonal plan as commercial for warehousing, storage, depots and mineral sling sorrounded by 45.72 mts (150 ft.) wide Master like Road in the north (as per new alignment due to site feasibility), Mathura Road 45.72 mtrs. (150 ft.) the East, industrial area in the south and the cliway Line in the west is proposed to be changed to dustrial use (Light manufacturing)"

(2) "An area measuring about 2.8 hect. (about 7 acs.) rated near Feroz Shah Kotla monuments and amarked as recreational and historical monuments in Manter Plan/Zonal Plan is proposed to be charged Residential".

The plans indicating the proposed modifications will available for inspection at the office of the Authori-Belbi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New albi on all working days except Saturday within the

[No. F.16(55)/70-MP.]

H. N. FOTEDAR, Secv.

िदलको विकास प्राधिकरण सार्वजिनक सूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी 1972

एस० औ० 744.--धेन्द्रीय सरकार दिल्ली मास्टर प्लान विशेष निष्णे संयोधन करने का विचार कर रही है, उन्हें जनता की

जानकारों के लिये प्रकाशित किया जा रहा है। इस संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्तिको आगत्ति या गुझान देना हो तो वे अपने श्रापत्ति श्रीर सुझाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर दिल्ली विकास प्राधिकरण के सचिव, दिल्ली विकास भवन, नई दिल्ली के पास लिख वार भेज सकते हैं। जो व्यक्ति ग्रापनी ग्रापत्ति या सुझाव दें वे ग्रपना नाम तथा पुरा पता भी दें

### संशोधन

- (1) "लगभग 4-46 हैक्ट्र (13.5 एकड़) का क्षेत्र मास्टर प्लान/जोनल प्लान में वेयरहाज्याम, गोदाम, डिपो तथा खनिज पदार्थ के स्थान के लिये व्यव-सायिक निदिष्ट हैं। इसके उत्तर में 45.72 मीटर (150') चौड़ी मास्टर प्लान रोड है (स्थान के नये अलाइमेंट के अनुसार) पूर्व में 45.72 मीटर (150') चौड़ी मथुरा रोड, दक्षिण में श्रौद्योगिक क्षेत्र तथा पश्चिम में रेलवे लाइन है। इस क्षेत्र को ग्रव ग्रीद्योगिक उपयोग (इन्डस्ट्रियल यूज) (लघु उद्योग) में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है।
- (2) "फिरोजणाह कोटला स्मारक के निकट 2:8 हैक्ट्र (लगभग 7 एकड़) क्षेत्र को मास्टर प्लान/ जोनल प्लान में मनीरंजन तथा ऐतिहासिक स्मारकों के लिये निर्दिष्ट किया गया था भव उसे क्षेत्र को श्रावासीय प्रयोग में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है।"

णनिवार को छोड़कर श्रीर किसी भी कार्यणील दिन में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टट, नई. दिल्ली—1 में उनत श्रवधि में श्राकर संशोधन के मानचित्नों का निरी-क्षण किया जा सकता है।

> एच० एन० फोतेदार, सचिव।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

ORDERS

STAMPS

New Delhi, the 26th February 1972

S.O. 745.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited, Bombay, to pay consolidated stamp duty of nine lakhs, six thousand, one hundred and twenty-seven rupees and fifty paise, chargeable on the debentures of the value of twelve crores, eight lakhs and seventeen thousand rupees, under the said Act.

[No. 5/72-Stamps/F. No. 471/7/72-Cus.VII.]

|   |         | 2             | 3   | 4              |
|---|---------|---------------|---|----------------|
| (ग) श्रन्थ  |         | 98,99,68,000  | (ख) केन्द्रीय भूमिजन्धक बैंकों के डिबेंचरों में नियेश<br>राष्ट्रीय ग्रुपि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण<br>भीर प्रग्रिय | 10,87,75,000   |
| देय बिल   |         | 59,57,00,000  | राज्य सहकारी बैंकों को ऋण धौर अग्निम राष्ट्रीय धौचो-<br>गिक ऋण (दीर्धकालीन फ्रियायें) निधि रो                       | 29,13,04,000   |
| भ्रम्य देवसामें .   |         | 321,68,42,000 | भूण, अग्रिम धौर निवेश   |                |
|   |         | ia<br>L       | (क) विकास बैंक को ऋण धीर अग्रिम   | 93,06,94,000   |
|   |         |               | (छ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में<br>निवेश<br>धन्य श्रास्तियां                               | 35,68,71,000   |
| e<br>Maria de La Carlo de Carlos de<br>Maria de Carlos de C | रुपये 1 | 421,92,86,000 | ewwo.   | 1421,92,86,000 |

\*नकदी, शायधिक जमा भीर भल्पकालीन प्रतिभृतिया शामिल है।

अभ्याद्मीय कृषि ऋण (दीर्षकालीन कियायें) निधि श्रीर राष्ट्रीय श्रीयोगिक ऋण (दीर्षकालीन कियायें) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।
@याष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्षकालीन) कियायें) निधि से प्रदत्त ऋण श्रीर श्रीप्रक शामिल नहीं हैं।

रिजर्व बेंक आफ इंडिया भ्रधिनियम की धारा 17(4) (ग) ये भ्रधीन अनुसूचि वाणिज्य बेंकों को मीयादी बिसों पर भग्निम दिये गये 50,00,000)-

निराष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन कियायें) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिगीकरण) निधि से प्रवत्त ऋण भीर प्रक्रिम णामिल नहीं हैं।

[सं० फ॰ 1/3/72-बी॰ भ्रो० I] एस० जगन्नाथन, गर्बनर

दिनांक 1 नवम्बर, 1972

### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th November, 1972

5.) 3831.—WHEREAS the Delhi Development Authornty has proposed to make following modifications in the Asster Plan for Delhi:—

### MODIFICATION

In paragraph 5, entitled "Provisions regarding requirements in Use Zones" occurring in section A (Zoning Regulations) of Chapter II of the text of the Master Plan dealing with the Zoning and Sub-Division Regulations—

(1) At page 55, against item "(b) plot coverage under the heading "Residential Use Zone", notes (1) and (2) shall be substituted by the following, namely:—

Note: The area to be covered need in no case be less than the permissible covered creat for the foregast size plat in lower category. For example, substant a, sp. to be covered in a plot of 1028.44 sq. fitter (1230 sq. yds.) will be 40 per cent of (0.13, 36 sq. meter (1,200 sq. yds.) i.e. 401.34 sq. meter (480 sq. yds.) and not 1/3rd of 1028.44 sq. mater (480 sq. yds.) which is only 342.81 sq. meter (410 sq. yds.)."

(2) At page 56 against the heading "(c) Floors" for the sentence "in individual plots, exceeding 167.23 sq. meters (260 sq. yds.) a two-storeyed building raised on stilts may be permitted, provided the enclosed area on the ground floor does not exceed 25 per cent of the permissible covered area on the first floor,' the following sentence shall be substituted, namely:—

"In individual plots exceeding 167.23 sq. meter (200 sq. yds.) a building raised on stilts may be permitted provided the stilts floor shall be treated as one of the main floors of the building".

The proposed modifications having been published as notice No. S.O. 5121, dated the 13th November, 1971 at page 6026 of the Gazette of India, Part II Section 3—Sub-

section (ii) as required by sub-section (3) of section 11-A of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections and suggestions;

AND WHEREAS the Delhi Development Authority has considered the objections and suggestions in regard to the modification mentioned above.

NOW THEREFORE, the Delhi Development Authority, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of section 11-A of the said Act hereby makes the above modifications in the said Master Plan for Delhi.

[No. F3(186)70-M.P.]

H. N. FOTEDAR, Secre

दिस्ली विकास प्राधिकरण श्रधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1972

कार्ज्यार 3831-- यद्यपि दिल्लो विकास प्राधिकरण ने दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताय किया है:--संशोधन

मुख्य योजना के क्षेत्रीय तथा सब-डिवीजन नियमों से संबंधित प्रध्याय के परिच्छेद II (क्षेत्रीय निगमों) की धारा ए में "यूज जोन्स की मावश्यकतायों के संबंध में व्यवस्थायों" के शीर्षक के पैरा 5 में :---

(1) पृष्ठ 55 पर मद् "(बी)" धावासीय उपयोग क्षेत्र" के शीषंक के धन्तर्गत भूखण्ड के लिये, नोट्स (1) तथा (2) को निम्न प्रकार रखा जायेगा :—

मोट:— निम्न थेणी में बड़े धाकार के भूखण्ड के सिये स्पीकृत पटाय क्षेत्र से किसी भी स्थिति में पटाव क्षेत्र कम नहीं होना चाहिए। उदाहरणतः 1028.44 व०मी० (123० व००००) के भूखण्ड में 1003.36 व०मी० (1200 व० गज) का



अलाबारण

## EXTRAORDINARY

Mu M-Mes 3-addes (ii)

PART H-Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार ते प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर १, 1972/ग्रमहायण 18, 1894 513]

513] HEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 9, 1972/AGRAHAYANA 18, 1894

इस नाय में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप भें रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## DELIH DEVELOPMENT AUTHORITY PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th December 1972

Proposed modifications in the Master Plan for Delhi (Metropolitan City Centre)

S.O. 741(E).—The following modifications which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal Development Plans under sub-section (2) and its Extension) including architectural elevation control, Zone D-3 (Curzon Road), Zone D-4 (Parliament Street), and Zone D-5 (D.I.Z. area) are hereby in respect of proposed modifications may send the objection/suggestions writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhawan, of this notice. The person making the objection/suggestion should also give of this rotice. The person making the objection/suggestion should also give

## MODIFICATIONS IN THE MASTER PLAN:

## 1. Land Uses:

- (i) An area measuring about 0.8 hect. (2 acres) falling in Zone D-3 (Curzon Road) and bounded by Janpath, Ferozshah Road Telegraph Lane from "residential" to "commercial use, is proposed to be changed.
- (ii) An area measuring about 1.6 heets (4 acres) falling in Zone D-4 (Parliament Street area) and bounded by Janpath, Ashok Road, Service Lane and Janpath Hotel, is proposed to be changed from "residential" to

出 第

Pin.

#### 2. Zoning Regulations

(i) At page 60 of the text of the Master Plan Sub-para (a) under para IV "Commercial and Retail", the F.A.R. for Connaught Place Extension would be modified as under:

"Maximum F.A.R. (Connaught Place and its Extension)

- (ii) An area measuring about 4.05 heets. (10 acres) earmarked for flatted factories, bounded by railway line, School Lane, Fire Brigade Lane and commercial area, is proposed to be used for "service industries".
- (iii) The area of Zone D-1 (Connaught Place and its Extension) has been extended from 93.69 heets. (231.5 acres) to 141.24 heets (349 acs.) by adding the area; from Zones D-3 (Curzon Road), D-4 (Parliament Street), D-5 (D1Z area) to the extent of 9.88 heets. (24.4 acres), 33.95 heets. (83.9 acres) and 3.72 heets. (9.2 acres) respectively, and has been renamed as enlarged Zone D-1 (Mertropolitan City Centre).
- (iv) All references to Connaught Place and its Extension as "Central Business District" shall be construed as references to "wetropolitan City Centre".

### MODIFICATIONS IN THE ZONAL PLANS:

- (i) Zone D-3 (Curzon Road area).—An area measuring about 9.33 heets (24.4 acres) fronting on Janpath (one plot depth) bounded by Tolstoy Marg-Telegraph Lane-Electric Lane-Ferozeshah Road-Janpath is proposed to be deleted from Zone D-3 and shall form part of enlarged Zone D-1 (Metropolitan City Centre).
- (ii) Zome D-4 (Parliament Street area).—An area measuring about 33.95 heefs. (83.9 acres) comprising the following pockets is proposed to be deleted from Zone D-4 (Parliament Street area) and shall now form part of enlarged Zone D-1 (Metropolitan City Centre):
  - (a) Pocket measuring about 14.16 hects. (25 acres) fronting on Janpala (one plot depth) bounded by Tolstoy Mark (Proposed)-Janpath-Asheka Road-Service Lane (behind Imperial Hotel).
  - (b) Pocket measuring 4.65 heets. (11.5 acres) fronting on Parliament Street (one plot depth) and bounded by Tolstov Marg (Proposed)-Januar Mantar Road-Ashoka Road and Parliament Street.
  - (c) Pocket measuring 15.14 hects. (37.4 acres) fronting on Parliament Street and bounded by Connaught Circus-Parliament Street-Ashoka-Road-Jai Singh Road-Hanuman Lane and Irvin Road.
  - (iii) Zone D-5 (D.I.Z. Area).—An area measuring about 3.72 hects (92 acres) bounded by Bhagat Singh Marg-Connaught Circus-Irwin Road and Service Lane is proposed to be deleted from Zone D-5 and shall form part of enlarged Zone D-1 (Metropolitan City Centre).
  - (iv) Enlarged Zone D-1 (Metropolitan City Centre).—The zonal development plan for Zone D-1 (Connaught Place and its Extension) and the portions of the zones mentioned in paras (i), (ii) and (iii) above are proposed to be modified as per the proposals contained in the text and the plan of the enlarged Zone D-1 (Metropolitan City Centre).

The texts and the plans indicating the proposed modifications will be available for inspection in the office of the Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays within the period referred to above.

Dolhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Dolhi. Dated the 983 December, 1972.

[No. F. 3 (250) 72-M.P.]

H. N. FOTEDAR, Secy. Delhi Development Authority.

## फिल्ली विकास प्राधिकरण

### सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली 9 दिसम्बर, 1972

दिल्ली मास्टर प्लान (मैट्रोगोलिटन सिटी सेन्टर) में प्रस्तावित संगोधम

एस० घो० 7-11 (य) — निम्निलिखित संगोधन जो केन्द्रीय मरकार जोन डी—1 (बनाट जिस तथा कर्टिण म) जिलमें यार्किटियचरण ऐली बेणन केन्द्रोल डी—3 (कर्जन रोड) जोन डी—4 (पालियामेंट डीट) डी—5 (डी बाई० जैड०एरिया) के लिये दिल्ली डवेल्पमेंट एक्ट की धारा 11—ए की उप-धारा (2) के अन्तर्गत मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजनाओं में करने का विचार कर रही है। अक्जिन्क सूचना हेतु एतद्हारा प्रकाणित किया जा रहा है। अस्तावित संगोधन के संबंध के कोई आपति/सुझाव देने वाला कोई भी व्यक्ति आपति/सुझाव के लिखित एप में पाचिव, जिली कितास प्राधिकरेण, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्था स्टेट, नई दिल्ली को इस सूचना के 30 दिनों के अन्दर भेजें। आपति अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं को देना चाहिये।

नुडा योजना के संगोधन

### विभ उपयोग

(i) लगभग 0.8 हैबट्ट (2 एकड्) क्षेत्र जो जोन डी-3 (कर्जन रोड) में पड़ता है जो जनपथ फिरोजणाह रोड टैलीग्राफलेन तथा व्यवसायिक भूमि हारा धिरा हुआ है। इसके भूभि उपयोग को "ग्रावासीय" से व्यवसायिक प्रयोग (होटल) में परिवर्तित करने का प्रस्ताय है।

of the Emily of the

(ii) समाग्रम 1.6 हैक्ट्र० (4 एकड़) दीन जो जोन डी-4 (पालियापैट स्ट्रीट क्षेत्र) में पड़ता है तथा यह जनपथ श्रशोक रोड, सवित जेन तथा जनपथ होतल द्वारा चिरा हुया है, को श्रावासीय से व्यवसायिक (होटल) में परिवर्तन करने के लिये प्रसाब है।

### . કેસંદર નિયમ

(1) कास्टर प्लान के राजन्तेश (ए) के अध्याय के पृष्ट 60 के पैश (प्रेV क्यब-साथिक एवं शिटेन" के अन्तर्गत क्याट प्लेश तथा इक्टिशन के लिए एफ़॰ ए॰ भारु में निम्न प्रकार संभोधन किया जायेगा:---

अधिकतम एफ० ए० श्रार० (कनाट प्लेस तथा इनस्टेंगन)----250"

(ii) पर्नेटड फंक्ट्रीज के लिये निर्दिष्ट लगभग 4.05 हैंक्ट्र (10 एकड़) का क्षेत्र जी रेलवं बाइन, रुक्तुल लेन, फायप क्रिगेडलेन, व्यवसायिक क्षेत्र द्वारा चिरा (iii) जीन डी-1 (कनाट प्लेस तथा इनस्टेंगन) का क्षेत्र 93.69 हैक्ट्र (231.3 ए कड़) से 141.24 हैं क्ट्र (349 ए कड़) तक बढ़ा दिया गया है जो जात डी-3 (वर्जन रोड), डी-4 (पालियामेंट रट्रीट) डी-5 (क्षी० ग्राई० जैड० क्षेत्र) से कमशः 9.88 हैक्ट्र (24.4 एकड़) 33.95 हैक्ट्र (83.9 एकड़) तथा 3.72 हैक्ट्र (9.2 एकड़) तथा इस जोन डी-1 (मैट्रोमोलिटन तिटी सेन्टर) का नाम दिया गया है।

IV. बानाट प्लेल तथा इवस्टींगन के शैन्द्रल विजनेस डिस्ट्रिक्ट के विचय गर्भे भी संबंध हो उन्हें मेंद्रोपोलिटन सिटी सेन्टर के नाम से समझा जाए।

क्षेत्रीय योजनायों में संशोधन

## (1) जोन डी-3 (कर्जन रोड धोल)

जनपथ के सामने लगभग 9.88 हैक्ट्र (24.4 एकड़) का क्षेत्र जो टालसटाम मार्ग टेलीग्राफ लेन इलैक्ट्रिक लेन फिरोजशाह रोड जनपथ द्वारा विरा हुआ है तथा इसे जोन डी-3 से निकालने के लिये प्रस्तान किया गया है हाथा कर जोन डी-1 (मैंट्रोपोलिटन सिटी सेन्टर) के एक बड़े जोन का थाग यनेगा।

## (ii) जोन डी-4 (पालियामेंट स्ट्रीट)

लगभग 33.95 हैंगद्र (93.9 एकड़) का क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र सिम्मिलित है, को जोन डी-4 (पालियामेंट स्ट्रीट) से निनालने का प्रस्तान है तथा प्रव यह जोन डी-1 (मैंट्रीपोलिटन सिटी सेन्टर) के बड़े बोब का भाग बनेगा।

- (ए) जनपथ के सामने एक मूखण्ड की दूरी पर लगभग 14.16 हैक्ट्र (35 एकड़) का क्षेत्र जो टाल्सटाय मार्ग (प्रस्तावित) जनपथ, ग्रंगोका रोड-सर्विस लेन (इम्पीरियल होटल के पीछे) द्वारा थिया हुआ है।
  - (बी) पालियामेंट स्ट्रीट के सामने (एक भूखण्ड की दूरी पर) 4.65 ईस् (11.5 एकड़) का क्षेत्र जो टाल्सटाय गार्ग (प्रस्तावित) जन्म मन्य रोड-अभोका रोड तथा पालियामेंट स्ट्रीट हारा विरा हुआ है।
  - (सी) पालियामेंट स्ट्रीट के सामने 15.14 हैगड़ (37.4 एकड़) का क्षेत्र के कनाट सर्कस-पालियामेंट स्ट्रीट अशोका रोड-जम सिंह रोड हनुसान के तथा इतिन रोड द्वारा घिरा हुआ है।

## (iii) जोन डी-4 (डी० ग्राई० जैड० शेल)

लगभग 3.72 हैनट्र (9.2 एकड़) क्षेत्र जो भगत सिंह मार्ग-मनाट सक्तर-क्षित्र रोड तथा सर्विस जेन द्वारा विरा हुआ है, को जोन डी-3 से निकासने तथा जीव डी-1 (सैट्रोपोलिटन सिटी सेन्टर) के बड़े क्षेत्र का भागनवाने का प्रसाव है। इत् जोग हो-। (गैड्रांगोलिटन शिटी सन्टर)

जोन डी-1 कनाट प्लेस तथा इस्स्टैंशन की क्षेत्रीय थिकाम योजना तथा उनत पैरा (1), (11) तथा (111) में खेलों के जामों में उक्त श्रध्याय तथा वहें जोन छी-1 (मैट्रोनोलिटन (सटी सेन्टर) के अनुपार संशोधित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन को इंगिन करने वाली टैंक्स्ट तथा योजना प्राधिकरण के कार्या-्या दिल्ली विकास भवन, इत्यवस्था इस्टेट, नई दिल्ली में समस्त कार्य दिवसों को शनिवार को छोड़ कर उक्त प्रविध के शन्दर ही निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगी।

सं ० एक 3 (256) 72-एम ० पी ०

दृदय नाथ फोतेदार,

सचिव ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण।

दिल्ली विकास भवन,

रद्रप्रस्था इस्टेट,

। विश्वित्ताः

हिनांक 9 दिसम्बर 1972

शीनवार को छोड़ सभी कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास श्रीधकरण के कार्यालय. विकास भवन, इन्ह्र्यस्था इस्टेंट, नई दिल्ली-1 में उक्त अर्थाध में आकर प्रस्तावित संशोधन के मान-चित्रों का निरीक्षण किया जा सकता है।

[एक 16(49)/71-एम.पी.],

हदयनाथ फातंदार, सांचय

### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 31st March, 1973 PUBLIC NOTICE

S.O. 975.—The following modification which the Delhi Development Authority proposes to make in the Muster Plan/Zonal Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed change may send the objection/suggestion in writing to the Secretary. Delhi Development Authority. Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi-1 within 30 days from the date of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address.

### MODIFICATION

"An area, measuring about 5.42 Heets, bounded by 9.4 meters wide road in the north-east, 30.5 metres wide Chandra Gupta Road in the south-east, 30.5 meteres wide road in the south-west and 30.5 meters wide road in north west, falling in Zone D-13 Chanakayapuri is proposed to be changed from "Public and Semi-public" use (Hospital) to "Residential".

The plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturdays with the period referred to above.

[No. F. 16(49)/71-M.P.]

H. N. FOTEDAR, Secy.

### रेसंचाई ऑर विद्युत मंत्रालय

नइ दिल्ली, 17 मार्च, 1973

का. आ. 874.—लक्काइीव, मिनिकांच ऑर अमीनदीबी इवीप समूह (विभिन्न) सं. 2 विनिचम 1970 (1970 का 2) की धारा 6 की उपधार (1) के छण्ड (छ) के अनुसरण में, केन्द्रीच सरकार एतहहवारा निवंश इंदी हैं कि भारतीच विद्युत् अधिनिचम 1910 (1910 का ::) ऑर भारत विद्युत् निचम 1956 के निम्नीलिखित उपवंशों के अधीन राज्य सरकार या सम्मुचित सरकार की शिवतयों का प्रयोग ऑर कृत्यों का निवंहन, लक्काइीब, निनिकांच और अमीनदीबी इंदीप समुद्द के सम्बन्ध में, कंचल केन्द्रीय सरकार द्वारा ने कि उपत संघ राज्य श्रंव के प्रशासक इवारा किया जाएगा, अधीत

भारतीय विह्युत् आधितियम 1910 की धारा 13, 18, 34, 36, 55 ऑर अनुसूची का खण्ड 13 तथा भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम 6, 133 ऑर 134.

[सं. स. वि. 2-4/4/67]

एम. रामनाथन, उप निदंशक (विद्युत्)

### MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 17th March, 1973

S.O. 974.—In pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 6 of the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Laws) No. 2 Regulation, 1970 (2 of 1970), the Central Government hereby directs that the powers and functions of the State Government or the appropriate Government under the following provisions of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910) and the Indian Electricity Rules, 1956 shall in relation to the Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, be exercised and discharged only by the Central Government and not by the Administrator of the said Union Territory namely—

Sections 13, 18, 34, 36, 55 and clause XIII of the Schedule to the Indian Electricity Act, 1910 and rules 6, 133 and 134 of the Indian Electricity Rules, 1956.

[No. EL. II-4(4)/67]

M. RAMANATHAN. Dy. Director, (Power).

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 20th March, 1973

S.O. 975.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of Shri H. H. Quraishy, Regional Labour Commissioner (Central), Dhanbad and Arbitrator, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Digwadih Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th March, 1973.

ARBITRATION AWARD GIVEN BY SHRI H. H. QURAISHY, REGIONAL LABOUR COMMISSIONER (C), DHANBAD AND ARBITRATOR UNDER SECTION 10A OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947 IN THE MATTER OF AN INDUSTRIAL DISPUTE BETWEEN THE MANAGEMENT OF DIGWADIH COLLIERY OF M/S. TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED, P. O. JEALGORA, DISTT. DHANBAD AND THEIR WORKMEN REPRESENTED BY COLLIERY MAZDOOR SANGH (INTUC), RAJENDRA PATH, DHANBAD.

### Present:

Shri H. H. Quraishy, Regional Labour Commissioner (C), Dhanbad & Arbitrator.

### Representing the Management:

 Shri R. K. Verma, Group Personnel & Welfare Officer (Central), M/s. Tata Iron & Steel Company Limited, P. O. Jealgora, Distt. Dhanbad.

### Representing the Workmen:

 Shri Lala B. P. Sinha, Organising Secretary, Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad.

State: Bihar.

Industry: Coal.

Dhanbad, 28th February, 1973

### AWARD

By an agreement dated 11-10-1972, the Management of Digwadih Colliery of M/s. Tata Iron & Steel Company Limited. P.O. Jealgora. Distt. Dhanbad and their workmen represented by Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad referred the following industrial dispute for my arbitration under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947:—

"Whether the demand of Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad that Shri Mandip, Ex-C.R.O. Labour, Digwadih Colliery of M/s. Tata Iron & Steel Co.

## नर्ड दिल्ली. 21 मार्च, 1973

का. आ. 970.—स्थाची आइंश संख्या 627 निर्मांक 8 मार्च, 1960 इतारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 हो नियम 434 के छण्ड 3 के पेरा (क) वे अनुसार डाक-तार महानिर्देशक ने इल्हानी टेलिफांन होन् में दिनांक 16-4-73 से प्रमाणित इर प्रणाली लागू करने का निर्चय किया है।

[सं. 5-2/73 पी.एच.वी.(21)]

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS (P & T Board)

New Delhi, the 21st March, 1973

S.O. 970.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules. 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March. 1960, the Director General. Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-4-1973 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in HALDWAN1 Telephone Exchange, U.P. Circle.

[No. 5-2/73-PHB(21)]

## नई दिल्ली, 27 मार्च, 1973

का. आ. 971. स्थाची आहंत संख्या 627, दिनांक 8 मार्च. 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक तार महानित्रांक करीम गंज टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-4-73 से प्रमाणित वर प्रणाती लागू करने का निरुचय किया हैं।

[सं. 5-22/73 पी.एच.दी.(3)]

ए. एस. वांहरा, सहाचक महानिवंशक

New Delhi, the 27th March, 1973

S.O. 971.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General. Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-4-1973 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in KARIMGANJ Telephone Exchange, North Eastern Circle.

[No. 5-22/73-PHB(3)]

A. S. VOHRA, Assistant Director General (PHB)

## निर्माण और आवास मंत्रालय

(सम्पदा निद्शालय)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1973

का. आ. 972.—लांक परिसर (अप्राधिकृत अधिभागियां की येदखली) अधिनयम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 ह्यारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए, कंन्द्रीय सरकार भारत सरकार के निर्माण ऑर आवास मंत्रालय, सम्पद्म निर्देशालय की अधिस्त्रित संग्रीधन करती हैं, अर्थात्ः—

चक्त आधस्चना के नीचे की सारणी में,

(1) स्तंभ 1 माँ, क्रम सं. 2 के सामनं, विद्यमान प्रविष्टिं के स्थान पर निम्निलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :— ासायान्द्र्लस । लामडाडा ३ मधाना ८,५८४ - पीवर्ज । मर्णेट, पिन्जॉर, जिला अम्बाला (हरयाणा) ।

(2) स्तंभ । में कम सं. 15 कं सामने विद्यमान प्रांचीप्ट वं स्थान पर निम्नीलेखित प्रविष्टी रखी आएगी. अर्थाल् :—

"क्षेत्र महाप्रवंधक, राष्ट्रीय कांचला विकास निरमस, क्रिकेट हे विदासमपुर, डाकखाना विदासमपुर, जिला सन्मुल (सध्यप्रदेश)" ।

> पिन. सं. 21012(13) /72-पांत. हो आर. श्री. संश्हेना, सम्यता उपनिक्तान्त्र, धूर्वेर पर्नेन अवर प्रांचाः

## MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Directorate of Estates) New Delhi, the 21st March, 4973

S.O. 972.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Works and Housing, Directorate of Estates No. S.O. 127 dated the 4th January, 1973, namely:—

In the Table below the said notification,

- (i) against Serial No. 2, in column 1, for the existing entry, the following entry shall be substituted.
- "Superintendent Plant/Town Administrator/Estate Officer, Hindustan Machine Tools Limited, III Machine Tools Factory Estate, Pinjore, District Ambala (Haryana)".
- (ii) against Serial No. 15. in column 1. for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—
  - "Area General Manager. National Coal Development Corporation Limited, Bishrampur, P.O. Bishrampur, Distt: Surguja (M.P.)".

[F. No. 21012(13) /72-Pol. III]
R. B. SAXENA, Dy. Director of Estates
and Ex-Officio Under Secy.

### दिल्ली विकास प्राधिकरण नई दिल्ली, 31 मार्च, 1973 सार्वजीनक सूचना

का. आ. 973.—दिल्ली विकास प्राधिकरण मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना में निम्निलिखित संशोधन करने का विचार कर रहा हैं। इस संशोधन के संबंध में बिद किसी व्यक्ति को अपित्ति वा सुभाव हेना है तो वे अपने आपित्त/सुभाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर सचिव. दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ इन्टेंट, नई दिल्ली-1 के पास लिखित रूप में भंज सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी आपित्त/सुभाव दें वे अपना नाम तथा पूरा पता भी लिहां।

### संशोधन

"लगभग 5.42 हॅक्टर का क्षेत्र जो उत्तरपूर्व में 9.4 मीटर चौंड़ी सड़क, दक्षिण पूर्व में 30.5 मीटर चाँड़ी चन्द्र गुप्ता रोड, दिश्ण-परिचम में 30.5 मीटर चाँड़ी सड़क एथा उत्तर-परिचम में 30.5 मीटर चाँड़ी सड़क द्वारा घिरा हुआ हाँ, तथा यह क्षेत्र जांन डीं33 (चाणक्चपुरी) में तथा उत्तर-परिचम में 30.5 मीटर चाँड़ी सड़क द्वारा (अस्पताल) से "आवासीय" में परिकर्तित करने का प्रस्ताव हाँ"।

### MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 29th April, 1974

10. 1233.—In exercise of the powers conferred by the viso to sub-section (1) of section 9 of the Delhi Urban Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Govment hereby appoints Shri II. Rahman, retired Chief hitect of the Central Public Works Department, as retary of the Delhi Urban Art Commission with effect a the 1st May, 1974.

[A. 12023/3/74-UDII] V. R. IYER, Under Secy.

## दिल्ली विकास प्राधिकरण सार्वजनिक सूचना नई दिल्ली, 18 मई, 1974

्बा॰ श्रा॰ 1234.-दिल्ली डवैलागेंट एवट 1957(1957की संख्या 61) की ह्या 11के श्रन्तर्गत जिसे नियम 5 एवा 15दिल्ली डवैल्पमेंट (मुख्य योजना वा धोबीय विकास योजना ) एटबा 1959 के साथ पढ़ा जाए।

एतदहारा सूचना दी जाती है कि :--

- (ए) केन्द्रीय सरकार ने विल्ली डवेल्पमैंट एक्ट 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 9 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत क्षेत्र (जोन्स) डी-17 (जंगपुरा निजामुद्दीन), डी-18 (किलोकरी) डी-19 (लाजेपत नगर), डी-20 (मुबारकपुर कोटला) एफ-2 (केला-जाजपत नगर 4 एरिया) और एफ-3(सिरी एरिया) का जोनल डवेल्पमैंट प्लान्स स्वीकृत कर दिया है।
- (बी) स्वीकृत योजनाम्रों (प्लान्स) की प्रतियों का निरीक्षण दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-1 में सभी कार्यभील दिनों में 11 बजे से 3 बजे तक किया जा सकता है।

[सं॰ फा॰ 3 (219)/62- एम॰ पी॰] हृदय नाथ फोतेदार, संचिव

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 18th May, 1974

S.O. 1234.—Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) read with Rules 5 and 5 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959.

Notice is hereby given that:-

- (a) The Central Government have under sub-section (2) of section 9 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) approved the zonal development plan for zones D-17 (Jangpura-Nizamuddin), D-18 (Kilokri), D-19 (Lajpat Nagar), D-20 (Mubarakpur Kotla), F-2 (Kailash, Lajpat Nagar IV area) and F-3 (Siri area).
- (b) A copy of the plan, as approved may be inspected at the office of the Delhi Development Authority, Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi-I between the hours of 11-00 a.m. and 3-00 p.m. on all working days.

[No. F. 3(219)/62-MP] H. N. FOTEDAR, Secy.

### श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 23 ग्रप्नैल, 1974

फा॰श्रा॰ 1235—श्रादेह यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायद अनुसूची में विनिदिष्ट विषयों की वाबत मैसर्स डालिमया इण्टरनैशनल होसपेट के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों श्रीर उनके कर्मकारों के बीच एक श्रीशोगोगिक विवाद विद्यागन हैं;

श्रीरयतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

यतः, यन, केन्द्रीय सरकार, यौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त मिक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक सीचोगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम क्सी कोन्नर होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलीर होगा और उक्त विवाद को श्रीखोगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

### ग्रनुसूची

"क्या मैसर्स डालिंग्या इण्टरनेणनल होसपेट के प्रबन्तंत्र द्वारा श्री यू० बी० थीर्ष राव, श्राणुलिंपिक का उसी हैसियत में होसपेट से उनके नई दिल्ली कार्यालय में स्थानान्तर कर देना न्यायोचित है? यदि नहीं तो वह किस श्रनुतोष के हकदार हैं?

[संख्या एल०-29012/5/74-एल० ग्रार० 4]

### MINISTRY OF LABOUR

### ORDER

New Delhi, the 23rd April, 1974

S.O. 1235.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Dalmia International Hospet and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri M. C. Konnur as Presiding Officer with head-quarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

### **SCHEDULE**

Whether the management of Messrs Dalmia International Hospet are justified in transferring Shri U. B. Theertha Rao, Stenographer in the same capacity from Hospet to their New Delhi office? If not, to what relief is he entitled?

[No. L-29012/5/74-LR. IV]

### श्रादेश

नई दिल्ली, 8 मई, 1974

कार आर 1236.—पतः व्यास सतलेश लिक प्रोजेक्य के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों श्रीर उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व व्यास सतलेश लिक वर्कर्स यूनियन, सुन्दर नगर करती है, एक श्रीद्योगिक विवाद विद्यमान है;

nts

ær.

ind

His

İII

lx-

re-

uni Ch 特別を行

### श्रनुस्ची

पहरीली रोड़ को मदनगीर गांव से मिलाने वाली 45.72 मीटर (150 फुट) चीड़ी सड़क के सार्गाधिकार को 30.48 मीटर (100 पुट) चीड़े मार्ग में परिवृत्तित किया जाना है।

2. यह इस मंत्रालय के राजपद की दिनांक 13-12-72 की समान संस्पन्न ग्राधियुन्तमा को निरुद्ध करना है।

> [संस्था 21023(13)/66-यू॰डी॰ 1] ची॰ आर० अययर, श्रवर सचिव,

### MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 20th August, 1973

5.0. 2546.—Whereas a notice containing certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Zonal development plan for zones F-10 and F-16 (Malviya Nagar) as regards the right of way of the road mentioned in the Schedule hereto annexed, was published (No. F. 3(169)/67-MP dated the 18th March, 1972) as required by sub-section (3) of section 11A and section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), inviting objections and suggestions;

And whereas the Central Government, having not received any objection and suggestion with regard to the right of way in the aforesaid Schedule.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11A of the said Act, hereby makes the following modification in the said Zonal development plan with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette namely:—

The right of way of 45.72 meters (150 ft.) wide proposed road connecting Mehrauli Road to village Madangir and passing to the South of Malviya Nagar and Chirag Delhi is proposed to be changed to 30.48 meters (100 ft.) width.

### THE SCHEDULE

The right of way of 45.72 meters (150 ft.) wide Road connecting Mehrauli Road to village Madangir to be changed to 30.48 meters (100 ft.) width.

2. This superscdes this Ministry's Gazette Notification of even number dated the 13th December, 1972.

[No. 21023(13)/66-UDI.] V. R. IYER, Under Secy.

### दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1973

### सार्वजनिष सूचना

कार आर 2549.-दिल्ली डबैल्पमेंट एक्ट, 1957 (1957 का नंव 61 की धारा 11 के अन्तर्गत सूचना को दिल्ली डबैलपमेंट (मुख्य योजना तथा केंद्रीय विकास योजना) खल्स, 1959 के खल्स 5 तथा 15 के साथ पढ़ा छाए। एतयहारा मूचना दी जाती है कि :--

(ए) केन्द्रीय सरकार ने दिख्ली डबैल्पमेंट एक्ट, 1957 (1957 का नं o 61) की धारा 9 की उप-धारा (2) के ग्रन्तर्गत जोन्स एउ-2 (लारेंस रोड क्षेत्र), जी-17 (ज्वाला हेरी), एच-4, एच-5 तथा एच-6 (मधूर बरती, पीतम पुरा तथा मालीमार मार्डन) और ए-20 (न्यू दिस्सामंज) की क्षेत्रीय विकास योजनाम्नों को स्वीमृति प्रवान की ।

- (बी) स्वीकृत योजना चिन्नों की प्रति का निरीक्षण कार्यालय, दिस्ती विकास प्राधिकरण, विकास भवन 'डी-स्लाक', इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिस्ती-1 में किसी भी कार्यणील दिन में पूर्वान्ह 11 बजे से 3 बजे अपरान्ह तक किया जा सकता है।
- (सी) ये क्षेत्रीय विकास योजनाएं इस सूचना के प्रकाणित होने की तिथि से लागू समझी जायेगी।

[सं॰एफ॰ 16(101)/73-एम॰पी॰] हृदयनाथ फोतेदार, शन्तिव

### DELIHI DEVELOPMENT AUTHORITY

#### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 8th September, 1973

S.O. 2549.—Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957, (No. 61 of 1957) read with rules 5 and 15 of the Delhi Development (Master Plan & Zonal Development Plan) Rules, 1959.

Notice is hereby given that:-

- (a) the Central Government have under sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), approved the zonal development plans for zones H-2 (Lawrence Road area), G-17 (Jwala Heri), H-4, H-5 & H-6 (Shakur Basti, Pitam Pura and Shalimar Garden) and A-20 (New Daryaganj).
- (b) a copy of the plans as approved may be inspected at the office of the Delhi Development Authority, Vikas Bhawan, 'D' Block, Indraprastha Estate, New Delhi-1, between the hours of 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on all working days.
- (c) These zonal development plans will come into operation with effect from the date of the publication of this notice.

[No. F. 16(101)/73-MP] H. N. FOTEDAR, Secy.

### श्रम श्रीर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम श्रीर रोजगार विमाग)

### श्रदिश

नई दिल्ली, 28 जुलाई. 1973

का० था० 2550 - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिद्दिक्ट विषयों के बारे में इंगलिश इंडियन बलेज लिमिटेड येली तिनेन्द्रम की ऐकुलाम चाईना बले खानों के प्रवन्धतंत्र से संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक ग्रीदोगिक विवाद विद्यमान है;

श्रीर यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है ;

यतः, ग्रा, ग्रीबोगिक विवाद ग्रिधिनियमः, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) हारा प्रदृत ग्रावितयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त श्रिधिनियम की धारा 7-क के थानीन गठित वेन्द्रीय सरकार ग्रीबोगिक ग्रिधिकरण (मंख्या-2) मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

### ग्रनुसूची

ा. नया इंगलिंग इंडियन नलेज लिमिटेइ, वेली, तिवेन्द्रम की ऐबुलाम पाईना गले खानों में 8 मार्च, 1971 ने 15 मार्च, 1971 तक काम का रोकां जाना, हड़ताल के कारण था या रोजगार देने से इंबारी के कारण? मानियां अयया सुझाय इस यूचना के 30 दिन के भीतर गिवन, विल्ली विकास प्राधिकरण, विकास भवन, इन्द्रप्रस्था स्टेट, गई दिस्ती के पास लिखित रूप में भेजे जाएं। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाय दें वे प्रपान नाम तथा पूरापता भी दें।
[सं० एक० 16(100)/73-एम० पी०]

### DELIH DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 1st December, 1973

### PUBLIC NOTICE

5.0. 3337.—1.(a) The draft redevelopment proposals of part spectral control of Delhi Master Plan in regard in the area bounded by Tolstoy Marg, Barakhamba Road, frozshah Road and Curzon Road, measuring about 23.07 betares and shown as redevelopment area in the zonal development plan (approved by Notification No. F. 4(24)/63-MP. dated the 31st December, 1966) has been prepared.

(b) A copy of the text and the plan thereof will be sailable for inspection in the office of the Delhi Development Authority, Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, new Delhi, between the hours of 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on Il working days except Saturdays till the date mentioned in para 3 hereafter.

2. Objections and suggestions are hereby invited with res-

3. The objections or suggestions may be sent in writing to the Secretary, Delhi Development Authority Vikas Bhawan, indraprastha Estate, New Delhi, within a period of 30 days from the date of this notice. The person making the objections/suggestions should also give his name and full address.

[No. F. 16 (100)/73-M.P.]

### सार्वजनिक सचना

का॰श्रा॰ 3338.—-दिल्ली डेवेल्पमैंट एक्ट, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 11 के श्रन्तर्गत सूचना जिसे 5 एवं 15 दिल्ली डवैल्पमैट (मुख्य बोजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना) क्लज 1959 के साथ पढ़ा जाए। एतदहारा सुचना दी जाती है कि ;---

- (ए) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली डंबैल्पमेंट एक्ट 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत क्षेद्र (जोन्स) एच-3 (वजीर पुर क्षेत्र) डी-15 तथा डी-16 (लोधी कालोनी तथा दयाल सिह कालेज) के जोनल डेबैल्पमेंट प्लान्स स्वीकृत कर दिये हैं।
- (यो) स्वीकृत युग्जनायों (प्लान्स) की प्रति का निरीक्षण दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास भयन, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली-1 में सभी कार्यणील दिनों में 11 बजे से 3 बजे तक किया जा सकता है।

[सं० एफ० 16 (127)/73-एम० पी०]

हृदय नाथ फोतेदार, राचिव

### PUBLIC NOTICE

5.0. 3338.—Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) read with Rules 5 and 15 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan), Rules, 1959.

Notice is hereby given that :--

(a) the Central Government have under sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957

- (No. 61 of 1957), approved the zonal development plans for zones H-3 (Wazirpur area), D-15 and D-16 (Lodi colony and Dayal Singh College).
- (b) A copy of the plans, as approved may be inspected at the office of the Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi-1 between the hours of 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on all working days.

[No. F. 16(127)/73-MP] H. N. FOTEDAR, Secy.

श्रम श्रीर पुनर्वास मंत्रालय

(धम श्रीर रोजगार विभाग) नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1973

#### श्रादेश

का॰ ग्रा॰ 3339.—यतः केन्द्रीय रास्कार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्देश्ट विषयों के बारे में वैक ऑफ मदुरा लिमिटड से सम्बद्ध नियोजकों ग्रौर उनके कर्मकारों के बीच एक ग्रौद्योगिक [विवाद विद्यमान है;

श्रीर यतः भेन्द्रीय सरकार उपत विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

श्रतः थन, श्रीधोगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क श्रीर धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक श्रीधोगिक श्रधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन श्रधिकारी श्री थिक जी० गोपीनाथ होंगे जिनका मुख्यालय मदास होगा श्रीर उक्त विवाद को उक्त श्रधिकरण को न्यायनिणयन के लिए निर्वेशित करती है।

- (I) 19 श्रवतूबर, 1966 के उभयपक्षी समझौते के पैरा 20.7 श्रीर 20.8 के सुसंगत उपनंधों श्रीर तिमलनाड दुकान श्रीर स्थापन श्रधिनियम 1947 की धारा 41 को ध्यान में रखते हुए क्या वैंक श्रॉफ महुरा लिमिटेड द्वारा, लिपिकों श्रीर श्रधीनस्थ कमंचारिवृन्द को, श्रल्प दैनिक मजदूरी पर बिना फिसी नियुक्ति आदेश के श्रीर उनके नाम बंक के दैनिक हाजिरी रिजस्टर में बिना श्रभिलिखित किए नैमिनितक श्रमिक के रूप में नियोजित करना न्यायोचित है ?
- (II) यदि नहीं तो सम्बद्ध कर्मकार किंस अनुतोप के हकदार हैं और किंस हद तक ?

[सं॰ एल॰ 12011/13/73 एल॰ श्रार॰ III] करनेल सिंह, अवर सचिव

# MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 2nd August, 1973 ORDER

S.O. 3339.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to Bank of Madura Limited and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Triabunal for which Thiru Gr Gopinath shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

### (भारतीय पुरातत्व सर्वीक्षण)

नइ दिल्ली, 1 नवम्बर, 1973

का. आ. 3335.—यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हुआ था कि मेंसर्स जम्बू आर्ट पेंलस, ग्रीन पार्क, कनारा बेंक के निकट, नर्झ दिल्ली, के मेंसर्स जिनेश धावलीवाल, पुत्र स्वर्गीय श्री जम्बू प्रसाद, निवास-स्थान 11, वाबर रोह, नर्झ दिल्ली, श्री इच्यूविट अल्वर्ट अद्रीआन वेदर, उपनाम, श्री ई. ए. वेदर, पुत्र श्री हक्त्यू वेदर, निवास-स्थान सीफेल्डस्टर, 11 ल्यूजर्न, स्वीजरलेंन्ड, निवंशास, मेंसर्स रेंचित एजी. (लिमिटिड), स्वीजरलेंन्ड जो इस समय 229, जोर बाग, नर्झ दिल्ली पर निवास कर रहा है, और कुमारी जावित्री शाह, पुत्री स्वर्गीय श्री एस. एल. आर्य, निवास-स्थान गांव खुजूर, बजार करमनासा, शाहबाद जिला (बिहार), जो इस समय श्री ई. ए. वेदर के साथ 229, जोर बाग, नर्झ दिल्ली पर निवास कर रही हैं, ने के खू. ब्यूरो, आर्थिक अपराध स्कंध, दिल्ली शास्त्रा के मामला सं. आर भी 2/ई. ओ. डब्ल्यू/73-दिल्ली, तारीख 21-3-73 में पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 और अन्य विधियों के अधीन दण्डनीय अपराध किया हैं।

आर यतः कोर्ड् भी न्यागालय पुरावर्शय (नियति नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रम निमित्त साधारणतः आर विशेषतः प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद के विना नहीं कर सकता हैं।

अतः, अव, केन्द्रीय सरकार श्री स्वर्ण सिंह, पुलिस उपाध्यक्ष, पुलिस अध्यक्ष का कार्यालय, के. खु. ब्यूरो/ई. ओ. डब्ल्यू/दिल्ली शाखा, ब्लाक सं. 10 गेट सं. 6, जामनगर हाऊस हटमेंट्स, नई दिल्ली, को पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन मेंसर्स जिनेश वाक्लीवाला और श्री इय्रिवट अलबर्ट अद्गीआन वेदर तथा कुमारी जावित्री शाह के विरूद्ध उपर्युक्त मामले में सक्षम अधिकारिता याले न्यायालय के समक्ष परिवाद करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम में।

[सं. 7/1/73-पुरा.]

एम. एन. द'शपाण्ड', महानिद'शक भारतीय पुरातत्व सर्व'क्षण, और पद'न संयुक्त सचिव

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 1st November, 1973

S.O. 3335.—Whereas it has been made to appear to the Central Government that M/s. Jinesh Backliwal s/o Late Shri Jamboo Prashad, r/o 11, Babar Road, New Delhi, of M/s. Jamboo Art Palace, Green Park, near Canara Bank, New Delhi, Mr. Eeuwit Albert Adriaan Vader @ Mr. E. A. Vader s/o Mr. W. Vader, r/o Scefeldster, 11 Luzern, Switzerland, Director, M/s. Revit Ag. (Limited), Switzerland, at present residing at 229, Jor Bagh, New Delhi, and Miss Javitri Shah d/o Late Shri S. L. Arya r/o Village Khazura, Bazar Karamnasa, Shahbad Distt. (Bihar), at present residing with Mr. E. A. Vader at 229, Jor Bagh, New Delhi, have committed offence punishable under Section 5 of Antiquities (Export Control) Act, 1947 and other laws in case No. RC2/E.O.W/73-Delhi dated 21-3-72 of C.B.I., Economic Offences Wing, Delhi Branch.

And whereas no court can take cognizance of an offence punishable under the Antiquities (Export Control) Act, 1947, except upon a complaint made in writing by an Officer generally or specially authorised in this behalf, by the Central Govt.

Now, therefore, the Central Govt. is pleased to authorise Shri Swaran Siegh, Deputy Suprintendent of Police. Office of the Suprintendent of Police, C.B.I/E.O.W./Delhi Branch, Block No. 10 Gate No. 6, Jaminagar House Hutments, New Delhi, to refer the complaint against M/s. Jinesh Backliwal and Mr. Ecuwit Albert Adriaan Vader and Miss Javitri Shah, under the Antiquities (Export Control) Act, 1947, before a court of competent jurisdiction in the aforesaid case.

[No. 7/1/73-Ant]

M. N. DESHPANDE, Director General Archaeological Survey of India and Ex-officio It. Secy.

### संचार मंत्रालय (डाक-तार कोई)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1973

का० ग्रा० 3336.—स्थायी आदेश संख्या 627, दितांक 8 मात्र, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने तिरूर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-1-1974 से प्रमाणित दर प्रणाली लाग करने का निश्चय किया है।

[रा 5-15/73 पी० एच०बी०]

षी० सी० गुप्ता

सहायक महानिदेशक (पी०एच०गी०)

### MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 23rd November, 1973

S.O. 3336.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-1-1974 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in TIRUR Telephone Exchange, Kerala Chele.

[No. 5-15/73-PHB]

P. C. GUPTA, Asstt. Director General (PHD)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

· नई दिस्ली, 1 दिसम्बर, 1973

### सार्वजनिक सुचना

- - (बी) उक्त टैनसट एवं योजना वित्त की प्रसिविधि का किंदी विकास प्राधिकरण, विकास भवन, इन्द्रप्रस्था रहे हैं नई दिल्ली में शनिवार को रोड़ समस्त कांग्रील दिलें को 11-00 बजे से 3-00 बजे तक निम्न पैरा उसे उल्लिखन अवधि के अन्दर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होती।
- 2. इन प्रस्तावों के प्रारूप के संबंध में आपित्यां एवं सुन्धे, आपितियां किए जाले हैं

S.O. 1233.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 9 of the Delhi Urban Art Commission Act. 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby appoints. Shri H. Rahman, retired Chief Architect of the Central Public Works. Department, as Science of the Delhi Urban Art Commission with effect from the 1st May, 1974.

[A. 12023/3 '74-UDII] V. R. IYER, Under Seev.

### दिल्ली विशास प्राधिकरण

### सार्वजिक सुचना

मई दिली, 13 मई, 1974

कार द्वार 1234 - विल्ली टबैल्प मेट एवट 1957 (1557 की संख्या 61) की धारा 1: के अन्तरत जिसे तियम 5 एवं 15 दिल्ली इवेल्प मेट (मुख्य योजना तथा धोनीय विकास योजना ) रूट 1959 के नाथ पहा आए।

एत्रद्वारम सूचका दी ठाती है कि :-

- (ए) केन्द्रीय सरकार ने विश्ली इवैल्पगैट एक्ट 1957 (1957 की संख्या 61) को धारा 9 को उप-धारा (2) के अन्तर्गत केन्न (जोन्क) डी-17 (जंगपुरा निजानुद्दीन) डी-18 (किसीकरो) डी-19 (नाजपत नगर), डी-20 (मुबारकपुर कोटला) एक-2 (गंगाओ-आजपत नगर व एप्या) और एफ-3(सिरी एरिमा) का सीवल इबैन्सनेट प्यान्त स्वीकृत कर दिया है।
- (की) स्वीकृत योजनायों (ज्वास्त) की अतियों का निरीक्षण दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सपन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, गई दिल्ली-1 में तभी कार्यशीन दिनों में 11 दन में 3 वर्ष नव्य किया जा सकता है।

[র্বাৎ জাও 3 (210)/62- एমঙ দাঁও] ভব্দ ভাপ দ্যান্তবাদ, দাৰিব

# DELMI DEVELOPMENT AUTHORITY PUBLIC NOTICE

New Dolhi, the 18th May, 1974

S.O. 1234.—Notice under Section II of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) read with Rules 5 and 15 of the Delhi Development (Master Plez, and Zonal Development Plan) Rules, 1959.

Notice is hereby given that :---

- (a) The Central Government have under sub-section (2) of section 9 of the Delhi Development Act. 1957 (No. 61 of 1957) approved the zonal development plan for zones D-17 (Jangpura-Nizamuddin), D-18 (Kilohri), D-19 (Lejpat Nagar), D-20 (Mubarakpur Kotla), F-2 (Kailash, Lajpat Nagar IV area) and F-3 (Siri area).
- (b) A copy of the plan, as approved may be inspected at the office of the Delhi Development Authority, Vikas Bhawan, Indraprestha Estate, New Delhi-between the hours of 11-00 a.m. and 3-00 p.m. on all working days.

[No. F. 3(219)/62-MP]H. N. FOTEDAR, Secy.

नई दिल्ली, तारीख 23 धप्रैल, 1924

काश्याः 1235—प्रादेष्ट् यतः केन्द्रीय सरकार की राम है कि इसं उपादद प्रतृम्ची में विनिद्धिः विषयों की दावत नेसके डालिस इस्टरनेशनल होलपेट के प्रवत्थतंत्र से सम्बद्ध निर्देश्यों और उन्हें क्ष्मेंगारीं के बोच एक कोबोबोनिक विद्याय विद्यामान है :

सीर मनः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशिः सरका बाइनीय समझती है ;

सतः, भव, केन्द्रीम गरकार, भीद्योगिक विवाद अधितिषमः, 190 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 13 की उपधारा (1) कि खण्ड (प) द्वारा प्रदत्त शतितमी का प्रयोग करते हुए, ए श्रीक्रोगिक भधिकारण गठित करती है जिनके पीठालीन प्रधिकारी श्री एवं सीठ कोन्नर होंगे, जिनका मुख्यालय केन्द्रीर होगा और एकत विवाद के श्रीक्रोगिक प्रधिकरण को न्यायिक्षियन के लिए निर्देशित करती है।

### **प्रतुस्**दी

ंक्या मैत्रसं डालमिया इण्टरनेशनल होत्तपेट के प्रवन्तव द्वारा श्री यू० वी धीर्थ राव, ब्राश्चुलिपिक का उसी हैत्रियत में होत्तपेट से उनके नई विका कार्यालय में स्थानात्तार कर देता स्थायोपित है? यदि नहीं तो वह किया बनुकों दे हकदार है ?

[लंख्या एव०-29012/5/74-एव० घार० -

### MINISTRY OF LABOUR

#### ORDER

New Delhi, the 23rd April, 1974

S.O. 1235.—Venerous the Central Government is of opinithat an industrial dispute exists between the employers relation to the management of Messrs Dalmia International Hospet and their workmen in respect of the matters spified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it de able to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section of the Industrial Disputes. Act, 1947 (14 of 1947), Central Government hereby constitutes an Industrial Trib with Shri M. C. Konnur as. Presiding Officer with L. quarters at Bangalore and refers the said dispute for adjustion to the said Industrial Tribunal.

### SCHEDULE

Whether the management of Messrs Dalmia Internati Hospet are justified in transferring Shri U Theortha Rao, Stenographer in the same cape, from Hospet to their New Delhi office? If no, what relief is he entitled?

INo. L-29012/5/74-LR.

### ग्रादेश

नई दिल्ती, ४ मई. 1974

• का॰ प्रा॰ 1236.—यतः व्यास सततित्र लिच प्रोजेक्य के प्रबन्धतित् सन्बद्ध नियानको घोर उनके वर्मकारी के बीच जिनका प्रतिनिधित्व का निर्वाच लिच वर्षके यूनियन, सुन्दर सगर करनी है, एक श्रीद्योगिक कि निर्वाचन है; SEC. 3(ii)]

### THE SCHEDULE

An area measuring about 91.00 hectares bounded by Race Course and Safdarjang Tomb in the north, railway line in the south, nallah in the west and Mehrauli Road in the east.

[No. K-13011(9)/72-UDL] V. R. IYER, Under Secy.

विल्लो विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सुचना

नई दिल्ली, 29 ज्न, 1974

का० ग्रा॰ 1694.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्ताबित संशोधन के सम्बन्ध में यदि
किसी व्यक्ति को ग्रापित या गुआब देना हो तो वे ग्रपने ग्रापित ग्रीर गुझाव दे स्चना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण,
दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज सकते हैं। जो व्यक्ति ग्रपनी ग्रापित या गुझाव दें वे ग्रपना नाम एवं पूरा पता भी दें।

संशोधन .

"मनोरंजन उपयोग हेतु निर्दिष्ट 0.62 हैक्टेयर (1.523 एकड़) का भूखण्ड जो 2.5 हैक्टेयर (6.2 एकड़) के एक बड़े भूखण्ड, का भाग है तथा जोन डी-20 (डिफ्रेंग कालोनी) में पड़ता है, के भूमि उपयोग को 'पृष्टिलक तथा सैमी पिटलक' (सांस्थानिक) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताय है। यह भूखण्ड उत्तर में 12.2 भीटर (40') तथा पश्चिम में 18.3 मीटर (60') चौड़ी राड़क तथा दक्षिण एवं पूर्व में मनोरंजन क्षेत्र द्वारा विराह्य है।"

के शनिवार को छोड़ सभी कार्यशील दिनों भे दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टैंट, नई दिल्ली, में उक्त प्रविध में आकर प्रस्तावित संशोधन के मानचित्रों का निरीक्षण किया जा सकता है।

> [रां॰ एफ-3(91)/67-एम॰ पी॰] हृदय नाथ फोतेदार, सचिव

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th June, 1974

S.O. 1594.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhavan, Indraprastha Estate, New Delhi, within a perod of thirty days from the date of this notice. The person-making the objection or suggestion should also give his name and full address.

### MODIFICATION

"A plot, measuring 0.62 hectare (1.523 acres), earmarked as 'recreational use' forming part of bigger plot of 2.5 hectares (6.2 acres) and falling in zone D-20 (Defence Colony), is proposed to be changed to "public and semipublic use' (Institutional). This plot is bounded by 12.2 metres (40 ft.), wide road in the north, 18.3 metres (60 ft.) wide road in the west, and recreational area in south and east."

The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Delhi Vikas Bhavan, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[F. No. 3(91)/67-M.P.]
H. N. FOTEDAR, Seey
Delhi Development Authority.

संचार मंत्रालय

डाक-तार वोर्डं

नई दिल्ली, दिनांक 21-6-74

काठ श्राठ 1695 — स्थायी श्रादेश राज्या 627, दिलांग 8 मार्च, 1960 हारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खुण्ड III के पैरा (क) के श्रनुसार डाक-तार महानिदेशक ने बरनाला टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-7-74 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[फा सं० 5-26/74-पी० एच० बी०]

### MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T BOARD)

New Delhi, the 21st June, 1974

S.O. 1695.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16th July, 1974 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Barnala Telephone Exchange, Punjab Circle.

[F. No. 5-26/74-PHB]

का० आ० 1696.—स्थायी धादेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 134 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने धुरी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-7-74 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं 5-26/74-पी० एच० वी०] पी० सी० गुप्ता, सहायक महानिदेशक

S.O. 1696.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16th July, 1974 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Dhuri Telephone Exchange, Punjab Circle.

[F. No. 5-26/74-PHB] P. C. GUPTA, Assistant Director General

### MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st June, 1974

S.O. 1697.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the Cantonment Board, Kamptee and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th June, 1974.

कियों के जन में

मिं० पी्राठ, (अ. 957 नाम श्रेष्ट्र

धानुसार

भेज से १ मास्टर

) हारा राजपन्न ( प्लान

्यक्षि**द्ध** ते रोड

्रेशीर भग है, रभालन

हा औ लाइन

ो० ।] गणिब

Centacked -M.P.

erings menthe

uired

i by ntral the of idia,

for ang

### विल्ली विकास प्राधिकरण

### सार्वजीनक स्वना

नई दिल्ली, 20 स्लाई 1974

ध्द. आ. 1811. दिल्ली विकास प्राधिकरण जॉन ही-3 (कडन रांड) के क्षेत्रीय योजना विष्य में निम्नलिखत संशोधन करने का विचार कर रहा हैं जिले सार्वजनिक स्चना हेत, एतहर्वारा प्रकाशित किया जा रहा हैं। प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति या सुकाव दंना हो तो वे अपने आपन्ति/सुभाष इस स्वना भी 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकस प्राधिकरण, दिल्ली दिकास भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टंट, नई दिल्ली। के पान लिकिता रूप से भेरा सकते हैं और जो न्यक्ति अपनी आपिता सुभाव दों वं अपना नाम एवम् इस पता भी

संशोधन :

'लगभग 1137.2 वर्ग मोटर (1366 वर्ग गज) का क्षेत्र जो उत्तर में आवासीय अंत्र, एवं में सर्दिस तंन, दक्षिण में सामादिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र तथा परिचम में तानसंन मार्ग हारा विसा हुआ हैं. इसं अद 'आवासीय' र्च भागाजिक-सांस्कृतिक सांस्थानिक उपयोग होतु परि-वितित कियं जानं का प्रस्ताव हाँ।"

शतिवार को छोड़ सभी कार्यजील दिनों में दिल्ली विकास जाधिकरण के कार्यालय, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रजन्थ, इस्टीट, नई दिल्ली में उक्त अविध में आकर प्रस्तावित संशोधन की नानीचत्र का निरीक्षण किया जा सकता हैं।

सिं. एफ. 9(10)/71-एम. पी.T

हदय नाथ फानंदार, सोचव

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th July, 1974

S.C. 1811.—The following modification which the Delhi Development Authority proposes to make in the Zonal Plan for Zone D-3 (Curzon Road area) is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed change may sent the cejection/suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vilias Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi-1 within a period of 30 days from the date of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address.

### MODIFICATION:

"With the same of

flarea measuring about 1137.2 sc. metres (1366 sq. yds.) surrounded by residential area in the north, service lane in the east, social and cultural area in the south and Tansen Marg in the west, is proposed to be changed from 'residential' to 'Social-cultural institutional use".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Delhi Vikas Bhawan. Indraprastha Estate, New Delhi on all working days, except Saturday within the period referred to above.

[No. F. 9(10)/71-M.P.]

H. N. FOTEDAR, Secy.

### श्रम मंत्रालय

### नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1974

का० मा० 1812. - केन्द्रीय सरकार, सम्रक खान असिक कस्याण निश्चि भ्रधिनियम, 1946 (1946 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मास्त सरकार के श्रम मंत्रालय की घ्रधिनुचना तंत्र्या एम-24(2) 1950 तारीख 21 मार्च, 1950 की प्रधिकान्त करते हुए, मूल्पानुसार 3 की दर उस दर के रूप में नियत गस्ती है जिस पर उका मधिनियम के प्रयोजनों के निए सीमा-शुल्क, 15 जुलाई 197 से उद्गृहीत और संगृहति किया जाएना।

[सं० एस-22017/2/72-एम-३]

बी० के० सबसेना, घवर सचिव

### MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 4th July, 1974

S.O. 1812.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 2 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (22 of 1946) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. M-24(2)/1950 dated 21st March, 1950, the Central Government fixes the rate of three and one-half per centum ad valorem as the rate at which the duty of customs for the purposes of the said Act shall be levied and collected with effect from the 15th day of July, 1974. with effect from the 15th day of July, 1974.

[No. M-22017/2/72-M-III]

B. K. SAKSENA, Under Secy.

### नई दिल्बी, 5 जुलाई, 1974

का० मा० 1613. — कर्मचारी मदिष्य निधि म्रीर कुटुम्द पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) हारा प्रवत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री कीरेन्द्र कुमार मुकर्जी को उक्त अधिनियम, और उसके अधीन दिरचित स्कीम तथा कुटुम्ब पेंग्नन स्कीम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या बाखाएं हों, सन्पूर्ण पश्चिमी बंगाल राज्य तथा ग्रण्डमान घौर निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्यक्षेत्र के लिए निरोक्षक नियुक्त करती है।

> [संख्या ए० 12016(17)/73-पी एफ ० 1] New Delhi, the 5th July, 1974

S.O. 1813.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri Birendra Kumar Mukherjee to be an Inspector for the whole of the State of West Bengal and the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands for the purposes of the said Act, and the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder, in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment or in relation to any establishment or in relation to any establishment belonging to any establishment or in relation to any establishment or in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(17)/73-PF. I]

and Rehabilitation", the words "in the Ministry of Shipping and Transport", shall be substituted.

[No. U-20013/4/71-P&D (LD)]
V. SANKARALINGAM, Under Secy.

निर्माण भीर आवास मंत्रालय (दिल्ली विकास प्राधिकरण)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 26 ग्रम्तूबर, 1974

कार प्रार 2821. — दिल्ली इवेल्पमेंट एक्ट 1957 (1987 की संर 61) की धारा 11 के प्रत्यांत त्रूचना जिसे दिल्ली इवेल्पमेंट (मृख्य योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना) नियम 1959 के नियम 5 एवं 15 के साथ पढ़ा जाए।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि:---

- (ए) केन्द्रीय सरकार ने जिल्ली डवैल्पमेंट एक्ट 1957 की धारा 9 की उपधारा (2) के प्रत्यगंत जोन-डी (रमेश नगर कीति नगर) तथा सी-18 (जिपोतिया) के क्षेत्रीय विकास योजना चित्र की स्थीकृति प्रदान कर दी है।
- (बी) स्वीकृत योजना चित्र की प्रतियां कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास भवन, डी ब्लाक, इन्द्रप्रस्था इस्टेट नई दिल्ली-1 में सभी कार्यशील दिनों में 11.00 दजे है 3.00 वजे तक निरीक्षण हेतु प्राप्त है।

[संव्यक्त 16 (59) / 74 युन् ० पी ०]

हृदय नाय फोतेदार,

नचिव

### MINISTRY OF WORKS & HOUSING

(Delhi Development Authority)

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 26th October, 1974

S.O. 1821.—Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) read with rules 5 and 15 of the Delhi Development (Master Plan and Zonai Development Plan) Rules, 1959.

Notice is hereby given that :-

- (a) The Central Government have under sub-section (2) Of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), approved the zonal development plans for zones G-2 (Ramesh Nagar—Kirti Nagar) and C-18 (Tripolia).
- (b) Copies of the plans, as approved, may be inspected at the office of the Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhavan "D" Block, Indraprastha Estate, New Delhi-1, between the hours of 11.00 a.m. and 3.00 p. m. on all working days.

[No. F. 16 (59)/74-M. P.]
H. N. FOTEDAR, Secy.

रेल मत्रालय (रेलव बोडं) नई दिल्ली, ९ सक्तूबर, 1974

का० म्रा० 2822.—भारत सरकार के तत्कालीन वाणिक्य भीर ज्योग विभाग की दिनांक 24 मार्च, 1905 की म्रश्चिम्चना सं० ४०। के साथ पठित भारतीय रेल म्रश्चिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 47 को उपधारा (1) के खण्ड (च) भीर (छ) द्वारा प्रदल्ल शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलव बोर्ड) की 28 अगस्त, 1958 की अधिसूचना तंदना टी सी-111/3036 5% नोटिफिकेशन के साथ प्रकाशित नियमों में आगे संशोधन करने के लिए रेलवे बोर्ड--एतब्हारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अथीत्:--

उनत नियमों में नियम 1 को "1 क के रूप में लिखा जायेगा श्रीर इस प्रकार लिखे गये नियम 1 क से पहने निम्नलिखित नियम को श्रन्तिबिंग्ट किया जायगा और इसे हमेशा भन्तिबिंग्ट किया गया समझा जायगा, श्रथति:--

"1. संक्षिप्त नाम—से नियम रेलवे (काण्डाकार और न्यान शुरक) नियम. 1958 कहे जा सकेंगे"।

> [सं० टी० सी० 1/201/74/14 नोटिफिकेशन] ए० एत० गुप्ता, सचिव

## MINISTRY OF RAILWAYS (Railway Board)

New Delhi, the 9th October, 1974

S.O. 2822.—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), read with the notification of the Government of India in the late Department of Commerce and Industry No. 801, dated the 24th March, 1905, the Railway Board hereby makes the following rules further to amend the rules, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) No. TCIII/3036/58/Notification, dated the 28th August, 1958, namely:—

- In the said rules, rule 1 shall be re-numbered as rule '1A' and before rule '1A' as so renumbered, the following rule shall be, and shall be deemed always to have been inserted, namely:—
  - "1. Short Title.—These rules may be called the Railways (Warehousing and Wharfage) Rule, 1958."

[No. TCI/201/74/14/Notification]
A. L. GUPTA, Secy.

## तिचाई भौर विद्युत् नंद्रालय

ग्रादेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर 1974

का॰ ग्रा॰ 2823.—यतः, नेवेली लिंगनाइट कार्पोकान लिमिटंड के श्रावेदन सं॰ सी॰ एच/टी डब्ल्यू/टी एम/ए 2/विद्युन्/73-7 तारीख 13-8-1973 में यथा स्वष्टीकृत, निगम द्वारा की जाने वाली, नेवेली स्थित लिंगनाइट खान में यंत्रीकृत श्रीपनकान्ट मेकिया के प्रयोजन के लिए. विशेष प्रकार के मोबाइल ट्रांस्फर कन्येयर एवं एम III के उपयोग की बाबत उक्त निगम को सुविधा देने की दृष्टि ने, उक्त ट्रांस्फर कन्वेयर एच एम III में निम्नलिखित श्रेपेक्षित है—

- (1) मोबाइल ट्रॉस्फर कन्बेयर पर लगे हुए नुवाह्य ट्रॉस्फामेर के साथ 11 के० बी० कर्जी का संचरण और उपयोग:
- (2) प्राइमरी साइड की ब्रोर उच्च विभव विलगक भीर तेल परि-पय विच्छेक के साथ, सहायक उपस्कर ब्रौर हाइडब की 3 फेज, 433 वी॰ ऊर्जी के प्रदाय के लिए, मुबाह्य होस्फर कन्वे-यर पर लगा हम्रा एक 400 के वी ए 11 की बी/433 बी, तीन फेज मुख्य विद्युत् ट्रॉस्फरमेर;

. . .

是原於城田山西的西北門之

ू ें**व** ं

स वेर ....

म, ह

uicters = \* enher

ory ics.

the y : the

A.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजीनक सुचना

नई दिल्ली, १ नदम्दर, 1974

का. आ. 2942. कंन्द्रीय सरकार विल्ली मुख्य यांजना में निम्मितिखित संशोधन करने का विचार कर रही हैं। इसे आर्वजीनक स्चना के लिए प्रकाशित किया जा रहा हैं। इस संशोधन के संबंध में पाँच किसी व्यक्ति को आपीरत या सुभाव वंता हो तो वे अपने आपीरत/सुभाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन. इन्द्रप्रस्था इस्टंट, नई दिल्ली के पास लिखित कप में भंड सकते हैं । जो व्यक्ति अपनी आपीरत/सुभाव दें वे अपना नाम तथा पूरा पता भी लिखें।

### संशोधन

"लगभग 2.83 हैं. (7 एकड़) का क्षेत्र जिसके दक्षिण में बदरपुर थरमल पावर स्टंबन तथा अन्य दिशाओं में 'कृषि हरी पट्टी' हैं, इसं अद कृषि हरी पट्टी से भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन हैत, 'आँद्योगक उपयोग' में परिवर्षित किसे जाने का प्रस्तान हैं!!"

शानिवार को छोड़कर समस्त कार्यशील दिनां में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय विकास भवना इन्द्राप्रस्था इस्टंट नई दिल्ली-1 में उक्त अवधि में आकर प्रस्तावित संशोधन के मानवित्र का निरीक्षण किया जा सकता हैं।

[सं. एफ 20(5)/74-एम पी]

हृदयनाय फतोत्तेदार, सचिव

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th November, 1974

S.O. 2942.—The following modification which the Central Government proposed to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in witing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhavan. Indraprastha Estate, New Delhi, within a person making the objection or suggestion should also give its name and full address.

### MODIFICATION

"An area measuring about 2.83 Hect. (7 acres) surrounded by Badarpur Thermal Power Station in the south and agricultural green belt in other directions, is proposed to be changed from 'agricultural green belt' to 'industrial use' for the purpose of manufacturing of building materials".

The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Delhi Vikas Bhavan, Indraprastha Estate. New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20(5)/74-MP] H. N. FOTEDAR, Secy.

त्रम मंद्रालय

नई दिल्लो, 22 अस्तूबर, 1974

का० आ० 2943.—कर्नवारी मियज्य निधि और कृदुन्य पेंचन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सिन्तवमें का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री ए० रामानन्दा की उक्त अधिनियम और क्कीम और उसके अधीन दिरचित किसी कुटुन्व पेंचन क्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महा पत्तन, खान पा तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में दिभाग या साखाएं हों, सम्पूर्ण कनीटक राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती हैं।

[संख्या ए-12016/1/74-पी०एफ-1]

### MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 22nd October, 1974

S.O. 2943.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri A. Ramananda to be an Inspector for the whole of the State of Karnataka for the purposes of the said Act and the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the centrol of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016/1/74-PF. 1]

नई दिल्ली, 28 स्नन्तूबर, 1974

का॰ ग्रा॰ 2944—कर्मचारी भविष्य निधि ग्रीर कुटुन्व पेंशन निधि श्रीध-नियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रयम परन्तुक द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में ग्रावक्यक जांच कर लेने के पत्चात् मैससे टी॰ नानेकलाल इस्पैन्टनेट्स प्राइवेट लिभिटेड, वासवानी, मेंदर, दीनशावाचा रोष्ट्र, मुन्वई-20 नानक स्थान को 1 जून, 1973 से उनत परन्तुक के प्रदोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं॰ एस॰ 35018/31/74—शि॰ एस॰-2 (ii)]

New Delhi, the 28th October, 1974

S.O. 2944.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension. Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st day of June, 1973 the establishment known as Messrs T. Manik Lal Investments Private Limited Vaswani Mansion, Dinshaw Vachha Road, Bombay-20 for the purposes of the said

[No. S. 35018/31/74-PF. II(ii)]

का॰ब्रा॰ 2945—. यदः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि भैसर्स मेहता डाई चेम इण्डस्ट्रीज, बसाइन तालुका कोन्नापरेटिय इण्ड-. स्ट्रियल एस्टेट, फेक्टरी रोड सं॰ ए॰/7, श्रचीले, बसाइन रोड (पूर्वी)

## MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 15th November, 1974

S.O. 3162.—The Central Government hereby accepts the resignation of Shri Vishwambhar Datt Sharma, Councillor, Municipal Corporation of Delhi, from the membership of the Delhi Development Authority with immediate effect.

[No. K-11011/21/72-UD-I] S. RANGANATHAN, Under Secy.

## नई दिल्ली, 21 नवन्बर, 1974

का० ग्रा० ३। ६३.—सरकारी स्थान (ग्रप्राधिकृत प्रधिभौगियों की बेदछली) श्रिक्षितियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 हारा प्रदत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीवे की सारणी के स्तम्भ (1) में चिल्लाखित श्रधिकारी को, तरकार के राजपवित श्रधिकारी की पंक्ति के समयुक्त्य अधिकारी होने के नाते, उनत अधिनियम के प्रयोग जनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और निदेश देती है कि ज्वत क्राध्यमारी उपत सारणी के स्तम्म (2) में विविधिष्ट सरकारी स्यानों की बायत अपनी अधिकारिता की सीनाओं के भीतर उक्त अधि-तियन के हारा या श्रधीन सम्पदा श्रधिकारियों को प्रयक्त शक्तियों का त्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

### सारणी

| क्रीवेकारी का पदनाम                                     | सरकारी स्थानों के प्रकर्ग क्रोर श्रधि-<br>कारिता, की स्थानीय सीमाएं                           |
|---|---|
| प्रवाधक, भारत सरकार मुद्रणालय,<br>रिंग रोड, नई दिल्ली । | प्रबन्धक, भारत त्तरकार मुद्रपालय,<br>के प्रशासनिक नियंत्रणार्धान प्रेस<br>कालोनी रिंग रोड, नई |
|   | विरुक्त के भीतर स्थित सरकारी<br>स्थान जितमें भूमि ग्रांट भवन<br>भी सन्मितित है।               |

[फा॰ सं॰ डी॰-11031/1/74-मी॰टी॰ सी॰]

धन राज, भवर मचिव

## New Delhi, the 21st November, 1974

S.O. 3163.—In exercise of the powers by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants), Act, 1971, (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below being an officer equivalent to the rank of gazetted officers of Government to be estate officer for the purposes of the said Act and further directs that the said officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers, by or under, the said Act, within the limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

### TABLE

Designation of the officer

Categories of public premises and local limits of jurisdiction

The Manager, Government of India Press, Ring Road, New Delhi.

Public premises including land and buildings under the administrative control of the Manager, Govern-ment of India Press, situated within the Press. Colony, Ring Road, New Delhi.[

[F. No. D-11031/1 74-Ptg.] DHAN RAJ, Under Secy.

### संघार संत्रालय

(डाक तार दोई)

नई दिल्ली, 21 नवन्वर, 1974

का० आ० 3164.—स्काई आदेश संबंध 627, दिनांक S नार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुनार डाक तार महानिवेशक ने श्री लंका कुलम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-12-74 ते प्रचाणित दर प्रचाली लागू करने का निश्चय किया है।

> [संख्या 5-13/74-नी० एव० बी०] पी० सी० गुन्ता, सहायक महानिदेशक

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 21st November, 1974

S.O. 3164.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, posts and Telegraphs hereby specifies the 16 12 1074 as the Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-12-1974 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Srikakulam Telephone Exchange, Andhra Circle.

[No. 5-13/74-PHB]

P. C. GUPTA, Assistant Director General

दिल्ली विकास प्राधिकरण

ण्डि-पद

नई दिल्ली, 30 नवस्पर, 1974

**का० ग्रा० 31**65.—सार्वेजनिक नूचना संख्या एक० 16(55)/74-एमफी जो भारतीय गजट की एस० स्रो० संख्या 2821, भाग 2 धारा 3-जप-बारा (2) के झन्तर्गत हिन्दी में पृष्ट संख्या 3021 पर दिनांक 26 श्रवटूबर, 74 को छना था, उसमें (ए) की टूमरी लाइन में जीन ही (रमेश नगर-क्रीति नगर) के स्थान पर जीन की-2 (रमेश नगर-क्रीति नगर) पढ़ें।

[मंच्या एकः 16(59)/74-एमपी]

### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 30th November, 1974 CORRIGENDA

...S.O. 3165.—In the Hindi version of public notice No. F—16(59)/74-MP published at page 3021 under S.O. No. 2821 of the Gazette of India. Part II Section 3-Sub-section (ii) date2 the 26th October, 1974, in line 2 of (a) be read zone G-2 (Ramesh Nagar-Kirti Nagar) in place of zone-D (Ramesh Nagar-Kirti Nagar).

· [No. F. 16(59)/74-MP]

### गृद्धि-पद्म

कार प्रार 3166.—सार्वजनिक सूचना संख्या एफर 4(17 69-एमर पीर टो भारतीय गंजट की एसर ब्रोट संख्या 2757, भाग 2, धारा 3, उप-धारा (2) के ब्रन्तगंत हिन्दी में पृष्ट संख्या 2982 पर दिनांक 19 ब्रक्ट्वर, 1974 को छपा था उसमें 1(ए) की प्रधन पंक्ति में जोन ब्राई (नजकरण्ड टाक्रन) के स्थान पर डोन ब्राई-2 (नजकगढ़ टाक्रन) पहें।

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

[संख्या एक०4(17)/69-एम पी] " हृदय नाथ फोतेदार, निवद

S.O. 3166.—In the Hindi version of Public Notice No. F.—4(17)/69-MP published at page 2982 under S.O. No. 2737 of the Gazette of India. Part II, Section 3-Sub-section (ii) dated the 19th October, 1974 in line 1 of 1(a) Zone I-2 (Najafgarh Town) be read in place of Zone I (Najafgarh Town).

[No. F. 4(17)/69-MP] H. N. FOTEDAR, Secy.

धन मंद्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 18 नवस्दर, 1974

### शुद्धि-पन्न

कार आर 3167.—भारत के राजपत्न, भार 2, खण्ड 3, उपखण्ड (II) तारीड 22 हुन, 1974 के पृष्ट 1626-1627 में अकाशित भारत सरकार के अम मंत्रालय की अधिमूचना संर कार आर 1585, तारीख 7 जून, 1974 में,—

पुष्ठ 1626 पर, खण्ड 2 (iv) में, प्रशासनिक निकाय के स्थान पर "कार्यपालिक प्रधिकारी," पर्छे।

[सं० वी-12011/5/72-पी एण्ड डी/सीडी] ह० स्रपटनीय स्रवर सचिव

ब्रादेश

नई दिल्ली, 8 अवत्यर, 1974

कार आर 3168.--यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायद अनुसूर्यों में विनिदिष्ट विषय के बारे में बैंक फ्रीफ बढ़ौदा से

सम्बद्ध नियोजकों घीर उनके कर्मकारों के बीच एक श्रीद्योगिक विवाद विद्यमान है;

भीर यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है:

श्रतः, श्रवं, श्रोद्योगिक विवाद श्रिधिनियमः 1947 (1947 का 14) की धारा 7क श्रोर धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक श्रौद्योगिक श्रीक्षकरण गठित करती है, जिसके पीटासीन श्रीक्षकरी थीर टीठ पालानीप्पन होंगे जिनका मुख्यालय महास में होना श्रीर उक्त विधाद को उक्त मिधकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

### घन्नूची

क्या बैक प्रोफ वड़ीया का सहायक क्षेत्र प्रवाधक एनांबुलम के कार्या-तय में हुई रिक्ति के लिए बैंक की क्यूलोन जाया में काम करने वाले श्री वासुदेवन को प्राणुलिपिक-भक्ता देने से इन्कार करना न्यायोचित है? यदि नहीं तो श्री वासुदेवन किस प्रसुविधा का ग्रीर किस तारीख से हक-दार हैं?

[सं**ं ए**ल॰ 12012/139/73/एल॰आरं-3

### ORDER

New Delhi, the 8th October, 1974

S.O. 3168.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Thiru T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudcation to the said Tribunal.

### SCHEDULE

"Whether the Bank of Baroda was justified in denying the Stenographer's allowance for a vacancy occured in the office of Assistant Area Manager, Ernakulam, to Shri Vasudevan working at the Quilon Branch of the Bank? If not, to what benefit Shri Vasudevan is entitled to and from what date?

[No. L. 12012/139/73/LR-III]

ঘটেল

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर 1974

का॰ ग्रा॰ 3169.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा-बढ़ मनुसूची में विनिदिष्ट विषयों के बारे में मारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों ग्रीर उनके कर्मकारों के बीच एक ग्रीधोगिक विवाद विद्यमान है;

भीर यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है;

भतः श्रव, श्रीधोगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क श्रीर धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (श्र) हारा

धतः भगः उक्त अधिनियम की धाराः 14 की उपधारः (i) के परन्तुक के नाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय मरकार एतप्द्रारा ---

(1) 13 प्रस्तूदर, 1971 से दो वर्ष को प्रविध,

decision dis

Go miller to a secret Chama

(2) जुस अवधि को जुस तक डा॰ परंडा अटिंग है जारते;

्रभन्तिया, नुवरिय अल्लाल, शिलांग (बग्रम) वे गाथ सन्बद्ध रहते हैं, जो नो कुन हो यह प्रविध बिनिदिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा॰ मेटिकल प्रेविटस कर ग्रमेंगे ।

[नं वी । 10 16/21/74-एम ०पी ०टी ०]

सती नागर, ग्रवर सचिप

### ORDER.

New Delhi, the 6th January, 1975

S.O. 185.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 16-15/61-MI, dated the 27th March, 1962, the Central Government has directed that the apedical qualification, "Licenciado" en Medicina Ciragia" granted by the University of Valencia (Spain) shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956):

And whereas Dr. Pereda Ortiz Zarate Amalia who possosses the said qualification is for the time being attached to the Nazareth Hospital, Shillong (Assam) for the purposes of charitable work:

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (i) of section 14 of the said Acr, the Central Government hereby specifies:-

- (i) a further period of two years with effect from the 13th October, 1974, or
- (ii) the period during which Dr. Pereda Ortiz de Zarate is attached to the said Nazareth Hopital, Shillorg (Assam), whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/21/74-MPT.

MRS. SATHI NAIR, Under Secy.

दिश्यो विकास प्राधिकरम

भई दिल्ली, 18 जनवरी, 1975

क्षा॰ प्राः 185 , यद्यपि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जीन डी-3 (क्जन रोड क्ज) के जीतज डर्डल्पमैंड ज्लान में निम्नलिखित संबोधन फरने का प्रस्ताव किया है:--भंगोधनः

"लगभग 1137.111 वर्ग मीटर (1360वर्ग गज) काक्षेत्र जो उत्तर में माथासीय धेत, पूर्व में सर्विस लेन, दक्षिण में सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र तथा पश्चिम में तानसेन मार्ग द्वारा शिरा हुन्ना है, इसे अत्र 'आजामीय' से 'मागाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के उपयोग' भें परित्रतेन करने का प्रस्ताव है "।

प्रस्तायित मुजीधन भारतीय गुजट के पृष्ट सं० 1856 नोटिस सं० एस०स्री० 1811 भाग II-धारा अ-उपधारा (ii) दिनाक 26-7-7- वे अनुसार जो दिल्ली डिवैल्पॉस्ट एवट 1957 (1957 की मं० ३६) की धारा 11ए की उपधारा (3) के अन्तर्गत आपति/सुझाद भागने के निये प्रकाशित किया गया है

तथा जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में उक्त संशोधन के संबंध में कोई प्रापत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

मतः भव दिल्लो विकास प्राधिकरण को उक्त एक्ट भी धारा 11ए की जप्यारा (i) के अन्तर्गत अदत अधिकारों का उपयोग करते हुए जोंन-डी-3 (कर्जन रोड क्षेत्र) के जोनल डवल्पमेंट ज्लान में उक्त संबोधन किया जाता है।

[सं॰ एक॰ १(10)/71-एम॰पी॰]

एच० एन० फोतेदार, सचिव

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 18th January, 1975

S.O. 186.-Whereas the Delhi Development Authority has proposed to make the following modification in the zonal development plan for zone D-3 (Curzen Road area):-

### MODIFICATION:

"An area measuring about 1137.111 sq. metres (1360 sq. yds.) surrounded by residential area in the north, service lune in the east, social and cultural area m the south and Tansen Marg in the west, is proposed to be changed from 'residential' to 'socialcultural institutional use'.

The proposed modification having been published as notice No. S.O. 1811 dated the 20th July, 1974 at page 1856 of the Gazette of India, Part II—Section 3—sub-section (ii) dated the 20th July, 1974 as required by Sub-section (3) of section 11A of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) inviting objections and suggestions;

And whereas the Delhi Development Authority has received no objection in regard to the modification mentioned above:

Now, therefore, the Delhi Development Authority, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 113 of the said Act hereby makes the above modification in the sand zonal development plan for zone D-3 (Curzon Roac arca).

(No. F. 9(10)/71-M.P.

H. N. FOTEDAR, Sec.





## to be the work of the angle of the EXTRAORDINARY was compact them, contributed

भाग II--लण्ड 3--उपलण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 304] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 1975 श्रीवर्ण 21, 1897 No. 304] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 1975/SRAVANA 21, 1897

प्रकार साम में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके । Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## DELHI DEVELOPMENT- AUTHORITY

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th August 1975

S.O. 428(E).—The following modification which the Central Government proposes to make to the zoning regulations applicable to the residential plots in the Master Plan for make to the zoning regulations applicable to the residential plots in the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate. New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address.

### Modification:

For the words, "the minimum plot size for this sort of development is one acre", occurring at page 58 of the Master Plan for Delhi, the following words may be substituted,

"In respect of plot size of less than one acre, group-housing would be permitted subject to foot note (3) on page 55", as proposed for amendment vide notification No. F.20(4)/75-M.P. published on 28th July, 1975 by the Delhi Davidagment Authority on habels of the Control Covernment in the Carettee Development Authority, on behalf of the Central Government in the Gizette, Extraordinary under S.O. 390(E). Part II—Section 3—Sub-section (ii).

The proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority. Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days, except Saturdays, within the period referred to above:

> [No. F. 20(4)/75-MP] H. N. FOTEDAR, Secy. Delhi Development Authority.

## New Delhi, the 24th January, 1975

S.O. 341.—The following draft of a Scheme further to amend the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1943), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two mouths from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

### DRAFT SCHEME

- 1. This Scheme may be called the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1973.
- 2. In clause 36 of the Kandia Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969, for the figure "8", the figure "13" shall be substituted.

[File No. S. 70012/5/74-PD/LD] V. S. NKARALINGAM, Under Secy.

### दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 28 अनवरी 1975

का आ० 342. अधिनुषना संद्या फर्टी वि एंड सी-26/67 दिनाक 13/9/1967 में स्नारित संबोधन के निषय में लिली विकास प्राधितरण प्रवट 1957 के तैक्शन 5 के सन्तर्गत मास्टर प्लान तैयार करने और अल दूरान वेपानाप्रों के विकास से संबंधित कार्यों के लिये या तत्संबंधी प्रत्य कार्यों के लिए उपर्युक्त एक्ट के प्रशासन के संबंध में दिल्ली विकास से निर्द्रकार सिनित को प्राधिकरण के लिये सलाह देने के कार्य के लिये श्रीधमूचित किया गया था उसी में शाने यह भी यूचित किया जाता है कि श्री श्रीम प्रवाण त्यागी, सदस्य, राज्य सना को दिल्ली विकास स्थिनियम, 1957 के अन्तर्गत व्यवस्था के अनुगार चार वर्ष के लिए दिल्ली विकास प्रधिनियम, 1957 के अन्तर्गत व्यवस्था के अनुगार चार वर्ष के लिए दिल्ली विकास प्रधिनियम, श्रीम स्थान भारी नहावीर के स्थानापन्न होने के कारण दिल्ली विकास प्रधिक्ता प्रधिकरण की सलाहकार समिति के नदस्य के स्था में चुन लिये गये हैं।

्रा (संकेश/बो एंड सी/26/67] इयः एतः कोत्तेदार, अधिव

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 28th January, 1975

S.O. 342.—In partial modification of Notification No. Secy. &C/26/67, dated 13in September 1967, issued in pursuance of the provisions of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957, in which the constitution of the Advisory ment Act, 1957, in which the constitution of the Advisory of the Delhi Development Authority was notified for Council by the Delhi Development Authority on the preparation of the Master Plan and on such other matters relating to the planning of development of arising out of, or in connection with the administration of the said Act, as may be referred to it by the Authority, it is further notified that Shri Om Parkash Tyagi, Member, Rajya Sabha has been elected w.e.f. 13th May, 1974 as a member of the Advisory Council of the Development Authority for a term of four years

subject to the other provisions of the Delhi Development Act. 1957, vice Dr. Bhai Manavir.

(No. Secy./V&C/26/67) H. N. FOTEDAR, Secy.

### निर्माण और आवास मंत्रालन

(निर्माण प्रभाग)

नरं दिल्ली, 14 जनवरी, 1975

का० ग्रा० 343. — राजघाट नमाधि प्रधितियम, 1951 (1951 का 41) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (घ) और उप-धारा (2) द्वारा प्रवत्त गरिनयों का प्रयोग करते हुवे केन्द्रोय सरकार, विक्लो के उपरान्यपाल भी कृष्य चन्द्र की राजघाट समाधि प्रतिति का प्रासकीय सास्य तिपुत्रत करती है, ग्रीर उन्हें श्री शक्तेष्यर प्रमाद के श्यान पर, उनत सगिति भा प्रध्यक्ष भी निगुत्रत करती है भीर भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण, श्रावास पर पूर्ति मन्नालय की प्रधिमूनना स० 19/2/62- अश्यु०-1, तारीय 22 ग्रगस्त, 1062 में निम्निलिखित ग्रीर संगोधन करती है, प्रश्रात:—

उनत यश्चिमूचना में श्राने वाले शब्दों "श्री वालेश्वर प्रसाद" के स्थान गर दोनों स्थानों पर जहां भी वे आये हैं, 'श्रो क्रव्य चन्द", शब्द रखे जामेंगे।

[स॰ 25012(3)/72-डब्ल्यू०-3]

राम जुभाया ग्रहलूवालिया, उप सचित

# MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (Works Division)

New Delhi, the 14th January, 1975

S.O. 343.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) and Sub-section (2) of Section 4 of the Raighat Samadhi Act, 1951 (4 of 1951), the Central Government hereby nominates Shri Krishan Chand, Lt. Governor of Delhi, to be an official member of the Raighat Samadhi Committee and also appoints him as the Chairman of the said Committee vice Shri Baleshwar Prasad, and hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Supply No. 19/2/62-WI, dated the 22nd August, 1962, namely:—

In the said notification, for the words "Shri Buleshwar Prasad" in both the places where they occur, the following words shall be substituted, namely:—

"Shri Krishan Chand".

(No. 25012(3)/72-W-III] R. L. AHLUWALIA, Dy. Secy.

### ·श्रम महालय

यादेश

नई दिल्ली, 30 नवन्यर, १५७४

का० आ० 344.—पतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि ध्रमुखे उपा-यद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स ढालिम्या दादरी सीमेंट लिमिटेड, चरकी दादरी के प्रबन्धतन्त के सम्बद्ध नियोजकी छीर उनके कर्मचारों के बीच एक श्रीद्योगिक विवाद विद्यमान है;

### दिल्ली विकास प्राधिकरण

### नार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 ग्रगस्त, 1975

का० श्रा० 428 (ग्र).—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में ग्रावासीय भूखंडों पर लागू किये जाने वाले क्षेत्रीय नियमों में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है। इसे सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित किया जा रहा है। इस संशोधन के संबंध में यदि किसी ब्यक्ति को ग्रापित्त या सुझाव देना हो तो वह ग्रपने ग्रापित्त/सुझाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर सांचव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज सकते हैं। जो व्यक्ति ग्रपने ग्रापित/सुझाव दें वे ग्रपना नाम व पूरा पता भी लिखें।

### संशोधन

"इस प्रकार के विकास के लिये भूखड का न्यूनतम स्राकार एक एकड़ है", दिल्ली मुख्य योजना के पृष्ठ 58 पर इसे निम्न प्रकार रखा जाय--

"एक एकड़ से कम के ग्राकार के भूखंड के संबंध में पृष्ठ 55 के निम्न नोट (3) के ग्राधार पर ग्रनुमित दी जायगी, प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय सरकार की ग्रोर से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रिधिसूचना जो संख्या एफ 20(4)/75 दिनांक 28 जुलाई, 1975 को गज़ट, ग्रसाधारण, एस० ग्रो० 390 (ई), पार्ट 2-धारा 3-उपधारा (2) के ग्रन्तर्गत प्रकाशित की गई थी।

शनिवार को छोड़कर समस्त कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रपस्था इस्टेट, नई दिन्ली-1 में उक्त ग्रविध में ग्राकर प्रस्तावित संशोधन का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं० एफ-20(4) 75-एम० पी०] एच० एन० फोत्तेदार, सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण 1

### TABLE

Designation of the Officer Categories of public premises and local limits of jurisdiction.

Assistant Commissioner (Water), water Supply & Sewage Disposal Undertaking, Municipal Corporation of Delhi. Public premises situated in the Union Territory of Delhi belonging to or taken on lease by, or on behalf of the Water Supply & Sewage Disposal Undertaking of the Municipal Corporation of Delhi, or in the name of Municipal Corporation of Delhi but under the administrative control of the said Undertaking except such of the premises as are under the control of other Estate Officers.

[File No. 21012(1)/75-POL/III] H. R. GOEL, Deputy Director.

## दिल्ली विकास प्राधिकरण सार्वजीनक सूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1975

का. आ. 2102.—कंन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्मतिशिक्त संशोधन करने का विचार कर रही हैं। इसे सार्वजिनक
सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा हैं। इन संशोधनों के
सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को आपित्त या सुभाव देना हो
ता वे अपने आपित्त/सुभाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर
सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्था इस्टंट, नई दिल्ली-1 के पास लिखित रूप में भेज सकते
हैं। जो व्यक्ति अपने आपित्त/सुभाव दे वे अपना नाम तथा पूरा
पता भी लिखें।

### संशोधन

- 1. मृद्य योजना के पृष्ठ 58 पर "मृप हाजिसिंग" शीर्षक के अन्तर्गत पेरा 2 की पंक्ति 9 में "भूखण्ड के न्यूनतम आकार" के शब्दों सं पूर्व "विशेष क्षेत्र के तिए क्षेत्रीय विकास योजना में जब तक कि निर्धारित न किया जाए" जोड़ दिया जाए।
- 2. मुख्य यांजना के पृष्ठ 59 पर नांट (4) में विभिन्न मूल आवासीय घनताओं के लिए निर्धारित अधिकतम कवरेज तथा तल क्षंत्र अनुपात निर्धारित करने वाली तालिका के अन्तर्गत "घनता" शब्द सं पूर्व "विशेष क्षंत्र के लिए क्षंत्रीय विकास योजना में जब तक कि निर्धारित न की जाए" जोड़ दिया जाए।
- 3. दिल्ली मुख्य योजना के पृष्ठ 33 "नई दिल्ली प्रखण्ड" शीर्षक के अन्तर्गत "पर्याप्त मनोरंजन क्षेत्रों" के बाद में निम्निलिखित जोड़ दिया जाए :—
  - "इस स्थान से अनाधिकृत उपयोगों को हटाकर दरगाह शहीद खान के आसपास मनोरंजन क्षेत्रों के विकास के लिए उक्त स्थान की आवश्यकता होगी।"
- 4. लगभग 3.66 हैंक्टर (9 एकड़) का क्षेत्र जिस इस्माह शहीद खान के नाम से जाना जाता हैं, जोन ही-5

A TOTAL PROPERTY OF THE PARTY O

(ही.आई.जंड. क्षेत्र) में पड़ता हैं जिसके उत्तर में 45.72 मीटर (150 फीट चाँड़ी पंचक,इंया रोड पूर्व में 45.72 मीटर (150 फीट) रामाकृष्ण रोड तथा दक्षिण पश्चिम में शावासीय क्षेत्र हैं। इसे अन 'शावासीय' से ''मनोरंजन (जिला उद्यान तथा खुल स्थान)'' में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव हैं।

शीनवार को छोड़कर समस्त कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, विकास भवन, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नर्ट दिल्ली-1 में उक्त अविध में आकर प्रस्तावित संशोधनों के मान-चित्र का निरीक्षण किया जा सकता हैं।

[संख्या एफ. 20(1)/75-एम. पी.]

हृद्य नाथ फातंदार, सचिव

### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Public Notice

New Delhi, the 5th July, 1975

S.O. 2102.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect the proposed modifications may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address.

### MODIFICATIONS

- 1. Before the words "The minimum plot size" in line 9 of para 2 under the heading "Group Housing" at page 58 of the Master Plan, the words "Unless otherwise prescribed in the Zonal Development Plan for specific area" be added.
- 2. Under the table prescribing maximum coverage and floor area, ratio for various gross residential densities in note (4) at page 59 of the Master Plan before the words "the density", the words "Unless otherwise prescribed in the Zonal Development Plan for specific area" be added.
- 3. Under the heading "New Delhi Division" at page 33 of the Master Plan for Delhi, after the words "Adequate recreational areas", the following shall be added:—
  - "The recreational areas around Dargah Shaheed Khan would require being developed by removing unauthorised uses at site."
- 4. An area measuring about 3.66 heets. (9 acres) known as Dargah Shaheed Khan, falling in Zone D.5 (D.I.Z. Area), bounded by 45.72 metre (150 ft.) r/w Punchkuin Road in the North, 45.72 (150 ft.) r/w Ramakrishna Road in the east and residential area in the south-west, is proposed to be changed from "Residential" to "Recreational (District Park and Open Spaces)".

The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20(1)/75-MP] H. N. FOTEDAR, Secy.

### दिल्ली विकास प्राधिकरण

### सावंजनिक सूचना

### नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1975

का० भ्रा० 2384:—केन्द्रीय मरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्न-लिखित संशोधन करने का विचार कर रही है। इसे सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाणित किया जा रहा है। इन संगोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति या मुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति/सुझाव इस आपन के 30 दिन के भीतर मचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली-1 के पास लिखित रूप में भेज सकते हैं। जो व्यक्ति भगने भ्रापति/सुझाव दें वे भगना नाम तथा पूरा पता भी लिखें।

संशोधनः

- 1. "मुन्य योजना में इंजिनियरिंग कालेज (इंडियन इन्स्टीन्यूट झाफ टेकनोलोजी, महरोली रोड़) के दक्षिण में लगभग 41.68 हैक्टर (103 एकड़) का भूमि उपयोग 'विणेष उद्योगों, (यूज जोन एम-3) के लिए दिखलाया गया था 41.68 हैक्टर (103 एकड़) में से 25.5 हैक्टर (63 एकड़) की मुख्य योजना के भूमि उपयोग में 'विणेष उद्योगों' (यूज जोन एम-3) से 'सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक मुविधाओं' (यूज जोन-एफ-विणेष संस्थान) में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।"
- 2. "लगभग 0.607 हैक्टर- (1.5 एकड़) का क्षेत्र जो उत्तर-पूर्व में 64.92 मीटर (213 फुट) चौड़ गंकर मार्ग तथा दिक्षण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम (जोन डी-6) में 'जिला उद्यान तथा खुले स्थानों' से घरा हुआ है, इस क्षेत्र के भूमि उपयोग को 'मनोरंजन'' (जिला उद्यान तथा खुले स्थान) से 'सार्व-जिनक तथा अर्ध-सार्वजनिक सुविधायों'' (धार्मिक) में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।"
- 3(अ) "लगभग 2.4 हैक्टर (6 एकड़) का क्षेत्र जो उत्तर-पश्चिम में 61 मीटर (200 फुट) चौड़े सरदार पटेल मार्ग, दक्षिण-पश्चिम में जिला उद्यान तथा दक्षिण-पूर्व एवं उत्तर-पूर्व में आवा-सीय मूमि द्वारा घिरा हुआ है। इसे अब 'आवासीय' से 'व्यवमाधिक' (होटल्स) में अधिकतम 200 एफ० ए० आर० सहित परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।"
- (ब) "लगमग 2.4 हैक्टर (६ एकड़) का क्षेत्र जो उत्तर-पश्चिम में 61 मीटर (200 फुट) चीड़े सरदार पटेल मार्ग, दक्षिण-पश्चिम में रेलवे ट्रैक्स, तथा दक्षिण-पूर्व एवं उत्तर-पूर्व में प्रावासीय भूमि द्वारा पिरा हुम्रा है। इसे प्रव "ग्रावासीय" से "ब्यवसायिक" (हाँटल्स) में स्रधिकतम 200 एक ए प्रार सहित परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।"

गनिवार को छोड़कर समस्त कार्यणोल दिनों में दिल्ली विकास <sup>गिषिकरण</sup> दिल्ली, विकास भवन, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली-1 में उक्त <sup>पक्ष</sup>ि में ग्राकर प्रस्तावित संशोधनों के मानचित्र का निरीक्षण किया ग सकता है।

> [मंख्या एफ० 3(156)/71-एम० पी०] . हृदय नाथ फोतेदार, सिचय

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 26th July, 1975

S.O. 2384.—The following modifications which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objections or suggestion with respect to the proposed modifications may send his objection or suggestion in writing to the Secratary, Delhi Development Authority. Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the obection or suggestion should also give his name and full address

### Modifications :---

- 1. "In the Master Plan, the land use of an area measuring about 41.68 hects. (103 acres) located in the south of Engineering College (Indian Institute of Technology, Mehrauli Road) was shown for 'Special Industries' (Use Zone M-3). It is proposed to change the land use of the Master Plan of about 25.5 Hects. (63 acres), out of 41.68 Hects. (103 acres) from 'special industries' (Use Zone M-3) to 'Public and Semi-public Facilities' (Use Zone F-Special Institutions)".
- 2. "The land use of an area measuring about 0.607 hects. (1.5 acres), bounded by 64.92 metres (213 ft.) wide Shankar Road in the north-east, and district parks and open spaces in the south-east, south-west and north-west (Zone D-6), is proposed to be changed from "Recreational" (District parks and open spaces) to "Public and Semi-public Facilities" (Regligious)".
- 3. (a) "The land use of an area measuring about 2.4 hects. (6 acres), bounded by 61 metres (200 ft wide) Sardar Patel Marg in the north-west, District park in the south-west and residential land in the south-east and north-east, is proposed to be changed from "residential" to "Commercial" Hotels) to be developed with a maximum F.A.R. of 200".
- (b) "The land use of an area measuring about 2.4 heets. (6 acres), bounded by 61 metres (200 ft. wide). Sardar Patel Marg in the north-west, railway tracks in the south-west and the residential land in the south-east and north-east is proposed to be changed from "residential" to "Commercial" (Hotles) to be developed with a maximum F.A.R. of 200."

The plans indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority. Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 3 (156)/71-M.P.] H. N. FOTEDAR, Secy.

### निर्माण और स्रावास मंत्रालय

### नई दिल्ली, 30 जुन, 1975

का॰ ग्रा॰ 23,85:—दिल्ली विकास ग्रिधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (अञ्) के साथ पठित उसधारा की उपधारा (1) ग्रीर धारा 30 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त मिनतयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, ग्रर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम श्रीर प्रारम्भ:—1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (श्राक्षेपकारी विकासों का हटाया जाना) नियम, 1975 है।



असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकारित PUBLISHED BY AUTHORITY

-सं 27.5]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 1975/श्रावर 6, 1897

No. 275]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 1975/SRAVANA 6, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके । Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July 1975

S.O. 390(E).—The following modifications which the Central Government proposes to make to the zoning regulations applicable to the residential plots in the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhawan, Techaprastha Estate New Delhi within a period of thirty days from the data of this Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address :-

### Modifications

I. On page 55 foot note (3) which reads as under-

"The number of dwelling units on a plot will be reckoned the same as the number of floors permissible plus the number of servants' quarters mentioned above.' will be substituted by-

"The number of dwelling units on a plot will be reckoned as in the following table-

| Plot size |  | Number of dwelling unit   |  |
|-----------|--|---|--|
|           | (1)  | (2)   |  |
| I         | . Upto 500 sq. mts.<br>(about 600 sq. yds.)                                      | One dwelling unit on each floor.                                |  |
| 2         | Above 500 sq. mts. (about 600 sq. yds.) upto 1500 sq. mts. (about 1800 sq. yds.) | Two dwelling units on each floor, whether attached or detached. |  |

(1745)

| 1 | 7 | ٦ |  |
|---|---|---|--|
| ١ | • | , |  |

(2)

| 3. | Above 1500 sq. mts.   |
|----|-----------------------|
|    | (about -0.            |
|    | (40041 1000 sq 174c)  |
|    | upto 2250 sq. mts.    |
|    | sq. mts.              |
|    | (about 2700 sq. yds.) |
| 1  | / od. yus.)           |
| í. | Above 2250 eg         |
|    |                       |

Three dwelling units on each floor whether attached or detached.

Above 2250 sq. mts. (about 2700 sq. yds.) upto 3000 sq. mts. (about 3600 sq. yds.)

Four dwelling units on each floor whether attached

Above 3000 sq. mts.) (about 3600 sq. yds.) upto 3750 sq. mts. (about 4500 sq. yds.)

Five dwelling units on each floor attached or detached. whether

Above 3750 sq. mts. (about 4500 sq. yds.)

Six dwelling units on each floor whether attached

# II. On page 55 foot note (2), which reads as under-

"The number of persons per servants' quarter mentioned in the above table will be read as follows—

"The number of persons per servants' quarter mentioned in the above table will be reckoned as 2.0."

# III. Page 54-

On page 54, the sub-para (b):-

"Plots above 250 sq. mts. (about 300 sq. yds.) and not exceeding 500 sq. mts. (about 600 sq. yds.)

One servants' quarter per dwelling unit."

# will be read as follows-

"Plots above 250 sq. mts. (about 300 sq. yus.)

One servants' quarter per dwelling unit.'"

# IV. Page 55-

On page 55, the sub-paras (c) and (d), which read as follows, will be deleted:— Two servants' quarters per dwelling unit. (about 600 sq. : vis.) and not exceeding 1000 sq. mts. (about 1200 sq. yds.)

(d) Plots above 1000 sq. mts. (about 1200 sq. yds.).

Three servants' quarters per dwellir g unit..

# V. Page 59-

On page 59, after the foot note (5) and above the words-II "Agricultural Green Belt" as d "Rural" "Use Zones", the following foot note will be added—

6. 'Group housing' includes construction of a number of dwelling units, without customary division into streets and individual holdings, with a view to ensuring more rational distribution of space and creation of desirable environment. It also includes creation of several dwelling unit by partition

The proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days,

[No. F. 20(4)/75-M.P.]

H. N. FOTEDAR,

Secretary,

Delhi Development Authority:

# दिल्ली विकाः प्रतिवकरण सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1975

का० ग्रा० 390(ग्र).—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में ग्रावासीय भूखण्डों पर लागू किए जाने वाले क्षेत्रीय नियमों में निम्नलिखित संग्रंधन करने का विचार कर रही है। इसे सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाणित किया जा रहा है। इन संग्रंधनों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को ग्रापित्त या मुझाव देना हो तो वह ग्रपने ग्रापित्त, मुझाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज सकते हैं। जो व्यक्ति ग्रापित्त, मुझाव दें, वे ग्रपना नाम तथा पूरा पता भी लिखें।

## संशोघन

I. पृष्ठ 55 के निम्न नोट (3) को निम्न प्रकार पढ़ा जाए--

"एक भूखण्ड पर त्रावासीय इकाइयों उतनी होंगी, जितनी उक्तानुसार निर्धारित मंजिलों को संख्या तथा नोकरां के क्वाट्रस," 'जिसे इस प्रकार रखा जायगा —

"एक भूखण्ड पर ग्रावास इकाइयां की संख्या निम्नलिखित तालिका के ग्रनुसार होगी—

|         | Wildred are areas were  |  |
|---------|---|--|
|         | भूखण्ड का ग्राकार   | त्रावास इकाइयों की संख्या  |
| 1.      | 500 वर्ग मीटर<br>(लगभग 600 वर्ग गज) तक  | प्रत्येक् मंजिल पर एक ग्रावास इकाई ।   |
| 2.      | 500 वर्ग मीटर से 1500 वर्ग मीटर<br>(लगभग 600 वर्ग गज से 1800<br>वर्ग गज) तक   | प्रत्येक मंजिल पर दो म्रावास इकाइयां<br>यद्यपि ये एक दूसरे के साथ हो म्रथवा पृथक ।   |
| 3.      | 1500 वर्ग मीटर से 2250 वर्ग मीटर<br>(लगभग 1800 वर्ग गज से<br>2700 वर्ग गज)    | प्रत्येक मंजिल पर तीन स्रावास इकाइयां<br>यद्यपि ये एक दूसरे के साथ हो स्रथवा पृथक ।  |
| 4.      | 2250 वर्ग मीटर से 3000 वर्ग मीटर<br>(लगभग 2700 वर्ग गज से 3600<br>वर्ग गज) तक | प्रत्येक मंजिल पर चार ग्रावास इकाइयां<br>यद्यपि ये एक दूसरे के साथ हो ग्रथवा पृथक ।  |
| 5.<br>- | 3000 वर्ग मीटर से 3750 वर्ग मीटर<br>(लगभग 3600 वर्ग गज से 4500<br>वर्ग गज) तक | प्रत्येक मंजिल पर पांच ग्रावास इकाइयां<br>यद्यपि ये एक दूसरे के साथ हो ग्रथवा पृथक । |
| 6.      | 3750 वर्ग मीटर से ग्रधिक<br>(लगभग 4500 वर्ग गज) तक                            | प्रत्येक मंज्ञिल पर 6 ग्रावास इकाइयां<br>यद्यपि ये एक दूसरे के साथ हो ग्रावा पृथक ।  |

II. पृष्ठ 55 पर निम्न नोट (2) को निम्न प्रकार पढ़ा जाए —

<sup>&</sup>quot;उक्त तालिका में प्रत्येक कर्मचारियों के क्याटर्स के अनुसार व्यक्तियों की संख्या 4-5 होगी" जिसे निम्न प्रकार दढ़ा जाएगा।

<sup>&</sup>quot;उक्त तालिका में प्रत्येक कर्मचारियों के क्वाटर्स के अनुसार व्यक्तियों की संख्या 2.0 होगी"

# III. पुष्ठ 54--

वृळ्डे ५ वर उव-वैश (बी) :---

"2500 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 500 वर्ग मीटर (लगभग 300 वर्ग गज से 600 वर्ग गज) तक भूखंडों के लिए

प्रत्येक ग्रावास इकाई के लिए एक क्वार्टर।"

# इसे निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा

"2500 वर्ग मीटर से ग्रधिक (लगभग 300 वर्ग गज) भ्खण्डों के तिए

प्रत्येक ग्रावास इकाई के लिए एक क्वार्टर।"

# IV. पृष्ठ 55---

पृष्ठ 55 पर उप-पैरा (सी) तथा (डी) जिन्ह जो निम्न प्रकार है, को हटा दिया जायगा । वर्ग मीटर (लगभग 600 वर्ग गज से 1200 वर्ग गज) तक के भूखण्डों के लिए (लगभग 1200 वर्ग गज) के भूखंडों के लिए

"(सी) 500 वर्ग मीटर से 1000 प्रत्येक ग्रावास इकाइयों के लिए दो क्वार्टरस।"

(डी) 1000 वर्ग मीटर से ग्रधिक प्रत्येक ग्रावास इकाइयों के लिए तीन क्वार्टरस

# V. 963 59-

पुष्ठ 59 पर निम्न नोट (5) के पण्चात II "कृषि सम्बन्धी हरी पट्टी" तथा "ग्रामीण" "उपयोग क्षेत्र" से पूर्व निम्नलिखित नोट सम्मिलित किया जायगा --

6. 'ग्रुग हाउ सग' में गलियों तथा प्रत्येक के स्थान का व्यवहारिक विभाजन के विना जिसमें स्थान का वितरण यक्तियक्त दृष्टि से अधिक स्थान की प्राप्ति तथा उचित बातावरण उत्पन्न करने की दिष्ट से ग्रावान इकाईयां के ग्रधिक संख्या में निर्माण सम्मिलित है इसमें एक ग्रावास इकाई का विभाजित करते हुए कई ग्रावास इकाइयों का निर्माण भी सम्मिलित है।

शनिवार को छोडकर समस्त कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, विकास भवन, इन्द्रप्रस्य इस्टेट, नई दिल्ली-1 में उनत प्रवधि में आकर प्रस्तावित संशोधनों का निरीक्षण किया जा सकता है।

> [सं० एकः 20(4)/75-एमः पो०] ईहृदय नाथ फोत्तेदार, सचिव. दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975

ु उक्त नोटिस के टत्तर में जनसाधारण से कोई म्रापितयां ग्रीर सुकाय प्राप्त नहीं हुए।

इसलिए श्रव उक्त नियमावली के नियम 434 (iii) (बी०बी०) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया कि 1-1-76 से काम्पटी का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगाः काम्पटी टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था:

काम्पटी का स्थानीय क्षेत्र यही होगा जो कि काम्पर्टी नगर पालिया भ्रोर काम्पटी छायनी के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है, किन्तु वे टेलीफोन प्रयोगकर्ता जो कि काम्पटी नगरपालिका श्रीर छावनी सीमा के बाहर स्थित हैं किन्तु जिन्हें काम्पटी टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था से सेवा प्रदान/ होती है वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित रहेंगे ग्रीर इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुरुकदर से ग्रदायगी करेंगे।

[सं॰ 3-27/74-पी॰एच॰वी]

एच०सी० माथुर, निदेशक (ई)

S.O. 196.—Whereas a public notice for revising the local S.O. 196.—Whereas a public notice for revising the local area of Kamptae Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III) (bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at graph Rules, inviting objections and suggestions from all per-Kamptae, inviting objections and suggestions from all per-Kamptae, inviting objections of the notice in the Newspapers; from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 18th July, 1975 in English daily 'Nagpur Times', Marathi daily 'Lokmat' and Hindi dalies 'Yugadharm' and Marathi daily 'Lokmat'

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-1-76 the revised local area of Kamptee shall be as under:

Kamptee Telephone Exchange System:

The local area of Kamptee shall cover an area falling under the jurisdiction of Kamptee Municipality and Kamptee Contents.

Provided that the telephone subscribers located Kamptee Municipality and Kamptee Cantonment but who are served from Kamptee Telephone E located outside Cantonment; Exchange out wno are served from Kamptee Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-27/74-PHB]

H. C. MATHUR, Director of Telephones (E)

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

# नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1975

का० ग्रा॰ 197 .-- भारत सरकार, निर्माण एवं ग्रावास मंत्रालय के पन संख्या एल 5(18)59 दिनांक 1-5-69, अधिसूचना संख्या एल 13(3)/46 दिनांक 12-2-1962 जिसे दिल्ली डवेल्पमेंट एक्ट, 1957 की धारा 22(4) के प्रन्तर्गत जारी किया गया था, के सिलसिले में म्निलिखित अनुसूची में बणित भूमि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भू एवं विकास कार्यालय को हस्तान्तरित की जानी थी इसे एतद्द्वारा 20-5-69 से स्थगित किया जाता है।

#### ं अनुसूची

जी बी रोड दिल्ली में खमरा संख्या 457/283-284, 471/458/ 283-284 में 47.7 वर्गगण का मूखण्ड है। 126. GI/75-14

# अनुसूची

| उक्त भूखण्ड | निम्नलिखित | स्थानो द्वारा | घिरा हुम्रा है।<br>रेलवे |                   |
|-------------|------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| उत्तर       | •          |               | फाजुल                    | दीन का भूखण्ड     |
| दक्षिण      |            | •             | . नजूल                   | भूमि 🐇            |
| पूर्व       | •          | •             | गली                      |                   |
| पश्चिम      | •          |               | सिं० एल                  | 0 13(3)46]        |
|             | 1          |               | हृदय नाथ                 | फोत्तेदार, सचित्र |

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 19th December, 1975

S.O. 197.—In pursuance of Government of India in the Ministry of Works and Housing letter No. L5(18)59 dated 1-5-69 the notification No. L13(3)46 dated 12-2-1962 lissued under Section 22(4) of the Delhi Development Act, 1957 replacing the land as mentioned in the Schedule below at the disposal of the Central Government for onward transfer to the Land and Development Office is hereby cancelled w.e.f. 20-5-69.

# SCHEDULE

A plot of land measuring 87.7 sq. yds. bearing Khasra No. 457/283-284, 471/458/283-284 situated in G.B. Road, Delhi.

The above plot of land is bounded as follows:

| The ab | ove I | olot c | or ranc | 1 13 000 |   | Railway          |
|--------|-------|--------|---------|----------|---|------------------|
| North  | •     |        | . •     | •        | • | Plot of Fazuldin |
| South  |       | •      | •       | •        | • | Nazul land       |
| East   | •     | •      | •       |          |   | . Gali           |
| West   |       | •      | •       |          |   | - 40(2) 467      |

[No. L13(3)46]

H. N. FOTEDAR, Secy,

# MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 23rd December, 1975

S.O. 198.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore, in the industrial disernment between the employers in relation to the Vijiya Bank pute between the employers in relation to the Vijiya Bank Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th December, 1975.

[No. L-12012/58/73/LR-III]

# BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN

# KARNATAKA

Bangalore, the 16th December, 1975

Central Reference No. 3 of 1973 (Central) II PARTY

Workmen of Vijaya Bank Ltd., represented by the General Secretary, Vijaya Bank Employees' Union Central Office, Big Bazaar, Calicut

No. The Management of Vijaya Bank Limited, Bharatiya Vidya Bhavan Building. Race Course Road, Bangalore-1. Vijaya Bank Limited, Bharatiya Vidya Bhavan Building, Race Course Road, Bangalore-1.

# APPEARANCES

For the I Party: None Present.

For the II Party: C. V. Narayana Rao, Representative of the Management of Vijaya bank Limited, Bangalore.

# REFERENCE

Central Government Reference No. L. 12012/58/73/LR-III dated 16th June 1973.



ग्रसाधारण

# **EXTRAORDINARY**

भाग II--- लण्ड 3--- उपलण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 240] No. 240] नई दिल्ली, शनिवार, मई 22, 1976/ज्येष्ठ 1, 1898

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 22, 1976/JYAISTHA 1, 1898

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

#### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 22nd May 1976

S.O. 361(E).—The following notification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan (Zone D-2) is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Bhavan, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of 30 days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address.

#### MODIFICATION

"An area measuring about 0.5 hect. (1.25 acres), commonly known as Dr. Sen Nursing Home, earmarked for 'public and semi-public facilities/hospital/nursing home' in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan (Zone D-2) and bounded by Institutional Area (Institute of Chartered Accountants and Institute of Engineers) in the north, zonal road/service lane in the east, nallah/service road in the south and Bahar hah Zaffar Marg in the west, is proposed to be changed to 'com hal use' (Use Zone C-2).

The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Delhi Vikas Bhavan, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F.3(53)/73-MP]

H. N. FOTEDAR, Secy.

(1157)



# दिल्ली विकास प्राधिकरण

# ना**र्वजनिक सू**चना

नई दिल्ली, 22 मई, 1976

का० ग्रा० 361 (प्र) — केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना/जोनल छवैलपमेंट प्लान (जोन डो-2) में निम्निलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है। इसे सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। इस संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यवित को ग्रापित /सुझाव देना हो नो वे ग्रपने ग्रापित /सुझाव इस जापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली-1 के पास लिखित रूप में भेज सकते हैं। जो व्यवित ग्रपनी ग्रापित /सुझाव देवें ग्रपना नाम तथा पूरा पता भी लिखें।

# संशोधन

"लगभग 0.5 हेक्टर (1.25 एकड़) का क्षेत्र, जो डा० सेन निसंग होम के नाम से जाना जाता है, जिसे दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना (जोन डी-2) में सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक सुविधाओं/अस्पताल/निसंग होम के लिये निर्दिष्ट किया गया था तथा जो उत्तर में संस्थान-क्षेत्र (इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स तथा इन्स्टीच्यूट आफ इंजीनियरज), पूर्व में जोनल रोड/स्विस लेन, दक्षिण में नाला/ सविस रोड तथा पश्चिम में बहादुर शाह जफर मार्ग द्वारा घिरा हुआ है, इसे अव 'व्यवसायिक उपयोग' (यूज जोन सी-2) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है"।

शनिवार को छोड़कर समस्त कार्यशाल दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रपस्था इस्टेट, नई दिल्ली—1 में उनत अविध में आकर प्रस्तावित संशोधन के मान-विज्ञ का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं॰ एक 3(53)/73-एम पी] हृदग नाथ फोतेदार, सनिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976



nominates Shri N. K. Rewari. Joint Secretary (Finance), Ministry of Works and Housing, to be a member of the Raighat Samadhi Committee vice Shri Prem Nath Financial Adviser (Works and Housing) and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Supply No. 19/2/62-WI dated the 22nd August, 1962, namely:—

In the said notification, for the existing entry against item 2, the following entry shall be substituted namely:—

"Shri N. K. Rewari, Joint Secretary (Finance), Ministry of Works and Housing."

[No. 25012(3)/72-W3]

R. L. AHLUWALIA, Dy. Secy.

# दिल्लो विकास, प्राधिकरण सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1976

का० आ० 2624.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्न-लिखित संगोधन करने का श्रिचार कर रही है। इसे सार्वजिनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। इस संगोधन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति/मुआब देना हो तो वे अपने आपत्ति/मुआब इस आपन के 30 दिन के भीतर सचिब, दिल्ली विकास प्राधिकारण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टेट नई दिल्ली-1 के पास लिखित हप में भेज सकने हैं। जो त्यक्ति अपनी आपत्ति/मुआब दें वे अपना नाम तथा पता भी लिखें।

#### संशोधन

"बजीरपुर श्रीद्योगिक क्षेत्र में श्रीद्योगिक उपयोग (लघु उद्योग) के लिये निर्दिष्ट क्षेत्र में से 0.52 है० (1.3 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को चमड़े की वस्तुयें के लिए 'फ्लैटड फैक्ट्रीज' में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।"

शनिवार को छोड़कर समस्त कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, विकास मीनार, 11वीं मंजिल, मुख्य योजना अनु-भाग, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली-1 में उक्त अविध में आकर प्रस्तावित संशोधन के मानचित्र का निरीक्षण किया जा सकता है।

> [सं॰ एफ॰ 20(5)/76-एम॰ पी॰] हृदय नाथ फीतेदार, सचिव

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

## PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th July, 1976

S.O. 2624.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address.

#### MODIFICATION

"The land use of an area measuring 0.52 heet. (1.3 acres) out of the land, earmarked for 'industrial use' (Light Manufacturing) in Wazirpur Industrial Area, is proposed to be changed to 'flatted factories' for leather goods."

The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, New Delhi on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20(5)/76-M.P.] H. N. FOTEDAR, Secy.

# संचार मंत्रालय (डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1976

बा० फ्रा० 2625.—स्याई आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 बारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के परा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने राजपुरा देलीकोन केन्द्र में दिनांक 1-8-76 के प्रमाणिन दर प्रणाली लागू करने कः निश्चय किया है।

[संख्या 5-7/76 पी० एच० बी०]

पी० सी० गुप्ता, सहायक महानिदेशक (पी०एच०वी०)

# MINISTRY OF COMMUNICATIONS

#### (P&T Board)

New Delhi, the 2nd July, 1976

S.O. 2625.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-8-1976 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Rajpura Telephone Exchange, N. W. Circle.

[No. 5-7/76-PHB.]

P. C. GUPTA, Assistant Director General (PHB)

# पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग)

ग्रादेश

नई दिल्ली, 15 मई, 1976

का॰ ग्रा॰ 2626.—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण श्रीर अपील) नियम वली, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) की धारा (ख) तथा नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुँये, राष्ट्रपति भारत सरकार, पूर्ति श्रीर पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के श्रादेश संख्या 1(4)/68-सतकंता, दिनांक 29 नवम्बर, 1975 में निम्न संशोधन करते हैं, ग्रर्थात्:— उक्त श्रादेश की श्रन्सूची में:—-

- (क) "भाग-II, सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III" के कालम 2 तथा 3 में शब्द "बन्दोबस्त आयुक्त" के स्थान पर शब्द" "उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
- (ख) "भाग III, सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी IV" के कालम 5 में शब्द "बन्दोवस्त ग्रायुक्त" के स्थान पर शब्द "उप मुख्य बन्दोवस्त ग्रायुक्त" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

[संख्या 1(4)/68-सतर्कता]

जे० चक्रवर्ती, उप सचिव

# MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

ORDER

New Delhi, the 15th May, 1976

S.O. 2626.—In exercise of the powers conferred by subrule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Supply and of

I Sund to Secretary & Marie Land

# विल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 ग्रक्तूबर, 1976

फा ब्ह्रा० 3677.--केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना तथा जीन छी-15 (लाधी कालोनी तथा डी-16 दयाल सिंह कालिज क्षेत्र) कम्पोजिट जीनल उर्वेलपमेंट प्लान्स में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है जिसे सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है। इन संशोधनों में यदि किसी व्यक्ति को स्रापत्ति या सुजाव देना हो तो वे स्रपने स्रापत्ति या सुझाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधि-करण, ग्यारहवीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति अथवा मुझाय दें वे अपना नाम एवं पूरा पता भी लिखें।

 5.5 है० (13.6 एकड़) का क्षेत्र जो मुख्य योजना/जोन डी-15 (लोधी कालोनी) के क्षेत्रीय विकास योजना चित्र में 'स्रावासीय उपयोग' हेतु निर्दिष्ट है तथा जो ग्रब रक्षा मंत्रालय के कब्जे में हैं इसे ग्रब 'मनोरंजन उपयोग' (जिला उद्यान, खेल के मैदान तथा खुले स्थानों) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।

 25.74 है० (63.6 एकड़) का क्षेत्र जो मुख्य योजना/जोन डी-16 (दयाल सिंह कालिज क्षेत्र) के क्षेत्रीय विकास योजना चित्र में 'मनोरंजन उपयोग' के लिये निर्दिष्ट किया गया है। जिस पर अब रक्षा मंत्रात्तय का कब्जा है । इसे अब 'आवासीय उपयोग' में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।

3. 6.07 है॰ (15 एकड़) का क्षेत्र जो मुख्य योजना जोन डी-15 (लोधो कालोनी) के क्षेत्रीय विकास योजना चित्र में 'मनोरंजन उपयोग' हेतु निर्दिप्ट है तथा यह पूर्व में लिक रोड (45.72 मी०) उत्तर तथा पश्चिम में बर्तमान नाला दक्षिण में रेलवे कार्य क्षेत्र द्वारा विरा हुआ है। इसे प्रव 'सार्वजिनक तथा अर्ध सार्वजिनक उपयोग' (सामुदायिक सुविधाएं) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।

 (ए) 30.48 मी० (100') चीड़ी सङ्क जो जीन डी-15 (लोबी कालोनी) तथा जोन डी-16 (दयाल सिंह कालिज) को विमाजित करती है, इसके अलाइन्मेंट को दयाल सिंह कालिज के पूर्व में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है।

4 (बी) 24.38 मी॰ (80') के मार्गाधिकार की जोनल प्लान रोड जो जोन डी-16 (दयाल सिंह कालिज क्षेत्र) के बीच में से गुजरती है। इसे समाप्त करने का प्रस्ताव है तथा 18.288 मी॰ (60') मार्गा-धिकार की नई जीनल रोड का प्रस्ताव है जी नाले के साथ साथ तथा 30.48 मी $\circ$  (100') चीड़ी सड़क (उन्न पैरा 4 ए के रीम्रलाइन्मेंट के तंदर्भ में) तथा 45.72 मी० (150') लिक रोड से मिलती है।

शनिवारको छोड़कर ग्रीर सभी कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्य इस्टेट, नई दिल्ली-1 में उक्त ग्रवधि में श्राकर प्रस्तावित संशोधनों के मानचित्रों का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं० एफ । 16 (124)/76-एम ० पी ०]

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th October, 1976

5.0. 3677.—The following modifications, which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi and to the composite zonal development plans for zones D-15 (Lodhi Colony) and D16. (Dayal Singh College area), are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 11th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New

Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection should also give his name and full address: objection or suggestion MODIFICATIONS:

- 1. The land use of an area measuring, 5.5 hectares (13.6 acres), earmarked for 'residential use' in the Master Plan/Zonal Development Plan for Zone D-15 (Lodhi Colony) and presently occupied by the Ministry of Defeace, is proposed to be changed to 'recreational use' (District parks, playgrounds and open spaces) and open spaces).
- 2. The land use of an area measuring 25.74 hectares (63.6 acres), earmarked for 'recreational use' in the Master Plan/Zonal Development Plan for zone D-16 (Dayal Singh College Area) and presently occupied by the Ministry of Defence, is proposed to be abstract to 'recitation'. to be changed to 'residential use'.
- 3. The land use of an area measuring 6.07 hectares (15 acres), earmarked for 'recreational use' in the Master Plan/Zonal Development Plan for Zone D-15 (Lodhi Colony) and surrounded by Link Road (45.72 metres) in the East, existing nallah in the North and West and railway operational area in the South, is proposed to be changed to 'Public and Semi-Public use, (Community Facilities).

4. (a) The alignment of 30.48 metres (100') wide road. dividing zone D-15 (Lodhi Colony) and D-16 (Dayal Singh College) is proposed to be shifted to the eastern side of Dayal Singh College.

(b) The zonal plan road with R/W of 24.38 metrcs (80'), passing through zone D-16 (Dayal Singh College area) is proposed to be omitted and a new zonal road with R/W of 18.288 metres (60') is proposed along the existing nallah to connect 50.48 metres (100') wide road [re-aligned refer para 4(a) above] and 45.72 metres (150') Link Road.

The plans indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority. 11th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 16(124)/76-MP]

सार्वजनिक सूचना

का अप्रा ० 3 6 7 8.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजनाय्रों में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है जिसे िसार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है। इन संशोधनों के सिंबन्ध में यदि किसी व्यक्ति को भ्रापत्ति या सुझाव देना हो तो वे भ्रपने <sup>हि</sup>ब्रापत्ति या मुझाव इस झापन के 30 दिन के भौतर सचिव, दिल्ली विकास <sup>ह</sup> प्राधिकरण, ग्यारहवीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली िके पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति प्रपनी ब्रापित्त प्रथवा सुझाव दें वे भ्रपना नाम एवं पूरा पता भी लिखें।

- 1. 1.618 है (4 एकड़) का क्षेत्र (1-मान सिंह रोड) जो मुख्य योजना में 'भ्रावासीय उपयोग हेतु' निर्दिष्ट है तथा यह मान सिंह रोड तया मोती लाल नेहरु मार्ग के चौराहे पर स्थित है इसे 'व्यवसायिक उपयोग' (होटल) में परिवर्तित किया जाना है।
- 2. 1.821 है० (4.5 एकड़) का क्षेत्र जो मुख्य योजना/जोन डी-3 (कर्जन रोड क्षेत्र) के क्षेत्रीय विकास योजना चित्र में 'स्रावासीय उपयोग' हेतु निर्दिष्ट किया गया है जो विडसर प्लेस के दक्षिण में, जनपथ तथा ग्रशोका रोड के चौराहे पर स्थित है इसे ग्रब 'व्यवसायिक उपयोग' (होटल) में परिवर्तित किया जाना है।
- 3. लगभग 1.821 हैं० (4.5 एकड़) का क्षेत्र जो मुख्य योजना/ जोन डी-4 (पालियामेंट स्ट्रीट) के क्षेत्रीय विकास योजना चित्र में 'ग्रावा-सीय उपयोग के लिए निरिष्ट है, जो विडसर प्लेस के दक्षिण में, जनपथ तथा रायसीना रोड के चौराहे पर स्थित है इसे अब 'व्यवसायिक उपयोग' (होटल) में परिवर्तित किया जाना है।

शनिवार को छोड़कर अन्य सभी कार्यशील दिनों में दिल्ली किकास प्राधिकरण के कार्यालय, ग्यारहवीं मंजिल, विकास मीतार, इन्द्रप्रस्य इस्टेट नई दिल्ली-। में उक्त अवधि में शाकर प्रस्तावित संगोधनों के मान जिल्लों का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं० एफ० 20(7)/76-एम०पी०]

S.O. Governm and the Z public i suggestion send his Delhi D Indrapras days from objection address. MODIF 1. 7

3. Ti

2. Ti

The Pin available f Floor, Vieworking d to above.

का ०ग्रा : ही-18 (ि एफ-2 (कंः जोन डी-३ । **करने पर**ि किया जा श्रापति या दिन के ईल मीनार, इन सकते हैं। 🥫 पता भी ि संशोधन :

कालोनी) के लिये निर्दिए तथा लिंव एरिया सेंटर

कालोनी) शापिंग सेंटर रोड़) के न जाना है। 3. 6

प्लान में सॅट्र (ल 4. 1 रोड) जा माध्यमिक हाउस) 🥫 शनिव

एक्सटेंशन)

करण के दिल्ली-1 का निरीक

n the date of the nion or suggestion

oring, 5.5 hectared at Plan for Zor ently occupied by osed to be change parks, playground

ging 25.74 hectares rational use in the state Plan for zon tra) and presently dence, is proposed

6.07 hectures (15) Muse' in the Mass' on for Zone D-15 Link Road (45.7) atah in the North area in the South Public and Semi

(100') wide road and D-16 (Daya) te shifted to the

R/W of 24.38 fone D-16 (Dayal to be omitted and 12.288 metres (60?) willah to connect saligned refer para (2) Link Road. factions will be Authority, 11th w Delhi, on all period referred

E.16(124)/76-MPH

हैं। तया अंबोय विकास र दो है जिसे रेन संशोधनों के निहों तो वे अपने विकास मिर नई दिल्ली हैं भी प्रथवा मुझाव

🖁 रोड) जो मुख्य 🎘 मान सिंह रोड़ी क्षे व्यवनायिक

विना/जान डी-अर्रे क्रिनासीय उपयोगी 🖁 रे, जनगथ तथा गयोग' (होटल)

्री <sup>मुख्य</sup> योजना/ नित्र में 'आवा-विंग में, जनपथ क्षिक उपयोग्'

िनों किकास् ्रिनस्य इस्टेट ्रै भाग चित्रों

[व पि० म<sup>गु-</sup>

PUBLIC NOTICE

S.O. 3678.—The following modifications which the Central S.O. 3678.—The following modifications which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi and the Zonal Development Plans are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 11th floor, Vikas Minar, leuraprascha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address. address.

MODIFICATIONS:

 DIFICATIONS:
 The land use of an area (1-Man Singh Road) measuring, 1.618 hectares (4 acres), carmarked for 'residential use' in the Master Plan, at the crossing of Man Singh Road and Moti Lal Nehru Marg, is proposed to be changed to 'commercial (Hotel) use'.
 The land use of an area measuring, 1.821 hectares (4.5 acres) carmarked for 'residential use' in the Master Plan/Zonal Development Plan for Zone D-3 (Curzon Road Area) in the South of Windsor Place, at the crossing of Janpath and Ashoka Road is proposed to be changed to 'Commercial, (Hotel) is proposed to be changed to 'Commercial (Hotel)

use.

3. The land use of an area, measuring about 1.821 hectares (4.5 acres), earmarked for 'residential use' in the Master Plan/Zonal Development Plan for zone D-4 (Parliament Street), in the south of Windsor Place, at the crossing of Jappath and Raisina Road, is proposed to be changed to 'Commercial (Hotel)

The Plans indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority 11th Floor. Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20(7)/76-MP]

# सार्वजनिक सूचना

का ब्या व 3679, केन्द्रीय सरकार कम्पोजिट जोन डी-17 (निजामुद्दीन), ही-18 (किलाकरी), डी-19 (लाजपत नगर), डी-20 (मुवारकपुर कोंटला), एफ-2 (कैलाण, लाजपत नगर 4 क्षेत्र) एवं एफ-3 (सीरी क्षेत्र) श्रीर जोन डी-3 (कर्जन रोड क्षेत्र) हेतु जोनल डवलपमेंट प्लान्स में संगोधन करने पर विचार कर रही है। उन्हें सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित किया जा रहा है। इन संशोधनों के संबन्ध में यदि किसी व्यक्ति को प्रापति या मुझाव देना हो तो वे अपने श्रापति/गुझाव इस ज्ञापन के 30 नित के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 11वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-1 के पास लिखित रूप में भेज मकते हैं। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति/मुझाव दें वे अपना नाम तथा पूरा पता भी लिखें। संशोधन :

 1. 1.157 है (2.864 है) का क्षेत्र जो जोन डी-20 (डिफेंस कालोनी) के क्षेत्रीय विकास योजना चित्र में दो प्राथमिक विद्यालयों के नियं निदिष्ट है तथा डिफेंस कालोनी की ग्रोर रिंग रोड (64.0 मीटर) तथा लिंक रोड (30.48 मीटर) के चौराहे पर है इसे अब 'प्लानिंग एपिया सेंटर' (लोकल शापिंग सेंटर) में परिवर्तित किया जाना है।

2 1 121 है॰ (2.771 एकड़) का क्षेत्र जो जोन-20 (डिफेंस कालाना) के जोनल डबलपमेंट प्लान में 'प्लानिंग क्षेत्र केन्द्र' (लोकल भाषिन संटर) के लिए निदिष्ट है तथा यह बर्मा शैल पैट्रोल पम्प (लिक रोड) के सामने पड़ता है इसे अब 'प्राइमरी स्कूल' में परिवर्तित किया नाना है।

3. 690 वर्ग मीटर (825 वर्ग गज) (भूखंड सं० 1 से 8 जंगपुरा प्लमटेंगन) का क्षेत्र जो जान डी-17 (निजामुद्दीन) के जोनल डबलपमेंट प्लान में 'त्रावासीय उपयोग' हेतु निर्दिष्ट है, इसे प्रव 'प्लानिंग एरिया सेंटर' (लोकल शापिंग सेंटर) में परिवर्तित किया जाना है।

ा. 1.934 है॰ (4.78 एकड़) का क्षेत्र (मूखंड 1 से 3 अशोक रोंड) जोन डी-3 (कर्जन रोड क्षेत्र) में 'शैक्षिक उपयोग' (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) हेतु निर्दिष्ट है इसे अब 'आवासीय' (स्टेट गैस्ट होउस) उपयोग में गरिवर्तित किया जाना है।

मनिवार को छोड़कर समस्त कार्यभील दिनों में दिल्ली विकास प्राधि-करण के कार्यालय, 11वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-1 में उनत ग्रवधि में ग्राकर प्रस्तावित संशोधनों के मानचित्रों भा निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं॰ एफ॰ 16(264)/76 एम॰ पी॰] हृदय नाय फोत्तेदार, सचिव PUBLIC NOTICE

S.O. 3679.—The following modification which the Central Government proposes to make to the zonal development plans for Composite zones D-17 (Nizamuddin), D-18 (Kilo-kil), D-19 (Lajpat Nagar), D-20 (Mubarakpur Kotla), F-2 Kil), D-19 (Lajpat Nagar), D-20 (Mubarakpur Kotla), F-2 (Kailash, Lajpat Nagar IV area) and F-3 (Shri Area) and for Zone D-3 (Curzon Road Area), are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 11th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full objection or suggestion should also give his name and full address:

#### MODIFICATIONS:

1. The land use of an area measuring, 1.157 hectares (2.864 acres), carmarked for two Primary Schools in the zonal development plan for zone D-20 (Defence Colony), at the crossing of the Ring Road (64.0 metres) and Link Road (30.48 metres), towards Defence Colony, is proposed to be changed to 'Planning Area Centre' (Local Shopping Centre).

2. The land use of an area measuring, 1.121 hectares 2.771 acres), earmarked for 'Planning Area Centre' (Local Shopping Centre) in the zonal development plan for zone D-20 (Defence Colony)) in the rear of the existing Burmah Shell Petrol Pump (Link Road) measuring, 1,934 hectares (4.78 acres), ear-School' School'.

3. The land use of an area (Plot No. 1 to 8 in Jangpura Extension), measuring 690 sq. mts. (825 sq. yds.), earmarked for 'residential use' in the zonal development plan for zone D-17 (Nizamuddin) is proposed to be changed to 'Planning Area Centre' (Local Shopping).

4. The land use of an area (Plot No. 1 and 3, Ashoka Road) measuring, 1934 hectares (4.78 acres), earmarked for 'educational use' (higher secondary school) in the zonal development plan for zone D-3 (Curzon Road Area), is proposed to be changed to 'residential' (State Guest House) use.

The Plans indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority, 11th Floor. Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturdays, within the period referred

[No. F. 16(264)/76-MP] H. N. FOTEDAR, Secy.

# संचार मंत्रालय (डार्क-तार बोर्ड)

्नई दिल्ली, 6 अन्तवर, 1976

का ब्या व 3680 -- स्थायी ब्रादेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार, नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने पंढरपुर टेलीकोन केन्द्र-में दिनांक 1-11-76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने फा निश्चय किया है।

[संख्या 5-1/76-पी ०एच ०वी ०]

पी० सी ० गुप्ता, सहायक महानिदेशक (पी०एच०बी०)

# MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 6th October, 1976

S.O. 3680.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March. 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-11-76 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Pandharpur Telephone Exchange Maharashtra Circle

[No. 5-4/76-PHB]

P. C. GUPTA, Assistant Director General (PHB)

शनिवार को छांड़कर आरं सभी कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास ब्राधिकरण के कार्यालय, ग्यारहवीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टंट. नर्ड दिल्ली-1 में उक्त अर्थाध में आकर प्रस्तावित संसाधन इ. इ.मानरिचन का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं. एफ 20(4)/76 एम. पी.]

हदय नाथ फोतेदार, सीवव

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

# PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th December, 1976

S.O. 4627.—The following modification, which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi, s hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 11th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the chiestion or suggestion should also give his proposed. making the objection or suggestion should also give his name and address.

#### MODIFICATION :

The land use of an area measuring 0.37 hectare (0.91 acre), armarked for "residential" use in the Master Plan for Delhi, surrounded by Shanker Road in the north, residential trea in the south-east and institutional area (Police Station and Library) in the west, is proposed to be changed to institutional" use (for the offices of the Indian National Inde Union Congress).

2. The plan, indicating the proposed modification, will be available for inspection at the office of the Authority, lith Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, all working days, except Saturdays, within the period

[No. F. 20(4)/76-MP] H. N. FOTEDAR, Secy.

# श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1976

कि ग्रा॰ 4628.—कोयला खान भविष्य निधि (कर्मचारिवृन्द ग्रीर ोत को गर्ते) विनियम, 1964 में ग्रीर संशोधन करने के लिए निम्न-निचित विनियम जिसे कोयला खान भविष्य निधि न्यासी बोर्ड ने, कोयला <sup>श</sup>न भविष्य निधि ग्रीर प्रकोग उपजन्य प्रतिनितम, 1948 (1948 भ 46) की धारा 3ग की उपधारा (5) के अनुसररा में केन्द्रीय सर-<sup>रार के</sup> अनुमोदन से बनाया है, सूचनार्थ प्रकाशित किए जा रहे हैं :--

- ा. (1) इन विनियमों का नाम कोपना प्यान भविष्य निधि (कर्म-चारिवृन्द ग्रीर सेवा की णतें) संशोधन विनियम, 1976
- (2) ये इस अधिसूचना के राजनत में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- कोयता खात भविष्य निधि (कनेवारिवृत्य और सेंबा को या.ँ) र्वि<sub>नियम,</sub> 1964 के पैरा 4 के पश्चात् निम्नितिबित पैरा स्नास्यापित जाएगा, ग्रथीत् :---
- "<sup>4 ह</sup> विशेष प्रतिनिधित्व: 107 GI/76-9

ऐसे पदों के विभिन्न प्रवर्गी पर भर्ती, जिनके, सीबों भर्ती या प्रोन्नित द्वारा भरे जाने की अपेक्षा है भारत के संविधान में यथा-परिभाषित" श्रनुसूचित जातियों स्रोर श्रनुसूचित जनजातियों या व्यक्तियों के किन्हीं धन्य प्रवर्गों के प्रतिनिधित्व, के लिए ऐते स्रारक्षणों के अधीन रहते हुए की जाएगी, जो ब्रायुक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुमार समय-समय पर विनिधिष्ट करें।

[सं० ए० 12027(1)/75-मो० एफ०-I]

# MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 20th November, 1976

- S.O. 4628.—The following regulation further to amend the Coal Mines Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1964 which have been made by the Board of Trustees of the Coal Mines Provident Fund in pursuance of sub-section (5) of section 3c of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948, (46 of 1948) with the approval of the Central Government, are hereby published for information. lished for information:
  - (1) These regulations may be called the Coal Mines Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Amendment Regulations, 1976.
  - (2) They shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 2. After paragraph 4 of the Coal Mines Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1964, the following paragraph shall be inserted, namely:—
  - "4A Special Representation:

The recruitment to various categories of posts which are required to be filled by direct recruitment or promotion, shall be subject to such reservations for representations as defined in the Constitution of India" for Scheduled Castes and Scheduled Tribes or for any other categories of persons as may from time any other categories of persons as may, from time to time, be specified by the Commissioner on the basis of the directions issued by the Central

[No. A. 12027(1) /75-PF, I]

# नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1976

का० भ्रा० 4629.--यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैंसर्स नानजी कालीदास एण्ड कम्पनी, 5 फेल्यम हाऊस, 10 ब्राहम रोड, बल्लर्ड एस्टेट, मुम्बई-३८, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक ग्रीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भिवष्य निधि ग्रौर प्रकोर्ण उपवन्ध ग्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपवन्त्र उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

यतः, यव, उक्त यिविनियम को धारा । को उपवारा (4) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपवन्त्र उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिमुचना 29 फरवरी, 1976 को प्रवृत हुई समझो जाएगी। [सं॰ एस॰-35019(56)/76-पी॰ एफ॰-2]

# New Delhi, the 22nd November, 1976

S.O. 4629.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nanji Kalidas and Company, 5, Feltham House, 10, Graham Road, Ballard Estate, Bombay-38, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

# निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 विसम्बर, 1976

का० ब्रा० 4625.—केन्द्रीय सरकार, स्थावर सम्पत्ति अधिप्रहण और अजेन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) की धारा 2 के खण्ड (ख) के अनुसरण में, गिकिकम राज्य के सभी जिला अधिकारियों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों के लिए उपन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कुत्य गरने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा॰ सं॰ 19014(2)/75-तीनि॰ TV]

# MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 4th December, 1976

S.O. 4625.—In pursuance of clause (b) of section 2 of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952), the Central Government hereby authorises all District Officers in the State of Skkim to perform the functions of competent authority under the said Act for the areas within their respective jurisdiction

[F. No. 19014(2) /75-Pol. IV]

कार्न्यार 4626.—केन्द्रीय सरकार, स्थावर सम्पत्ति ग्रधिग्रहण ग्रीर ग्रजंन ग्रधिनियम, 1952 (1952 का 30) की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त ग्रधिनियम के उपबन्धों के ग्रधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य ग्रीर इससे उपावद्ध ग्रनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट शिक्तयां, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, ग्रधीन रखते हुए, जो पूर्वोक्त ग्रनुसूची के स्तम्भ (4) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हों, सिक्किम राज्य के भीतर स्थित किसी सम्पत्ति की बाबत उक्त ग्रनुसूची के स्तम्भ (2) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में उल्लिखित सरकार के ग्रधीनस्थ ग्रधिकारी या सरकार द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

# अनुसूची

| सं० ग्रधीनस्थ<br>ग्रधिकारीया<br>सरकार   | ग्रधिनियम के उपदन्ध  | यार्ते  |
|---|--|---|
| (1) (2)   | (3)  | (4)   |
| <ol> <li>सचिव, भू-राजस्व<br/>विभाग, सिक्किम<br/>राज्य</li> <li>सिक्किम राज्य</li> </ol> | धारा 6, धारा 7,<br>धारा 8 (उपधारा<br>(1) के खण्ड (ख)<br>के सिवाए) श्रौर<br>धारा 13 | धारा 8 के अधीन कोई गिर्वत, जहां तक उसका सम्बन्ध करार द्वारा प्रतिकर की राशि के नियत करने से है, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनु- मोदन के सिवाए प्रयोकतब्य नहीं होगी। |

(i) का खण्ड (ख)

सरवतर

[फा॰ सं॰ 19014(2)/75-नीIVति०] एम॰ उच्ल्यू॰ के॰ यूगुफर्जर्ट, सम्पदा निदंशक S.O. 4226.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 17 of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952), the Central Covernment hereby directs that the powers exercisable by under the provisions of the said Act and specified in column (1) of the Schedule hereby annexed shall be exercisable also by the officer subordinate to Government or Government mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule in respect of any property situated within the State of Sikking subject to the conditions, if any, specified in the corresponding entry in column (4) of the Schedule aforesaid.

#### **SCHEDULE**

| SI. | No. Officer sub-<br>ordinate to<br>Government or<br>Government  | Provisions of<br>the Act                    | Conditions   |
|-----|---|---|--|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)  |
| 1.  | Secretary, Land<br>Revenue Depart-<br>ment, State of<br>Sikkim. | section 7                                   | No power under section 8 in so far as it relates to the fixing of the amount of compensation by agreement shall be carrisable except with the previous approval of the Central Government. |
| 2.  | State Government of Sikkim.                                     | Clause (b) of sub-section (i) of section 8. |  |

[File No. 19014(2)/75-Pol. IV] M.W.K. YUSUFZAI, Director of Estates

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1976

# सार्वजीनक सुचना

का. आ. 4627.—कंन्द्रीय सरकार दिल्ली मृख्य योजना में निर्मालिखत संशोधन करने का विचार कर रही हैं जिसे सार्वजिन स्चना के लिए प्रकाशित किया जाता हैं। इस संशोधन के सम्बन्ध योदि किसी व्यक्ति को आपित्त या सुभाव हेना हो तो वे अप आपित्त या सुभाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल विकास प्राधिकरण, ग्यारहवीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रमह इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज हैं। जो व्यक्ति अपनी आपित्त अथवा सुभाव हैं वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखों।

#### रांशाधिन :

0.37 हैं. (0.91 एक इ) का श्रेत्र जो दिल्ली मुख्य योजना (आवासीय' उपयोग के लिए निर्निष्ट हैं तथा जो उत् में शंकर रोड, इक्षिण पूर्व में आवासीय क्षेत्र तथा पिश्व में संस्थानीय क्षेत्र (पुलिस स्टेशन तथा पुस्तकालय) हैं। इसे अब 'संस्थानीय' उपयोग (भारती राष्ट्रीय मजदूर संघ के कार्यालय हैत,) में परिवर्तित कि जाने का प्रस्ताव हैं।

# निर्माण और आवास मंत्रालय (निर्माण प्रमाग)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1976

का० आ० 172:—नेन्द्रीय ग्ररकार, राजधाट समाधि ग्रधिनियम, 1951 (1951 का 41) की घारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री भवानी प्रमन्न वनजों को श्री देवेन्द्र कुमार गुप्त के स्थान पर राजधाट समाधि समिति का गैर-पद धारी सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण, आयास और पूर्ति मंत्रालय की ग्रधिसूचना सं० 19/2/62-उद्दयू० 1, तारीख 22 ग्रमस्त, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, प्रयात।

उक्त अधिसूचना में, कम सं० 2 के सामने गैर पदधारी सदस्य से संबंधित प्रविद्धियों में "श्री देवेन्द्र कुमार गुप्त, सचिव, गान्धी स्मारक निधि, दिल्ली" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, श्रथांत :---

"श्री भवानी प्रसन्न बनर्जी, ....

6. पीरोज्ञाह मार्ग, नई दिल्ली"

[सं॰ 25012/(3)/72-डब्ल्यू॰ 3]

#### MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Works Division)

New Delhi, the 10th December, 1976

S.O. 172.—In exercise of the powers conferred by clause (C) of sub-section (1) of Section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951 (41 of 1951), the Central Government hereby nominates Shri Bhabani Prasauna Banerji as a non-official member of the Rajghat Samadhi Committee vice Shri Devendra Kumar Gupta and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Supply No. 19/2/62-WI dated the 22nd August, 1962, namely:—

In the said notification, in the entries relating to non-official members, against serial No. 2 for the words "Shri Devendra Kumar Gupta, Secretary, Gandhi Smarak Nidhi Delhi" the following shall be substituted, namely:—

"Shri Bhabani Prasanna Banerji, 6, Ferozeshah Road, New Delhi."

[No. 25012(3)/72-W3]

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1976

का० आ० 173.—राजधाट समाधि श्रधिनियम, 1951 (1951 का 41) की धारा 4 की जपधारा (1) के खण्ड (घ) के श्रनुसरण में श्री कृष्ण कृपलानी, सदस्य राज्य सभा को स्वर्गीय श्री निरंजन सिंह तालिब के स्थान पर राजधाट समाधि समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है। श्रतः श्रव केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण, श्रावास श्रीर पूर्ति मंत्रालय की श्रधिसूचना सं० 19/2/62 डब्ल्यू—1, तारीख 22 श्रगस्त, 1962 में निम्नलिखित श्रीर संशोधन करती है, श्रयांत्:—

उक्त ग्रविसूचना में, प्रविष्टि, "श्री निरजन मिह तालिव" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, ग्रथीत:--

"श्री कृष्ण कृपलानी"

[सं॰ 25012 (3)/72-डब्ल्यू॰ 3] श्रार॰ एत॰ श्रहलुवालिया, उप सचिव

New Delhi, the 13th December, 1976 --

S.O. 173.—Whereas in pursuance of clause (d) of subsection (1), of section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951

(41 of 1951), Shri Krishna Kriplani, a member of the Rajya Sabha, has been elected as a member of the Rajghat Samadhi Committee vice late Shri Niranjan Singh Talib. Now, therefore, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Supply No. 19/2/62-WI dated the 22nd August, 1962, namely:—

In the said notification, for the entry Shri Niranjan Singh Talib", the following entry shall be substituted namely:—

"Shri Krishna Kriplani".

[No. 25012(3)/72-W3]

R. L. AHLUWALIA, Dy. Secy.

#### दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1976

का० आ० 174.—दिल्ली विकास श्रिधितयम, 1957 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने भूमि एवं विकास कार्यालय, निर्माण एवं आवास गैर शहरी विकास मंदालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आधीन नीचे दी गई अनुसूची में निर्धारित भूमि के निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया और अब यह भूमि डारैक्टरेट शिक्षा दिल्ली प्रशासन दिल्ली स्थानान्तरित की जाती है।

#### अनुसूची

सैनटर 12, ब्रार० के० पुरम, नई दिल्ली में स्थित भूखण्ड सं० 1 साईट सं० 109 को ब्रिधिसूचना सं० एस० ब्रो० 4719 दिनांक 21-8-1975 के अनुसार एल० डी० ब्रो० प्लाट सं० 2392 में दिल्ली विकास ब्रिधिनियम, 1957 की धारा 22 की उपधारा (4) के ब्रन्तर्गत लगभग 4.36 एकड़ भूमि के भाग को दिखाया गया है।

उपर्युक्त भूमि की सीमा का विवरण इस प्रकार है:---

उत्तरः सरकारी भूमि जो स्टीफनसन कोलम्बस स्कूल को ग्रलाट की गई है । दक्षिणः सडक

पूर्व: -- सरकारी भूमि जो पुलिस स्टेशन व उनके स्टाफ क्वार्टर के लिये प्रलाट की गई है।

पश्चिम :---दिल्ली पब्लिक स्कूल के लिये ग्रलाट की गई भुमि।

[सं॰ एस॰ एण्ड एस॰ 33(12)/75 ए॰ एस॰ ग्रो॰ (1)] हृदय नाथ फोनेदार, मिंचव

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 10th November, 1976

S.O. 174.—In pursuance of the provisions of Sub-Section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the Schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing & Urban Development, Government of India, New Delhi for further transfer to the Directorate of Education, Delhi Administration, Delhi.

#### **SCHEDULE**

Piece of land measuring about 4.36 Acres. situated in Sector-12, R. K. Puram, bearing Site No. 109 of Notification No. S.O. 4719 dated 21-8-1975 under section 22 Sub-Section (i) of D.D. Act, 1957 shown in the plan L.D.O. No. 2392.

The above piece of land is bounded as follows:--

North: Government land allotted to St. Colombus School.

South: Road.

East: Government land allotted for Police Station & for

Staff Quarters.

West: Land allotted for Delhi Public School.

[No. S&S 33(12)/75-ASO(I)]

H. N. FOTEDAR, Secy.

#### श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली 3 दिसम्बर, 1976

#### ग्रादेश

का अा । 175.--केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद अनुमूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैं मसं पी० दावाराजुल् नायडु एण्ड सन्स, 24, नार्थ बीच रोड, मदास-६००००। के प्रवंधतंत्र में संबंद नियोजकों ग्रीर उनके कर्मकारों के बीच एक ग्रीग्रोगिक विवाद

ग्रीर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिणयन के लिए निर्देणित करना बांछनीय समझती है;

अतः, अव, प्रोद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क स्रोर धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक ग्रीबोगिक ग्रधि-करण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी॰ एन० सिगार-वेलु, होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा ग्रीर उक्त विवाद को उक्त योग्रोगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

# ग्रनुसूची

क्या मैसर्स पी० दावाराजूल् नायडु एण्ड सन्स, मद्रास के प्रबंधतंत्र का उपावंध में उल्लिखित कर्मकारों को 10 मई, 1976 से निलम्बन में रखना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

#### उपाबन्ध

# I. डाक पर्यवेक्षक :

- 1. श्री के० ग्रार० वारादाराज
- श्री पी० ए० जोठेइण्वरन
- श्री ग्रार० थानिकाचल्लाम
- 4. श्री टी० नागाराजुलु
- श्री ग्रार० विक्टर
- श्री एन० ग्रार० कृष्णाम्ति

# II. गियर फोरमैन :

- श्री डी० बालकृष्णन
- 2. श्री एम० एस० प्रनकासम

# III. डाक लिपिक :

- 1. श्री के० बीरा राघवन
- 2. श्री पी० थिरूवेनगदम
- 3. थी एम० थी राम्ल्
- 4. श्री पी० जेयाराम
- श्री एम० रामाम्ति
- 6. थी टी० जे० चिट्टियायु
- 7. श्री एस० बी० रामचन्द्रन
- श्री के० एल० सुवामानियम
- 9. श्री पी० एस० विनयगाम
- 10. श्री के० मृनुस्वामी

## IV. गियर मजदूर:

- ा. श्री के० म्रोलगानायन
- 2. श्री डी० पलानीस्वामी
- श्री आर० वी० दौराईस्वामी
- 4. श्री के o पलानी
- 5 श्री जी० चिन्नाथाम्बी

[संख्या एल-33011(2)/76-डी • IV (ए)]

# MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 3rd December, 1976

#### ORDER

S.O. 175.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs. P. Davarajooloo Naidu and Son, 24, North Beach Road. Madras-600001 and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (i) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. N. Singaravelu shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

## SCHEDULE

Whether the management of Messrs. P. Davarajcoloo Naidu and Son, Madras are justified in placing the workmen mentioned in Annexure hereto under suspension with effect from 10th May, 1976? If not, to what relief are the concerned workmen entitled? what relief are the concerned workmen entitled?

# ANNEXURE

# DOCK SUPERVISORS;

- Shri K. R. Varadaraj
- 2. Shri P. A. Jotheeswaran 3. Shri R. Thanickachallam
- 4. Shri T. Nagarajulu
- J. Shri R. Victor
- 6. Shri N. R. Krishnamoorthy

# II. GEAR FOREMEN:

- Shri D. Balakrishnan
   Shri M. S. Prakasam

# III. DOCK CLERKS:

- 1. Shri K. Veeraraghavan
- 2. Shri P. Thiruvengadam
- 3. Shri S. Sri Ramulu
- 4. Shri P. Jeyaram
- 5. Shri M. Ramamurthy
- Shri T. J. Chitti Babu
- 7. Shri S. B. Ramachandran
- 8. Shri K. L. Subramaniam
- 9. Shri P. S. Vinayagam
- 10. Shri K. Munuswamy

# IV. GEAR MAZDOORS

- 1. Shri K. Olaganathan
- 2. Shri D. Palaniswamy
- 3. Shri R. V. Doraiswamy
- 4. Shri K. Palani
- 5. Shri G. Chinnathambi.

[No. L-33011(2)/76-D. IV(A)]

4. Adjustment of 'On Account' payment.

Out of 'On Account' payments made to State Governments upto 31st March, 1975 as Corporation's share towards cost of medical benefits of insured persons and their families Rs. 1310.92 lakhs (detailed below) relating to the year 1969-70 to 1973-74 were awaiting adjustment (31st August, 1976).

to I (followate) Tallowater

Year in which amount pertains

1969-70 1970-71 1971-72

1972-73 1973-74 Balance outstanding

(in lakhs of rupees)
32.23
27.05
177.79
148.10
925.75

5. Annual Accounts -- Misc. Deposit Rs. 20, 19 lakhs.

Erroneous credits a Tordad by the banks and unclassified receipts are adjusted under the head "Miscellaneous Deposits". The balance under this head on 31st March, 1975 was Rs. 20.19 lakhs as compared to Rs. 17.89 lakhs on 31st March, 1974.

New Delhi, Dated 2 November, 1976. G. B. SINGH,
Accountant General, Central Revenue
[No. G-25012/3/76-HI]
S. S. S AHASRANAMAN, Dy. Secy

# नाँवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पथ)

नई दिल्ली, 25 मई, 1977

का० आ० 1980.—राष्ट्रीय राजमार्ग, अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं । 1-क पर वटोटे में अपने जंकशन से गुरू होने वाले और किस्तवार को डोडा से मिलाने वाले राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग वोपित करती है।

उक्त राजनार्ग, जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है, को उक्त अधिनियम की अनुसूची में कम संद्या 2-क पर राष्ट्रीय राजमार्ग संद्या 1-ख निदिष्ट किया हुआ समझा जाए।

[सं० पी० एल०-5(3)/77] जगदेव सिंह माड़ियां, महानिदेशक

# MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (Roads Wing)

New Delhi, the 25th May, 1977

S.O. 1980.—In exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highway starting from its juction at Botote on National Highway No. 1-A and connecting Doda with Kishtwar to be a national highway.

The said highway now declared to be a national highway shall be deemed to be specified in the Schedule to the aforesaid Act at Serial No. 2-A as National Highway No. 1-B.

[No. PL-5(3)/77]

J. S. MARYA,
Diarctor General (Road Development)
and Additional Secy.

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 1977

का० ग्रा० 1981: — केन्द्रीय सरकार दिल्ली मृद्य योजना में निम्न लिखित संशोधन करने का विचार कर रही है जिसे सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है। इस संशोधन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को ग्रापित या सुझाव देना हो तो वे ग्रपने ग्रापित या सूझाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ग्यारहवीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली के पास

लिखित रूप मेंभोज दें।जो व्यक्ति श्रपनी श्रापत्ति श्रथवा मुझाव दें वे ग्रपना नाम एवं पूरा पता भी लिखें।

संगोधनः

8.09 है॰ (20 एकड़) का क्षेत्र जो मुख्य योजना में 'ग्रावासीय उपयोग' हेंतु निर्धारित है तथा जोन एफ॰ 17 (मदन-गीर) में पड़ता है, जो उत्तर में मनोरंजन क्षेत्र, पूर्व तथा दिश्चण में आवासीय क्षेत्र तथा पिचम में 150' चौड़ी सड़क (जो बाहरी रिंग रोड को महरौली बदरपुर रोड से मिलाती है) द्वारा विरा हुआ है। इसे अब 'सरकारी उपयोग' (कन्द्रीय सरकार के कार्याल्यों) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।

2. शनिवार को छोड़कर ग्रीर सभी कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, ग्यारहवीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अविधि में जाकर प्रस्तावित संशोधन के मानचित्र का निरीक्षण किया जा सकता है।

> [सं० एफ० 16(110)/72-एम० पी०] पो० के० बी० सिंह, सचिव

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th June, 1977

S.O. 1981.—The following modification, which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 11th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

#### MODIFICATION:

The land use of an area measuring 8.09 hectares (20 acres), earmarked for 'residential use' in the Master Plan, falling in Zone F-17 (Madangir), bounded by recreational area in the north, residential area in the east and south and 150 ft. wide road in the west (connecting Outer Ring Road with Mehrauli-Badarpur Road), is proposed to be changed to 'governmental use' (Central Government Offices).

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, 11th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 16(110)/72-M.P.] P. K. B. SINGH, Secy.



प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

do 28],

नई दिल्ली, शनिवार, जलाई 9, 1977/श्राबाढ 18, 1899

No. 281 .

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 9, 1977/ASADHA 18, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दो जाती है जिससे कि यह श्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रा नधों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये नस् सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन ग्रायोग

भुद्धि पत्न

नई दिल्ली, 20 जून, 1977

का बा 2225.--भारत निर्वाचन म्रायोग की तारीख 25 मई, 1977 की म्रधिसूचना सं० 154/गुज०/77 में "सचिव," के पश्चात् म्राने सने गट्ट "गृहं विभाग" के स्थान पर, "शिक्षा विभाग" गब्द रखे जायेंगे।

[सं० 154/गुज०/77]

वी॰ नागसूबमण्यन, सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य संत्रालय

(कम्पनी कार्य विमाग)

नई दिल्ली 23 जून, 1977

का॰श्रा 2226 — एकाधिकार एवं निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा ग्रिधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के ग्रनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कथित ग्रिधिनियम के भ्रन्तर्गत मैसर्स ग्रसम मैंच कम्पनी लिमिटेड के पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पन्न संख्या 43/70) के निरस्तीकरण को ग्रिधसुचित करती है।

[संख्या 9/94/70-एम॰ II)]

सी० खुशालदास, उप-सन्तिव

#### **ELECTION COMMISSION OF INDIA**

#### CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th June, 1977

\$0, 2225.—In the Ection Commission of India Notification No. 154/GJ/77, dated the 25th May, 1977, the words "Home Department" occurring after the words "Sceretary to Government", may be substituted by the words "Education Department".

[No. 154/GJ/77] V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

# MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS (Department of Company Affairs)

New Deihi, the 23rd June, 1977

S.O. 2226.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of M/s. Assam Match Co. Limited under the said Act (Certificate of Registration No. 43/70).

[F. No. 9/94/70-M. II] C. KHUSHALDAS, Dy. Secy.

Conservator of the New Tuticorin Port.

- "(1) The Deputy Casualties affecting only: (a) Ships lying in the docks or moorings belonging to the New Tuticorin Port:
  - (b) ships in charge, at the time of the casualty, of Harbour Masters or Pilots the employ of the Tuticorin
  - (c) shins belonging to the Tuticorin Port.
- (2) The Port All casualties other than Officer Tuticorin. those mentioned above."
- (b) for the existing entries under the headings "Officers" and "Casualties" against the port of Mangalore, the following entries shall respectively be substituted, namely:-

LORE

- the New Mangolore Port.
- "(1) The Deputy Casualties affecting only: Conservator of (a) ships lying in the docks or moorings belonging to the New Mangalore
  - (b) ships in charge, at the time of casualty. Harbour Masters or Pilots in the employ of the New Mangalore Port.
  - (c) ships belonging to the New Mangalore Port.
- (2) The Port All casualties other than Officer, Manthose mentioned above". galore.
- (c) the following entries shall be inserted at the end, namely :--
- "PARADIP The Deputy Con- All casualties." servator Paradip Port.

[No. 12-MAO (95)/74-MA]

U. S. KAUSHIK, Under Secy.

# निर्माण और आवास मंत्रालय

#### (निर्माण प्रबंड)

नई दिल्ली, 22 जून, 1977

कां ग्रा॰ 2256. —केन्द्रीय सरकार, राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 (1951 का 41) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) ग्रीर सवास (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री डी॰ ग्रार॰ कोहली मराज्यपाल दिल्ली, को राजधाट समाधि समिति का शासकीय सदस्य नामनिर्देशित करती है श्रीर उन्हें श्री कृष्ण चन्द्र के स्थान पर उक्त सिमिति हा प्रध्यक्ष भी नियुक्त करती है, श्रीर भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण. पावास ग्रीर पूर्ति मंत्रालय की ग्राधिसूचना सं० 19/2/62-डब्ल्यू०ग्राई०, गरीय 22 ग्रगस्त, 1962 में निम्नलिखित ग्रीर संशोधन करती है,

उनत ग्रधिसूचना में प्रविष्टि "श्री कृष्णचन्द" के स्थान पर, दो स्थानों गर जहां वह आई है, प्रविष्टि "श्री डी० ग्रार० कोहली" रखी जाएगी।

[सं॰ 25012(3)/72-डब्ल्यू-3]

मेहर सिंह, उप सचिव

# MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (Works Division)

New Delhi, the 22nd June, 1977

S.O. 2256.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951 (41 of 1951), the Central Government hereby nominates Shri D. R. Kohli, Lt. Governor of Delhi, to be an official member of the Rajghat Samadhi Committee and also appoints him as the Chairman of the said Committee wice Shri Krishan Chand and man of the said Committee vice Shri Krishan Chand, and hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Supply No. 19/2/62-WI dated the 22nd August, 1962, namely :-

In the said notification, for the entry "Shri Krishan Chand" at the two places where it occurs, the entry "Shri D. R. Kohli" shall be substituted.

> [No. 25012(3)/72-WIII] MEHAR SINGH, Dy. Secy.

# विंहली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1977

का०न्ना० 2257.—एतद्द्वारा संकल्प सं० 60 दिनांक 21-2-70 के संशोधन एवं संकल्प सं० 153 दिनांक 26-5-77 के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण धारा 5ए की उपधारा (1) जिसे दिल्ली डवैल्पमेंट ऐक्ट, 1957 की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पढ़ा जाए, के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भ्रावास एवं सम्बन्धित योज-नात्रों के परिपालन हेत् एक कमेटी जिसका नाम भ्रावास कमेटी होगा, गठन करती है, तथा जिसके सदस्यों के चयन का प्रधिकार प्रध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रदान करती है।

- 2. उक्त प्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए ग्रध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण श्रावास कमेटी का निम्न रूप से पुनर्गठन करते हैं:---
  - 1. अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण

अध्यक्ष, अवास कमेटी

2. उपाध्यक्ष , दिल्ली विकास प्राधिकरण

सदस्य

- 3. संयुक्त सचिव (यू०डी०) निर्माण एवं आवास सदस्य
- 4. श्रभियन्ता सदस्य

सदस्य

5. वित्त सदस्य

सदस्य

6. योजना सदस्य

सदस्य

7. ग्रायुक्त, दिल्ली नगर निगम

सवस्य

8. महाप्रबंधक, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान

सदस्य

9. श्रध्यक्ष, दिल्ली परिवहन निगम

सदस्य

10. श्रायुक्त, श्रावास/भ्रन्य सम्बन्धित अधिकारी सदस्य-सचिव जिसके श्रधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रावास कार्य हो रहा है।

[सं० पी०ए०/वी०सी०/77/541]

पी० के० बी० सिंह, सचिव

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 2nd July, 1977

S.O. 2257.—In modification of Resolution No. 60, dated 21-2-70 and pursuant to Resolution No. 153, dated 26-5-77 and in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 5-A read with sub-section (1) of Section 52 of the Delhi Development Act, 1957, the Delhi Development Authority constitutes a Committee known as Housing Committee for implementing housing and allied schemes and delegates the powers to name its members to the Chairman, DDA.

47 GI/77-9

- 2. In exercise of the powers conferred on him, the Chairman, DDA, reconstitutes the Housing Committee as under :-
  - (1) Chairman, DDA Chairman, Housing Committee
  - (2) Vice-Chairman, DDA

- (3) Joint Secretary (UD), Ministry of Works & Housing.
- (4) Engineer Member
- (5) Finance Member
- (6) Planning Member
- (7) Commissioner, MCD
- (8) General Manager, DESU
- (9) Chairman, DTC
- (10) Commissioner Housing Member-Secretary, or such other officer conserned looking after the housing works in the DDA.

[No. F. PA/VC/77/541]

P. K. B. SINGH, Secy.

# पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्यास विभाग)

(संटलमेंट विंग)

💱 दिल्ली, 4 जन, 1977

का०ग्रा० 2258. — विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) श्रधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सन्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वात विभाग में कार्य कर रहे बंदोबस्त अधिकारी श्री सरदारी लाल को उक्त अधिनियम द्वाराया उसके अधीन प्रवंध अधिकारी को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्रबन्ध अधिकारी के रूप में नियुक्त करती

[सं॰ ए०-36016(1)/75-प्रणासन (राज०)/ए०जी०जेड/सैवि०]

एच० गे० टेकचन्दानी, ग्रवर सचिव

# MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION (Department of Rehabilitation)

(SETTLEMENT WING)

New Delhi, the 4th June, 1977

S.O. 2258.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Com-pensation and Rehabilitation) Act, 1954 (No. 44 of 1954) the Central Government hereby appoints Shri Sardari Lal, Settlement Officer in the Department of Rehabilitation as Managing Officer for the purpose of performing the functions assigned to such officers by or under the said Act.

[No. A. 36016(1)/75-Ad(GZ)/AGZ/SW] H. K. TECKCHANDANI, Under Secy.

# श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जून, 1977

का०म्रा० 2259.—केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित या, अौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (७) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मन्नालय की अधिसूचना संख्या का०ग्रा० 4863, तारीख 7 दिसम्बर, 1976 द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना के अधीन दुग्ध प्रदाय उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 दिसम्बर, 1976 से छः मास की कालावधि के लिए लोक े उपयोगी रोया घोषितः किया था;

श्रीर केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावि को छ: माम की ग्रीर कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

ग्रतः, ग्रव, ग्रीद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (६) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त ग्रिधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 जून, 1977 से छः मास की ग्रीर कालावधि के लिए लोक उपयोगी रोवा घोषित करती है।

[सं० एम० 11017/11/77-डी 1 (ए)]

#### MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 20th June, 1977

S.O. 2259.—Whereas, the Central Government, having been satisfied that the public interest so required, had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section? of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4863 dated the 7th December, 1976, the industry for the supply of milk under the Delhi Milk Scheme Alst October, 19 to be a public utility service for the purposes of the said Ad imployment in for a period of six months from the 22nd December, 1976 ment to which rule of India Rules, 1

And whereas, the Central Government is of opinion that op further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 22nd June, 1977.

नई दिल्ली, 30 जून, 1977

का०ग्रा० 2260.--यतः भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ग्रवि सूचना संख्या का० ग्रा० 216 (ई) दिनांक 19 मार्च, 1976 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व ग्राफ इंडिया में नियोजन को एक ऐसे नियोजन के हा किए, केन्द्रीय सरकार में घोषित कर दिया था जिस पर भारतीय सुरक्षा ग्रीर ग्रान्तरिक सुरक्षा नियम, 1971, का नियम 119 लागू होता है ;

ग्रौर यतः केन्द्रीय सरकार का विचार है कि उक्त श्रधिसूचना को श्रीर ग्रागे ज़ारी रखना भावश्यक नहीं है ;

अतः, अब, उक्त नियम 119 द्वारा प्रदत्त णक्तियों का प्रयोग कर्त हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्रारा पूर्वोक्त अधिसूचना को विखण्डित करती है।

[संख्या एस- 42012/1/77-डी-1(ए)]

New Delhi, the 30th June, 1977

S.O. 2260.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 216(E) Moresaid order. dated the 19th March, 1976, the Central Government had declared any employment in the Reserve Bank of India as at employment to which rule 119 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971; applies;

And whereas the Central Government is of opinion that it is no more necessary to continue the said notification is

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said rule 119, the Central Government hereby rescinds the aforesaid notification.

[No. S. 42012/1/77/DI(A)]

भंडया का० ग्रा० नरकार ने बम्बई नियोजन के रूप में पान्तरिक सुरक्षा वि

श्रीर यतः वे भौर आगे जारी रह ग्रनः, ग्रब, उत् रए, केन्द्रीय सरकार

S.O. 2261.-India in the Mir the said rule 11 the aforesaid orde

का०ग्रा० 22 भंघ्या का० ग्रा० ७ **ने** गोवा शिपयार्ड । [No. S. 11017/11/77/DI(A)] रेसे नियोजन के ह भीर भ्रान्तरिक सुरक्ष ग्रीर यतः केन ्रियागे जारी रखना

> S.O. 2262.— India in the Min my employment Goa, as an emple Internal Security

And whereas t fore necessary to

**क**। সে। 22 ( ै।952 के पैरा 4 मेटल वेयर फैक्टरी **क्षी** पी० एस० गर्न समिति के सदस्य

# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

Ro. 29]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16, 1977/म्राषाढ़ 25, 1899

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16, 1977/ASADHA 25, 1899

इस माग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक श्रादेश और श्रधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 जून, 1977

का०आ० 2276.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार की बहुमति से, राजस्थान सरकार के अधीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राज्य विशेष शाखा, जिला बीकानेर क्षेत्र, बीकानेर को भी, उसकी अधिकारिता के भीतर, बिदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख), (ग) तथा (गग) में विनिर्दिष्ट कोटि के आदेश करने के केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन सींपते हैं, अर्थात्:—

- .(क) इस प्रकार सीपे गए कृत्यों का प्रयोग पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के संबंध में किया जायेगा;
- (ख) ऐसे कृत्यों के प्रयोग में उक्त ग्रतिरिक्त पृलिस ग्रधीक्षक ऐसे साधारण श्रथवा विशेष निदेशों का श्रनुपालन करेगा जैसे कि राजस्थान सरकार श्रथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें; ग्रीर
- (ग) इस प्रकार कृत्यों के सींपे जाने पर भी, केन्द्रीय सरकार, यदि
   किसी मामले में बह ऐसा करना ठीक समझे तो, उक्त कृत्यों
   में से किसी कृत्य का प्रयोग स्वयं कर गकती हैं।

[संख्या 19011/1/77-विदेशी-3] के० एम० एल० छाबड़ा, संयुक्त सचिव MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 24th June, 1977

S.O. 2276.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution, the President, with the consent of the Government of Rajasthan hereby entrusts also to the Additional Superintendent of Police, State Special Branch, Bikaner District Zone, Bikaner, within his jurisdiction, the functions of the Central Government in making orders of the nature specified in clauses (a), (b), (c) and (cc) of sub-section (2) of section 3 of the Foreigners Act, 1946, (31 of 1946), subject to the following conditions, namely:—

- (a) that the functions so entrusted shall be exercised in respect of nationals of Pakistan;
- (b) that in the exercise of such functions the said Additional Superintendent of Police shall comply with such general or special directions as the Government of Rajasthan or the Central Government may from time to time issue; and
- (c) that notwithstanding this entrustment, the Central Government may itself exercise any of the said functions, should it deem fit to do so in any case.

[No. 19011/1/77-F. III] K. M. L. CHHABPA, Jt. Sccy.

(2507)

50 GI/77---1

- 1 S.O. 2325.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Terminal Tax on Railway Passengers Act, 1956 (69 of 1956), the Central Government hereby:—
  - (a) fixes the rates as mentioned in column II of the Schedule annexed hereto as the rates, at which terminal tax shall be levied in respect of every railway ticket (whether single or return) on all passengers carried by railway from cr to the notified places declared as such by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways No. F(X)I-76/5/2/I, dated 30th June, 1977 and specified in column I of the said Schedule; and
  - (b) directs that the aforesaid terminal tax shall be leviable with effect from the 1st August, 1977.
  - 2. This notification shall come into force on the 1st August, 1977.

#### SCHEDULE

|  |   |   |                | TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY | II              | നിയാഗയിട്ടി വാഹം ഒടുട്ടിയാവും വ |         |                 |                 |
|--|---|---|----------------|--|-----------------|---------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
|  |   | Rates of terminal tax per single ticket |                |  |                 |                                 |         |                 |                 |
| Sl. No. Name of Notified places  | Class of accommodation                  |   | Adı            | ults   | -               | Children<br>of ago              | between | 3 and           | 12 years        |
|  |   | Short dis                               |                | Long (   |                 | Short di                        |         | Leng<br>passeng | distance<br>ers |
|  |   | 66242                                   | Kms            | beyond<br>Kms  | 242             | 66-242                          | Kms     | beyond<br>Kms   |                 |
| <ol> <li>Faizabad Junction</li> <li>Acharya Narendra Dev Nagar</li> </ol>                  | A.C.C. I Class and A.C. Chair Car Class | Rs.<br>0<br>0                           | Ps<br>75<br>50 | Rs.<br>1<br>0  | Ps.<br>00<br>75 | Rs.<br>0<br>()                  | P s. 40 | Rs.<br>0        | Ps 50 40        |
| <ul><li>(3) Ayodhya</li><li>(4) Katra</li><li>(5) Ayodhya Ghat<br/>(When Opened)</li></ul> | and two tier. A.C. Sleeper II Class.    | 0.                                      | 10             | 0  | 15              | 0 .                             | 05      | 0               | 10              |

Explanation: The terminal tax on a return ticket shall be double the rates fixed herein.

[No. F(X)I-76/5/2/II] B. MOHANTY, Secy.

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1977

का॰ आ॰2326. — अधिमूचना सं० पीए/बोसी/77/541 दिनांक 2-7-77 के कम में तथा उन्हें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण श्री णिव चरण गुप्ता, सदस्य महानगर परिपद को दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास समिनि का सदस्य नामित करते हैं।

2. उक्त अधिसूचना में मद सं० 6 के पैरा-2 में उल्लिखित "योजना सदस्य" के स्थान पर एडीशनल चीफ प्लानर, टी० सी० पी० श्रो० पढ़ा जाये।

[संख्या पीए/वीसी/77:541] पी० के० बी० सिंह, सचिय

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 7th July, 1977

- S.O. 2326.—In continuation of Notification No. PA/VC/77/541 dated the 2nd July. 1977, and in exercise of the powers conferred on him, the Chairman DDA, is pleased to nominate Shri Shiv Charan Gupta. Member Metropolitan Council, also as a Member of the Housing Committee of the Delhi Development Authority.
- 2. In said notification, at item 6 in para 2, "Additional Chief Planner, T.C.P.O." be read instead of "Planning Member".

[No. PA/VC/77/541] P. K. B. SINGH, Secy.

# श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 मई, 1977

क अप्रा० 2327. — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसमं फिलिप्स टेक्सटाईलस सेंट्रल रोड सं० 7, का कोना 99/103 पेकी, उद्योग नगर, उद्येना, सूरत, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म- चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपवन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपवन्ध उस्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

श्रतः, श्रवः, उक्तः श्रधिनियमं की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्तं गक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त श्रधिनियम के उपवन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना तीस सितम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[मं॰ एस-35019(485)/76-पी॰ एफ-2]

# MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 27th May, 1977

S.O. 2327.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Philips Textiles, Corner of Central Road No. 7, 99/103, Paikee. Udyognagar, Udhna, Surat, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

there owever. otice to correct is said sumhrough as falso Hidavit Uction of the such, by the the there Iso be ned in!

fore is raif of Tribupassed

Officer.

#o 32]

No. 321

III.B.] Secy.



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, श्रगस्त 6, 1977/श्रावण 15, 1899

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 6, 1977/SRAVANA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह ग्रालग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक स्रावेश और श्रधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 22nd July, 1977

S.O. 2436.—In pursuance of section 106 of the Reprekntation of the People Act, 1951, the Election Commission kreby publishes the order dated 5 July, 1977 of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, in Election Petition No. of 1977.

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Election Petition No. 2 of 1977

Mahadeo Prasad Mishra

Vs.

Shri Morarji Desai and others

ORDER

The petitioner by this petitioner has sought declaration that the election of Shri Sharad Yadav (respondent No. 2) from labelpur Parliamentary Constituency is valid.

2. The result of the election was declared on 21-3-1977. The petitioner filed the present petition on 21-4-1977 and at the time of the presentation of the petition he admittedly and not deposit the security amount for the costs of the settion as required by section 117 of the Representation of hope Act, 1951 (hereinafter called as "the Act"). The settioner has filed an application praying that he may be semitted to prosecute the election petition as a pauper, that 59 GI/77-1

is to say, without being required to deposit the amount of Rs 2,000 as security for the costs. When the petition came up for admission on 1-7-1977; the petitioner orally pressed before me the same prayer which he had made in the aforesaid application and stated categorically that he was unable to deposit the specified amount. I need not go in the circumstances leading to non-deposit of the security amount. A bare reading of the wording of section 117 of the Act makes it very clear that the deposit of Rs. 2,000 as security for the costs of the petition at the time of presenting an election petition is a mandatory condition. It may also be mentioned that the rules framed by the High Court also provide that:

"Every Election Petition shall be accompanied by a receipt signed by the Cashier of the Court that an amount of Rs. 2,000 has been deposited as security for the costs of the petition."

Thus, it cannot in any manner be doubted that no power had been conferred upon the Court either to condone the nonbeen conferred upon the Court either to condone the non-compliance or even to reduce the security amount. I am supported in my view point by unreported decisions of this Court in Charanlal Sahu v. Shyamacharan Shukla and others (Election Petition No. 50 of 1972, decided on 5-9-1972); Charanlal Sahu v. Kanhaiyalal (Election Petition No. 51 of 1972, decided on 5-9-1972) and Charanlal Sahu v. Nandkishere Bhatt and others (Election Petition No. 49 of 1972, decided on 22-9-1972). In the last case (Election Petition No. 49 of 1972, the petitioner went up to the Supreme Court and that Court in Civil Appeal No. 2411 of 1972, decided on 1-8-1973, upheld the decision of this Court on the point. The relevant passage reads as under: relevant passage reads as under:

.....The High Court rejected all these contentions holding that it was mandatory for the petitioner when filing an election petition to deposit the amount of

(2649)

col. 2,

nan"

1 col. 2 lav".

col. 2,

in col.

Justing.

Opera-

man". man". usting

usting

man".

man".

nβ·ρ".

an".

isting

an.":

)l. 2,

read

ihra"

ansi

ıan".

1. 2.

read

L 2,

2213

| ् । भाग | iiखण्ड उ(n)] भारतकारा  |
|---------|--|
| 51      | 2  |
| 2099    | For the word "Do" in col. 4, read "Watchman".  |
| 2115    | For the words "Shri Dhanman Singh" in col. 2, read "Shri Damar Singh S/o Sabar Gurkha".  |
| 2122    | For the words "Shri Birkhu Bahadur S/o Dirka<br>Bahadur" in col. 2, read "Shri Birkha Bahadur<br>S/o Hirkha Bahadur".  |
| 2135    | (i) For the words "Shri Shyam Bihari Chaubey" in col. 2, read "Shri Shyam Bihari".   |
|         | (ii) For the words "Dusting Operator" in col. 3, read "Dash".  |
| 2139    | For the "Dash" in col. 3, read "Watchman".   |
| 2142    | For the word "Do" in col. 4, read "Sifter".  |
| 2143    | For the word "Do" in col. 4, read "Dusting Operator".  |
| 2144    | For the word "Do" in col. 4, read "Watchman".  |
| 2146    | For the words "Shri Chander Bhan S/o Ram Kala" in col. 2, read "Shri Chander Bhan S/o Tika Ram".   |
| 2151    | (i) For the word "Watchman" in col. 3, read "Dusting Operator".  |
|         | (ii) For the word "Watchman" in col. 4, read "Dusting<br>Operator".  |
| 2152    | (i) For the word "Do" in col. 3, read "Watchman".  |
|         | (ii) For the word "Do" in col. 4, read "Watchman".   |
| 2156    | For the words "Shri Ram Bahadur Tiwari" in col. 2, read "Shri Ram Bahadur S/o Bishwanath Tiwari".  |
| 2157    | For the word "Watchman" in col. 3, read "Dash".  |
| 2158    | For the word "Do" in col. 3, read "Watchman".  |
| 2161    | For the words "Shri Til Bahadur S/o Katri Ram" in col. 2, read "Shri Til Bahadur S/o Shri Kabi Ram".   |
| 2162    | For the words "Shri Ghasity Lal" in col. 2, read "Shri Ghasitey Lal".  |
| 2166    | For the words "Shri Paras Ram" in col. 2, read "Shri Paras Ram Dubey".   |
| 2167    | For the words "Shri Allauddin" in col. 2, read "Shri Allah Din".   |
| 2168    | For the words "Shri Ram Bahadur" in col. 2, read "Shri Ram Bahadur S/o Shri Tek Bahadur".  |
| 2174    | For the words "Shri Kamal Yadav" in col. 2, read "Shri Kamal S/o Shri Trilok".   |
| 2175    | For the words "Shri Jar Bahadur" in col. 2, read "Shri Jar Bandhan".   |
| 2181    | For the words "Shri Krishan Avtar Shukla" "<br>in col. 2, read "Shri Krishan Avtar S/o Shri<br>Ravi Narain Shukla".  |
| 2187-7  | A For the words "Shri Ambika Prasad Pandey" in col. 2, read "Shri Ambika Prasad S/o Shri Jai Prasad Pandey".   |
| 2191    | For the word "Do" in col. 3, read "Dash".  |
| 2192    | For the word "Do" in col. 3, read "Watchman".  |
| 2193    | <ul><li>(i) For the "Dash" in col. 3, read "Stitcher".</li><li>(ii) For the word "Do" in col. 4, read "Stitcher".</li></ul>  |
| 2194    | For the word "Do" in col. 4, read "Watchman".  |
| 2211    | For the word "Do" in col. 3, read "Dash".  |
| 2212    | The state of the s |

For the "Dash" in col. 3, read "Sweeper".

|   | .1   | 2   |
|---|------|---|
|   | 2214 | For the "Dash" in col. 3, read "Sweeper".         |
|   | 2224 | For the words "Shri Muni Lal S/o Shri Guni        |
|   | •    | Lal" in col. 2, read "Shri Munni Lal S/o          |
|   |      | Chunni Lal".                                      |
|   | 2227 | For the word "Sweeper" in col. 3, read "Dash".    |
| I | 2228 | (i) For the word "Do" in col. 3, read "Sweeper".  |
| • |      | (ii) For the words "Shri Shanker" in col. 2, read |
|   |      | "Shri Shanker S/o Gugan".                         |
|   | 2232 | For the word "Do" in col. 3, read "Dash".         |
|   | 2242 | For the word "Do" in col. 3, read "Dash".         |
| ì | 2254 | For the word "Do" in col. 3, read "Dash".         |
|   | 2255 | For the words "Shri Radha Shyam" in col. 2,       |
| ì |      | read "Shri Radhey Shyam S/o Shri Suraj Mal".      |
|   | 2256 | For the words "Shri Babu Ram" in col. 2, read     |
|   | :    | "Shri Ballu Ram S/o Chhajju Ram".                 |
|   | 2266 | For the word "Do" in col. 3, read "Dash".         |
|   | 2267 | For the word "Do" in col. 3, read "Sweeper".      |
|   | 2268 | Deleted in view of Sl. No. 2297.                  |
|   | 2284 | Deleted in view of Sl. No. 2279.                  |
|   | 2294 | (i) For the words "Shri Ram Swaroop" in col. 2,   |
|   |      | read "Shri Ram Swaroop S/o Shri Gurdhan".         |
|   |      | (ii) For the word "Do" in col. 3, read "Sifter".  |
|   | ,    | (iii) For the word "Do" in col. 4, read "Sifter". |
|   | 2295 | For the word "Do" in col. 4, read "Sweeper".      |
|   |      | [No. 52/7/74 DC 111/0/61 VIIII                    |

[No. 52/7/74-FC III/(Vol. VIII)] BAKHSHI RAM, Dy. Secy.

# पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1977

का॰ आ॰ 2475.-वायु निगम श्रधिनियम, 1953 (1953 का 27) भी धारा 4 (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एयर चीफ मार्शल पी॰ सी॰ लाल की 21 जुलाई, 1977 के पूर्वाहुन से इंडियन एयरलाइन्स का अध्यक्ष (अंशकालिक) नियुक्त करती है।

> [सं० ए० वी-18014/10/77-ए०सी०] र्ता॰ एल॰ ढींगरा, उप सचिव

# MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 22nd July, 1977

S.O. 2475.—In exercise of the powers conferred by Section 4(1A) of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953), the Central Government hereby appoints ACM P. C. Lal as Chairman (part-time) of Indian Airlines with effect from the forenoon of 21st July, 1977.

[No: AV. 18014/10/77-AC] C. L. DHINGRA, Dy. Secy.

#### निर्माण और आवास मंत्रालय

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1977

का॰ आ॰ 2476.—ग्रधिसूचना संख्या पीए/वीसी/77/541 दिनांक 2 जुलाई, 1977 के कम में तथा उन्हें प्रदत्त श्रधिकारों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, श्री सतीण चन्द्र खण्डेलवाल. सदस्य, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली को दिल्ली विकास प्राधिकरण की श्रावास समिति का सदस्य नामित करने हैं।

> [संख्या पीए/बीसी/77/541] पी० के० बी० सिंह, मचिव

# MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORUS ....

New Delhi, the 27th July, 1977

S.O. 2476.—In continuation of notification number PA/VC/77/541 dated the 2nd July, 1977 and in exercise of the polyers conferred on him, the Chairman, D.D.A. is pleased to mominate Shri Satish Chander Khandelwal, Member, Municipal Corporation of Delhi also as a member of the Housing Committee of the Delhi Development Authority.

[No. PA/VC/77/541] P. K. B. SINGH, Seey.

# DIRECTOR OF ESTATES

New Delhi, the 18th July, 1977

# CORRIGENDUM

S.O. 2477.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Works and Housing No. 19014(2)/75-Pol. IV dated the 4th December, 1976, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the same date at page-4230, in line one, for S.O. 4226" read "S.O. 4626".

[File No. 1914 (2) 75-Pol. V]
I. CHAUDHURI, Director

#### श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 जून, 1977

का॰ प्रा॰ 2478 केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाकड़ प्रमुख्ती में विनिदिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स एल्लेप्पे कम्पनी लिमिटेड एण्ड जनरल एक्सपोर्ट कम्पनी, क्लीरिंग एण्ड फारविंडिंग एजेण्ट्स, विल्लिंगडन ग्राइलेण्ड, कीचीन-682003 के प्रवन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों ग्रीर उनके कर्मकारों के बीच एक श्रीद्योगिक विवाद विद्यमान है।

स्रीर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायानिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

न्नतः, अव, श्रीद्योगिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क श्रीर धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक श्रीद्योगिक श्रिधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन श्रीधकारी श्री के॰ सेलवारत्तम होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होंगा श्रीर उक्त विवाद को उक्त श्रीधकरण को न्यायिनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

#### यन् सूची

नया में ससं एल्लेप्यं कम्पनी लिमिटेड एण्ड जनरल एक्सपीटं कम्पनी, क्लीरिंग एण्ड फारविंडिंग एजेण्ट्स, कोचीन-682003 के कर्मचारियों की अपनी वर्तमीन मजदूरी और परिवर्ती महंगाई भने में संजोधन और वृद्धि की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो वृद्धि किननी होनी चाहिए ?

[एल-35011(2)/76-डी॰ 4(ए)] नन्दं लाल, डेस्क अधिकारी

# MINISTRY OF LABOUR

#### **ORDER**

New Delhi, the 25th June, 1977

S.O.2478.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Alleppey Company Limited and General Export Company, Clearing and Forwarding

Agents, Willingdon Island, Cochin-682003 and their work men in respect of the matters specified in the Schedule hereb

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri K. Selvaratnam shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

#### SCHEDULE

Whether the employees of Messrs Alleppey Company Limited and General Export Company, Clearing and Forwarding Agents, Cochin-682003 are justified in demanding revision and enhancement of their present wages and Variable Dearness Allowance? If so, what should be the increase?

[No. L-35011(2)/76-DIV(A)] NAND LAL, Desk Officer.

ग्रादेश

नई दिल्ली, 30 जून, 1977

का० भ्रा० 2479 केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में चिनिदिष्ट विषयों के बारे में बैंक भ्राफ बड़ीदा, ग्रहमदाबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक भीद्योगिक विवाद विद्यमान है;

श्रीर उनत स्रीयोगिक त्रिवाद श्री एम० सू० णाह, पीठामीन ऋधिकारी, प्रीयोगिक श्रधिकरण, श्रहमदाबाद के समक्ष लम्बित है ;

ग्रीर उक्त श्री एम० यू० शाह की सेवाएं ग्रव उपलब्ध नहीं हैं ;

ग्रतः, श्रवः, श्रीद्योगिक विसाद ग्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मिनियां का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एम० यू० माह, पीठासीन ग्रिधिकारी, ग्रीद्योगिक ग्रिधिकारण, श्रहमदाबाद से उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाहियों को वापम लेती है और उन्हें उक्त ग्रिधिनियम की धारा 7-क के ग्रिधीन गठित ग्रीद्योगिक ग्रिधिकरण, ग्रहमदाबाद को हस्तांनरित करती है जिसके पीठासीन ग्रिधिकारी श्री ग्रार० सी० इसराती, वी०ए० (ग्रानसं), एल०एल०वी० है, ग्रीर यह निदेश देती है कि उक्त केन्द्रीय सरकार ग्रीद्योगिक ग्रिधिकरण, ग्रहमदाबाद ग्रागे की कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से करेगा जिस पर वे उसे हस्तान्तरित की जाएं ग्रीर विधि के ग्रनुसार उनका निपटान करेगा।

## अनु सूची

नया वैंक श्राफ बड़ीया, दक्षिणी क्षेत्र श्रहमदावाद के प्रबन्ध तन्त्र की बैंक को परगोणरी शाखा के क्लर्क, श्री एस० एस० सिन्दूरिया की 13-4-1976 से सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस श्रनुतोप का हकदार है ?

[संख्या एल-12012/202/76-डी०2-ए]

#### ORDER

New Delhi, the 30th June, 1977

S.O. 2479.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Bank of Baroda, Ahmedabad and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the said industrial dispute is pending before Shri M. U. Shah. Presiding Officer, Industrial Tribunal, Ahmedabad;

New Delhi, the 22nd September, 1977

30. 3089—In exercise of the powers conferred by clause of sub-section (2) of section 79 of the Punjab Re-organisa-fa Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby hoints Shri H. C. Dhawan, Additional Chief Engineer, Government of Horizona (2004) ment of Haryana, as whole-time Member of the Bhakra as My agement Board vice Shri B. K. Uppal, with effect in the forenoon of the 1st September, 1977.

[No. 13/77-F. 6/1/76-Adm. IV] M. L. CHOPRA, Under Secy.

नांवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1977

का अा० 3090 -- नौबहन श्रीर विकास निधि समिति (सामान्य) नियम 1960 के नियम 4 के साथ पठित व्यापार पोत ग्रिधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शन्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार विधि ग्रीर न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) में सरकार के संयुक्त सचिव ग्रीर विधि सलाहकार श्री पी० एच० रामचन्दानी को 2 सितम्बर, 1977 से भारत मरकार के सालिसीटर श्री पीं के वोस के स्थान पर नीवहन विकास निधि समिति का सदस्य नियुक्त करती है ग्रीर भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन ग्रौर संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग) (परिवहन पक्ष) की ग्रधिसूचना सं० सा०ग्रा० 628, दिनांक 17 मार्च, 1959 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में-

(क) प्रथम पैरा में मद 5 ग्रौर तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी:

"(5) श्री पी० एच० रामचन्दानी, भारत सरकार के संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंद्रालय (विधि कार्य विभाग), 2-9-77"।

[सं॰ एम एस डी-29/77 (एम डी)]

म० कृ० रामस्वामी, अवर सचिव

#### MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

#### (Transport Wing)

New Delhi, the 20th September, 1977

S.O. 3090.—In exercise of the powers conferred on them by sub-section (1) of section 15 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with rule 4 of the Shipping Development Fund Committee (General) Rules, 1960, the Central Government hereby appoints Shri P. H. Ramchandani, Joint Secretary and Legal Adviser to the Government in the Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs), as a Member of the Shipping Development Fund Committee with effect from the 2nd September, 1977 vice Shri P. K. Bose, Solicitor to the Government of India and makes the following further amendments in Notification of the Government. following further amendments in Notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Communications (Department of Transport) (Transport Wing) No. SO. 628, dated the 17th March, 1959, namely:—

In the said Notification—

- (a) In the first paragraph, for item (5) and the entries relating thereto the following item and entries shall be substituted:
  - "(5) Shri P. H. Ramchandani, Joint Secretary & Legal Adviser to the Government of India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Legal Affairs), 2-9-1977".

[No. MSD-29/77(MD)]

M. K. RAMASWAMY, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1977

#### (ब्यापार पोत)

कां आ 3091 -- नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के साथ पठित नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदृद्वारा नौबहन ग्रीर परिवहन मंत्रालय में नाविक कल्याण कार्य से सम्बन्धित निदेशक को नौबहन और परिवहन मुंतालय में नाविक कल्याण कार्य से सम्बन्धित भारत सरकार के उप सचिव के स्थान पर नाविक भविष्य निधि के न्यासी मण्डल का सदस्य नियुक्त करती है और नौवहन और परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की 10 जनवरी, 1977 की अधिसूचना सं० का०आ० 616 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:---

उनत अधिसूचना में, कम सं० 1 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जायेगी:---

> "1. नौवहन श्रौर परिवहन मंत्रालय में नाविक कल्याण कार्य से सम्बन्धित निदेशक-सरकारी पदाधिकारी" [सं एफ सं एम डब्ल्यू एस (40) / 76-एम टी] श्रीमती बी० निर्मल, ग्रवर सचिव

New Delhi, the 23rd September, 1977

#### (MERCHANT SHIPPING)

S.O. 3091.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seamen's Privident Fund Act, 1966 (4 of 1966), read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966, the Central Government hereby appoints the Director in the Ministry of Shipping and Transport, dealing with Seamen's Welfare as member of the Board of Trustees of the Seamen's Provident Fund in place of Deputy. of Trustees of the Seamen's Provident Fund in place of Deputy Secretary to the Govt. of India in the Ministry of Shipping and Transport dealing with Seamen's Welfare and make the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 616, dated the 10th January 1977, namely:—

In the said notification for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"1. The Director in the Ministry of Shipping and Transport dealing

with Seamen's Welfare-Government Official".

[F. No. MWS(40)/76-M1: Smt. B. NIRMAL, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1977

का०आ० 3092.—दिल्ली विकास ग्रिधिनियम, 1957 की धारा 22 की उपधारा (4) के भ्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने भूमि एवं विकास कार्यालय, निर्माण एवं ग्रावास ग्रीर शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के श्राधीन नीचे दी गई श्रनुसूची में निर्धारित भूमि के निपटान हेत् दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया भौर अब यह भूमि भीरतों के लिए मैन्नेयी कॉलिज को स्थानान्तरित की जाती है।

## अनुसंघी

डिप्लोमेटिक एन्कत्तेव एरिया चाणक्यपुरी में स्थित भूखण्ड सं साइट सं० 7 की अधिसूचना सं० एस०ग्रो० 1810, दिनांक 20-7-74 के अनुसार एल० डी० ग्रो० प्लान सं० 2148-ए में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लगभग 10 एकड़ भूमि के भाग को दिखाया गया है।

उपर्युक्त भूमि की सीमा का विवरण इस प्रकार है:---

उत्तर: सङ्क

दक्षिण: सरकारी भूमि पूर्व: ग्रुप हाउसिंग स्कीम

पश्चिम: सड्क

[सं॰ एस॰ एण्ड एस॰ 33(2)/77 ए॰ एस॰ ग्रो॰ (1)/669-71] पी० कें वी० सिंह, सचिव

# MINISTRY OF WORKS AND HOUSING DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 17th September, 1977

S.O. 3092.—In pursuance of the provisions of sub-section (4) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works and Housing & Urban Development, Govt of India, New Delhi for further transfer to the Maitreyi College for Women.

#### SCHEDULE

Piece of land measuring about 10.00 Acres situated in Diplomatic Enclave Area in Chanakyapuri. bearing Plot No.-/Site No. 7 partly of Notification No. S. O. 1810 Dated 20-7-74 u/s 22 of sub-section (4) of D.D. Act, 1957 shown in the plan L.D.O 2148-A.

The above piece of land is bounded as follows:-

North: By Road. · South : Govt. Land.

East: Site for proposed housing.

West: By Road.

. 1.:

[No. S. & S. 33(2)/77-ASO (I)/669-71] P. K. B SINGH, Secy.

#### श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्लो, 11 ग्रगस्त, 1977

का॰आ॰ ३०९३--इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में विनिर्दिप्ट श्रौद्योगिक विवाद श्री जी० एस० भागवत, पीठासीन श्रधिकारी, केन्द्रीय सरकार ग्रीद्योगिक ग्राधिकरण, बंगलीर के समक्ष लिम्बत हैं;

भीर उनत श्री जी० एस० भागवत की सेवाएं श्रव उपलब्ध नहीं हैं;

श्रतः, अव, श्रोद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की घारा 33-ख की जपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री जी० एस० भागवत, पीठासीन श्रधिकारी, किहीय सरकार श्रौद्योगिक श्रिष्ठकरण, वंगलीर से उक्त विवादों से सम्बद्ध कार्यवाहियों को वापस लेती है और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 7-क

के ब्राधीन गठित केन्द्रीय सरकार श्रौद्योगिक श्रधिकरण, बंगलौर पीठासी**न** मधिकारी, श्री एस० एल० एफ० मलवारिस को हस्तान्तरित करती है मौर यह निदेश देती है कि उक्त केन्द्रीय सरकार भौद्योगिक भधिकरण, बंगलौर स्रीर भागे कार्यवाही उसी प्रक्रम से करेगा जिस पर वे उसे हस्तान्तरित की जाएं श्रौर विधि के श्रनुसार उनका निपटान करेगा ।

|  |  | धनुसूची .  |
|--|--|--|
| क्रमांक                                | सन्दर्भ संख्या ग्रीर तारीख   | व्य विवाद के पक्षकार   |
| (1)                                    | (2)  | (3)  |
| तारी<br>सन्दर                          | ा 23/87/69-एल०ग्रार०<br>ख 17-12-1969<br>में संख्या 5/69 (केन्द्रीय)  | 1-3 केनारा वैकिंग कारपोरेशन<br>र्मेंगलौर का प्रवन्धक वर्ग तथा<br>। उनके कर्मकार ।  |
| तारी<br>सन्दर्भ                        | 04/15/70-एल०भार०<br>छ 15-5-1970<br>संख्या 3/70 (केन्द्रीय)           | मैसर का प्रतस्य वर्ष गण  |
| एल ०:<br>तारीर<br>सन्दर्भ              | ल-29011/40/73-<br>मार०-4,<br>ब 29-9-1973<br>सं० 4/73 (केन्द्रीय) ।   | कर्मकार।   |
| एल० ह<br>तारीख<br>सन्दर्भ              | एल-26012/6/73-<br>गर०-4(ii),<br>14-1-1974<br>संख्या 1/74 (केन्द्रीय) | मैससं डालिमया इन्टरनेशनल,<br>हास्पेट की बी० श्रार० एच०<br>लौह श्रयस्क खानों के रेजिंग<br>। टेकेदार, श्री श्रार० मुनिस्वामी<br>के प्रबन्धतन्त्र ग्रीर उनके<br>कर्मकार । |
| एल०म्रा<br>तारीख<br>सन्दर्भः           | ल-25012-6-73-<br>र०-4(i),<br>14-1-1974<br>संख्या 2/74 (केन्द्रीय)    | मैससं डालिमया इन्टरनेशनल,<br>हास्पेट की बी० श्रार० एव०<br>लौह श्रयस्क खानों के रेजिंग<br>ठेकेदार, श्री एम० रामन के<br>प्रबन्धतन्त्र श्रीर उनके<br>कर्मकार।             |
| एल०मार<br>तारीखा<br>सन्दर्भ संव        | 0-1-1974<br>3/74, (केन्द्रीय) ।                                      | रिजर्व बैंक श्राफ इण्डिया से<br>सम्बद्ध नियोजक तथा उनके<br>कर्मकार ।   |
| एल०ग्नार<br>तारीख 2:                   | 3-1-1974<br>ख्या 4/74 (केन्टीम) ।                                    | मैंसर्स डालिमया इन्टरनेशनल,<br>जिला बेल्लारी के प्रवन्धतन्त्र<br>श्रीर उनके कर्मकार ।  |
| एल०मार<br>तारीख 2                      | 6012/8/74-<br>-4,  | मैसर्स डालिमया इन्टरनेशनल,<br>हास्पेट, जिला बैल्लारी के<br>प्रबन्धतन्त्र तथा उनके<br>कर्मकार ।   |
| 9. संख्या एल-<br>एल०न्नार०<br>ता० 25-1 |  | मेससं डालिमया इन्टरनेणनल,<br>हास्पेट, जिला बैल्लारी के<br>प्रबन्धतन्त्र तथा उनके   |

प्रबन्धतन्त्र

कर्मकार ।

कर्मकार ।

मैसर्स डालिमया इन्टरनेशनल

हास्पेट, जिला बैल्लारी के

सन्दर्भ संख्या 6/74 (केन्द्रीय) ।

सन्दर्भ सं० 7/74 (केन्द्रीय) ।

10. सं॰ एल॰-25012/4/74-

ता॰. 15-11-1974]

एल०भार०-4,

Star Whish

publication of this notification in the Gazette of India; namely:

MODIFICATION: "An area measuring 0.52 hectares (1.3 acres) out of the land, carmarked for 'industrial use' (Light Manufacturing) in Wazirpur Industrial Area is changed to 'flatted factories' for leather goods."

[No. K-12016/13/74-UDI(A)] H. R. GOEL, Under Secy.

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

# नई दिल्ली, 17 ग्रक्तूबर, 1977

का॰आ॰ 3439.—दिल्ली विकास म्रधिनियम, 1957 की धारा 22 की उपधारा (4) के श्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने भूमि एवं विकास कार्यालय, निर्माण एवं प्रायास भीर भहरी विकास मंद्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन, नीचे दी गई अनुसूची में निर्धारित भूमि के निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया ग्रीर ग्रव यह भिम ब्रिटिश स्कूल सोसायटी को स्थानान्तरित की जाती हैं।

## अनुसूची

डिप्लोमेटिक एन्कलेव एरिया, चाणवयपुरी, नई दिल्ली में स्थित मुखण्ड सं० 22 श्रीर 23, साइट सं० 7 की ग्रधिसूचना सं० एस०श्री० 1810, दिनांक 20-7-74 के भ्रनुसार एल ०डी ० भ्रो० प्लान सं० 2485/1 में दिल्ली विकास ग्रिधिनियम, 1957 की धारा 22 की उपधारा (4) के ग्रन्तर्गत लगभग 1.647 एकड़ भूमि के भाग को दिखाया गया है। उपर्युवत भूमि की सीमा का वियरण इस प्रकार है:--

उत्तर: ब्रिटिश स्कूल

दक्षिण: प्लाट नं० 21 मीर 24

पूर्व: सड़क

पश्चिम: सड़क

[सं॰ एस॰ एण्ड एस॰ 33(1)/74/ए॰एस॰ग्रो॰ (1) 715-17]

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 17th October, 1977

S.O. 3439.—In pursuance of the provisions of Sub-Section (4) of Section 22 of the Delhi Decelopment Act, 1957 the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the Schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing & Urban Development, Government of India, New Delhi for further transfer to the British School Society, Delhi.

#### SCHEDULE

Piece of land measuring about 1.647 acres. situated in Diplomatic Enclave area in Chankayapuri, New Delhi, bearing Plot No. 22 & 23 Site No. 7 partly of Notification No. S.O. 1810 dated 20-7-1974 Under Section 22 of Sub-Section (4) of D.D. Act, 1957 shown in the plan L.D.O. No. 2485/1.

The above piece of land is bounded as follows :--

North: British School. South: Plot No. 21 & 24.

East: By Road. West: By Road.

[No. S&S 33(1)/74-ASO(1)/715-17]

ু দ্বা০ স্থা০ 3440.—दिल्ली विकास ग्रधिनियम, 1957 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने भूमि एवं विकास क प्रांलिय, निर्माण एवं भावास भीर शहरी विकास मंद्रालय, भारत सरकार,

नई दिल्ली के ग्राधीन नीचे दी गई अनुसूची में निर्धारित भूमि के निपटान हेतु दिस्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया भीर ग्रब यह भूमि नसंरी स्कूल के लिये साउथ दिल्ली एजूकेशन सोसायटी को स्थानान्तरित की जाती है।

सैक्टर 7, ग्रार० के० पुरम, नई दिल्ली में स्थित मूखण्ड रां० I साईट सं० 76 को ग्रधिसूचना सं० एस०ग्रो० 4719, दिनांक 21-8-75 के ग्रनुसार एल०डी०ग्रो० प्लान सं० 2340-ए में दिल्ली विकास ग्रधि-नियम, 1957 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लगभग 0.38 एकड / 0.1537 हेक्टेयर भूमि के भाग को दिखाया गया है।

जपर्युक्त भूमि की सीमा का विवरण इस प्रकार है:--

उत्तर: सड़क दक्षिण : सड़क पूर्व : सङ्क

पश्चिम: सड़क

[सं० एस० एण्ड एस० 33(10)/77/ए०एस०ग्रो० (1)/709/11]

S.O. 3440.—In pursuance of the provisions of Sub-Section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the Schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing & Urban Development, Government of India, New Delhi for further transfer to the South Delhi Education Society for Nursery School. Nursery School.

#### SCHEDULE

Piece of land measuring about 0.38 acre situated in Sector-VII. R. K. Puram, New Delhi., bearing plot No. 0.1537 Hectare/Site No. 76 Full of Notification No. S.O. 4719 dated. 21-8-1975 under section 22 of Sub-Section (4) of D.D. Act, 1957 shown in the Plan L.D.O. No. 2340-A.

The above piece of land is bounded as follows:-

... North : By Road. South: By Road. West: By Road. East: By Road.

[No. S&S 33(10)77-ASO(I)/709-11]

का॰ग्रा॰ 3441 -- दिल्ली विकास श्रधिनियम, 1957 की धारा 22 की उपघारा (4) के भन्तगंत केन्द्रीय सरकार ने भूमि एवं विकास कार्यालय, निर्माण एवं त्रावास और शहरी विकास मंद्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के स्राधीन नीचे दी गई सनुसूची में निर्धारित भूमि के निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया और अब यह मूमि दिल्ली पब्लिक लाइबेरी बनाने हेतु दिल्ली लाइबेरी बोर्ड को स्थानान्तरित की जाती है।

#### ग्रनुसूची

सैक्टर 2, ग्रार० के० पुरम, नई दिस्ली में स्थित भूखण्ड सं० 1 साईट सं॰ 56 को अधिसूचना सं॰ एस॰ ओ॰ 4719, दिनांक 21-8-75 के प्रनुसार एल०डी०मो० प्लान सं० 3291 में दिल्ली विकास मधिनियम, 1957 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लगभग 1367.46 वर्गगज (1143.374 वर्गमीटर) भूमि के मागको दिखाया गया है।

उपर्यंक्त भूमि की सीमा का विवरण इस प्रकार है:--

उत्तर: खाली जगह दक्षिण: सड़क . पूर्व : सरकारी क्वार्टर पश्चिम : सड़क ग्रौर नाला.

[सं॰ एस॰ एण्ड एस॰ 33(12)/77 ए॰एस॰ओ॰ (-1)/71214] कृष्ण प्रताप, सचिव

S.O. 3441.—In pursuance of the provisions of Sub-Section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the Land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing & Urban Development, Government of India New Delhi for further transfer to the DELHI LIBRARY BROAD FOR CONSTRUCTION OF DELHI PUBLIC LIBRARY.

#### **SCHEDULE**

Piece of land measuring about 1367.46 sq. yds. 1143.374 sq. mtrs. situated in Sector-II, R. K. Puram, New Delhi, bearing

Plot No./Site No. 56 partly of Notification No. 4719 dated 21-8-1975 under section 22 of Sub-Section (4) of D.D. Act, 1957 shown in the plan L.D.O. No. 3291.

The above piece of land is bounded as follows -

North.—Open land. South.-By Road. East.—Government Quarters.

West.-By Road & Nallah. [No. S&S 33(12)77/-ASO(1)/712-14]

KRISHNA PARTAP, Secv.

#### श्रम मंत्रालय

#### श्रादेश

#### नई दिल्ली, 30 श्रगस्त, 1977

का॰ ग्रा॰ 3442. --इससे उपावद अनुसूची में विनिदिष्ट ग्रीछोगिक विवाद श्री टी॰ एन॰ सिगारावेलु, पीठामीन ग्रधिकारी, भीछोगिक ग्रधिकरण, मद्रास के समक्ष लिबन है:

मीर उक्त थी निगारावेल की सेवाएं प्रव उपलब्ध नहीं है;

भतः, भवः श्रीद्योगिक विवाद श्रीधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क श्रीर धारा 33ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. केन्द्रीय सरकार एक श्रीद्योगिक श्रक्षिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन श्रधिकारी श्री के० क्षेलवरतनम होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा ग्रीर उक्त श्री टी॰ एन॰ सिगारावेलु, पीटासीन ग्रधिकारी, ग्रीग्रोगिक ग्रधिकरण, मद्रास के पास ग्रनिणीत पड़े उक्त विवाद से संबद्ध कार्यवाहियों को वापस लेती है और उक्त कार्यवाहियों के निपटान के लिए उक्त ग्रधिकरण को इस निदेश के साथ हस्तान्तरित करती है कि उक्त ग्रधिकरण ग्रीर श्रागे की कार्यवाही इस प्रक्रम से करेगा जिनवर वह उसे हस्तान्तरित की जाए, तथा विधि के प्रमुक्तार उसका निपटान करेगा-

#### ग्रनुसूची ऋम विवाद संख्या सन्दर्भ विवाद के पक्षकारों का नाम संख्या 1 2 3 1. ब्राई० डी० संख्या 14/75 न्नावेण संख्या एल० 12011/14-75-एल० न्नार० III, दी इंडियन वैंक, मद्रास न्नोर उनके कर्मकार । ं तारीख 26/2/75 2. आई० डी० संख्या 66/75 श्रादेश संख्या एल॰ 29011/95/75 डी॰ श्रो॰ III (बी,) मैसर्स इंडिया सीमेंट लिमिटेड, शंकरनगर श्रीर उनके तारीख 11/8/75 कमंकार । 3. प्रार्ट० डी० संख्या 18/76 श्रादेश संख्या एल० 29011/132/75 डी॰ HI (बी), श्रालमबांदी लाइम स्टोन माइन्स एण्ड छेतीनाद सीमेंट तारांख 27/2/76 कार्परिशन, पुलियूर श्रीर उनके कर्मकार। 4. आई० डी० संख्या 56/76 ब्रादेश संख्या एल० 33012/2/76 डी० $\mathrm{II}(\mathrm{U})$ , मद्रास स्टीविडोर्स एसोसिएशन, मद्रास-1 ब्रीर उनके तारीख 27/10/76 कमंकार । 5. ग्राई० डी० मच्या 57/76 भादेश संख्या एल० 33011/2 एल० 12011/34/76- इंडियन भोवरसीज बैंक, मद्रास भौर उनके कर्मकार । डी॰ H (ए) तारीख 30-10-7.6 সাহঁ০ তী০ শতনা 62/76 म्रादेश संख्या एल० 33011/2/76 डी० $\Pi/( ext{v})$ मैससं पी० देवाराजुलू नायडू एण्ड सन, मद्राम भीर उनके तारीख 3/12/76 कमंकार । 7. आई० डी० संख्या 64/76 भावेश संख्या एन० -11011/8/75 डीं 11 (बी) इंडियन एयर लाइन्स, मंत्रास ग्रीर उनके कर्मकार 1नारांख 8/12/76 S. आई० डो० संख्या 65/76 ग्रादेश संख्या एव० 12011/20/76 डी $\circ$ $\Pi$ $(\nabla)$ इंडियन बैंक, मद्राम ग्रीर उनके कर्मकार $\Pi$ 9. ग्राई० डी० मंद्या 66/76 श्रादेश संख्या एत $\circ$ 33012/4/76 डी $\circ$ $\Pi(0)$ , मद्रास स्टावेडास एसोसिएशन, मद्रास तथा उनके कर्मकार। नारांख 23/12/76

velu i

Dispu be the Shri 1 the sur law.

SI. No. (1)

1. 1.

I.7

3. L.I

4. I.:

# विल्ली रिकास प्राधिकरण

# सावंजनिक सूचना

# नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1977

कार पही है। इत सार्वजनिक सूचना के निम्मलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है। इत सार्वजनिक सूचना के निम्मलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है। इत सार्वजनिक सूचना के निम्मलिखित संशोधन किया जा रहा है। इन संशोधनों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई ध्रापत्ति/मुझाव देना हो नो ये अपने आपत्ति/मुझाव दस जापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, 11वीं मंजिल, नई दिल्ली के पाम लिखित रूप में भेज सकते हैं। जो व्यक्ति ग्रपनी ग्रापति/मुझाव दें वे अपना नाम तथा पूरा पता भी लिखें।

#### संगोधन :-

- 1. 2.48 हे॰ (६ एकड़) का क्षेत्र जो बाबा खड्गसिंह मार्ग (150' चीड़े) पर स्थित है तथा यह जोन डी-4 (पालियामेंट स्ट्रीट) में पड़ता है जिसे मामान्य बाल यातायात उद्यान के नाम से जाना जाता है, मुख्य योजना में यह 'ग्रावासीय उपयोग' एवं जोनल डवैल्पमेंट प्लान में निकटवर्ती उद्यान के लिये निर्दिष्ट है इसे अब 'मनोरंजन उपयोग' में परिवृत्तित वियो जाने का प्रस्ताव है।
- 2. 1.24 है० (3 एकड़) या क्षेत्र जो वाबा खड्गसिंह मार्ग पर स्थित है तथा वाल-यातायात उद्यान (150 चौड़ी सड़क) के उत्तर पूर्व में जोन डी-4 (पालियामेंट स्ट्रीट) में पड़ता है तथा मुख्य योजना/ जोनल डवैल्पमेंट प्लान में यह 'प्रावासीय उपयोग' के लिए निर्दिष्ट है इसे श्रव 'ब्यवसायिक उपयोग' में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।
- 3. 0.069 है ० (0.17 एकड़) का क्षेत्र जो जनपथ (150') के पश्चिम में तथा जोन डी-4 (पालियामेंट स्ट्रीट) में व्यवसायिक उपयोग होटल, प्राधमुचना सं० के-13011(40)/76 यू० डी० 1 (ए) दिनांक 31-1-77] हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है मुख्य योजना/जोनल डियल्पमेंट प्लान में यह प्रावासीय उपयोग के लिये निश्चित किया गया है। इसे श्रव 'व्यवसायिक उपयोग' में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।
- 4. 0.469 है॰ (1.16 एकड़) का क्षेत्र जो गुस्हारा रकाव गंज रोड (120 चौड़ी) के पश्चिम में जीन ही-4 (पालियामेंट स्ट्रीट) में पड़ता है, मुख्य योजना में यह क्षेत्र 'श्रावासीय उपयोग' तथा जीनल डवैल्प-मेंट प्लान में 'फायर स्टेशन' के लिये निदिष्ट है इसे अब सार्वजनिक एवं अर्य-सार्वजनिक मुविधाओं में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।
- 5. 0.97 है ० (2.4 एकड़) का क्षेत्र जो पंडित पंत मार्ग (150' चौड़े) तथा गुरुद्वारा रकाव गंज रोड (120' चौड़ो) के चौराहे पर स्थित है, तथा जोन डी-4 (पालियामेंट स्ट्रीट) में पड़ता है। इसे वैलजली लोज के नाम में जाना जाता है। मुख्य योजना/जोनल डवैल्पमेंट प्लान में यह 'ग्रावासीय उपयोग' के लिये निर्दिष्ट है। इसे ग्रव 'सार्वजनिक एवं ग्राव-सार्वजनिक सुविधाग्रों (सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।
- 6. 1.25 है ० (3.09 एकड़) का क्षेत्र, जो अशोका रोड (120' चौड़ी) तथा पंडित पंत मार्ग (150' चौड़ा) के चौराहे पर स्थित है तथा जोन डी-4 (पालियामेंट स्ट्रीट) में पड़ता है। इसे 'योगा ग्राश्रम' के नाम से जाना जाता है। मुख्य योजना/जोनल डवैल्पमेंट प्लान में यह 'ग्रावासीय उपयोग' के लिए निर्दिष्ट है। इसे ग्रव 'सार्यजनिक एवं ग्रर्थ-सार्यजनिक गुविधाओं' (सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।

- 7. 4.984 हे॰ (10.27 एकड़) का क्षेत्र जो डा॰ राजेन्द्र प्रसाद रीड के उत्तर में स्थित है तथा जोन डी-4 (पालियामेंट स्ट्रीट) में पड़ता है। मुख्य योजना में यह 'ग्रावासीय उपयोग' तथा जोनल डवैल्पमेंट प्लान में ग्रावासीय उपयोग/निकटवर्ती उद्यान/सरकुलेशन/सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान हेतु निर्दिष्ट है। इसे ग्रव 'सार्वजनिक एवं ग्रधं-सार्वजनिक सुविधाग्रों' (मामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।
- 8. 1. 157 हैं ० (3.6 एकड़) का क्षेत्र जो पालियामेंट स्ट्रीट (150' चौड़ी सड़क) तथा रकी मार्ग (100' चौड़ी) के बीच स्थित है तथा जोन डी-1 (पालियामेंट स्ट्रीट) में पड़ता है। मुख्य योजना, जोनल डबैल्पमेंट प्लान में यह 'सामान्य' व्यापार एवं व्यवसायिक उपयोग के लिये निर्दिष्ट है इसे श्रव 'सरकारी उपयोग' में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।
- 9. 1.157 है॰ (2.86 एकड़) या केंद्र की ध्रणीका रोड (120' चौड़ी) पर स्थित है तथा जोन डी-4 (पालि ग्रामेंट स्ट्रीट) में पड़ता है। मुख्य योजना में 'आवासीय उपयोग' तथा जोनल डवैल्पमेंट प्लान में यह 'सामान्य व्यापार एवं व्यवसायिक उपयोग' हेतु निदिष्ट है। इसे अब 'सरकारी उपयोग' में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।
- 10. 0.81 हे॰ (2 एकड़) का क्षेत्र जो पालियामेंट स्ट्रीट (150' चौड़ी सड़क) तथा अशोका रोड (120' चौड़ी) के चौराहे (पटेल चौक) पर स्थित है तथा जोन डी-4 (पालियामेंट स्ट्रीट) में पड़ता है। मुख्य योजना/जोनल डवैल्पमेंट प्लान में यह 'सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधायों' के लिए निविष्ट है। इसे अब 'सरकारी उपयोग' में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।
- 11. 1.214 है॰ (3 एकड़) का क्षेत्र जो रफी मार्ग (120' चौड़े) पर स्थित है तया जोन डी-4 (पालियामेंट स्ट्रीट) में पड़ता है। मुख्य योजना/जोनल डवैल्पमेंट प्लान में यह 'ग्रावासीय उपयोग' के लिये निर्दिष्ट है, इसे ग्रब 'सार्वजनिक एवं ग्रबं सार्वजिनक सुविधाग्रों (सामाजिक एवं सार्स्कृतिक संस्थान) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।
- 12. 1.618 हे॰ (4 एकड़) का क्षेत्र जो तिलक मार्ग (150' चौड़े) एवं भगवान दास रोड (120' चौड़ी) के चौराहे पर स्थित हैं तथा यह जोन डी-3 (कर्जन रोड) में पड़ता है। मुख्य योजना/जोनल डवैल्पमेंट प्लान में यह 'सरकारी उपयोग' के लिए निर्दिष्ट है इसे अब 'आवासीय उपयोग' में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।
- 13. 3.237 है॰ (8 एकड़) का क्षेत्र जो भगवान दास रोड (120' चौड़ो) मंडी हाउस के आस-पास कापरिक्स मार्ग (100' चौड़े) के चौराहे पर स्थित है तथा जोन डी-3 (कर्जन रोड) में पड़ता है। मुख्य योजना में यह आवासीय उपयोग तथा जोनल डवैंट्समेंट प्लान में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के लिये 2.48 है॰ तथा आवासीय हेतु 0.81 है॰ के लिये निर्दिष्ट है। इसे अब 'सार्वजनिक तया अर्थ सार्वजिनक सुविधाओं' (सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान) में परिवर्तित किये जान का प्रस्ताव है।

शनिवार को छोड़कर समस्त कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, विकास मीनार, 11वीं मंजिल, इन्द्रप्रस्या इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अविध में आकर प्रस्तावित संशोधनों के मानचित्रों का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं॰ एफ॰ 20(9)/77-एम॰ पी॰] े कृष्ण प्रताप, सचिव

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

# PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st December, 1977

S.O. 24.—The following modifications which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plans of Delhi, are hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modifications may send his object in or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority. Vikas Minar, 11th Floor, New Delhi, within a period of 30 days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address:—

#### MODIFICATIONS :-

- 1. The land use of an area, measuring 2.48 hects. (6 acres), located at Baba Kharak Singh Marg (150 ft. R/W) in Zone D-4 (Parliamen: Street), commonly known as Children Traffic Park, earmarked for 'residential use' in the Master Plan and 'Neighbourhood Park' in the Zonal Development Plan, is proposed to be changed to 'recreational use'.
- 2. The land use of an area, measuring 1.24 heets.
  (3 acres), located at Baba Kharak Singh Marg in the North East of Children Traffic Park (150 ft.-R/W) in Zone D-4 (Parliament Street) earmarked for 'residential use' in the Master Plan/Zonal Development Plan, is proposed to be changed to 'commercial use'.
- 3. The land use of an area, measuring 0.069 hect. (0.17 acre), located in the West of Janpath (150 ft.-R/W) and in the South of land earmarked for 'commercial use' [Hotel—Notification No. K-13011 (40)/76-UDI(A) dated 31--1-1977] in Zone D-4 (Parliament Street), earmarked for 'residential use' in the Master Plan/Zonal Development Plan, is proposed to be changed to 'commercial use'.
- 4. The land use of an area, measuring 0.469 hect. (1.16 acres). located in the West of Gurdwara Rakab Ganj Road (120 ft.-R/W) in Zone D-4 (Parliament Street), carmarked for 'residential use' in the Master Plan and for 'Fire Station', in the Zonal Development Plan, is proposed to be changed to 'public & semi-public facilities'.
- 5. The land use of an area, measuring 0.97 hect. (2.4 acres), located at the intersection of Pandi! Pant Marg (150 ft.-R/W) and Gurdwara Rakab Ganj Road (120 ft.-R/W) in Zone D-4 (Parliament Street), commonly known as 'Welsley Lodge', earmarked for 'residential use' in the Master' Plan/Zonai Development Plan. is proposed to be changed to 'public & semi-public facilities' (Social & cultural) Institution).
- 6. The land use of an area, measuring 1.25 hects. (3.09 acres), located at the crossing of Ashoka Road (120 ft. R/W) and Pandit Pant Marg (150 ft. R/W) in Zone D-4 (Parliament Street), commonly known as 'Yoga Ashram', earmarked for 'residential use' in the Master Plan/Zonal Development

- Plan, is proposed to be changed to 'public & semi-public facilities' (Social & Cultural Institutions).
- 7. The land use of an area, measuring 4.984 hects. (10.27 acres), located in the North of Dr. Rajinder Prasad Road in Zone D-4 (Parliament Street), carmarked for 'residential use' in the Master Plan and in the Zonal Development Plan for residential use/neighbourhood park/circulation/social & cultural institutions, is proposed to be changed to 'public & semi-public facilities' (Social & Cultural Institutions).
- 8. The land use of an area, measuring 1.457 hects. (3.6 acres), located in between Parliament Street (150 ft.-R/W) and Rafi Marg 100 ft.-R/W) in Zone D-4 (Parliament Street), carmarked for general business and commercial use in the Master Plan/Zonal Development Plan is proposed to be changed to 'governmental use'.
- 9. The land use of an area, measuring 1.157 hects. (2.86 acres), located at Asboka Road (120 ft.-R/W) in Zone D-4 (Parliamen: Street), earmarked for residential use in the Master Plan and in the Zonal Development Plan for "general business & commercial use", is proposed to be changed to governmental use".
- 10. The land use of an area, measuring 0.81 hects. (2 acres), located at the crossing of (Patel Chowk) Parliament Street (150 ft.-R/W) and Ashoka Road (120 ft.-R/W) in Zone D-4 (Parliament Street), earmarked for 'public & semi-public facilities', in the Master Plan/Zonal Development Plan, is proposed to be changed to 'governmental use'.
- 11. The land use of an area, measuring 1.214 hects.
  (3 acres), located at Rafi Marg (120 ft.-R/W) in Zone D-4 (Parliament Street), earmarked for 'residential use' in the Master Plan/Zonal Development Plan, is proposed to be changed to 'public & semi-public facilities' (Social & Cultural Institutions).
- 12. The land use of an area, measuring 1.618 hects. (4 acres), located at the intersection of Tilak Marg (150 ft.-R/W) and Bhagwan Dass Road (120 ft.-R/W) in Zone D-3 (Curzon Road), earmarked for 'governmental use' in the Master Plan/Zonal Development Plan, is proposed to be changed to 'residential use'.
- 13. The land use of an area, measuring 3.237 hects. (8 acres), located at the crossing of (Mandi House roundabout) Bhagwan Dass Road (120 ft.-R/W) & Copper Nicus Marg (100 ft.-R/W) in Zone D-3 (Curzon Road), earmarked for 'residential use' in the Master Plan and social & cultural institutions (2.48 hects.) and residential use (0.81 hect.) in the Zonal Development Plan for Zone D-3 (Curzon Road), is proposed to be changed to 'public & semi-public facilities' (Social & Cultural Institutions).

The plans indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority, 11th Floor, Vikas Mnar, I.P. Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20(9)/77-M.P.] KRISHNA PARTAP, Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1977

का॰ अा॰ 25 — राष्ट्रपति, केन्द्रीय शिविल सवा (वर्गीकरण, नियंत्रण ग्रीर ग्रंपील) नियम, 1965 के नियम 34 के साथ पठित नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) ग्रीर नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, संचार मंझालय (डाक ग्रीर तार) की ग्रंधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 620 तारीख 28 फरवरी, 1957 में निम्नलिखित ग्रीर संशोधन करते हैं, ग्रंथीत् :——
127 G1/77—3

| 2   |   | ,  | [PART II—SEC. 3(ii)   |
|---|---|--|---|
| <ol> <li>6. Sh. B.R. Prasad</li> <li>7. Sh. M.B. Jamsandekar</li> <li>8. Sh. Nandasingh P.</li> <li>9. Sh. Mammu Rayan</li> <li>10. Sh. Sakpal S.B.</li> <li>11. Sh. Kaliram Rataram</li> <li>12. Sh. Lawrence David Mathali</li> <li>13. Sh. K.J. Kharat</li> <li>14. Sh. D.V. Keluskar</li> <li>15. Sh. A.M. Alur</li> <li>16. Sh. K. Ramaswamy</li> <li>17. Sh. K. Appadurai</li> <li>18. Sh. B. Sanjeeva Rao</li> </ol> | Watchman Watchman Watchman Watchman Watchman  Godown Clerk Godown Clerk Jr. Godown Keeper Watchman Godown Clerk | Godown Clerk Peon Watchman Watchman Watchman Watchman Watchman Watchman Jr. Godown Keeper Godown Clerk Sr. Godown Keeper Watchman Godown Clerk | 5<br>1-3-69<br>1-3-69<br>1-3-69<br>1-3-69<br>1-3-69<br>1-3-69<br>1-3-69<br>1-3-69<br>1-3-69 |
|   |   | OICI K   | 1-3-60  |

[No. 52/22/74-FC-III (Vol. IX)] S. L. KAMBOH, Under Secy.

# निर्माण और आवास मंत्रालय

# (निर्माण प्रभाग)

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1977

का० आ० 359.—राजवाट समाधि ऋधिनियम, 1951 (1951 का 41) की धारा 3 तथा धारा 4 की उपधारा(1) और (2) में प्रदत्त यक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के मूतपूर्व निर्माण, श्रावास तथा पूर्ति मंत्रालय की दिनांक 22 श्रगस्त, 1962 की ग्रिधसूचना सं॰ 19/2/62-डब्ल्यू-1 का अनिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार ने एतद् द्वारा राजघाट समाधि समिति का पुनर्ग ठन किया है और उसमें निम्न लिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में गामिल किया है :--

दिल्लो नगर निगम के महापौर

केन्द्रीय

केन्द्रीय

नामिन

सदस्य ।

द्वारा चुने

लोक सभा

गैर

. सरकार द्वारा नामित सरकारी अधिकारी।

के सदस्यों

गए सदस्य।

- 2. दिल्ली प्रशासन के मुख्य सन्निव
- संयुक्त सचिव (निर्माण) निर्माण श्रीर श्रावास मंत्रालय
- 4. संयुक्त सचिव (वित्त) निर्माः ग्रीर श्रावास लमंत्राय
- 5. थी श्रीमन नारायण
- शो वृजकृष्ण चंडीवाला 7. श्री रूप नारायण
- डा॰ रामजी सिंह, संसद सदस्य श्री कें ॰ टी ॰ कोसालराम, संसद सदस्य
- 10. श्री कृष्ण कृपलानी, संसद सदस्य
- राज्य सभा के सदस्यों द्वारा चुने गण सदस्य।
- 2. केन्द्रीय सरकार ने एतद्द्वारा डा० सुगीला नय्यर, संसद सदस्य को राजघट समाधि का अध्यक्ष नियुक्त किया है और धारा 4 की उपधारा (2) के मुताबिक उन्हें समिति का एक सदस्य माना जाएगा।

[#o 25012/3/72-see (-3] एल० एम० मुखनाणी, उप सचिव

# MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

# (Works Division)

New Delhi, the 24th December, 1977

S. O. 359.—In exercise of the powers conferred by section 3 and Sub-sections (1) and (2) of section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951 (41 of 1951) and in supersession of thenotification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Supply No. 19/2/62-WI dated the 22nd

August, 1962, the Central Government hereby re-constitutes the Rajghat Samadhi Committee with the following persons as the members, namely :-

1. Mayor of the Municipal Corporation of Delhi.

Ex-Officio

2. Chief Secretary of the Delhi Administration.

Administration.

3. Joint Secretary (Works),
Ministry of Works and Housing
4. Joint Secretary (Finance)
Ministry of Works and Housing:

Official nominated by the Central Government.

- 5. Shri Shriman Narayan
- 6. Shri Brij Krishan Chandiwala
- 7. Shri Roop Narain.
- Non-officials nominated by the Central Government.
- 8. Dr. Ramji Singh, M. P. 9. Shri K.T. Kosalram, M. P.
- Elected by members of the Lok Sabha
- 10. Shri Krishna Kripalani, M. P.
- Elected by members of the Rajya Sabha.
- (2) The Central Government hereby appoints Dr. Sushila Nayar M.P. as the Chairman of the Rajghat Samadhi Committee and under sub-section (2) of section 4 she shall be deemed to be a member of the Committee.

[No, 25012/3/72-W3] L. M. SUKHWANI, Dy. Secy.

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1978

# सार्वजनिक सूचना

कार आर 360.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निन्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है जिसे सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाणित किया जाता है। इन संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति या मुझाव देना हो तो अपने आपत्ति या मुझाय इस आपन के 30 दिन के भीतर, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ग्यारहयी मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें। जो ब्यक्ति श्रपनी ब्रापत्ति या सुझाव दें वे क्रयना नाम एवं पूरा पता मी, लिखें।

संशोधन :

"6.7 हेक्टर (16.6 एकड़) का क्षेत्र जो 91.4 मी.० (300 वीड़े) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सं० ८ (दिल्ली गुड़गांव रोड़) के पूर्व में तथा समालका

गांव की आबादी के सामने पड़ता है, इसे अब 'ऋषि हरी पट्टी' से 'श्रीद्यो-गिक उपयोग'--लघु उद्योग (ट्रंक मरम्मत, वर्कशाप/शापिंग क्षेत्र) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्तांव है।"

2. शनिवार को छोड़कर ग्रन्य सभी कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, ग्यारहवी मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टेट नई दिल्ली में उक्त श्रविध में श्राकर प्रस्तावित संगोधन के मानचित्र का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं० एक 3(74)/76-एम०पी०]

कृष्ण प्रताप, सच्चिव

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 11th February, 1978

#### PUBLIC NOTICE

S.O. 360.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 11th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

# MODIFICATION:

"The land use of an area measuring, 6.7 hects. (16.6 acres) located in the east of 91.4 mts. (300' wide) N.H. No. 8 (Delhi-Gurgaon Road), opposite Samalka Village abadi, is proposed to be changed from 'Agricultural Green Belt' to 'Industrial use'—light manufacturing (truck-repair workshop/Shopping Complex)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, 11th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred

[No. F. 3(74)/76-MP]

KRISHNA PRATAP, Secy

# संचार मंत्रालय

(हाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1978

का० आ० 361 -- का० ग्रा० संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने मलकापूर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-3-78 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-7/78-पी० एच० वी०]

पी० सी० गुप्ता, सहायक महानिदेशक (पी०एच०वी०)

# MINISTRY OF COMMUNICATIONS (P & T Board)

New Delhi, the 31st January, 1978

S.O.361.—In pursuance of para (a) of Section III of rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-3-1978 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Malkapur Telephone Exchange, Maharashtra Circle.

[No. 5-7/78 PHB]

P. C. GUPTA, Asstt. Director General (PHB)

238 GI/77-3

## नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1978 ...

का० ग्रा॰ 362.—का॰ ग्रा॰ संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 433 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने चेंगानुर, पुराषट्टम्, मल्ता-पल्लो थिग्रोडिकल, कुन्तमयानम् ग्रीर कुम्भनाड् टेलोफोन केन्द्र में दिनांक 1-3-78 से प्रभावित दर प्रणाली लागु करने का निश्चय किया है। [संख्या 5-12/77-पी० एच० बी०]

प्रा० गा० कील, निदेशक फोन्स (ई०)

New Delhi, the 2nd February, 1978

S.O. 362.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-3-1978 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Chengannur, Puramattom, Mallappally, Theodical, Kunnanthanam and Kumbanadu Telephone Exchanges Kerala Circle.

[No. 5-12/77-PHB.]

P. N. KAUL, Director Phones (E)

#### श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1978

#### श्जि-पत्र

का० आ० ३६३ — भारत के राजपत्न, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 15 म्रक्टूबर, 1977 के पृष्ठ 3728 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मत्नालय की अधिसूचना स० का० आ० 3235, तारीख 3 अक्टूबर, 1977 में दशवीं पक्ति में "1 जनवरी, 1977" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 मई 1977" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[सं॰ एस॰ 35019(316)/77-पो॰ एफ॰ II]

# MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st January, 1978 CORRIGENDUM

S.O. 363.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 3235, dated the 3rd October, 1977 published in Part II Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 15th October, 1977, at page 3235 in the teach line for the words and figures 1st Innuary, 1977. in the tenth line for the words and figures 'Ist January, 1977' the words and figures 'Ist May, 1977' shall be substituted.

[No. S. 35019(316)/77-PF. II]

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1978

का० आ० 364:--भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य वीमा अधि-नियम 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (i) के खण्ड (ख) के अनुसरण में डा० शरद कुमार के स्थान पर डा० ईश्वर दास बजाज, उप-महानिदेशक, चिकित्सा सेवाएं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना नई दिल्ली को कर्मचारी राज्य वीमा की निगम चिकित्सा प्रसुविधा परिषद् में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट

त्रतः स्रव केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा त्रक्षिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंतालय की ग्रधिसूचना संद्या का० ग्रा० 2980 तारीख 26 जुलाई, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है ग्रथित :--

जक्त अधिसूचना में "सदस्य" शीर्पक के नीचे मद 2 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, प्रयात् :---"डा० ईश्वर दास वजाज उप-महानिदेशक, चिकित्सा सेवाएं, केल्ब्द्रीय

सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली।"

मिं यू०-16012(7)/77-एस**्या**ई०]

Official Gazette, the following amendment shall be made in the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Rehabilitation (Department of Works and Housing) No. S.O. 1532 dated the 28th May, 1963, applying the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, to the allotment of Government residences in Bombay, namely:—

In the said notification, in item 4(a) for the portion beginning with the brackets, letter and words "(a) Central Covernment Servants" and ending with the words "shall be decided by the Director of Estates", the following shall be substituted, namely:-

- "(a) Central Government servants, eligible for allotment of accommodation in the general pool;
- (b) retired Central Government Servants".

[F. No. 12032(1)/77-Pol. III N. S. L. RAO, Jt. Secy.

## ि दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1978

#### सार्यजनिक सुचना

का० आ० 394.--केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना जोन डी-17, डी-18, डी-19, डी-20, एफ़-2 एवं एफ़-3 के जोनल डबल्पर्मेंट प्लान में निम्नलिखित संशोधन करने पर विचार कर रहो है। यह है सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित किया जा रहा है। इस संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को ग्रापत्ति या सुभाव देना हो तो वे ग्रयने ग्रापत्ति/सुझाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 1 7वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज सकते हैं। जो व्यक्ति ग्रपनी ग्रापत्ति/सुझाव दें वे अपना नाम तथा पूरा पता भी लिखें।

संशोधन :---

"मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना (जीन डी-20 डिफ़ेंस कालोनी) में मनोरंजन उपयोग हेत् निदिष्ट भूमि में से लगभग 2.39 हैक्टर (5.906 एकड़) का क्षेत्र जो उत्तर में रेलवे लाईन, पूर्व में 30.48 मोटर (100') चौड़ी सड़क (सेवा नगर तथा डिक्रेंस कालोनी के बोच) तथा, दक्षिण में एक अन्य सड़क तथा पश्चिम में मनोरंजन क्षेत्र द्वारा घिरा हुन्ना है, इसे ग्रब "संत्यानीय उपयोग" (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) में परिवृतित किये जाने का प्रस्ताव है।"

शनिवार को छोड़कर समस्त कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधि-करण के कार्यालय, 17वीं मंजिल, विकास मोनार इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उत्रत ऋर्वाध में ग्राकर प्रस्तावित संशोधन के मानचित का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं० एफ० 3(265)/68-एम०पीo]

कृष्ण प्रताप, सचिव

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 11th February, 1978

## PUBLIC NOTICE

S. O. 394.—The following modification, which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi/ Covernment proposes to make to the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan for Zones D-17, D-18, D-19, D-20, F-2 & F-3, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 17th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

# MODIFICATION:

The land use of an area measuring about 2.39 hectares (5.906 acres), out of the land earmarked for recrea-238 G.I./77—16

tional use in the Master Plan/Zonal Development Plan Zone D-20 Defence Colony), and surrounded by Railway line in the north, 30.48 metres (100 ft.) wide road in the east, (between Sewa Nagar and Defence Colony), another road in the south, and recreational area in the west, is proposed to be changed to "Institutional use" (Higher Secondary School)."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, 17th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

> [No. F. 3(265)/68-MP] KRISHNA PRATAP, Secy.

#### श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1978

का॰ आ॰ 395 -- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग र करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 12 फरवरी, 1978 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 श्रीर 45 के सिवाय जो पहले ही प्रदत्त को जा चुकी है) श्रीर अध्याय 5 ग्रीर 6 (धारा 76 की उपधारा (1) ग्रीर धारा 77,78,79 श्रीर 81 के सिवाय जो पहले ही प्रदत्त की जा चुकी है) के उपवत्ध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, ग्रथीत :--

- "(1) जिला कन्नानोर के तालुक तेल्लीचेरी में राजस्वग्राम कन्डनु-कुत्र ग्रीर चीकली के अन्तर्गत ग्राने वाले क्षेत्र;
- (2) जिला कन्नानोर के ताल्लुक कन्नानोर में राजस्वग्राम कन्नाडीपरंबा श्रीर कन्नापुरन; तथा
- (3) जिला कन्नानोर के तालुक तालीपरंबा में राजस्वग्राम मौराजूहा"।

[सं० एस० 38013/1/78-एच० आई०] एस० एस० सहस्रनामन, उप-सचिव 

#### MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 2nd February, 1978

- S. O. 395.—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 12th February, 1978 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shalf come into force in the following areas in the State of Kerala. namely: in the State of Kerala, namely :-
  - "(1) The areas within the revenue villages of Kandankunnu and Chokli in Tellicherry Taluk in Cannanore Dis-
  - (2) The revenue villages of Kannadiparamba and Kan-puram in Cannanore Taluk in Cannanore District;
  - (3) The revenue village of Morazha in Taliparamba Taluk in Cannanore District."

[No. S-38013/1/78-HI] S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

S. Q. 396.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2. Rombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of M/s. Gogte Minerals, Redi, and their workmen, which was received by the Central Government on 11-1-78. 11-1-78.

appoints the officer mentioned in column (I) of the Table below, being a Gazetted Officer of Government, to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise of the powers conferred and perform the duties imposed, on the estate officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table.

#### TABLE

Category of public premises Designation of officer and local limits of jurisdiction (2) (1)

Estate officer, Northern Railway New Delhi.

- (i) Public Premises under the administrative of the Northern Railway situated within the local limits of the entire Northern Railway.
- (i) House bearing Municipal 6492-Connaught No. Place, New Delhi and part of shop No. 6-F (Municipal No. 5690) Connaught Place, New Delhi (Requisitioned by the order of the Government of India, Estate Office, No. 68-E-O-VII/-Reqn. 48, dated the 20th Nov. 1948).

[F. No. 1/2/68-Reqn. I. CHAUDHURI, Director of Estates

#### दिल्ली विकास प्राधिकरण

#### (आवास विभाग)

नई दिल्ली, 3 मई, 1978

का० सा० 1671.—दिल्ली डवैल्पमेंट एक्ट 1957 (1957 की सं० 61) की धारा 57 तथा कार्यालय भादेश सं० एफ० 1(1)68-एच० बी॰ भाग-II दिनांक 13-5-71 के श्रांशिक संशोधन के श्रन्तर्गत बनाये गये दिल्ली विकास प्राधिकरण (ग्रावासीय क्षेत्रों की व्यवस्था एवं नियर्तन) नियम 1968 के नियम 3 द्वारा मुझे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, एम० एन० बुच उपाध्यक्ष दि० वि० प्रा० एतद्द्वारा श्रायुक्त (ग्रावास) तथा उपायुक्त (ग्रावास) दिल्ली विकास प्राधिकरण को भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के सामान्य निर्देशन तथा संकल्पों की शर्त पर उक्त नियमों के समस्त प्रशासनिक ग्रधिकार प्रदान करता हूं।

[सं॰ एफ॰ 1(1)/68-एच॰वी॰ प्रार्ट-1]

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

#### (Housing Department)

New Delhi, the 3rd May, 1978

S.O. 1671—In exercise of the powers vested in me by regulation 3 of the Delhi Development Authority (Management and Disposal of Housing Estates), Regulation, 1968, framed under section 57 of the Delhi Development Act (No. 61 of 1957), and in partial modification of Order No. F. 1(1)/68-HB. Pt. II dated 13th May, 1971, I, M. N. Buch, Vice-Chairman, Delhi Development Authority,

hereby delegate all powers to administer the said regula-tions also to the Commissioner (Housing) and the Deputy Commissioner (Housing), Delhi Development Authority subject to the general guidance and resolutions of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1(1)/68-HP. Pt. IJ]

कां भां 1672.—दिल्ली डवैल्पमेंट एक्ट 1957 (1957 की संव 61) की धारा 57 तथा कार्यालय आदेश सं० एक 1(1)/68 एच०बी० पार्ट-II दिनांक 13-5-71 के श्रांशिक संशोधन के अन्तर्गंत बनाये गये दिल्ली विकास प्राधिकरण (भ्रावासीय क्षेत्रों की व्यवस्या एवं निवर्तन) नियम 1968 के नियम 4 द्वारा मुझे प्रदत्त किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं एम॰ एन॰ ब्च, उपाध्यक्ष, दि॰ वि॰ प्रा॰ एतद्द्वारा समस्त कार्यकारी श्रधिकारियों (श्रावास) को दिल्ली विकास प्राधिकरण की भोर से उन नियमों के अन्तर्गत समस्त अनुबन्ध (करारनामें) निष्पादित करने के ग्रधिकार प्रदान करता हूं।

|सं0 1(1)/68-एच0 बी0 पार्ट-II]

S.O. 1672.—In exercise of the powers vested in me by regulation 4 of the Delhi Development Authority (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968, framed under section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) and in partial modifications of Office Order No. F. 1(1)/68-HP. Pt. II dated 13-5-1971 I, M. N. Buch, Vice-Chairman, Delhi Development Authority, hereby authorise all Executive Officers (Housing) to execute all agreements under those regulations on behalf of Delhi Development Authority.

[No. 1(1)/68-HB. Pt. 1/1]

का० आ० 1673.—दिल्ली डवैल्पमेंट एक्ट 1957 (1957 की सं० 61) की धारा 57 के अन्तर्गत बनाये गये दिल्ली विकास प्राधिकरण (श्रावासीय क्षेत्रों की व्यवस्था एवं निवर्तन) नियम 1968 के नियम 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते दूए मैं एम० एन० बुच, उपाध्यक्ष दि॰ वि॰ प्रा॰ एतदृद्वारा उपायुक्त (ग्रावास) को दिल्ली डवैल्पमेंट एक्ट 1957 की घारा 44 के ग्रन्तर्गत सम्पत्तियों के ग्रावंटन के संबंध में श्रावेदन प्राप्त करने के लिए सूचना जारी करने के ग्रधिकार प्रदान करता

> [सं० एफ० 1(1)/68 एच०बी० पाटं-H] एम० एन० बुच, उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरेण

S.O. 1673.—In exercise of the powers vested in me by S.O. 1673.—In exercise of the powers vested in me by regulation 21 of the Delhi Development Authority (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968, framed under section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), I, M. N. Buch, Vice-Chairman, Delhi Development Authority, hereby authorise the Deputy Commissioner (Housing) to cause public notices to be issued, in the manner prescribed under section 44 of the Delhi Development Act, 1957, for inviting application for the allotment of properties.

[No. 1(1)/68-HB. Pt. II]

M N. BUCH, Vice-Chairman, DDA

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1978

कां आ 1674.--शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विमाग) में भारत सरकार के सनिव-संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार तथा छूट) प्रधिनियम, (1947 1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त मधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्रारा यह घोषित करती है कि उक्त मधिनियम की मनुसूची के मनुच्छेद की V धारा 18 श्रपनी श्रापत्ति या सुझाव दें वे श्रपना नाम एवं पूरा पता भी लिखें। संशोधन :---

"लगभग 5.02 हैं। (12.4 एकड़) का क्षेत्र जो जीन सी-14 में चन्द्रावल वाटर वर्क्स के उत्तर में, माल रोड एक्सटैंशन के साथ राष्ट्रीय उच्च मार्ग बाई पास सं०-2 के चौराहे पर स्थित है ग्रीर जो पूर्व में 91.5 मी० (300') चीड़े राष्ट्रीय उच्च मार्ग बाई पास सं०-2, दक्षिण में 61 मी० (200) माल रोड एक्सर्टणन तथा पश्चिम व उत्तर में मुख्य योजनानुसार मनोरंजन क्षेत्र (जिला उद्यान खेल के मैदान तथा खुले स्थानों) द्वारा धिरा हुम्रा है। इसे भ्रम्न "मनोरंजन उपयोग " (जिला उद्यान खेल के मैदान एवं खुने स्थानों) से "ग्रावासीय उपयोग" में परि-वितित करने का प्रस्ताव है।"

2. प्रस्तावित संशोधन के मानचित्र का निरीक्षण शनिवार को छोड कर अन्य सभी कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय दसवी मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त प्रविध में किया जा सकता है।

[सं०-एफ-3(298)/65-एम० पी०]

कृष्ण प्रताप,

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

#### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st July, 1978

S.O. 1940.—The following modification which the Central S.O. 1940.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 5th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address. also give his name and full address.

# MODIFICATION :

"An area, measuring about 5.02 hects (12.4 acres) falling in zone C-14, in the north of Chandrawal Water Works, at the junction of National Highway By-pass No. II with Mall Road Extension, bounded by 01.5 mts (200 ft.) National Highway By-pass by 91.5 mts. (300 ft.) National Highway By-pass No. II in the east 61 mts. (200 ft.) Mall Road Extension in the South and the Matter Plan Recreational area (District Parks, play-ground and open spaces) in the West and north, is proposed to be changed from "Recreational use" (District parks, playgrounds and Open spaces) to "Residential" use." 3 438,941

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred

[No. F. 3(298)/65-M.P.] KRISHANA PRATAP, Seg

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1978

का० आ० 1941.—दिल्ली डेवलपमेंट ऐक्ट, 1957 (1957 की की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त प्रधिकारों का प्रयोग करते हुए दि० वि० प्रा० एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व-अनुमति से होटल्स, बोडिंग हाऊसिंग, गेस्ट हाऊसेज, होस्टल्स, लाजिंग हाऊसिज तथा मोटल्स (भवन स्तर) त्रिनियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करता है:---

#### संशोधनः--

- (1) नियम 1(4) निम्न प्रकार रखा जाता है:-"इन नियमों के अभित्राय के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्मय सरकार द्वारा किया जायेगा।"
- (2) "सावंजनिक संस्थानों ख्रौर निजी कम्पनियां" को नियम, 2(6) में दिये "प्रथवा सार्वजिनक संस्थानों" के स्थान पर रखा जाता है।
- (3) "भूमि तन एवं प्रथम मंजिलों में 30 प्रतिशत तथा शेव मंजिलों" को नियम 3(2) (0) (2) में दिये गये "प्रति मंजिल" के स्थान पर रखा जाता है।
- (4) नियम 3(2)(0)(6) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द

"5 स्टार होटल के लिये पाकिंग स्तर हेत् भवन/तहखाने के कटिलज के भीतर निर्मित स्थान के प्रत्येक 92.9 वर्ग मीटर (1000 वर्ग फुट) में 1.14 कारों का स्थान और अतिरिक्त पाकिय जहां आवश्यक हो निर्मित स्थान के प्रत्येक 92.9 वर्ग मीटर (1000 वर्ग फुट) 1.14 भारों के स्थान तक सीमित बणतें कि भवन के आस-पास 50 प्रतिशत खुला स्थान हरित/भूदृष्य के लिये अवश्य छोड़ा जाये।

गापिग रेस्टोरेंट, बैंक तथा ग्रन्य संबन्धित सुविवाग्रों जिनमें सरकुलेशन हेतु क्षेत्र, रसोई, स्टोरेज तथा इसी प्रकार की ग्रन्य सुविधाग्रों के उपयोग हेत् न्यूनतम भूतल क्षेत्र का 1.95 प्रति 92.90 वर्ग मीटर (1000 वर्ग फुट) के हिसाब से कार के स्थान के बराबर पार्किंग हो, तथा न्नयूतम 0.85 प्रति 92.90 वर्ग मीटर (1000 वर्ग फुट) के हिसाव से कार के स्थान के बराबर पार्किंग, शेष होटल के लिये है। (इसमें वहां कमी कीजा सकती है जहां सर्वजनिक पाकिंग हो तथा जिसको होटल द्वारा उपयोग में लाया जाता है तथापि इसकी सीमा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई हो।"

- (5) "कुल क्षेत्र में 33.45 वर्ग मीटर (400 वर्ग गज) तथा यह न्यूनतम 18.288 मी (60') चौड़ी सड़क पर स्थित हो" को नियम 4(1) (सी) में ग्राये "कुल क्षेत्र में 1005 वर्ग मीटर (1200 वर्ग गज)" के स्थान पर रखा जाता है।
- (6) नियम 5(1) में ग्राये "जैसा भी विषय हो" के स्थान पर "विशेष स्रपील के पश्चात् यदि प्राधिकरण द्वारा स्रनुमित की गई हो" शब्द रखे जाते हैं।
- (7) नियम 5(2)(1) को निम्न प्रकार रखा जाता है:— "(1) कुल क्षेत्र में से भूखण्ड का आधार 334.45 व० मी० (400 व०ग०) से कम नहीं होगा किन्तु यह न्यूनतम 18.288 मी॰ (60" चौड़ी सड़क पर स्थित हो ।"

कृष्ण प्रताप, सर्चि

New Delhi, the 1st July, 1978

S.O. 1941.—In exercise of the powers conferred by St Section (i) of Section 57 of the Delhi Development A 1957 (No. 61 of 1957), the Delhi Development Author with the previous approval of the Central Government here makes the following amendments to the Hotels, Board

Houses, Guest Houses, Hostels, Lodging Houses and Motels (Building Standards) Regulations, 1977:—

# AMENDMENTS:

- (1) Regulation 1(4) is substituted by the following words:—
  - "If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be decided by the Government".
- (2) The words:—"The Public Undertakings and Private Companies" are substituted for the words "or Public Undertakings" appearing in Regulation 2(6).
- (3) The words:—"On Ground and First Floors shall be 30 precent and on remaining floors" are substituted for the words "per floor" appearing in regulation 3(2) (a) (ii).
- (4) Regulation 3(2) (a) (vi)—is substituted by the following words:—
  - "Parking Standard for a 5 Star Hotel:—1.14 Car spaces per 92.9 square metres (1000 square feet) of built up space within the curtilage of the building/basement, and an additional parking, where required, limited to the extent of 1.1 car spaces per 92.9 square metres (1000 sq. feet) of the built up space, subject to the condition that 50 percent of the open space around the building should in any case, be left for greenery/landscaping.
  - Parking Standard for other hotels at an equivalent car space of at least 1.95 per 92.90 square metres (1000 square feet) of floor area for uses like shopping, restaurants, banqueting and convention facilities inclusive of areas for circulation, kitchens, storage and the like; and parking at an equivalent car space of at least 0.85 per 92.90 square metres (1000 square feet) of floor area for the rest of the Hotel. (This can be reduced where a public form of pooled parking exists to be availed of by the Hotel and if the extent of this is determined by the Authority)".
  - (5) The words:—"334.45 square metres (400 square yards) in net area and is located on a minimum 18.288 metres (60 feet) wide road" are substituted for the words "1005 sq. metres (1200 sq. yds.) in net area", appearing in Regulation 4(1) (c).
  - (6) The words:—"If allowed by the Authority after a special appeal" are substituted for the words "as the case may be" appearing in Regulation 5(1).
  - (7) Regulation 5(2) (i) is substituted by the following words:—
    - "(i) plots shall not be less than 334.45 square metres (400 square yards) in net area and is located on a minimum 18.288 metres (60 feet) wide road".

[No. F. 1(17)/74-MP] KRISHNA PRATAP, Secy.

#### श्रम मंत्रालय

#### म्रादेश

नई दिल्ली, 3 जून 1978

का० आ० 1942 केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध यनुमूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, येलेण्डू कोलियरीज, खमाम जिला, मान्ध्र प्रदेश के प्रवन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों भ्रीर उनके कमंकारों के बीच एक म्रीखोगिक विवाद विद्यमान है;

293 G1/78-

ग्रीर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिणयन के लिये निर्देशित करना बांछनीय समझती है ;

ग्रतः ग्रब, ग्रीद्योगिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की द्यारा 7क ग्रीर धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक ग्रीद्योगिक ग्रिधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन ग्रिधिकारी श्री के०पी० नारायण राव होंगे जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा ग्रीर उक्त विवाद को उक्त ग्रिधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करती है।

#### अनुसूची

क्या सिगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र का श्री गजूं ला रमैया, शाटफायरर, नं० 21 इन्कलाइन, येलेण्डू कोलियरीज को 2 जुलाई, 1977 से सेवा-निवृत करने की कार्यवाही न्यायोचित है, यदि नहीं, तो कर्मकार किस ग्रनतोष का हकदार है ?

> [संख्या एल-21012/2/77-डेस्क-4(बी)] भपेन्द्र नाथ, डेस्क ग्रधिकारी

# MINISTRY OF LABOUR

#### ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1978

50. 1942.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relating to the management of Singareni Collieries Company Limited, Yallandu Collieries, Khammam Distt. Andhra Pradesh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (I) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri K. P. Narayana Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

#### THE SCHEDULE

Whether the action of the management of Singareni Collieries Co. Ltd., in retiring Shri Jajula Ramaiah, Shot firer, No. 21 Incline, Yellandu Collieries with effect from 2-7-77 is justified. If not, to what relief is the concerned workman entitled.

[No. L-21012(2)]77-D-IV(B)]

BHUPENDRA NATH, Desk Officer

नई दिल्ली, 15 जून, 1978

का० ग्रा० 1943: —हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारी राज्य वीमा ग्रिधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री एस० एम० कंवर के स्थान पर श्री ए० एन० विद्यार्थी, सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है;

भ्रत. भ्रव, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा श्रधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के भ्रनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की भ्रधिसूचना संख्या का० ग्रा० 1517, तारीच 14 भ्रप्रैल, 1976 में निम्नुलिखित संशोधन करती है भ्रयात --

#### New Delhi, the 2nd August, 1978

S.O.2329.—In pursuance of the provisions contained in clause (d) of section 2 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976) read with clause (k) thereof, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Works and Housing No.S.O.(119) E, dated the 17th February, 1976, namely :-

In the said notification, for serial Nos. 5 and 11 and the entries relating thereto, the following serial Nos. and entries relating thereto, shall respectively be substituted, namely :-

"5. M'litary Estate Officer, Entire

area Chapter III and Karnatka Circle, Ban- within the local sections 26 and 27 of Chapter IV limits of the Cantonment of Belgaum.

· Poona.

11. Military Estate Officer, Entire area with- Chapter III and (Urban Land Cailing), in the local limits sections 26 and of the Canton- 27 of Chapter ment of Deolali IV."

> [F. No. 1/40/76-UCU]. S. MAHADEVA AYYAR, Dy. Socy.

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

सावंजितिक सूचना

नई दिल्ली, 12 ग्रगस्त, 78

का० आ० 2330 — केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में आवासीय भूखण्डों हेतु मान्य क्षेत्रीय विनियमों (जोनिंग रिगुलेशन्स) को संगोधित .करने पर विचार कर रही है, जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। इस संशोधनों के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या मुझाव हो तो वे अपने आपत्ति या मुझाव इस ज्ञापन के 30 दि। के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 5वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति अपने आपित या सुझाव दे, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखे।

मुख्य योजना के क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय विनियमों (जोनिंग एण्ड सब-डिविजन रेगुलेशन्स) से सम्बन्धित अध्याय के परिच्छेद 11 (क्षेत्रीय विनियमों) की धारा ए में "क्षेत्रीय उपयोग की आवश्यकताओं की व्यवस्था" के शीर्षक के पैरा 5 में-

पृष्ठ 55 पर मद (वी) "ग्रावासीय उपयोग क्षेत्र" के शीर्षक के ग्रन्तर्गत भूखण्ड पटाव हेतु सारणी के मद (1) को निम्न प्रकार से रखा जायेगा ।

प्रत्येक मंजिल का पटाव

- (1) (क) 100 वर्गगण (83.61 व०मी०) तक 66-2/3 प्रतिशत
  - (ख) तथा 100 व०ग० (83.61 व०मी०) संग्रधिक ग्रीर 300 वर्ग गज (250.83

व॰मी॰) तक

60 प्रतिशत

2. शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, 10वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त ग्रवधि में ग्राकर प्रस्तावित संशोधनों का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं एफ 3 (35) / 77-मु व्यो / पा - I] कृष्ण प्रताप, सचिव

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

#### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th August, 1978

S.O. 2330.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Zoning Regulations applicable to the residential plots in the Master Plan for Delhi applicable to the residential plots in the Master Plan for Delhi is hereby published for Public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 5th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address.

#### MODIFICATION:

In paragraph 5, entitled "PROVISIONS REGARDING REQUIREMENTS IN USE ZONES" occuring in Section A (Zoning Regulation) of Chapter II of the text of the Master Plan dealing with the Zoning and Sub-Division Regulations—

At page 55, against item (b) plot coverage under the heading "Residential Use Zone", item at (i) in the table shall be substituted by the following:—

Coverage on each floor

(i) (a) Upto 100 sq. yds. (83.61 sq. mtrs.).

669%

(b) And above 100 sq. yds. (83.61 sq. mtrs.) but not exceeding 300 sq. yds. (250.83 sq. mts.).

60%

2. The proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days, except Saturdays, within the period referred to above.

> [No. F. 3 (35)-/77-MP-Pt.-I] KRISHNA PRATAP, Secy.

#### संचार मंत्रालय

## (डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1978

का. आ. 2331.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनाक है गार्च, 1960 इवारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने विजीहंजम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-8-78 से प्रमाणित दर प्रणाली लागु करने का निष्चय किया हैं।

[संख्या 5-10/78-पी. एच. बी.]

कं. आर. नायर, उप-महानिद्शक (एम. एम.)

# MINISTRY OF COMMUNICATIONS

#### (P&T Board)

New Delhi, the 2nd August, 1978

S.O. 2331.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-8-78 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Vizhinjam, Telephone Exchange, Kerala 

[No. 5-10/78-PHB] K. R. NAIR, Dy. Director General (MS)

# MINISTRY OF WORKS & HOUSING

#### (Directorate of Estates)

New Delhi, the 24th July. 1978

S.O. 2705.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official purposes of the Linion) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Offices of the Assistant Estate Manager, Simla and Faridabad as being offices where the Staff have acquired a working knowledge of Hindi.

[No. 1/78/F. No. E 12012/(7)/77-Hindi.] P. S. PARWANI, Additional Director of Estates

## (दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 29 ग्रगस्त, 1978

का व स्राव 2706.—दिल्ली विकास स्रधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उपवास (3) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त मिन्नामें का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर, श्री एलव एचव भाटिया को श्री स्रारव एमव गुप्ता के स्थान पर पर दिल्ली विकास मिन्निय के इंजीनियर सदस्य के पद पर उस तारीख से नियुक्त किया है जिन तारीख को वे इस पद का कार्यभार सहण करेंगे।

[गंड्या के०-11011/27/78-यू० डी० आई० ए०] हरी राम गोयल, श्रवर सचिव

#### (Delhi Division)

New Delhi, the 29th August, 1978

5.0. 2706.—In exercise of the powers conferred by clause d) of sub-section (3) of section 3 of the Delhi Development Art, 1957 (61 of 1957) the Central Government appoints in L. H. Bhatia. Chief Engineer, Public Works Department, Government of Madhya Pradesh, as Engineer Member of the Delhi Development Authority with effect from the date he assumes charge of the post, vice Shri R. S. Gupta.

[No. K-11011/27/78-UDIA] H. R. GOEL, Under Secy.

# दिल्ली दिकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1978

# सार्वजीनक सूचना

का. आ 2707.—कंन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना/श्रेतीय गंतना मी निम्मिलिखित संशोधन करने का विचार कर रही हैं, एतल् ज निस्सं सार्वजिनक सूचना हेत्, प्रकाशित किया जाता हैं। इस जिथन के सम्बन्ध मी जिस किसी व्यक्ति को कोई आगींत्त या श्रिय होना हो तो वे अपने आपित्त या सुझाव इस सूचना के 30 रेन के भीतर सचिय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 5वीं मीजल, रेसन मीनार, इन्द्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली, के पास लिखित हों भीत ही जो व्यक्ति अपनी आपित्त या सुझाव हीं, वे

#### संशोधन :

'जांन डी-17 (बस्ती निजामुद्दीन) में 531.85 व. मी. (695.6 व. गज) का क्षंत्र जो पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में आवासीय भूमि (बस्ती निजामुद्धीन) दक्षिण एवं दक्षिण-परिवम में सार्वजीनक तथा अर्थ-सार्वजीनक उपयांग (धार्मिक तथा मदरसा कथ्रिय-उल्लोम), उत्तर-परिवन में मनोरंजन उपयोग तथा उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में सार्वजिनक तथा अर्थ-सार्वजीनक तथा अर्थ-सार्वजीनक तथा अर्थ-सार्वजीनक उपयोग (पुलिस-स्टेशन) द्वारा धित हुआ है, इसे अब 'मनोरंजन' (जिला उद्यान तथा छोल के मेंदान) से 'सार्वजिनक तथा अर्थ-सार्वजीनक उपयोग' (धार्मिक) में परिवर्तित किये जाने क प्रस्ताव हैं ।

2 शानियार को छांड़कर आँर सभी कार्यशील दिनों में दि. वि. प्रा. तो कार्यालय. 10भीं. मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रग्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अवधि के दाँतन प्रस्तावित संशोधन का मानिचन्न निमीक्षण होत, उपलब्ध होगा।

> [सं. एफ. 20(2)/72-एम. पी.] कृष्ण प्रताप, सीचव

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 16th September, 1978

# PUBLIC NOTICE

S.O. 2707.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 5th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate. New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address.

# MODIFICATION

The land use of an area measuring 581.85 sq. mts. (695.6 sq. yds.) in Zone D-17 (Basti Nizamuddin) surrounded by residential land use (Basti Nizamuddin) in the east and south-east, public & semi-public use (religious & Madrassa Kaship-ul-Ullom) in the south and south-west, recreational use in the north-west and public & semi-public use (Police Station) in the north & north-east, is proposed to be changed from 'recreational (district parks & playgrounds)' to 'public & semi-public use (religious)'.

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20(2)/78-MPJ KRISHNA PRATAP, Secy.

#### New Delhi, the 13th September, 1978

S.O. 2767.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 (51 of 1966), the Central Government hereby nominates Dr. Sushila Nayar as the President of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research. Chandigarh, vice Shri Raj Narain resigned.

[No. V. 16011/2/78-ME(PG)] R. V. SRINIVASAN, Dv. Secy.

#### दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 23 सितम्बर 1978

#### सावंजनिक सूचना

कार ब्राठ 2768.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना क्षेत्रीय योजना में निम्निक्टित संगोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सुचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। इस संगोधन के संबंध में जिस विसी व्यक्ति को कोई ब्रापित या सूझाव देना हो तो ये ध्रपने ब्रापित या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 5वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास खिवित तप में भेज दें। जो व्यक्ति ब्रपनी श्रापित या सुझाव दें, वे ब्रपना नाम एवं पता पुरा जिखें।

संशोधन

क्षेत्र डी-17, 18, 19, 20 एवं एफ-2 व 3 के संमिधित क्षेत्रीय विकास चित्र में पड़ने वाले उत्तर व पूर्व में निजामृद्दीन गांव छौर दक्षिण व पश्चिम में निजामृद्दीन वैस्ट से घिरे 0.17 हैक्टेयर  $\left(0.42\right)$  एकड़ साप के) भूखंड का उपयोग "प्रावासीय" से "स्थानीय व्यवसायिक" (मीट सार्किट) में परिवर्तित करने हेनु प्रस्तावित है।

2. शानिबार को छोड़कर ग्रीर सभी कार्यशील दिनों में दि० बि० प्रा० के कार्यालय, 10वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में उक्त प्रविध के दौरान प्रस्ताबित संशोधन का मानचित्र निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगी।

[संख्या एफ-20 (10)/78-एम० पी०]

कृष्ण प्रताप, स्विव

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 23rd September, 1978 PUBLIC NOTICE

S.O. 2768.—The following modification, which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Dejhi/Zonal Development Plan, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification, may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 5th Floor, Vikas Minar, Indraparastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

#### MODIFICATION:

The land use of an area, measuring 0.17 hect. (0.42 acre), falling in the Composite Zonal Development Plan for Zones D-17, 18, 19, 20 & F-2 & 3 and surrounded by Nizamuddin Village in the north and east and Nizamuddin West in the west and south, is proposed to be changed from 'residential' to 'Local Commercial' (Meat Market)'.

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20(10)/78-M.P.] KRISHNA PRATAP, Secv.

#### स्चना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 ग्रगस्त, 1978

का० थ्रा० 2769.— चलचित (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 10 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां अधिनियम) के खण्ड 5 के उप-खण्ड (2) के हारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 के श्रिधिकारी श्री के० पी० के० नायर को तदर्थ आधार पर 19 अगस्त. 1978 के पूर्वीद्व से तीन मास की अवधि के लिए केन्द्रीय फिल्म सेंगर बोर्ड, मद्राग में अपर प्रादेशिक अधिकारी के पद पर स्थानापत्र रूप से नियक्त करती है।

[फाइल संख्या 2/28/78-एफ० सी०] सुरेन्द्र कृमार शर्मा, उप सचिव

#### MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 29th August, 1978

S.O. 2769.—In exercise of the powers conferred by subsection (2) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), read with rule 10 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government has been pleased to appoint Shri K P. K. Nayar, a Grade I Officer of the Central Secretariat Services, to officiate as Additional Regional Officer, Central Board of Film Censors, Madras, on ad-hoc basis for a period of three months with effect from the foremoon of 19th August, 1978.

[F. No. 2/28/78-FC]

S. K. SHARMA, Dy. Secy.

#### संचार मंत्रालय

(डाक-तारबोर्ड)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1978

षा० प्रा० 2770. — फेन्द्रीय सरकार, भारतीय डाक्पर प्रधिनियम, 1898 ( 1898 का 6 ) की धारा 8 और 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय डाक्घर नियम, 1933 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, प्रयोत् :--

- 1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय डाक-घर (तीसरा संशोधन ) नियम, 1978 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंग।
- 2. भारतीय डाकघर नियम, 1933 के नियम 16 के उपनियम (2) में "महा पोस्ट मास्टर" शब्दों के स्थान पर, "अधीक्षक, डांक घर" शब्द रखे जाएंगे। [सं० 62-4/77-सी० 1]

एस० पी० राय, निदेशक (डाक तकनीकी)

# MINISTRY OF COMMUNICATIONS (P & T Board)

New Delhi, the 12th September, 1978

- S.O. 2770.—In exercise of the powers conferred by Section 8 and 21 of the Indian Post Offices Act, 1898 (6 of 1898) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933 namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Third Amendment), Rules, 1978.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In sub-rule (2) of rule 16 of the Indian Post Office Rules 1933 for the words 'Postmaster-General' the words "Superintendent of Post Offices" shall be substituted.

[No. 62-4/77-CI]

S. P. RAI, Director (Postal Technical)

के अनुसार प्रत्येक पात पर स्पष्टनया और अमिट रूप से इंकित की जाएगी, अर्थात्:--

- (क) पैकिंग की तारीख ग्रीर उपयोगिता ममाप्ति गी तारीख,
- (च) लाट संख्या, ग्रीर
- (ग) णुडभार।"

[फा॰सं॰ 13-12/75 ए॰ एम॰]

प्रयाम चंद्र, अयर राचिय

S.O. 3171.—The following draft of certain rules further to amend the Fennel (Whole and Ground), Fenngreek (Whole and Ground), and Celery Seeds (Whole), Grading and Marking Rules. 1956, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act. 1937 (1 of 1937), is hereby published as required by the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of fortyfive days from the date on which the copies of the Official Gazette containing this notification are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

#### DRAFT RULES

- 1. These rules may be called the Fennel (Whole and Ground). Fenugreek (Whole and Ground), and Celery seeds (Whole Grading and Marking (Amendment) Rules, 1978.
- 2. In the Fennel (Whole and Ground), Fenugreck (Whole and Ground), and Celery Seeds (Whole) Grading and Marking Rules. 1967, in rule 6, for sub-rule (ii), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
  - "(ii) In addition to the above, the following particulars shall also be clearly and indelibly marked on each container as per instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser in this regard, namely:—
    - (a) date of packing and date of expiry,
    - (b) lot number, and
    - (c) net weight."

[No. F. 13-12/75-AM] PRAKASH CHANDER, Under Secy.

#### निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 ग्रक्तूबर, 1978

का॰ प्रा॰ 3172—राष्ट्रपति, सरकारी निवास स्थान आवंटन (दिल्ली माधारण पूल) नियम, 1963 के अनुपूरक नियम 318-ख-2 के खण्ड (ख) के अनुसूरण में 1-12-1978 को प्रारभ्भ होने वाली और 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि को आवंटन वर्ष की अवधि के स्प में अधिमूचित करते हैं।

[फा० सं० 12033(16)/77-नीति-2]

#### MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 19th October, 1978

S.O. 3172.—In pursuance of clause (b) of S.R. 317-8-2 of the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, the President hereby notifies the period commencing on the 1st day of December, 1978 and ending on the 31st day of December, 1980 as the period of the allotment year.

[F. No. 12033(16)/77-Pol. II]

नई दिल्ली, 20 ग्रक्तूबर, 1978

का० ग्रा० 3173 - -राष्ट्रपति, मूल नियमों के नियम 15 के उपबंधों के अनुसरण में, सरकारी निवास-स्थान आवंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :--

- (1) इन नियमों का नाम सरकारी निवास स्थान आवंटन (दिल्ली में साधारण पूल) छटयां संशोधन नियम, 1973 है।
  - (2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- ृ. सरकारी निवास स्थान आबंदन (दिल्ली में गाधारण पूल) नियम. 1963 में, अनुपूरक नियम 317-ख-5 में, सारणी में, स्तम्भ 2 के शीर्ष में, "आबंदन वर्ष के, जिसमें आबंदन किया गया है, प्रथम दिन की" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थीत:---

"ऐसी तारीख को जो सम्बद्ध आर्थटन वर्ष के प्रयोजन के लिए विनि-दिल्ट की जाए"।

[फा॰ सं॰ 12033(8)/78-पोल॰ II] जी॰ रामचन्द्रन्, संपदा उप निशेशक

New Deihi, the 20th October, 1978

- S.O. 3173.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Sixth Amendment Ruïes, 1978.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, in Supplementary Rule 317-B-5, in the Table, in the heading of cloumn 2, for the words "on the first day of the allotment year in which the allotment is made", the following words shall be substituted, namely:—

"on such date as may be specified by the Central Government for the purpose of the allotment year concerned".

[F. No. 12033(8)/78-Pol. II] G. RAMACHANDRAN, Dy. Director

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1978

#### सार्वजनिक स्चना

का० श्रा० 3174:—केन्द्रीय सरकार जोन र्डा-4 (पालियामेंट स्ट्रीट) के क्षेत्रीय विकास योजना चित्र में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, जिसे एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। इस संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई प्रापत्ति या सुझाव देना हो तो वे ग्रपने ग्रापत्ति या सुझाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 5वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्र-प्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दे। जो व्यक्ति ग्रपनी ग्रापत्ति या सुझाव दें वे ग्रपना नाम एवं पूरा पता भी लिखें।

#### संशोधन

"लगभग 0.81 है (2.0 एकड़ का क्षेत्र जो भू-खण्ड सं० 9, रफी मार्ग, का भाग है। यह क्षेत्र जोन -"डी"-4 (पालियामेंट स्ट्रांट) में पड़ता है, जो उत्तर तथा उत्तर पूर्व में सेवा पथ (सर्विस रोड) दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में ब्रावासीय क्षेत्र, पिन्यम में रफी मार्ग (120' चौड़े) तथा उत्तर पिन्यम में 40 फुट चौड़ी सड़क द्वारा घिरा दूया है। इसे ब्रव "गरकूलेणन" (पाकिन) से "संस्थानीय (इन्स-टीच्यूजनल)" उपयोग में परिवर्गित किया जाना है। "

2. शनिवार को छोड़कर ओर सभी कायंगील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, 10वीं मंत्रिल, विकास मीनार, उन्द्रप्रस्था इस्टेट, नर्ज दिल्ली में उक्त प्रविध में श्राकर प्रस्तावित संशोधन के मानचिद्र का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं० एम० 20/6/78-म० योजना]

कृष्ण प्रताप, सचिव

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 4th November, 1978

#### PUBLIC NOTICE

S.O. 3174.—The following modification, which the Central Government proposes to make to the Zonal Development Plan for Zone D-4 (Parliament Street) is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification, may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority. 5th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate. New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address:—

#### NOTIFICATION

"The land use of an area measuring about 0.81 heet. (2.0 acres) forming part of plot No. 9 Rafi Marg and falling in Zone D-4 (Parliament Street) and bounded by a Service Road in the north and north east residential area in the south and south east. Rafi Marg (120' wide) in the West and 40' wide road in the north west is proposed to be changed from 'Circulation' (parking) to 'Institutional' use."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the Office of the Authority, 10th Floor. Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20(6)/78-MP]

KRISHNA PRATAP. Secy.

## पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(बनदोबस्त कक्ष)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1978

कां आ 3175.— निष्कान्त सम्पत्ति प्रणासन प्रशिनियम, 1950 (1950 का XXXI) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग (बंदोबस्त विग) में सहायक वंदोबस्त प्रायुक्त के रूप में कार्य कर रहे थी एच० के० धवन को, उक्त प्रधिनियम या उसके प्रंतर्गत प्रभिरक्षक को सींपेगए कार्यों का गिष्पादन करते हैं।

[सं॰ ए०३६०।६(।)/७5-प्रसा०/राज०/ए जी जेड-/ब वि॰]

# MINISTRY OF WORKS & HOUSING, SUPPLY & REHABILITATION

#### (Department of Rehabilitation

#### (Settlement Wing)

New Delhi, the 25th September, 1978

S.O. 3175.—In exercise of the powers conferred by Subsection (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act. 1950 (XXXI of 1950) the Central Government hereby appoints Shri H. K. Dhawan, Assistant Settlement Officer in the Department of Rehabilitation (Settlement Wing) as Assistant Custodian of Evacuee Property for the purpose of discharging the duties imposed on such Custodian by or under the said Act.

[No. A. 36016/1/75-Ad/GZ/AGZ/SW]

का० आ० 3176—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्शेम) अधि-नियम 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त गिक्कियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय नरकार उसके हारा पुनर्शम रिभाग में सहायक यंदोवस्त आयुक्त के पद पर कार्य कर रहे थी एच० के० धवने को उक्त अधिनियम या उसके द्वारा प्रवंध अधिकारी को साँचे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए, प्रवंध अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

> [स॰ ए॰ 36016/1/75-प्रशा॰/राज॰/ए जी जेड/व वि॰] दीना नाथ असीजा, सयक्त निदेशक

S.O. 3176.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (No. 44 of 1954) the Central Government hereby appoints Shri H. K. Dhawan, Assistant Settlement Officer in the Department of Rehabilitation as Managing Officer for the purpose of performing the functions assigned to such Officers by or under the said Act.

[No. A. 36016/1/75-Ad/Gz/AGZ/SW]
D. N. ASIJA, Jt. Director

#### श्रम मंत्रालय

#### स्रादेश

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1978

कार आर 3177 केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिदिब्ट विषयों में बारे में कुमारस्वामी आयरन ऑर इन्वे-स्टीगेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रवंधतत्न से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक ब्रीद्योगिक विवाद विद्यमान है;

र्थार केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशत करना बांछनीय समझती है;

ग्रनः स्रव, ग्रीबोगिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क ग्रीर धारा 10 को उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदन लिक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय गरकार, एक ग्रीबोगिक श्रधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन ग्रधिकारी श्री एस० एस० एसवरस होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलीर में होगा ग्रीर उक्त विवाद को उक्त प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

#### ऋनु सूची

"क्या कुमारस्वामी आयरन आँर प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, देविगरों के प्रबन्धतव की, वर्षों तक सेवा को नियमित किए बिना अस्थायी आधार पर दैनिक मजदूरों पर व्यक्तियों को नियोजित करने और उन्हें नियमित कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी को मगेक्षा कम मजदूरी देने की कार्यवाही न्यायोगित है? यदि नहीं, तो व्यक्षित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?"

> [सं॰ एल-26011/8/78-ही॰ 3 बी॰] मार॰ कुंजीथापदम, ग्रवर सचिव

#### नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1979

कार आर 326.—स्यायी मादेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा तागू किये गरे भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के रैरा (क) के प्रमुक्तार डाक तार महानिदेशक ने धारापुरम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-2-79 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निष्धय

[संदया: 5-5/79-पी०-एच० भी०]

#### New Delni, the 16th January, 1979

50, 326.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs; hereby specifies the 1st February, 1979 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Dharapuram Telephone Exchange, T. N. Circle.

[No. 5-5/79-PHB]

#### गई दिल्ली, 18 जनवरी, 1979

कार अर्थ 32%—स्यायी मादेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के चंड III के पैरा (क) के म्रनुसार डाक-सार महानिदेशक ने जावरा देशी होते किन्न में दिनांक 16-2-79 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का विश्वय किया है।

[सं० 5-6/79/ पी० एव० वी०]

विस्तायो नाथ, सहायक महानिदेशक (पी० एच० बी०)

#### New Delhi, the 18th January, 1979

8.0. 327.—in pursuance of para (a) of Section III of Role 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16th February, 1979 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Jaora Telephone Exchange, M.P. Circle.

[No. 5-6/79-PHB] TRILOKI NATH, Asst. Dir. Gen. (PHB)

#### निर्माण और आयास मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1979

भारता 328.—राष्ट्रपति, मूल नियमों के नियम 45 के उपवंधों के अनुधरण में, सरकारी निवास-स्थान क्रायंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 में श्रीर संशोधन करने के लिए निश्नलिखित नियम बनाते हैं, सर्पात्:—

- 1. (1) इन नियमों का नाम सरकारी निवास-स्थान म्राबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) संशोधन नियम, 1979 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. रारकारी निवास-स्थान आवंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 में, अनु जि 317-ख-10 उपनियम (3) का लोप किया जाएगा।

[फा॰ सं॰ 12035(10)/77-नी॰-रीरे] बो॰ एम॰ भुन्ता, संपदा उप-निदेशक

#### MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 5th January, 1979

- S.O. 328.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the Allotment of Government Rendences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, namely:—
- 1. (i) These rules may be called the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Amendment Rules, 1979.
- (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, sub-rule 3 of S.R. 317-B-10 shall be omitted.

[File No. 12035(10)/77-Poi. II] B.M. GUPTA, Dy. Director of Estates

#### दिल्ली थिनास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1978

का आ 329.—-दिल्ली विकास अधितियम, 1957 (1957 की संद्र्या 61) की धारा 52 के उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग भरते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा निर्देश देता है कि दिल्ली मुख्य योजना के अन्तर्गत "विशेष अपील" की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पृथक-पृथक किया जा सकता है।

सिं० एफ । (71) 76-ई० बी०]

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 8th November, 1978

S.O. 329.—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 52 of the Delhi Development Act. 1957 (No. 61 of 1957), the Delhi Development Authority hereby directs that powers exercisable by it under the provisions of 'Special Appeal' provided for under the Masler Plan of Delhi may also be exercised by its Chairman and Vice-Chairman, severally.

[No. F. 1(71)/76-EB.]

का०आ० 330.—दिल्ली डेबेल्पमेंट एनट, 1957 को धारा 52 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त पित्रयों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्दारा निदेश देता है कि उक्त एक्ट (1957 की सं०-61) की धारा 49 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पूर्व अनुमति प्रदान करने की शक्तियों का प्रयोग सचिव द्वारा भी किया जा सकता है। आगे यह भी निदेश दिया जाता है कि उक्त शक्तियों का प्रयोग अपर सचिव (प्रवर्तन) द्वारा भी सचिव के निद्यंत्रण में किया जा सकता है।

[सं० एफ० 1(70)/76-ई०थी०]

members of the 'Advisory Council' of the Delhi Development Authority in place of Smt. Sumitra—Charat Ram, Sh. Hari Krishan Pathak and Sh. R. L. Schdev by the Administrator/Lt. Governor of the Union Territory of Delhi in exercise of the powers of the Central Government—vested in it under clause (1) of sub-section (2) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (Act No. 61 of 1957) and delegated to him under sub-section (2) of Section 52 of the said Act by that Government vide Notification No. 18011/28/67-UD dated 14th February, 1969.

INo. F. 5(1)/79/MCI

का.आ. 193 (अ).-दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधि-सूचना सं. सेकेटरी/वी एंड सी./26/67 दिनांक 14-2-1978 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा अधिस्त्रित किया जाता है कि गर्बधी किशोरी लाल और शित्र नारायण गर-मूनिया जो दिनांक 21-3-1979 को छठी लोक सभा के भंग हो जाने पर इसके सदस्य नहीं रहे, के स्थान पर, प्रो. नारायण चन्द पाराशर और श्री राम निलास पासवान, दोनों ''हाऊस आफ पीपल '' (लोक सभा) के सदस्य हैं और ''हाऊस आफ

पीपल'' (लोक सभा) द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण की ''सलाहकार समिति'' के सदस्य के रूप में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की रां. 61) को धारा 5 की उप-धारा (2) (एच) के अन्तर्गत कार्य करने के लिए इन लिए गए हैं।

> [सं. एफ. 5(1)/79/एम. सी.] नाथ राम, सचिव

S.O. 193(E).—In partial modification of Notification No. SecylV&C|26|67 dated 14-2-1978, of Delhi Development Authority, it is horeby notified that Prof. Narain Chand Parashar and Shri Ram Vilas Paswan, both members of the House of the People (Lok Sabha) have been elected by the House of the People (Lok Sabha) to serve as members of the Advisory Council of the Delhi Development Authority in place of S/Sh. Kishore Lal and Shiv Narain Sarsonia, who ceased to be members of the 6th Lok Sabha on its dissolution on 21-8-1979, under clause (h) of sub-section (2) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (Act 61 of 1957).

[No. F. 5(1)/79/MCI NATHU RAM, Seev.

#### विल्ला विभास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 21 जुनाई, 1979

का श्या । 2671.—दिल्ली विकास ग्रिधिनियम, 1957 (ग्रिधिनियम 1957 का 61) की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने भूमि एवं विकास कार्योलय, निर्माण एवं प्रायास मंबालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के ग्रिधीन नीचे दी गई अनुसूची में निर्धारित भूमि के निर्माटन हेनु दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया ग्रीर ग्रम यह भूमि भारतीय दूरिजम विकास कारपोरेशन को एक होटल के निर्माण हेनु स्थानान्तरित की जाती है।

#### ग्रनगची

जनपथ और अभोका रोड़ के जनमान पर नई दिल्ली में स्थित साईट सं० 5की यिधमूचना सं० एस०खो० 1810 दिनांक 20-7-74 के अनुसार जिल्ही और प्लान सं० 3117/1 लगभग 1-9 एकड़ (1-983 इंक्टर) भूनि के भाग को दिखाया गया है।

ज्यमुक्त भूमि की सीमा का विवरण इस प्रकार है — ज ज्ञार--स्रविम सड़क दक्षिण --अशोक सड़क पूर्व--जनपथ सड़क पश्चिम --स्रवित सड़क

> [मं ० एस ० एप ० 33(7)/78-ए ० एस ० आरे ० (1)/(432-34) हरी साम गोयन, सचिव

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY New Delhi, the 21st July, 1979

S.O. 2671.—In pursuance of the provisions of sub-section (4) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (Act 61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land and Development Office, Ministry of Works and Housing, Government of India, New Delhi for further transfer to the Indian Tourism Development Corporation for construction of a Hotel.

#### SCHEDULE

Piece of land measuring about 4.9 acres (about 1.983 Hectares) situated at the junction of Janpath and Ashoka Road, New Delni, bearing Site No. 5 full of Notification No. S.O. 1810 Dated 20-7-74 shown in the plan L.D.O. 3117/i.

The above piece of land is bounded as follows :-

North: by Service Road. South: by Ashoka Road. East: by Janpath Road. West: by Services Road.

[No. S&S 33(7)/78/ASO(1)/432-34] H. R. GOEL, Secy.

## पूर्ति और पुनर्वास संद्रालय (पुनर्वास विभाग )

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1979

का ब्या ० 2672.— निष्यांत सम्पत्ति प्रशासन ग्रधितियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदेन अभित्यों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय स्रकार इसके द्वारा गुजरात सरकार के पदेत-विशेष सितित (राजस्व) गया पूषि सुधार ज्ञानुबन को उपत श्रधितियम द्वारा या उसके प्रयोग जन महा ग्रामिरक्षक को मंगि गये कार्यो को निष्पादित करते के लिये उस महा ग्रामिरक्षक के एवं में तिसुबत करती है।

[संख्या 1(3)/विणेष सेल/ 79-एम अप्रार-11]

#### MENISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

#### (Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 17th July, 1979

S.O. 2672.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (XXXI of 1950), the Central Government hereby appoints the Commissioner of Land Reforms and Ex-Officio Special Sectionary (Revenue), Government of Gujarat, as Deputy Custodian General for the purpose of discharging the duties imposed on such Deputy Custodian General by or under the said Act.

[No. 1(3)/Spl. Cell/79-SS. II]

का अा 2673.——निकास सम्पत्ति ज्ञासन अधिनियम, 1980 (1950 का 31) की धारा 6 की उपआरा (1) द्वारा द्रवल अभिन्दी का प्रांग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुगरान राज्य के तिथे, गृत्यान राज्य के राजस्व विभाग में कार्य कर है उप मच्चिय (पुग्रीम) की, उनत अधिनियम द्वारा वा उपके अधीन अतिरित्त अभिरक्षक की साँपे गये कार्यी का निष्यादन करते के लिये, तत्काल प्रभाव में, अतिरिक्त अभिरक्षक, निष्यात्म सम्पत्ति के हुए में नियुन्त अपर्या है।

[संव 1(3)/विवसंव/79नग्रवण्तव 2] दीमा नाथ अगीजा , मेनुक्त निवसंव

S.O. 2673.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, (XXXI of 1950), the Central Government hereby appoints for the State of Gujarat the Deputy Secretary (Rehabilitation) in the Revenue Department of the State Government of Gujarat as Additional Custocian of Evacuee Property for the purpose of discharging the duties imposed on such Additional Custodian by or under the said Act with immediate effect.

[No. 1(3)/Spl. Cell/79-SS. II.] D. N. ASIJA, Jt. Secy.

## संचार मंत्रालय

(शाक तार योर्ड)

नई दिल्ली, 21 मुनाई, 1979

का अधा ० 2674. — स्थायी आदेश संख्या 627. दिवांक 8 मार्ग. 1960 द्वारा लागू निवं गये भारतीय तार निगम, 1951 के नियम 434 के खड़ III के पैरा (क) के धनुसार डाक-चार महानिदेशक ने कीरवा टिगिकीन केन्द्र में दिनांक 10-8-79 से प्रमाणित वर प्रणाली जानू गरने का निज्या किया है।

[संद्या: ३-६/७०-मीलम्बर्णी०] स्राप्तरकील सदारिया, सहायम महागिरेणम ्मीलम्बर्णि

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P. & T Board)

New Delhi, the 24th July, 1979


S.O. 2674.—In pursuance of para (a) of Section 111 of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1950, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16-8-1979 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Korba Telephone Exchange, M.P. Circle.

[No. 5-6/79-PHB]

R. C. KATARIA, Assit. Director General (PHB)

# SITE-PLAN OF ANCIENT STUPA AND OTHER REMAINS, LOCALLY KNOWN AS SUJATA GARH, BAKRAUR, DISTRICT GAYA

50 0 50 100 150 200 250 300 350 METRES



LIMITS OF PROPOSED PROTECTION

[No. 2/36/73—M]

M.N. DESHPANDE, Dir. General and Ex-Officio Jt. Secy.

#### दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1979

का० ग्रा॰ 2728 — दिल्ती विकास ग्रधिनियम, 1957 (1957 की सं० 61) की धारा 52 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निहित ग्रितियों का प्रयोग करने हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतदहारा दि० विष्ठा० (वेतन भन्ने एवं शर्ते) नियम 1961 की शर्तों में द्वितीय थेणी तक के पदों के लिए प्राधिकरण के उपध्यक्ष तथा प्रथम थेणी तक के पदों के लिए प्राधिकरण के उपध्यक्ष तथा प्रथम थेणी तक के पदों के लिए ग्रधिकरण के उपध्यक्ष तथा प्रथम करने की पित्र ग्राधिकरण प्रथम अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की प्रक्तियों प्रदान करता है और उनका प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करना है।

The tribulation of the second 
[सं० एक 1(1)/79 समन्वय/ग्रा०-97-76] हरी राम गोयल, सचिव

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 26th July, 1979

S.O. 2728.—In exercise of the powers vested in it under Sub-section (1) of Section 52 of the Delhi Development Act 1957 (No. 61 of 1957), the Delhi Development Authority hereby delegates its power as appointing and disciplinary authority in terms of the DDA (Salaries, Allowances and conditions of Service) Regulations, 1961 for posts upto Class II to its Vice-Chairman and for posts upto Class I to its Chairman and authorises them to act as such.

[No. F. 1(1)/79-Coord./Res. 97-76] H. R. GOEL, Secy.

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 2nd August, 1979

S.O. 2814.—In partial modification of notification No. Seey/V3C/26/67 dated 14-2-1978, it is hereby notified that Shri Khurshid Alam Khan, M. P. has been elected by Rajya Sabha on 11-5-1978 to serve as Member of Advisory Coun-

oil of the Delhi Development Authority in place of Smt Savita Bahen, retired from the membership of the Raiva Sabha on 2-4-1978 under clause (h) of sub-section (2) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (Act 61 of 1957).

[No. Secy/V&C/26/67/Vol-1] H. R. GOEL, Secy.

थम्/भैत्रालय

श्रादेश

नई दिल्ली, 22 जून, 1979

का॰प्रा॰ 2812.—इतसे उपावद् धनुसूची में विनिर्दिष्ट औदोंपिक विवाद केन्द्रीय सरकार औदोगिक प्रक्षिकरण न॰ 3, घनवाद के समज निषटान के लिए लम्बित पढ़े हैं ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि न्याय की तत्काल व्यवस्था के हित में यह आपश्यक है कि उस्त औद्योगिक अधिकरण से उन्त आंग्रोगिक विवादों के सम्बन्ध में कार्यवाहियों की वापत लेकर उबत आंग्रोगिक अधिकरण के कार्यकार की कम किया जाए ;

न्नतः, अत्र , अश्विःगिक विवाद न्निवित्तमा, 1947 (1947 का 14) की उपधारा 33 ख हारा प्रवत्त मिनायों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इत से उपाबद्ध अपनुत्त्वीं में जिनिविद्ध औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में कार्यवाहियों को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्निविद्ध औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में कार्यवाहियों को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्निविद्य आधिकरण न ० 2, वनवाद को इस निदेश के साथ स्थानान्तरित करती है कि उक्त प्रधिकरण आगे कार्यवाही उन प्रकाम से करेगा, जिला पर वह उमे स्थानान्तरित को जाए तथा विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा।

|   | प्रनुगूर     | र्वी  |
|---|--------------|---|
| भगांक मंत्रालय के यादेश की संख्या और तारी ख   | संदर्भ       | विवाद के पशकारों के नाम   |
| . 1   | 3            | 4   |
| 1. एल-29011/21/75-डी॰ ऑ०-3 (बी)/डी॰ 4(पी) तारीख<br>31-12-76<br>2. एल-43012/7/75-डी॰ 4(बी) (2) | 1/76<br>2/76 | इंडियन कापर कामण्यक्स की भाेसाबानी माइन और उनके कर्मकार<br>मेससै यूरेनियम कारपोरेशन याफ इंडिया लि० की जादूगुदू यूरेनियम<br>माइन्स |
| 3. एस०- 13012/3/75/डी० -1(बी)<br>तारीथ - 20-2-76  | 14/76        | मोसावानी माइन प्राफ्त इंडियन कापर काम लेक्द्र तथा उनके कर्मकार  |
| 4. एल-43011/1/76/डी॰ 2(बी)<br>तारीच 23-2-76   | 17/76        | पथोश्त  |
| 5. एस-20012/1/76 हो॰ 2(बी)<br>तारीख 23-2-76   | 22/76        | ं मैतन सी० प्राई० एल० को केड़ला कोलियरो तथा उनके जनकार  |
| 6. एल॰ 28011/1/76-डी॰ 2(बी)<br>तारीख 30-1-76  | 1/77         | ् मुरारी माइका ट्रेंडिंग करननी का प्रवस्थाति तथा उक्ति कर्मकार  |
| 7. एल० 29011(57)/7-1-एल० सार०-1<br>तारीख 17-12-7-1  | 6/77         | सोन बेल्ली पोर्टलेन्ड सोमेन्ट कन्पनी का प्रयत्यतंत्र तथा उत्तर हर्ने गर   |
| 8. एत० 2901 1/47/74-एत० प्रार० 4<br>तारीख यून्य   | 10/77        | मैसर्स टिस्को के रेजिंग ठेकेदार धार० निवा एण्ड कम्पनी का प्रधन्त-<br>तन्त्र तथा उनके कर्मकार                                      |
| 9. एतः 20012/4://74र,४० भारः -<br>तारीख 24-5-75   | 1-5/77       | भेतर्स दो० सो० सो० एत० का ईस्ट कोकट रात कोलियरी का प्रान्त-<br>तन्त्र तथा उनके कर्मकार  |
| 10. एवंच 20012/9/75-डी॰ 2(ए)<br>तारीच 16-6-75   | 20/77        | मैससं द्यां सी स्मार एल स्तो लोयबाद कोलियरी का अपन्यास<br>सथा उतके कर्मकार  |
| 11. एत्र थ 20012/52/75—थी॰ 3 ए<br>नारीख 23-7-75   | 26/77        | ्मेंसर्स बी० सी० एत० को तेतुतनारी कांतिपरो का प्रशंशक्षेत्र<br>तया जनके कार्यकार !  |
| 12. एन० 20012/158/75डो॰ 2 ए<br>तारीद 2-8-75   | 30/77        | मैसर्स बीव सीव सीव एनव की भटडीह कोलिवरी का प्रत्यतंत ।  |
| . 13. एल-20011/6/75-উতি জাঁ০ 3 (মাঁ) মতি ন<br>বাংগীৰ 3-9-75                                   | - 32/77 .    | मैरार्स यूरेनियम कारपोरेशन श्राफ इंडिया की जद्दगुडा भाइन अन<br>प्रयोगतंत्र  |

- (2) धी कें सी० काणिक, सेवा-निवृत्त क्षेत्रीय निर्देशक, नागर विमानन विभाग
- (3) बा॰ यी॰ पी॰ मोडाली, निदेणण, इन्नेयद्रानिक्स विभाग
- (1) भ्रुप शिष्टेन एम० एस० भृशुस्त्रामी, हैडक्शाटन गरिलाइम एसर श्रापरे म, भारतीय थायु ग्रेना,

जांच अदालत 30 नवम्बर, 1979 तक अपनी जांच पूरी कर सेगी श्रीर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

णांच प्रदालत का मुख्यालय बम्बई में होगा ।

[फा॰ सं॰ ए॰ बी॰ !5013/15/79-ए)] एन॰ एकाम्बरम, उप सचिव

## MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 21st August, 1979

S.O. 3055.—Whereas on 4th August, 1979 an Indan Airlines' HS-748 aircraft VT-DXI while operating scheduled flight IC-158, from Pune to Bombay, crashed near Bombay, resulting in the death of 45 persons (including 5 crew members) on board;

And whereas it appears to the Central Government that it is expedient to hold a formal investigation into the circumstances of the said accident;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 75 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government dent be held.

The Central Government is further pleased to appoint Unit Justice D. .. I Rege, Judge of the Bombay High Court, to hold the said investigation.

The Central Government is also pleased to appoint :---

- (1) Capt. V K. Hoseli, Deputy Operations Manager, Air India,
- (2) Shri J. C. Karnick, Retd, Regional Director, Civil Aviation Department,
- (3) Dr. V P. Kodali, Director, Department of Electronics,:
- (4) Gr. Capt. M. S. Muthuswami, Headquarters Maritime Air Operations, Indian Air Force, Bombay,

to act as assessors to the said investigation.

The Court of Inquiry will complete its inquiry and make its report to the Central Government by 30th November, 1979

The headquarters of the Court of Inquiry will be at Bombay.

[F. No. Av. 15013/15/79-A]
S. EKAMBARAM, Dy. Secy.

विश्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 23 प्रगत्त, 1979

भाव आव 3656 — दिल्ली विकास ग्रधिनियन, 1957 (1957 भी संब 61) की धारा 22 की उपधारा (4) की व्यवस्थाओं के प्रमुखरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिव 26-6-78 से निजन निवेदन प्रमुखी में योजन संपूत्र धूमि, जो सरकार की भागे आकाश- वाशी (अनुमंधान अभियन्ता कार्यालय) की टीअपुर, पर इन्त्रपुरी-राजेंन्त्र नगर मार्ग से पहुंच मार्ग के गिर्माण-हेतु हस्तान्तरित अरने के लिये चाहिए की इस गतं पर कि मार्ग की चौड़ाई लगभग 3'66 मीटर से अधिक नहीं होगी, पर प्रतिस्थापित कर दिया है:—

#### **रा**नुस्यो

गाज्यमं रिण इस्टेट के घरारा सं० 422 मिन० में स्थित स्थानम् 200 वर्ष मोटर (215133 वर्ष गज) भूनि का टुक्तज़ जिसकी सीमाएं निम्मितिश्वत हैं:---

उत्तर ने : ग्राल इण्डिया रेडियों मार्ग

दक्षिण में : इन्द्रपुरा मार्ग

पूर्व के: . विश्व विश्व माश्र के प्रकल्य के प्रमुखन निर्मुख

भूमि

पश्चिम में : भारत कृषि प्रनुवंबान सत्थान भूमि ।

[गं एफ । 1(1)/79-समन्त्रग/आ० 148-1973]

हरी राम गोयल, मचित्र

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 23rd August, 1979

S.O. 3056.—In pursuance of provisions of sub-section (4) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (Act 61 of 1957), the Delhi Development Authority has, with effect from 26th June 1978, replaced at the disposal of the Central Government the Nazul land described in the Schedule below, which is required by that Government for further transfer to the All India Radio (Office of the Research Engineer) for the construction of approach rold connecting the Receiving Centre at Todapur with Inderpuri-Rajinder Nagar Road, subject to the condition that the width of the road shall not be more than 3.66 metres approximately.

SCHEDULE

Piece of land measuring abou 209 sq. metres approximately (215.33 sq yds.) situate at Southern Ridge Estate, hearing Khasra No. 422 Min. and bounded as under :--

North: All India Radio Road

South: Inderpuri Road.

East: Nazul land under management of DDA. West: India Agricultural Research Institute Land.

[No. F. 1(1)/79-Coord./Res. 148-1973]

H. R. OOPL, Secy.

#### रेश मंबालय

(रेलये बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 शमस्त, 1979.

कार पार 3037.—संविधान के प्रतुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रश्न प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेख गर्भ-चारी (प्रमुखासन एवं प्रपील) नियम, 1968 में और श्रागे संशोधन ,करने के सिए निम्मलिखित नियम बनाते हैं, प्रधीत् :—

- (1) में नियम रेल कर्मचारी (धनुवासन एनं प्रमीत) प्रया संबोधन नियम, 1979 कहनायेंगे ।
- (2) से सरकारी राजपल में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्र । होंगे ।

## दिल्ली विकास गाधिकरण

नई दिल्ली, न सितम्बर, 1979

बत्तर शत 3232,—दिल्ली विकास प्रधिनियम, 1957 (प्रधिनियम 1957 को 61) की धारा 22 की उपधारा (त) के बन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की भूमि एवं विकास कार्योलय निर्माण एवं आवात संवालय, भारत सरकार, तर्र दिल्ली के प्रधीन नीचे दो गई सनुसूची में निर्धारित भूमि के क्लिटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण नियुक्त किया और अब यह भूमि 1982 के एणियाई खेलों के लिए हाकी स्टेडियम बनाने हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थानान्तरित की जाती है।

#### ग्रनुसूची

संतप सिनेशा के विपरीन सैक्टर-10, रामा कृष्णा पुरम में स्थित साईट स०-57 का प्रधिनुचना एस० थ्रो० 4719 दिनांक 21/8/75 के शान्तांत लगभग 28 एकड़ (लगभग 11.3312 हैक्टर) भूमि के भाग को दिखाया गया है। उपर्युक्त भूमि की सीमा का विवरण इस प्रकार है:—

उत्तर: सङ्क

दक्षिण : खेल का मैदान और घोबी घाड

पूर्व : सङ्ग पश्चिम : सङ्क

(सं एस॰ एण्ड एस॰ 33(14)/79-ए॰एस॰भो॰ (I) 565-67]

#### DELIN DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 4th September, 1979

S.O. 3282.—In pursuance of the provisions of sub-section (4) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (Act 6) of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Govt, the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing, Government of India, New Delhi for further transfer to the Central Public Works Department for construction of Fockey Stadium for Asian Games, 1982.

#### **SCHEDULE**

Piece of land measuring about 28 acres (about 11.3312 Hactages) situated in Sector-X, R. K. Puram, e.p. Sangara Cinema, bearing Site No. 97 full of Notification No. S.O. 4719 dated 21-8-75.

The above piece of land is bounded as follows :-

North: Road

South: Play Ground & Dhobi Ghat.

East : Road
West : Road.

[No. S&S 33(14)/79-ASO(I)/565-67]

#### नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1979

कार आर 3283.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 5, उपधारा (2) के खण्ड (बी) के बन्तर्गत प्रणासक/संव करते कि एक एक एक कि कि नियम के स्थान पर थी एम एक पूर्व कि कि 14-2-69 द्वारा प्रयत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एम अएन अ महता, वास्तुविद दिल्ली नगर निगम के स्थान पर श्री एम अएन युद्ध, उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सल्ली स्थान पर दिए जाने के परिणामस्थालय सलाहकार समिति के गठन की अधिनुवना एक । (33)/58-जी ए दिलांक 20 अस्तुवर, 1962 में दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिधित संशोधन करता है:—

| त्रम संख्या | मद संख्या | के स्थान पर  | प्रतिस्थापित  |
|-------------|-----------|--|---|
| 1           | 2         | 3  | 4   |
| l           | • •       | श्री एम० एस० मेहता,<br>यास्तुविद्,<br>दिल्ली नगर निगम। | श्री एम० एन० वृच,<br>जगध्यक्ष,<br>दिल्लो विकास प्राधिकरण ।  |
|             | ·         |  | The Administration of |

[ग्लंड सेवेंटरी/बी एण्ड सी/चड/पीडी-II] हरी राम गोमल, ग्रविय

#### New Delhi, the 6th September, 1979

S.O. 3283.—Consequent upon the nomination of Shri M.N. Buch, Vice-Chairman, Delhi Development Authority, made by the Administrator/Lt. Governor Union Territory of Delhi, under clause (b) of sub-section (2) of section 5 of the Delhi Development Act (No. 61 of 1957) while exercising the powers of that Government delegated to him vide notification No. 18011(28)67-UD dated 14-2-69 as member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority in place of Shri M.S. Mehta, Architect, Municipal Corporation of Delhi, the Delhi Development Authority hereby makes the following amendments to the notification No. F. 1(33)/58-6A/dated 20th Oct., 1962 constituting the advisory council, viz.

| S. No. | In item No. |                              | For entrie   | es .               |                        | <br>Substitute    |             |
|--------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| 1      | 2           |                              | . 3          |                    |                        | <br>4             |             |
| 1      | (2)         | Shri M.S. Mehta,<br>of Delhi | Architect, 1 | Municipal Corporat | ion Shri M.N<br>Author | e-Ckairman, Delhi | Development |

[No. Secy./V & C/26/67-Pt, II] H. R. GOEL, Secy.

### विल्ली विकास प्राधिकरम नई दिल्ली, 4 सितम्घर, 1979

पारुपार 3343.--दिल्ली विकास ग्रीधितियम, 1957 (1957 शी संध्या 6 ८) की धारा 57 के अन्तर्गत धनाये गये दिल्ली विकास प्राधिकरण (भारतामीय गनादाभी के प्रधन्ध एवं निषटान) विनियम, 1963 से संसम्ब भावत् गंद्र विलेख को धारा (22) द्वारा प्रदत्त पश्चिमों का प्रयोग करने हुए तथा आदेश सं० एक० 1(1)/68-एच बी०---भाग 2 दि० 13-5-71 के श्रांशिक संशोधन में, में एन० एन० बुच, उपाध्यक्ष, दि० वि॰ धा॰ एत्स्झात संनो भागंत्रारी अधिकारियों (श्रायाम) एवं उप-निदेशकों (धावास) को पदेन ग्रावास ग्रधिकारी के रूप में पद नामित करता हुं तथा उपन कामनत् पट्ट-विलेख के साधन्य में समस्त सूचनाओं, अदिशों, निदेशों, सहमितिभी ग्रथमा अनुमीदनी पर हस्ताक्षर करने की मिएपादित करने का ग्रधिकार प्रदान करता है।

उपत कार्यकारी प्रधिकारी (श्रावास) एवं उपनिदेशक (ग्रावास) द्वारा दि॰ 13-9-1977 से अधिसूचना जारी करने भी तिथि भी अभिध तक उक्त विनियमों से संलग्न मापनत् पट्ट-विलेख के शनुक्छेद (22) में चर्णित सभी थिपयां से सन्मन्धित सभी निष्पादित कार्यी का भी में भ्रनुसमर्थन करता हूं।

> [मं० एफ । (1)/79-समन्वय] एम० एन० बुच, उपाध्यक्ष

#### DELEI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 4th September, 1979

S.O. 3343.—In exercise of powers conferred by clause (22) of Perpetual Lease Deed appended to the Delhi Development of Perpetual Lease Deed appended to the Delhi Development Authoria (Management & Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968, framed under Section 57 of the Denit Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) and in partial modification of Ocder No. F. 1(1)/68-HB Pt. II dated 13-5-71. I, M. N. Buch, Vice Chairman, D.D.A. hereby designate all Executive Officer (H) and Dy. Director (H) as Ex-officio Ususing Officers and authorised them to sign all notices, orders, directions, consents or approvals in respect of the matters provided in the said Perpetual Lease Deed.

I also ratify all actions taken by such Executive Officers (H) and Dy. Directors (H) during the period from 13-9-1977 to the date of issue of this notification in all cases in respect of the matters enumerated in clause 22 of the Parastual Lagrangian to the enid Parastual Cases. Perpetual Lease Deed appended to the said Regulations.

[No. F. 1(1)/79-Coordn.] M. N. BUCH, Vice-Chairman

#### संचार • मंतालय

(महानियेशफ का कार्यालय, चिवेश कंबार सेवा)

गम्बई, 3 सितम्बर, 1979

का॰बा॰ 3344.--राजभाषा (संघ के बानकीय प्रधोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम 4 के अनुसरण में विदेश संचार सेवा के निम्निलायस कार्यालगों की, जिनक 80% फर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एसव्द्वारा धिस्चित किया जाता है:---

- ा. जा महानिदेशालग, विदेश संचार तेवा (नई दिल्ली शादा), नई दिल्ली।
- 2. विदेशासय, विदेश संचार विवा, देहरापून, ए०प० ।

[बारुभार, संर 13/1/79-प्रभार] पा० फि० गोबिन्द नायर, निदेशक छ्ते महानिदेशक

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Office of the Director General, Overseas Communications Service)

Bombay, the 3rd September, 1979

5.0. 3344.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 the Official Languages (Use for official purposes of a Union) Rules, 1976, the following offices of the Overse Comunications Service, Government of India, 30 pc. of the Staff where of, have acquired the working knowled of Hindi, are nereby notified:—

- 1. Office of the Deputy Director General, Overse Comunications Service, (Now Delhi Branch), No Delhi
  - 2. Office of the Director, Overseas Communication Service, Dehradun, U.P.

[S.O. Mo. 13/1/79-Admi: P. K. G. NAYAR, Director (Admn. For Director Gener

#### श्रम मंद्रालय

गई विस्तो 10 शितम्बर 1079

भारकार 3345--केर्नाम सरकार को गह प्रतीन होता है कि भैंससं वेजनुरूपम मेच इण्ड़स्रोज, 18, नैच फैक्टरी टोगे स्ट्रीट, मान्तापेट, गुड़ियात्तम उत्तर श्राकाट जिला, नाम स्थापन से पम्बद्ध नियोदक और वर्षवारियों को बहुसंख्या इन बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निश्चि और प्रकीर्ण उपवन्य ग्रिबिनियम, 1952 (1953 का 19) के उनवन्ध उक्त स्थापन की लाग् किए जाने चाहिए;

शतः, श्रव उक्त अधिनियम की धारा । की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्ता सनितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त ध्रक्षिनियम के उपभवन्य उपता स्थापन की लाग् करती है।

यह अधिसुचना 1 नवम्बर, 1975 को प्रवृत हुई मनसी जाएगी। [मं० एस० 35019/179/79-पी- एम०-2]

#### MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 10th September, 1979

S.O. 3345.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messis Velmurugan Match Industries, 18, Match Factory Thope Street, Santhapet, Guddiyattam North Arcot District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment: should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the nowers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act. the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said estiblishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1975.

[No. S-35019/179/79-PF-T]

का॰ग्रा॰ 3346.--नेन्द्रीय गरकार की यह प्रतीत होता है कि मैसर्य ४१० थर्म्बदार हरियन कोबापरेटिय मिल्ड सम्बाई सोनाइटी लिमिटेड, टी॰बो॰ब्रो॰ 65, 55, परनुराम मैंगर स्ट्रोट, एतीं, नाम स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्ननारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि स्रोर प्रकीर्ग ज्यबन्ध स्रीध-निषम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्वापन को लांग् निष् जाने चाहिएं:

अनः, अम उक्ता विधिनियम को धारा । को उपभारा (4) द्वारा प्रयत्त याक्तिक्षों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीन सरकार उन्त क्राधिनियम के उपवन्ध उपत स्थापन को लागु करती है।

मह्-अधिमुचना- 1- जनवरी, -1975 को प्रवृत्तः हुई समझी जाएती । निं एतः उद्याम् । ११ व ७०-पीः एकः-- २

proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is benefit when the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Governigent.

#### DRAFT SCHEME

- 1. (1) This Scheme may be called the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1979.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965,—
  (i) in clause 16,—

- (a) in sub-clause (1), for item (c), the following item shall be substituted, namely ....
- "(c) Persons/firms other than those who are deemed to have aboon registered under fiera (b) shalf not be registered as employers unless the Board considers it expedient and necessary to do so.";
- (b) in sub-clause (2) in item (b), for the words "The registers of stevedore workers shall be as under, namely:—", "The registers of workers shall be as under, namely—" shall be substituted;

(ii) in Schedule I, for the words "Stevedoring work", the words "Stevedoring work and cargo handling from whatf to transit shed" shall be substituted;

[F. No. LDG/26/79]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

#### दिल्ली विकास प्राधिकरण

विल्ली, 28 शितम्बर, 1979

कार् भार । 3555.--- दिल्ली विभाग प्राधिकार्ण (श्राकासीय सन्पदास्त्री के प्रवन्ध एवं तिपदान) विभिन्नन 1968 के विभिन्न 3 के मुन्तनीत उनमें निहित महिन्नों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्रार्थिकारण एनदुर्द्वारां उन्हें चिनियम-1968 के चिनियम 38 से 49 वया 31 ने 58 तक के प्रस्तर्गत उनके द्वारा प्रयोग की जा सकते वाली सभी विक्तवी निदेशक (आदान) दि० वि०प्रा० प्रवत्त करते हैं।

यह यादेश दिनांक 2 जुन, 1979 से लागु माना जायेगा।

[सं० एफ 1 (1) /79 नगन्वत्।

हरी राम गोवल, मचित्र

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Delhi, the 28th September, 1979

S.O. 3555.—In exercise of the powers vested in him under Regulation 3 of the Delhi Development Authority (Management and disposal of Flousing Estates) Regulations 1968, the Vice-Chairman, Delhi Development Authority delegates all the powers exerciseable by him under Regulations 38 to 49 and 51 to 58 of the said Regulations to Director .(Housing), D.D.A.

This order would be deemed to be in force with effect from the 2nd June, 1979.

[No. F. 1(1)/79-Ccordn.] H. R. GOEL, Secy.

#### रेल मंद्रालय (रेलचे बोर्ड)

नई दिल्ली, 27 मितम्बर, 1979


फा॰ প্লা॰ 3555.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल श्रधिनियम, 1890 ( 1890 का 9) की धारा 47 की उपधारा (1) के द्राण्ड (खदा) द्वारा प्रवत्त पाकियों का प्रयोग करते हुए, रेल यांकी (टिकटों का रहकरण श्रीर किराये का प्रतिदाय ) नियम, 1976 में निम्निलिटिंग संबोधन करती है, अपोर्---

- । (1) इन नियमों का नाम रेल वाली (टिकटों का रहकरण शीर किराए का प्रतिदाय ) संगोधन नियम, 1979 है।
  - (2) में 1 दिसम्बर, 1979 में प्रवस होंगे।
- 2 रेज बाजी (टिकटों का रहकरण और किराये का प्रतिदाय ) नियम, 1976 (जिन्हें इक्षमें इसके प्रश्वात् उक्त वियम कहा गथा है ) भें, नियम 2 के उपनिवर्ग ( क्ष) में, 'मनगमन्द यान्ना टिकट' मध्यों के स्थान पर 'इंडरेल पास टिकट' मध्य रखे जाएंगे।
  - उबत तिथमों के नियम 5 के अन्त में आने वाले टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अथात् :---'
  - ''टिप्पण 1:—यह नियम उन यादी को भी लागू होगा जो धारक्षण चाहता है परन्तु जिसे प्रतीक्षा-सूची में रखा जाता है ग्रीर उसे ब्रारक्षित स्थान नहीं दिया गया है । टिप्पण 2 :—प्रतीक्षा सूची में रखे गए और तत्पक्षात् रहकरण के कारण ग्राप्कण प्राप्त करने वाले वाली इन नियमों के ग्रधीन विहित रहकरण प्रभारों का संदाय करने के दायित्दाबीन होंगे।"
  - निवम 6 के उपनियम (3) के नीचे सारणी (1) (2) के स्थान पर निम्नलिखित सारणियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—
  - (1) राजधानी एवरात्रेस गाड़ियों को छोड़कर सभी गाडियों के लिए :--

| जब  | टिबाट:  | ग्रम्पपित    | विया    | णाता   | हें.          | .रह्करण वे<br>रूप में काटे<br>जाने वाले - | ,           | प्रति व्यक्ति<br>रहकरण फीन   |                 | T  | प्रति व्य<br>प्री          | ाहित अधिकता<br>त  | न रह्यारण         |
|-----|---------|--------------|---------|--------|---------------|---|-------------|--|-----------------|----|----------------------------|---|-------------------|
|     |         |              |         |        |               | किराए का<br>प्रतिशत                       |             | प्रथम<br>श्रेणीं 2<br>टायर<br>बातानुक्तित<br>बातानुक्तित<br>वेयर कार | द्वितीय<br>भेणी |    | वाता-<br>नुक्कित<br>श्रेणी | प्रथम<br>श्रेणी / 2<br>टापर<br>बातानुकूलित<br>बातानुक्लित<br>चेयर कार | द्वितीय<br>श्रेणी |
|     |         | -1           |         |        |               | 2   | 3           | 4  |                 | 5  | 6                          | 7   | S                 |
| (45 | ) याहता | प्रारंग होने | भी तारी | ए के द | ो दिन से अधिक | ,   | <i>ন্</i> ত | ন্ত  |                 | ₹० | हुउ                        | ₹;0   | ζo                |
|     | पूर्व   |              |         |        |               | *****                                     | 8           | 4  | •               | 2  |                            | · <b>.</b>  | າ                 |

21st July, 1979 at page 2144 shall be corrected in the manner specified below, namely :-

In the said notification to the Schedule, the following shall be added, namely !-



[F. No. 2/28/77-M]

B. K. THAPAR, Director General and Ex-Officio Joint Secy.

#### दिल्ली विकास प्राधिकरण

गई दिल्ली, 16 अस्तूबर 1979

सार आर 3622.—दिल्ली विकास प्रधिनियम, 1957 की धारा 22 भी उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण निम्तलिखित अनुसूर्ण में वर्णित नजूल भूमि को राजस्य सम्पदा दिलिगल ताहिरपुर में भुक्य योजना भाग सं० . 69 के निर्माण हेतु धार्ग लोग निर्माण बण्ड सं 10 दिल्ली प्रशासन को हस्तान्तरित करने के लिए निर्माण और श्रावाम मंद्रालय भारत सरकार के अधिकार में प्रतिस्थापित करता हैं।

#### **ग्रनुसू**पी

जिलामल ताहिरपुर सम्पदा का खसरा सं० 1, का 3.271 एकड़ गण का भूमि का दुकड़ा गिसको सीमाएं निम्नलिखित हैं:-

चरतर में :-सरकारी भूमि है। पक्का मार्ग है। मुख्य चिकित्सालय तथा सरकारी भूमि है। पुर्व में :-सरकारी भूमि है।

[सं डीएन 2 (34)/74]

हरी राम गोयल, सचिव

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 16th October, 1979

5.0. 3622.—In pursuance of the provisions of sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957, the Delhi Development Authority replaces at the disposal of the Ministry of Works and Housing, Government of India, the Nazul land described in the Schedule below for further transfer to P.W.D. Division No. X, Delhi Administration, for construction of Master Plan Road No. 69 at Ihilmil Tabirpur Revenue Estate. Revenue Estate.

#### SCHEDULE

Piece of land measuring 3.271 acres bearing kh. No. I Jhilmil Tahirpur Estate and bounded by as follows:

Government Land North Pucca Road : 18 South

Lepers' Hospital & Govt. Land East Govt, Land West

> [No. TN 2(34)/E0] H. R. GOEL, Secy

- (2) Women Sweepers.
  - (i) Maistry.
  - (ii) Sweepers.";
- (b) for clause 27, the following shall be substituted, namely:—
  - "27. Holidays:—Each listed worker shall be entitled to holidays with pay not exceeding 9 days in a year at such rates as may be prescribed by the Board.";
- (c) for clause 28, the following shall be substituted, namely:—
  - "28. Attendance Allowance:—Subject to other conditions of the Scheme, a listed worker who is available for work but for whom no work is found shall be paid attendance allowance at the rate of 1/60th of the monthly wage comprising of basic pay and dearness allowance per day for all the days during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body."

[File No. LDV/20/79.] V. SANKARALINGAM, Under Secy.

## बिल्ली विकास प्राधिकरण

#### सार्वजनिक स्चना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1980

का. शा. 196. — केन्द्रीय सरकार दिल्ली मूख्य योजना में निम्निलिखत संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजिनक सूचना हेत् प्रकाशित किया जाता है। इस संशोधन के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई वापित या सुकाव देना हो तो वे अपने वापित या सुकाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सिचव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति अपनी आपित या सुकाव दें, वे वपना नाम एवं पूरा पता लिखें।

संघोधन :--

''जी-10 (मादीपूर) के खण्ड. क्षेत्र, नगभग 175.23 हैक्ट. (433 एकड़) क्षेत्रफल, जिसके उत्तर में 60.9 मी. (200 फुट) चौड़ा मार्ग, पूर्व में रीफुजी कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लि. (पंजाबी बाग), क्षेत्र जी-9 तथा जी-17 कमणः दक्षिण तथा पिचम में है, की मूख्य योजना सक्का आवासीय घनता 185 व्यक्ति प्रति हैक्ट. (75 व्यक्ति प्रति एकड़) से 247 व्यक्ति प्रति हैक्ट. (100 व्यक्ति प्रति एकड़) में संशोधित किये जाने का प्रस्ताव है।''

2. शनिवार को छोड़ कर और सभी कार्यशील दिनों में दि.वि.प्रा. के कार्यालय (मूल्य योजना अनुभाग), 10वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अविध के दौरान प्रस्तावित संशोधन का मानिचत्र निरीक्षण हेत उपलब्ध होगा।

सिंख्या-एफ . 4(18)/66-एम . पौ . ] हरी राम गोयल, सचिव

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 26th January, 1980

5.0. 196.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the 1077 GI/79—7.

proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address:—

MODIFICATION:—

"Master Plan gross residential density of 185 ppha (75 ppa) in part zone G-10 (Madipur) for an area, measuring about 175.23 hect. (433 acres), bounded by 60.9M (200') wide road in the north, Refugee Co-operative House Building Society Ltd. (Punjabi Bagh) in the east, zones G-9 and G-17 in the south and west respectively, is proposed to be modified as 247 persons per hect. (100 persons per acre)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority (Master Plan Section), 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 4(18)/66-MF] H. R. GOEL, Sect.

#### संचार मंत्रालय

(बाक तार बीड)

सहै दिल्ली, 14 जनवरी, 1980

का० ग्रा० 197.—स्यायी घादेश संख्या 627, दिनांत 8 मार्च, 1966 धारा नागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के अब III के पैरा (क) के अनुसार बाक तार महानिदेशक ने परयानूर देलीफोन केन में दिनांक 16-2-80 से प्रमाणित दर प्रणाबी खानू करने का निश्चय किया है।

> [संख्या 5-5/ 80 पी॰ एव॰ वी॰] भार० सी॰ कटारिया, सहायक महानिकदेशक (पी॰एव॰की॰)

# MINISTRY OF COMMUNICATION (P&T Board)

New Delhi, the 14th January, 1980

434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16-2-1980 as the date os which the Measured Rate System will be introduced in Payyanur Telephone Exchange, Kerala Circle.

[No. 5-5/80-PHB]

R. C. KATARIA, Asstt. Director General (PHB)

#### MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 9th January, 1980

5.0. 198.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Ciano Pereira Company, Launch Owner, Vasco-da-Gama (Goa) and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th January, 1980.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO., BOMBAY.

#### Reference No. CGIT 15 of 1978

PARTIES:

Employers in relation to the management of M/s. Cland Pereira and Co.

AND

Their workmon.

## New Delhi, the 1st February, 1980

#### CORRIGENDUM

\$.0. 376.—In the notification of Government of India, Ministry of Works & Housing (Directorate of Estates), S.O. No. 3848, dated the 16th November, 1979 published on pages 3379 to 3384 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th November,—

At page 3380 under S.R. 317-AR-4(4) in the second line, for "cash" read "each".
 At page 3381 under S.R. 317-AR-7(1)(i), in the last line, for "S.R. 31-AR-5" read "S.R. 317-AR-5".

(3) At page 3383-

Under S.R. 317-AR-15(i) in the fourth line, for "S.R 317-AR-51" read "317-AR-5".

Under S.R. 317-AR-20(3) in the fourth line, for damaged" read "for any damages".

(4) At page 3384-

in the heading "Overstayal in residence after cancellation of allotment", for "S.O. 317-AR-22" read "S.R. 317-AR-22".

in the last line for "S.R. 317-KKVI-AR-11(2)" read "S.R. 317-AR-11(2)".

Under S.R. 317-AR-23 in the third line after the word duly, insert "made".

in the "Interpretation of rules-S.R. 317-AR-23", for "AR-23" read "AR-24".

Relaxation of Rules-S.R. AR-25-insert "317" after S.R. In the last line of the same rule, for "residence" read "residence".

[F. No. 12033(12)/77-Pol. II] R.D. BHATIA, Dy. Director of Estates.

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

(सर्बे एण्ड सैटिलमेन्ट यूनिट-I)

नई दिल्ली, 23 गनवरी, 1980

कारुग्रा० 377.—दिल्ली विकास श्रधिनियम, 1957 (ग्रधिनियम 1957 का 61) की धारा 22 की जपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने भूमि एवं विकास कार्यालय, निर्माण एवं ग्रावास मंत्रालय, मारत सरकार, नई दिल्ली के ग्रधीन नीचे दी गई ग्रनुसूची में निर्धारित भूमि के निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया और प्रव यह भूमि सैवटर 9, रामाकृष्णापुरम, नई दिल्ली में साउथ दिल्ली बैलफेयर एसोसिएयान को स्थानान्तरित की जाती है।

#### भनुस्ती

इल्टीट्च्यूशन प्लाट भार० के० पुरम, सैवटर नं० 9 में स्थित भूखण्ड सं० 5 साइट सं० 112 को अधिसूचना सं० एस०ओ० 4719 दि० 21-8-75 के झनुसार लगभग 241.67 वर्ग गज (लगभग 200.66 बर्गमीटर) भूमि के भाग को दिखाया गया है।

ज्पर्युक्त भूमि की सोमा का विवरण इस प्रकार है:---

उत्तर: प्लाट नं० 6

दक्षिण: प्लाट नं० 4

पूर्व: नागावेण्ड गैस्ट हाउस

पश्चिम : एवर इण्डिया गैस्ट हाउस

[मं० एस० एण्ड एस०-33(1)/78/ए०एस०ओ० (i)]

## DELIII DEVELOPMENT AUTHORITY

(Survey & Settlement Unit I)

New Delhi, the 23rd January, 1980

S.O. 377.—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of

1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office. Ministry of Works & Housing, Govt. of India, New Delhi for further transfer to the South Delhi Welfare Association in Section IX, R. K. Puram, New Delhi.

#### SCHEDULE

Piece of land measuring about 241.67 Sq. yds. (about 200.66 SQM) situated in Institutional plots in R. K. Puram Sector No. IX. bearing Plot No. 5 Site No. 112 partly/full of Notification No. S.O. 4719 Dated 21-8-1975.

The above piece of land is bounded as follows:—

North; Plot No. 6

South: Plot No. 4

East: by Nagaland Guest House

West: by Air India Guest House .

[No. S&S 33(1)/78/ASO(I)18-1-185]

#### सार्वजनिक सूचना

नई विक्ली, 16 फरवरी, 1980

का० झा० 378.--केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्न-लिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। इस संशोधन के सम्बन्ध में जिस निसी व्यक्ति को कोई भापत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने भापत्ति या गुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें।जो •यक्ति ग्रगनी मापत्ति या सुझाय दें, वे भ्रपना नाम एवं पूरा पता लिखें।

#### संशोधन

"लगभग 10.14 है० (25.35 एकड़) का क्षेत्र जो ११००० (300 फूट) राष्ट्रीय बाई पास के दक्षिण में एवं खिचड़ीपुर गांव (ब्रावादी) के पश्चिम में पड़ता है। इसका भूमि उपयोग "कृषि हरी पट्टी" से "मावासीय उपयोग" (प्रूप हाऊसिंग) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।"

2 शनिवार को छोड़कर भौर सभी कार्यशील दिनों में दि० वि० प्रा० के कार्यालय (सूख्य योजना अनुसाम) 10वीं मंजिल, विकास मीनार इन्द्रशस्य एस्टेट, नई दिल्ली में उनत अवधि के दौरान प्रस्तावित संशोधन का मानचित्र निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा।

> [सं० एफ-०-3 (7)/78- एम० पी०] हरी राम ग्रोयब, सचिव

#### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th February, 1980

S.O. 378.—The following modification which the Central S.O. 378.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Pian for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, I. P. Estate. New Delhi within a period of thirty days from I. P. Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or luggestion should also give his name and full address:—

#### MODIFICATION

"The land use of an area, measuring about 10.14 hectares (25.35 acres), located in the South of 91.4 mts. (300 ft.) National Bye-pass and west of Khichripur

का ज्या ०.

को दिखाया गया है।

नाम निर्धारित।

विस्ली विकास प्राधिकरण

(सबॅक्षण ग्रीर निपटारा एकक)

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1980

1957 का 61) की धारा 22 की उपधारा (4) के मन्तर्गत केन्द्रीय

सरकार ने भूमि एवं विकास कार्यालय, निर्माण एवं प्रावास मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली के ग्रधीन नीचे दी गई ग्रनुसूची में निर्धारित

भूमि के निपटान हेत् दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया भीर श्रव

यह भूमि मराठा मित्र मण्डल (रजिस्टर्ड) ब्लाक डी०, झण्डेवालान, नई दिल्ली

जैमनिस्म सैण्टर के लिये निर्माण हेतु स्थानान्तरित की जाती है।

ब्रनसुची

म्रोरिजिनल रोड एण्ड फैंज रोड, नई दिल्ली में स्थित भूखण्ड सं०

उत्तर ः शिक्षा निदेशक, दिल्ली प्रशासन, यूथ सेण्टर ग्रीर लाइबेरी के

[सं० एस०एंड एस० 33 ( 6) / 79 ए० एस० म्रो० (1) 288-290]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Survey of Settlement Unit I)

New Delhi, the 12th February, 1980

S.O. 471.—In pursuance of the provisions of sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land and Development Office, Ministry of Works and Housing, Government of India, New Delhi for further transfer to the Maratha Mitra Mandal (Regd.) in Block 'D' Jhandewalan, New Delhi for Gymnasium Centre.

**SCHEDULE** 

Piece of land measuring about 0.655 acres (about 0.267 Hectares) situated at the Original Road and Raiz Road Site No. 1 full of Notification No. S.O. 1810 dated 20-7-74.

North:—by allotted to Director of Education, Delh Admn. Youth Centre and Library.

[No. S&S 33(6)/79/ASO(I)/288-290]

H. R. GOEL, Secy.

The above piece of land is bounded as follows:-

South: - by allotted for Maratha Mitra Mandal.

हरी राम गोयल, सर्चिव

साईट सं०एक की अधिसूचना सं० एस० मो० 1810 दि० 20-7-1974 के

मनुसार लगभग 0.655 एकड़ (लगभग 0.267 हेक्टर) भूमि के भाग

उपर्युक्त भूमि की सीमा का विवरण इस प्रकार है :---

दक्षिण: मराठा मित्र मण्डल के नाम निर्धारित

पश्चिम: पार्राकेंग के नाम निर्वारित।

पूर्व: झण्डेवालान रिसरवायरस के नाम निर्वारित।

471:--दिल्ली विकास ग्रधिनियम 1957 (ग्रधिनियम

ied trý Ϊίν įτν trv

try īy тy Ŋ Ŋ

West:--by Parking.

East:--by Jhandawala Reservoirs.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1980 का० ग्रा० 472 -- 31 जनवरी, 1980 को एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक मण्डलों की कार्याविधि समाप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदृद्वारा निदेश देती है कि एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक-मंडल । फरवरी

1980 से । क महीने की श्रीर अवधि तक कार्य करते रहेंगे तथा इनमें निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित होंगे :--

#### एयर इंडिया

- निदेशक श्री बी० एस० दास, प्रवंध निदेशक, एयर इंडिया
- 2. श्री जी० डी० माथुर, प्रबंध निेशक, इंडियन एयरलाइंस
- 3. श्री सी० एल० शर्मा, उप प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया
- 4 श्री ग्राई० डी० सेठी, उप प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया 5. श्री सी० बी० जैन,
- महानिदेशक, (पर्यटन) क्मारी पी० लाल, संयुक्त सचिव (वित्त) पर्यटन भ्रीर नागर विमानन मंत्रालय
- 7. श्री एन० सहगल कुमारी थंगम ई० फिलिप

## श्री जे०एम० चूड़ासामा इंडियन एयरलाइंस

- श्री जी० डी० माथुर, प्रबंध निदेशक, इंडियन एयरलाइन्स
- 2. श्री बी० एस० दास, प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया
- 3. श्रीसी० वी० जैन, महानिदेशक (पर्यटन)
- 4. श्री के० एन० काटजु, उप प्रबंध निदेशक, इंडियन एयरलाइंस
- 5. कुमारी पी० लाल, संयुक्त सचिव (वित्त) पर्यटन ग्रीर नागर विमानन मंत्रालय
- 6. श्री एम० एस० ग्रप्पाराव
- 7. कुमारी थंगम ई० फिलिप
- श्रीहमेन्द्रप्रसाद बरुश्रा

[सं ० ए० वी ० 18013/1/78-एसी ०] वी० तुलसी दास, ग्रवर सचिव

#### MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 6th February, 1980

S.O. 472.—On the expiry of the term of the Boards of Air India and Indian Airlines on the 31st January, 1980, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953) प्रैक्षण गरत हुए, केन्द्रीम सरकार एक्स्इास निम्नालिखित सारणी के समन (1) में उल्लिखित अधिकारी की, जो सरकार के राजपित अधिकारी के रेज के समजब्द अधिकारी हैं, मुख्या अधिकारी के एवं प्रवेच अधिकारी निमुद्ध करती जो प्रवत अधिकारी का उपयोग करेगा और उक्त धारणी के स्तम्भ (2) में निर्धारित परिसरों के बारे में इस अधिनियम के हारा या इसके अधीन सम्मदा अधिकारियों को दी गई इ्यूटियां निभाएगा।

#### सारणी

| प्रधिकारी | या पदनाम |     | लोक परिसर  |  |  |
|-----------|----------|-----|--|--|--|
|           | 1        | - S | 2  |  |  |
|           |          |     | दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण<br>ग्रारा विकासः स्रायास सम्पदार्थ |  |  |
| कःरण      |          | •   | की सीमाशों के श्रन्तर्गत दिल्ली<br>विकास प्राधिकरण के परिसर          |  |  |

[संख्या के०-11011/38/79-डी० डी०/ए०/1-बी०] ग्रुटण प्रनाप, उन सचिव

#### MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 21st February, 1980

S.O. 547:—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Paulic Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appears the Officer mentioned in column (1) of the Table below being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of Government to be the Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on Estate Officers by or under this Act, in respect of the premises specified in column (2) of the said Table.

#### TABL

Designation of the Officer Public Premises

1 2

Assistant Director, Premises belonging to the Delhi
Lease Administration Branch
Housing Department Properties and within the limits of the Delhi Development
Authority. Housing Estates, developed by Delhi Development Authority in Delhi.

[No. K-11011/38/79-DD I-A,1-B] KRISHNA PRATAP, Dy. Sery.

#### दिस्ली विकास प्राधिकरण

(सर्वेकण श्रीर निभटारा एकक I) नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1980

भगवा। 548.—दिल्ली विकास श्रिधिनियम, 1957 (अधिनियम 1957 का 61) की धारा 22 की उपधारा (4) के श्रेतर्गत केन्द्रीय सरकार ने भूमि एवं विकास कार्यालय, निर्माण एवं श्रावास मंतालय भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन नीचे दी गई श्रवृभूची में निर्धारित भूमि के निपटान हेनु दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुग्त किया और अब यह भूमि नई दिल्ली नगर पालिका को स्थानान्तरित की जाती है।

#### धनुस्दी

सरोजनी नगर के सभीप (रिंग रोड नाले के साथ नेताजी नगर है स्थित भूक्षण्ड सं० / साईट सं० 21 को अधिसूचना स० एस०आ० 1719 दिल 21-8-75 के अनुसार लगभग 1350 वर्गमीटर (लगगग 1615 वर्ग गज) भूमि के अगग को विख्यागुगया है। उपर्युक्त भूमि भी सीमा का विवरण ६म प्रकार है :---

अलर : सङ्क

व्यक्षिण : रिम सेंड और पैहोल पंप

पूर्व : सङ्क

पश्चिम : गरकारी भूमि

[संब एम एण्ड एस 33( 35)/79 एक सब्झोब (1)/334-336] हमी सम गोयल, गचित्र

#### DELIR DEVELOPMENT AUTHORITY

(Survey & Settlement Unit. I)

New Delhi, the 26th February, 1980

S.O. 548.—In physuance of the provisions of Sub-action (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land and Development Office, Ministry of Works & Housing, Govt. of India, New Delhi for further transfer to the New Delhi Municipal Committee.

#### SCHEDULE

Piece of land measuring about 1350 Sq. Metre (about 1615 Sq. yds.) situated Near Sarojini Nagar (Ring Road along Nallah, bearing Plot No./Sire No. 21 partly/full of Notification No. S.O. 4719 Dated 21-8-75.

The above piece of land is bounded as follows:---

North: By Road.

South : by Ring Road & Petrol Pump.

East: by Road.

West: by Govt. Land.

INo. S&S 33(35)/79/ASO(1)/334-336] H. R. GOEL, Secy.

## पूर्ति और पुनंबास मंतालय

(पुनर्वास विधाम)

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1980

का अप्राठ 549.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 को 44) की धारा 34 की अपधारा (1) इस प्रद त शक्तियों का प्रयोग करते हुए के लीव सरकार इसके जारा विधेश देती है कि हरियाण राज्य में स्थित अजित निष्कांत सम्मत्तियों और भूमियों के संबंध में उबत अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 4 तथा धारा 33 के अधीन शक्तियों का प्रयोग की बीठ गीठ जोहर, वित्तीय आयुक्त राजस्य, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ हारा भी किया जाएगा। शर्त यह होगी कि वे दन शक्तियों का प्रयोग उन मामलों में नहीं करेंने जिन्ने उन्होंने किसी अन्य क्षमता में बादेश पारित किए हों।

2 इससे तत्कालीन श्रम, राजगार और पुनर्वास मंद्रालय (पुनर्वास विभाग) की दिनांक 7 श्रप्रैल, 1970 की श्रिधमुचना संद्या 3(2)/69-थ० व पुन० का श्रतिप्रमण किया जाता है ।

[संख्या 1(14)/वि०सै०/75-एस०एम०-2] एस० एम० वाधवानी, अबर गचिव

## MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation) New Delhi, the 22nd February, 1980

S.O. 549.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 34 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) the Central Government hereby directs that powers exercisable by it undersub-section 4 of section 24 and section 33 of the said Act, shall be exercisable also by Shri V. P. Johar, Financial Commissioner Revenue. Government of Haryana, Chandigarh, in respect of proceedings pertaining to acquire evacuee properties and lands, situated within the State of Haryana, subject to the condition that he shall not exercise any of such powers in relation to any matter in which an order has been made by him in any other capacity.

- 2 In the Bombay Foodgrain Handling Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1975,—
  - (a) for sub-clause (2) of clause 16, the following subclause shall be substituted, namely:—
    - "(2) Dock Workers registered under the Scheme shall be classified into:—
      - (a) Mukadamas:
      - (b) Tindals;
      - (c) Loaders;
      - (d) Fillers;
      - (e) Stitchers;(f) Dock Mazdoors.";
  - (b) in Schedule I, for item (2), the following item shall be substituted, namely:—
    - (a) Mukadams;
    - (b) Tindals;
    - (c) Loaders;
    - (d) Fillers;
    - (e) Stitchers;
    - (f) Dock Mazdoors."

[File No. LDB/8/80]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

#### विल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 3 मई, 1980

#### सार्वजनिक-सूचना

का. आ. 1253. — कोन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्निलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेता प्रकाशित किया जाता है। इस संशोधन के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुफाव देना हो तो वे अपने आपित्त या सुफाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 5वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली, के पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति अपनी आपित्त या सुफाव दें, वे अपना नाम एवं परा पता लिखें।

#### संशोधन :

- ''11.33 हे. (28 एकड़) का भूखंड (तीन मूर्ति हाउस) जो जोन डी-12 (अकबर रोड) में पड़ता है। यह उत्तर पूर्व में 45.72 मी. (150') चौड़ी तीन मूर्ति मार्ग उत्तर पश्चिम में 45.72 मी. (150') चौड़ी तीन मूर्ति मार्ग उत्तर पश्चिम में 45.72 मी. (150') चौड़ी क्षुशक रोड, दक्षिण पूर्व में 45.72 मी. (150') चौड़ी रेस कोर्स रोड तथा दक्षिण पश्चिम में कुशक नाला द्वारा घिरा हुआ है। इसे अब आवासीय से सार्वजनिक तथा अर्थ सार्वजनिक स्विधाओं (सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताद है।
- 2. शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि. वि. प्रा. के कार्यालय, 10वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अविधि के दौरान प्रस्तावित संशोधन का मानिच्य निरीक्षण हेत् उपलब्ध होगा ।

[संख्या एफ. 20(4)/80-एम. पी. पार्ट]

हरीराम गोयल, सचिव

The second of the second of the second of the second

#### DELIH DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 3rd May, 1980

#### PUBLIC NOTICE

S.O. 1253.—The following modification, which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 5th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address:—

#### MODIFICATION :-

"The land use of a plot (Teen Murti House), measuring 11.33 heets. (28 acres), falling in Zone D-12 (Akbar Road), within the pocket surrounded by 45.72 mts. (150'0") wide Teen Murti Marg in the North-East, 45.72 mts. (150'-0") wide Kushak Road in the North-West, 45.72 mts. (150'-0") wide Race Course Road in the South-East and Kushak Nullah in the South-West, is proposed to be changed from "Residential" to "Public and Semi-Public Facilities" (Social and Cultural Institutions)."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20(4)/80-MP. Pt.]

H. R. GOEL, Secy.

#### सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 ग्रप्रैल, 1980

का॰आ॰ 1254.—चलचित्र श्रिधिनयम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त श्रुधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कुमारी श्रुनसूया एम॰ नाडकणी को तत्काल से अगले आदेण तक, फिल्म सेंसर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

फाइल सं० 11/3/78 एफ०सी०]

एस० के० शर्मा, निदेशक

#### MINISTRY OF INFORMATION AND BROAD-CASTING

New Delhi, the 15th April, 1980

S.O. 1254.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 3 of the Cinematograph Act, 1952, the Central Government hereby appoints Miss Anasuya M. Nadkarni as member of the Board of Film Censors with immediate effect until further orders.

[F. No. 11/3/78-FC] S. K. SHARMA, Director

#### संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 21 स्रप्रैल, 1980

का०आ० 1255.—स्थायी ग्रादेण संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के ग्रनुसार डाक-तार महानिदेशक ने धलीगांव टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-5-80 से प्रमाणित दर प्रणाली लाग करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-10/79 पी एच बी]

ग्रार० सी० कटारिया, सहायक महानिदेशक (पी एच वी)

- 3. Cental Ground Water Board, Far. abad (Haryana).
- 4. Regional Statica Porage Production & Demonstration, Suratgarh.
- 5. Directorate of Lac Development, Ranchi.
- All India Soil and Land Use Survey Organisation Office of Soil Survey Officer, Nagpur.
- 7. Directorate of Pulses, Lucknow.
- 8. Forest Research Institute and College, Dehradun.
- 9. Directorate of Sugarcane Development, Sahibabad (District Gaziabad) Uttar Praciesh.
- 10. Central Fertilizer Control Laboratory, Faridabada
- 11. Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh.
- 12. Logging Training Centre. Dehradun (Headquister).
- Logging Training Centre Regional Office, Chandrapur, Maharashtra.
- 14. Central Poultry Breeding Farm, Chandigarh.
- 15. Directorate of Extension, New Delhi.
- 16. State Farms Corporation of India, New Delhi.
- 17. Logging Training Centre Regional Office, Dehra Dun.

[No. 3-11/78-H.N.]

R. P. GUPTA, Director (O.L.)

#### चिल्ली विकास प्राधिकरण

(सर्वेक्षण और निषटारा यूनिट I)

नई दिल्ली, 19 जून, 1980

या ब्हार 1811.—दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (अधिनियम 1957 का 61) की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्भत केन्द्रीय सरकार ने भूमि एवं विकास कार्यालय, निर्माण एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में निर्धारित भूमि के निपटान है दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया और अब यह भूमि कर्नाटक सरवार को स्टेट गैस्ट हाऊस के निर्माण हेतु, स्थानानसरित की जाती है।

#### अगराची

सरवार पडेल मार्ग नई िस्ली में स्थित भूम्बण्ड में० 6 नाईट सं० 42 को अधिसूचना सं० एग० औ० 1810 दि० 20-7-74 के अनुसार लगभग 2206.85 वर्गमज (श्राभम 1845.21 वर्ग मी० एस० औ प्लान सं० 2178) भूमि के भाग को दिखाएग गया है। उपर्युक्त भूमि की सीमा का बिबरण इस प्रकार है :---

उत्तर:--- प्लाट नं० 5 दक्षिण:---प्लाट नं० 7 पूर्व:--गाला/सङ्क पश्चिम:-- सङक

> [सं० एस० एंड एम० 33(5)/१४/ए० एस० खी०(+)] हरी राम भोषन, ऋदिवः

#### DELIU DEVELOPMENT AUTHORITY

(Survey & Selllement Unit 1)

New Delhi, the 19th June, 1980

5.0. 1811.—In pursuance of the provisions of sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the Schedule velow for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing, Govt. of India, New Delhi for further transfer to the Government of Karnataka for construction of State Guest House.

#### SCHEDULE

Piece of land measuring about 2206.85 Sq. yds. (about 1845.21 Sq. mtrs.) sit., ated at Sordar Patel Marg bearing Plot No. 6 Site No. 42 partly of Notification No. S.O. 1810 dated 20-7-1974.

The above piece of land is bounded as follows:---

North: Plot No. 5 East: Nallah/Road. South: Plot No. 7 West: Road.

> [No. S&S 33(5)]78[ASO(1) 704-706] ; H. R. GOEL, Seey.

#### पर्यटन और नागर विमानन संगालय

नई दिल्ली:, 18 जून, 1980

नाः आ॰ 1812.—पर्यटन और नागर विमानन मंझूलयकी मधिसूचना संख्या ए० थी॰ 18013/1978-ए० मी.०, विनाय 10-3-1980 में रंगीधन वाल हुए तथा वायु निवन अधिनियम, 1953 (1º53 का 27) की धारा 4 में प्रदत्त पश्चिमों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एसर इंडिया तथा इंडियम एयरलाइन्स के निदेशक-बंडली का दो वर्ष की अवधि के निये तत्काल पुर्नगठन करती हैं। पुर्नगठित निदेशक-मंडली के निम्नलिखित सरस्य होंगे :—

|           | इन्डियन एयरलाइन्स  |   |
|-----------|--|---|
| ग्रध्यक्ष | <ol> <li>श्री ए० एच० मेहता,</li> <li>श्रष्टक्ष-व-प्रवंध निदेशक</li> <li>इन्डियन एयरलाइन्स</li> </ol> | श्रध्यक्ष   |
| निदेशक    | <ol> <li>श्री चरणजीत सिंह<br/>संसद सदस्य</li> </ol>  | निदेशक  |
| $m{v}$    | <ol> <li>श्री ए० एन० हक्यर<br/>उद्योगपति</li> </ol>  |   |
| ) in      | 4 श्री सी० बी० जैन,<br>पर्यटन के महानिदेशक   | <b>n</b>  |
| <b>n</b>  | 5. ए०सी०एम०म्राई०एच० लत्तीफ<br>वायसेनाध्यक्ष   | <b>,</b>  |
|           | निदेशक<br>,,,  | ग्रध्यक्षा । श्री ए० एच० मेहता, प्रध्यक्षा-व-प्रयंघ निवेशक इन्डियन एयरलाइन्स निवेशक |

TABLE : 120

Disignation of the Officer Categories of public premises and local limits of jurisdiction.

(2)

of India, Text Books Press, Mysore.

A 19 WY - 5 12

The Manager, Government Public premises including land and buildings under the administrative control of the Manager, Government of .ndia Press, situated within the Press Colony, Mysore.

> [F. No. D-11031/2/80-Ptg.] B. S. TANDON, Desk Officer

दिल्ली विकास प्राधिकरण (सर्वेक्षण व निपटारा युनिट-1) नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1980 क्षा कार्

का॰आ॰ 2078 - दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 22 की उपघारा (4) के प्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने भूमि एवं विकास कार्यालय, निर्माण एवं ब्रावास, मंद्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के प्रधीन नीचे दी गई अनुसूची, में निर्धारित भूमि के निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया श्रीर ग्रन यह भूमि रामाकृष्णापुरम, सैक्टर 9 नई दिल्ली में मनिपुर फाईन ग्रार्टस सैन्टर को स्थानमन्तरित की जाती है।

ं रामाकृष्णापूरम्, सैक्टर १ में इन्स्टीच्यागनल एरिया में स्थित भुखण्ड सं 6 साईट सं 90 को अधिसूचना सं एस औ 4719 दिनांक 21 अगस्त; 1979 के अनुसार लगभग 220 वर्ग गज (लगभग 184 वर्ग मीटर) भूमि के मान को दिखाया गया है। 💛 🚥

🖽 उपर्युक्तः भूमि की सीमा का विवरण इस प्रकारः है :-- 🔀

दक्षिण:--प्लाट, सं० 5

पूर्व : ---सड़क

पश्चिम:--कम्युनिटी सैन्टर

[सं॰ एस॰ एंड एस॰ 33 (36)/79/ए॰एस॰ग्रो॰ (1)/899-901]

Carry Day Com Stage and Tage to

ा प्राप्ति देशकारीका प्राप्ती विकेता र द

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Survey & Settlement Unit I)

New Delhi, the 25th July, 1980

S.O. 2078—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing, Govt. of India, New Delhi for further transfer to the Manipur Fine Arts Centre in R. K. Puram, Sector IX, New Delhi 

#### SCHEDULE TO THE

Piece of land measuring about 220 Sq. Yds. (about 184 SQM ) situated in Institutional area in R. K. Puram-IX bearing Plot No. 6 Site No. 90/4719 Partly full of Notification No. S. O. 4719 Dated 21st Aug. 75.

The above piece of land is bounded as follows:—

North: Road

South: Plot No. 5

East: Road

West: Community Centre.

[No. S & S 33(36)/79/ASO(I)/899-901]

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1980

का०आ० 2079.—दिल्ली विकास श्रविनियम 1957 (1957-का 61) की धारा 22 की उपधारा (4) के प्रन्तर्गत केन्द्रीय-सरकार ने भूमि एवं विकास कार्यालय, निर्माण एवं भावास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में निर्धारित भूमि के निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया ग्रीर भ्रव यह भिम साऊथ दिल्ली कैम्पस के लिए 'एजकेशनल इन्स्टीच्यशनल' क्षेत्र घौला कुग्रां में दिल्ली यनिवसीटी को स्थानान्तरित की जाती है।

#### अनसची

यूनिवर्सीटी एनवलेव, धौला कुग्रां में स्थित मुखण्ड सं० साईट सं॰ 13 को ग्रधिसूचना सं॰ एस॰ग्रो॰ 1810 दिनांक 20-7-74 के श्रनुसार लगभग 30.96 एकड़ (लगभग 12.545 हैक्टेयर) भूमि के भाग को दिखाया गया है।

उपर्युक्त भूमि की सीमा का विवरण इस प्रकार है:-

उत्तर: -- सरकारी भूमि

्र दक्षिण : —सड़क श्रौर डी०एम०सी० पार्क श्रौर स्परिग डेल्स स्कृल पूर्व: --कालिज

पश्चिम: --सरकारी भृमि श्रौर राम लाल श्रानन्द कालिज 

New Delhi, the 31st July, 1980

S.O. 2079.—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing, Govt. of India, New Delhi for further transfer to the University of Delhi in Dhaula Kuan "Educational Institutional" area for its South Delhi Campus.

#### **SCHEDULE**

Piece of land measuring about 30.96 Acres (about 12.545 Heat.) situated in University Enclave, Dhaula Kuan, bearing Plot No. Site No. 13 partly/

full of Notification No. S.O. 1810 Dated 20-7-74.
The above piece of land is bounded as follows:—

North's: Govt. land

South .: Road & D. M. C. Park & Spring Dales

W Char

East : College

West: Govt. land & Ram Lal Anand College.
[No. S&S 33(15)/77/ASO(I)/918-20]

का०आ० 2080.—विल्ली विकास प्रधिनियम 1957 (प्रधिनियम 1957 का 61) की घारा 22 की उपधारा (4) के प्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने भूमि एवं विकास कार्यालय, निर्माण एवं प्रावास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के श्राधीन नीचे दी गई प्रनुसूची में निर्धारित भूमि के निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया और प्रव यह भूमि ग्रुरुणाचल प्रदेश सरकार को गैस्ट हाउस बनाने हेतु स्थानान्तरित की जाती है।

#### **प्र**नुसूची

कौटिल्या मार्ग में स्थित भूखण्ड सं० 13 साईट सं० 49 को अधिसूचना सं० एम०ग्रो० 1810 दिनांक 20-7-74 के अनुसार लगभग 2600.34 वर्ग गज (लगभग 2175.21 वर्गमीटर) भूमि के भाग को दिखाया गया है।

उपर्युचन भूमि की सीमा का विवरण इस प्रकार है :---

उत्तर: --मन्दिर

दक्षिण: --प्लाट सं० 14/नाला

पूर्व : ---

पश्चिम: - कौटिल्या मार्ग

[सं॰ एस॰ एंड एस॰ 33(12)/79 ए॰एस॰ग्रो॰ (1)/915-917[

S. O. 2080.—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the schdule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing, Govt. of India, New Delhi for further transfer to the Govt. of Arunachal Pradesh for construction of Guest House.

#### SCHEDULE

Piece of land measuring about 2600.34 sq. yds. (about 2175.21 SQM) situated at Kautalya Marg, bearing Plot No. 13 Site No. 49 partly of Notification No. S.O. 1810 dated 20-7-74.

The above piece of land is bounded as follows:-

North: Temple

South: Plot No. 14/Nalla

West: Kautalya Marg.

[No. S&S 33(12)/79/ASO(I)/915-917]

कां आं 2081.—दिल्सी विकास प्रधिनियम 1957 (प्रधिनियम 1957 का 61) की धारा 22 की उपधारा (4) के प्रन्तगंत केन्द्रीय सरकार ने भूमि एवं विकास कार्यालय, निर्माण एवं प्रावास मंद्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के प्राधीन नीचे दी गई प्रनुपूची में निर्धारित भूमि के निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया और प्रव यह भूमि पेरन्टस और टीचर्स एसोसिएशन को के॰जी॰ और जूनियर स्कूल हेतु स्थानान्तरित की जाती है।

#### अनुसुची

ग्रार०के० पूरम, सैक्टर 3, नई दिल्ली में स्थित मूखण्ड सं• साईट सं० 60 को ग्रिधिसूचना सं० एस०ग्री० 4719 दिनांका 21-8-75 के ग्रनुसार लगभग 0.5 एकड़ (लगभग 0.202 हैक्टेयर (भूमि के भाग को दिखाया गया है।

उपर्युवन भूमि की सीमा का विवरण इस प्रकार है:---

उत्तर: ---नाला

दक्षिण: --सड़क (बाहरी रिंग रोड)

पूर्व: -- खुला प्लाट (मैदान)

पश्चिम : ---नाला/सड्क

[सं॰ एस॰ एंड एस॰ 33 (38)/79/ए॰एस॰म्रो॰ (1)/912-14]

S.O. 2081.—In pursuance of the provisions of Subsection (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing, Govt. of India, New Delhi for further transfer to the Parents & Teachers Association for K.G. and Junior School.

#### SCHEDULE

Piece of land measuring about 0.5 acres (about 0.202 Hec.) situated at R.K. Puram, Sector III, New Delni....bearing Plot No....Site No. 60 partly of Notification No. S.O. 4719 dated 21-8-75.

The above piece of land is bounded as follows:-

North.

By Nallah

South.

By Road (Outer Ring Road)

East.

Open plot (Ground)

West.

Nalla/Road

[No. S&S 33(38)/79/ASO(I)/912-14]

नई दिल्ली, 2 ग्रगस्त, 1980

का॰ आ॰ 2082 — दिल्ली विकास प्रधिनियम 1957 (प्रधिनियम 1957 का 61) की धारा 22 की उपधारा (4) के प्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने भूमि एवं विकास कार्यालय, निर्माण एवं प्रावास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आधीन नीचे दी गई प्रनुसूची में निर्धारित भूमि के निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया और प्रव यह भूमि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को रिहायशी यूनिट बनाने के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु स्थानान्तरित की जाती है

#### अनुसूची

गौंक मोहम्मदपुर के दक्षिण में स्थित मृखण्ड सं०/साईट सं० 52 को अधिसूचना सं० एस० थ्रो० 4719, दिनांक 21-8-75 के अनुसार लगभग 8.80 एकड़ (लगभग 3.561 हैक्टैयर) भूमि के भाग को दिखाया गया है।

उपर्युक्त भूमि की सीमा का विवरण इस प्रकार है :---

उत्तर:---सडक

दक्षिण :---सड़क

पुर्व :--संडक

पश्चिम :---सङक

[सं० एस० एंड एस० 33 (10) 76 ए० एस० झो० (1)/942-44] हरी राम गोयल, सचिव

New Delhi, the 2nd August, 1980

S.O. 2082.—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Ce tral Government the land described in the Schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing, Govt. of India, New Delhi for further transfer to the Central Public Works Department for construction of residential unit for Central Govt. Employees.

#### **SCHEDULE**

Piece of land measuring about 8.80 acres (about 3.561 Hec.) situated at South of Village Mohammad-pur bearing Plot No./Site No. 52 full of Notification No. S.O. 4719, dated 21-8-75.

The above piece of land is bounded as follows:-

North:

Road

South:

Road

West:

Road Road

[No. S&S 33(10)/76/ASO(I)/942-44] H.R. GOEL, Secy.

#### MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 19th July, 1980

S.O. 2083.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Allahabad Bank, New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th July, 1980.

535 GI/80-7

BÈFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUS-TRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

. I.D. No. 77 of 1978

In re:

Shri Prem Singh, Ex. Serviceman, No. 2-VI/247, Farash Bazar, Mohalla Doongar, Shahdara, Delhi-32.

....Petitioner

Versus

The Regional Manager, Allahabad Bank, Parliament Street, New Delhi.

#### **AWARD**

The Central Govt. an appropriate Govt., vide its Order No. L-12012/36/78-D.H.A. dated the 18/23rd August, 1978 referred an Industrial Dispute u/s 10 of the I.D. Act, 1947 to this tribunal in the following terms:

- Whether the action of the management of Allahabad Bank, Parliament Street, New Delhi in denying employment as Cash Clerk to Shri Prem Singh w.e.f. 16-6-77 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"
- 2. On receipt of the reference usual notices were sent to the parties. In pursuance whereof the parties put in their appearance and a statement of claim was filed on behalf of the workman. Thereafter, a written statement was filed by the Bank-Management and finally a replication was filed by the workman. Upon the pleadings of the parties the two following issues were framed vide my order dated 6-2-79:
  - 1. Whether Shri Prem Singh is not qualified to be appointed as a cash clerk?
  - 2. As in the order of reference?
- 3. Thereafter the Management applied for amendment of its written statement and the said amendment was allowed and following one more issue was framed vide my order dated 20-6-79:
  - 1. Whether the referred matter is not an Industrial Dispute?

| iption |
|--------|
| j      |

B-C-D-E-F-G

line passes along the Lapanga Colliery boundary in village Lapanga.

G-H-1-J

lines pass through village Lapanga & Chordbara.

lines pass through village Chordhara (which forms part common boundary with Chordhara Block A.R. & M.R. area acquired under Section 9(1) of the Coal Act.

J-K line passes through village Chordhaga,

K-L L-M

line passes along the part Right Bank of Damodar River in village Chordhara.

line passes along the common boundary of village Chordhara and Dandua.

line passes along the part common boundary of village Lapanga and Dundua and meets at starting point 'A'. M-A

[No. 19(24)/80-CL]

K. SOOD, Director.

## नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 19 ग्रगस्त, 1980

कां कां 2371-भारत सरकार के राज्यस का कां आहे... दिनांक . . . . में प्रकाशित इस मंत्रालय की दिनांक 4 अगुस्त, 1980 की अधिस्चना सं० एस डक्क्यू/एम एस डी (24)/79-एम डी में श्री एस० के० बनर्जी के नाम के सामने संयुक्त सचित्र और विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग, विधि त्याम और कम्पनी कार्य मंत्रालय के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाये :--9. 10

"सालिसीटरं, भारत सरकार, विधि कार्य विभाग, 👵 विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ।" हार हो हार्

> [सं० एस० डब्ल्यू/एम० एस० डी० (24)/79 एम०सी०] यादवेन्द्र दत्त बनकटा, अवर सचिव

#### MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (Transport Wing) CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th August, 1980

S.O.2371.—In this Ministry's Notification No. SW|MSD-(24)|79-11D, dated 4th August, 1980 published in the Gazette of India, S.O. No. dated against the name of Shri SK Baperice, following may be read enstead of Joint Secretary and Legal Adviser, Department of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice and Company Affairs.—"Solicitor to the Govt. of India, Department of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice and Company Affairs."

[No. SW[MSD(24)]7 -MD]

Y. D. BANKATA, Under Secy.

## संस्कृति विभाग

भारतीय पुरातत्व सर्वोक्षण

#### शुद्धिपत

मई दिल्ली, 20 ग्रगस्त, 1980 🗀

#### (पुरातत्व)

का० गा॰ 2372--तारीख 5 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत भाग 11 खंड-3 जनसंड (ii) में प्रकाणिन भारत सम्बन्द के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरावत्व सर्वेक्षण) की तारीख 18 विसम्बर, 1979 की अधिसूत्रता की पृष्ठ सं 17-48 पर कथित अधिसूचना की अनुसूची के कालम 7 की प्रविधिट "राव" प्लाट सं०-210" के स्थान पर "सुव, प्लाट सं० ३१०" पहें।

सं० 28/2/77-1140]

बाल कृष्ण थापद, पदेन संयुक्त समिव

#### DEPARTMENT OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

CORRIGENDUM"

New Delhi, the 20th August, 1980

#### ARCHAEOLOGY

S.O. 2372.—In the notification of the Government of India in the Department of Culture (Archaeological Survey of India) No. S.O. 41; dated the 18th December, 1979, published in Part II. Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 5th January, 1980, at pages 47-48 for the entry "Survey Plot No. 210" appearing under column 7 of the Schedule to the said notification, read the entry "Survey Plot No. 31"

[No. 2B|2]77-M] B. K. THAPAR, Ex-Officio Jt. Secy.

#### चिन्ती विकास अधिकरण

(सर्वेक्षण एवं निषदारा वृतिह-])

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1980

का० आ० 2373.—दिल्ली विकास समिनियम 1957 (अधिनियम 1957 का 61) की धारा 22 की उपवास (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने भूमि एवं विकास कार्यालय, निर्माण एवं ग्राक्षुस गंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के श्रधीन नीचे दी गई श्रनुसूची में निर्धारित भूमि के निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुन्त किया और अब यह भूमि थी दूधनाथ महादेन मन्दिर सभा को धार्मिक लक्ष्य हेतु स्वागनसरित की जाती है।

#### िया । अनुसूर्वाः ।

बार० क० पुरमा सैक्टर 5 में स्थित भूखंड संव : : साईट रां० 67 को अधिसुचना सं० एस० थो० 4719 दि०, 21.8.75 में अनुतार वयसम 0.695 एकडः (लगभग 0.281 हैक्ट्यर) भूमि के भाग की दिखावा गया है ।

उपर्युक्त भूमि की सीमा का विवरण इस प्रकार है :---उत्तर :- सङ्क '

दक्षिण:- पुरानी स्मारक (ग्रारक्लोजिकल भूमि विभाग)

पुर्व :-- सङ्क

पश्चिम :- खाली भूमि

[सं० एस० एण्ड एस० 33(29)/79/ए० एस० ग्रो० (1)/937-89]

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Survey & Settlement Unit. 1)

New Delhi, the 18th August, 1980

S.O. 2373.—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of

| 2 | • | •  | ~ |
|---|---|----|---|
| J | J | ر. |   |

# THE GAZETTE OF INDIN: SEPTEMBER 20, 1980/BHADRA 29, 1902

[PART II-SEC. 3(ii)]

Name of the Cold Storage. Address. Gate Pass No.

FORM G-VI

Issued the following goods to M/s...

Quantity

Remarks

Received the above goods in good and satisfactory condition with the copy of this gate pass. Store Clerk

Date

Signature of Customer Date.

FORM-'H'

(See clause 12(i) of the Cold Storage Order, 1980)

1. Name and address of the licensee.

2. Location and address of the Cold Storage.

# STATEMENT SHOWING THE QUANTITIES OF FOOD STORED IN COLD STORAGE DURING TERM, 19 .

| sr.<br>No. | Name of the           | ~ (v)   | Temperature                                | 0.01 | CED IN COLD                        | STORAGE DU                           | JRING TERM   | 1 10    |
|------------|-----------------------|---|--|------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---------|
| 1402       | food stuff<br>stored. | the food stuff<br>stored in<br>metric tonnes. | & the relative<br>humidity at<br>which the |      | Electricity<br>charges per<br>unit | Water charges<br>per 1000<br>gallons | % of the capacity utilised to the total capacity of the cold storage & | Remarks |
| ******     |                       |   |  | . 1  | •                                  |                                      | reasons for<br>unutilised  |         |
|            | ** - 1                | er en en en en en en                          |  |      |                                    |                                      | capacity if any.   | -¢      |

Signature of the Manager/Proprietor, Date.

## विल्ली विकास प्राधिकरण सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1980

का॰मा॰ 2454.--केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास चिव में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। इस संशोधन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई स्रापित या सुझाव देना हो तो वे अपने श्रापत्ति या मुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, मुख्य योजना ध्रतुभाग, 10वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति अपनी आपिन या मुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पना लिखें।

#### संशोधन

"0.111 हैक्टर (0.348 एकड़) क्षेत्रफल जो क्षेत्र ही-2 (माना मुन्दरी क्षेत्र) में स्थित है और उत्तर में 12.19 मीटर (40 फुट) चीड़े मार्ग, दक्षिण में अन्दुल नवी मस्जिद, पूर्व में दिल्ली प्रशासन बहु मंजिला कार्यालय भवन धौर पश्चिम में बहादुरणाह जफर मार्ग से घिरा है का भूमि उपयोग 'ऐतिहासिक स्मारक एवं धार्मिक भवन" से 'ग्रैक्षणिक एवं ग्रनुसंधान संस्थान" में पारवर्नित किया जाना प्रस्तावित है।"

2. शनिवार को छोड़कर ग्रीर मभी कार्यशील दिनों में दि०वि० प्रा० के कार्यालय (मुख्य योजना भनुभाग), 10वीं मंजिल, विकास मीनार,

इन्द्रप्रस्य इस्टेट, नई दिल्ली में उनत ग्रवधि के दौरान प्रस्तावित संशोधन का मानचित्र निरीक्षण सेतु उपलब्ध होगा।

[सं॰ एक 3(285)/69 एम॰पी॰ पार्ट]

हरी राम गोयल, सचिव

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

## PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th September, 1980

S.O. 2454.—The following modification which the Central S.O. 2454.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhil Zonal Development Plan is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his Development Authority, Master Plan Section, 10th Floor, Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi, within a period of this hotice. The person making the objection or suggestion should also give his name and

## MODIFICATION

"The land use of an area measuring 0.141 hectare (0.348 acre), located in Zone D-2 (Mata Sundri

exceeding three fourths of the total daily wage including dearness allowance;

- (b) the subsistence allowance so paid shall not be recoverable or liable to forfeiture in any case whatsoever;
- (c) Where a worker is found not guilty, he shall be entitled to such payments in respect of the period of his suspension as the Administrative Body may certify that the worker would have received on the time rate basis or under clause 18 had he not been suspended, provided that the amount so payable shall be reduced by the amount of subsistence allowance already paid during the period.
- (3) The provisions of this Scheme relating to disciplinary action against listed employers and listed workers shall not apply to any order passed by the Chairman under subclause (2).
- (4) No appeal shall lie from any order passed by the Chairman under sub-clause (2).
- (5) Notwithstanding anything contained in this Scheme, so long as an order under sub-clause (1) is in force, the Chairman may authorise the employment of workers not registered under this scheme directly by listed employers and payment to such workers directly.
- 34. Cost of operating the Scheme.—(1) (a) The cost of operating this Scheme shall be defrayed by payments made by listed employers to the Board.
- (b) Every listed employer shall pay to the Board such amount by way of levy in respect of reserve pool wolkers together with and at the same time as the payment of gross wages due from him under clause 28 as the Board may, from time to time specify by a written notice to listed employers.
- (c) The Board may require any listed employer to pay such amount by way of levy in respect of monthly workers at such rate as it may determine.
- (2) In determining payments to be made by listed employers under sub-clause (1), the Board may fix different rates of levy for different categories of work or workers, provided that the levy shall be so fixed that the same rate of levy will apply to all listed employers who are in like circumstances.
- (3) The Board shall not sanction any levy exceeding hundred per cent of the estimated total wage bill calculated on the basis of the daily wage rate without the prior approval of the Central Government.
- (4) A listed employer shall on demand make a payment to the Board by way of deposit, or provide such other security for the due payment of the amounts referred to in sub-clause (1), as the Board may consider necessary.
- (5) (a) If a listed employer fails to make the payment due rom him under sub-clause (1) or any other amount due and payable to the Board in any other capacity or account within the time prescribed by the Administrative Body, the Administrative Body shall serve a notice on the employer to the effect that, unless he pays his dues within three days from the date of receipt of the notice, the supply of listed workers to him, shall be suspended.
- (b) On the expiry of the notice period, the Administrative Body shall suspend the supply of listed workers to a defaulting employer until he pays his dues.
- 35. Provident Fund and Gratuity.—Without prejudice to the provisions of any agreement entered into between listed employers and listed workers, the Board may frame and operate rules providing for Contributory Provident Fund in respect of the workers in the reserve pool as well as the workers in the monthly list of the employers.
- 36. Welfare Fund.—(1) Cost of amenities, welfare and health measures and recreation facilities for listed workers shall be met from a separate fund which shall be maintained by the Board.
- (2) Contribution to such fund shall be made by all listed employers at such rates as may be determined by the Board.

4 5

(3) The Board may frame rules for contributions to, maintenance and operation of such fund.

#### SCHEDULE

Classes of unregistered dock workers to whom this Scheme applies—

- (1) Foremen and Assistant Foremen.
- (2) General purpose mazdoors.
- (3) Steamer Supervisors and Assistant Supervisors.

[No. LDX/5/79] S. C. BRAHMA, Under Secy.

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

#### शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 ग्रगस्त, 1980

का० आ० 2584.— दिल्ली विकास म्रश्चितियम, 1957 (1957 की सं० 61) की धारा 22 की उपधारों (4) के ग्रन्तगंत जारी की गई इस कार्यालय की म्रश्चिसूचना सं० एस० एण्ड एस० 33(1)/7 ४-ए० एस० ग्रो० (1)/181-183 दिनांक 23-1-80 में उल्लिखित परिमाप में म्रांशिक संशोधन करते हुए परिमाप को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:—

उत्तरभें: भूखण्ड संo G

दक्षिण में : भूखण्ड सं० 4

पूर्वमें: 🏋 सङ्क

पश्चिम में : सामुदायिक केन्द्र, पुस्तकालय, एवं तरण ताल हेतु विनिर्दिण्ट सरकारी भूमि ।

उक्त प्रधिगुचना में उल्लिखिन स्थल सं० को भी 162 की बजाए 90 पढ़ा जाए।

[सं० एम० एण्ड एस० 33(1)/78-ए० एम० ग्रो०(1)/1012-14] हरी राम गोयल, सचिव

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

#### CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd August, 1980

S.O. 2584.—In partial modification of this office Notification No. S & S 33(1)/78-ASO(1)/181-83 dated 21-1-80, the dimensions given in the Notification issued under Section (4) of Section 22 of the D. D. Act, 1957 (61 of 1957) given therein may be read as under:—

North: Plot No. 6

South: Plot No. 4

East : Road

West: Govt. land ear-marked for Community centre, Library and Swimming Pool.

The site No. may be read as 90 instead of 112 as mentioned therein.

[No. S & S 33(1)/78-ASO(I)/1012-14] H. R. GOEL, Secy. संशोधन :

## MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

#### ADDENDUM

New Delhi, the 5th September, 1980

S.O. 2637.—The following para may be added to the Recruitment Rules for Despatch Rider in the Secretariat of this Ministry notified under GSR 673 in the Gazette of India; Part II, Section 3(i), dated 21st June, 1980 as para 7:—

"Repeal": The Department of Works. Housing and Urban Development (Despatch Rider) Recruitment Rules, 1969 and the Department of Works, Housing and Rules, 1969 and the Department of Works. Housing and and Urban Development (Despatch Rider) Recruitment Rules, 1974 are repealed".

[No. A-12028/2/79-Adm. I] S. A. RUSSELL, Under Secy.

#### (दिल्ली विकास प्राधिकरण) सार्वजनिक स्वनाएं

नई दिल्ली, 4 ग्रक्तूबर, 1980

2638:- केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य गोजना में निम्न-लिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचन। हेतु प्रकाशित किया जाता है । इस संगोधन के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई ग्रापत्ति या सुझाव देनाहो तो वे ग्रपने ग्रापत्ति या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधि-करण, मुख्य योजना अनुभाग, 10वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्य इस्टेट, नई दिल्ली के पास निम्बत रूप में भेज दें । जो व्यक्ति ग्रपनी भ्रापत्ति या सुझाव दे, वे भ्रपना नाम एवं पूरा पता लिखें।

क्षेत्र एफ-6 (मोती वागक्षेत्र) में स्थित "मनो विनोद क्षेत्र" (जिला पाकों खेल के मैदानों एवं खले स्थानों) में से लगभग 0.85 हक्तें। 2.11 एकड़) क्षेत्रफल का भ्मि उपयोग "सार्वजनिक एवं ग्रर्ड सार्वजनिक मुतिधाएं" (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) में संशोधित करने का प्रस्ताव है ।

2. शनिवार को छोड़कर भ्रौर सभी कार्यशील दिनों में दि० वि० प्रा० के कार्यालय (मुख्य योजना ग्रनुभाग), 10वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उनत ग्रवधि के दौरान प्रस्तावित संशोधन का मानचित्र निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा ।

[मं॰ एफ॰ 20(13)80-एम॰ पी॰]

#### DELHI DENELOPMENT AUTHORITY PUBLIC NOTICES

New Dehi, the 4th October, 1980

S.O. 2638 -The following modification which the Central Govt. proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Master Plan section, 10th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address:

#### MODIFICATION:

The land use of an area measuring about 0.85 hect. (2.11 acres) situated in zone F-6 (Moti Bagh area) out of the 'recreaional' area (district Parks, play grounds and open spaces) is proposed to be changed to 'public and semi-public facilities' (Higher Secondary school).

2. The Plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority (Master Plan Section), 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20 (13) 80-MP]

काः आः 2639:---(ए) दिल्ली मुख्य योजना के क्षेत्र डी-3 किर्जन रोड क्षेत्र) के क्षेत्रीय विकास चित्र (ग्रधिसूचना सं० 21023 (11)66-यूडी दिनांक 16-12-66 द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित) में पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में इंगित किए क्षेत्रों हेतु पुनर्विकास प्रस्ताव प्रारूप तैयार हो चुके हैं।

- (बी) जनके पाठ एवं चित्र की एक সৰি বিল্লী विकास प्राधिकरण के कार्यालय में शनिवार को छोड़कर शेप सभी कार्यशील दिवसों में 11.00 वर्षे (पूर्वा०) से 3.00 वर्षे (ग्रगराह्म) तक यहां पैरा 3 में उल्लिखित तिथि तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी ।
- एतद्हारा इन प्रारूप प्रस्तावों के सम्बन्ध में भ्रापनियां एवं सुझाव ग्रामन्त्रित किए जाते हैं।
- ग्रापित्तयां एवं सुझाव इस सूचना के जारी किये जाने की तिथि से 30 दिन में सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, मुख्य योजना ग्रनुभाग 10वीं मंजिल, विकास मीनार. इन्द्रप्रस्य इस्टेट नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दिए जाएें । ग्रापत्ति/सुझाव लिखने वाले व्यक्ति को ग्रपना नाम एवं पूरा पता भी लिखना चाहिए ।

[सं० एफ० 4(24)/63-एम० पी०]

S. O. 2639-(a) The draft redevelopment proposals for zone D-3 (Curzon Road Area) of Delhi Master Plan for the area indicated as redevelopment areas in the zonal Developmet Plan approved by the Central Government vide notification No. 21023 (11) 66-UD dated 16-12-66) have been prepared.

(b) A copy of the text and the plan thereof will be available for inspection in the office of the Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, between the hours of 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on all working days except Saturdays till the date mentioned in para Thereafter.)

2. Objections and suggestions are hereby invited with reshect to these draft proposals.

3. The objections or suggestions may be sent in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Master Plan Section, 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi within a period of 30 days from the date of this notice. The person making the objections/suggestions should also give his name and full address.

[No. F. 4 (24)/63-MP]

काः आ० 2640:--केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय -विकास चित्र में निम्नलिखित संशोधनों को करने का दिचार कर रही है, एतद्द्वारा जिन्हें सार्वजानिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। इन संशोधनों के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई ब्रापित या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या मुझाय इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण मुख्य योजना श्रनुभाग, 10वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति ग्रपनी श्रापत्ति या मुझाव दें, वे ग्रपना नाम एवं पूरा पता लिखें । संशोध :

1. "मुख्य योजना/क्षेत्र एफ-3 हेतु क्षेत्रीय विकास चित्र में मनोरं जनात्मक' उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट भूमि से लगभग 2.02 हैंक्ट० (5 एकड़) क्षेत्रफल, जो शाहपुर जाट गांव के उत्तर में स्थित है, का भूमि उपयोग 'सार्वजनिक एवं ग्रद्धं सार्वजनिक सुविधाएं (सांस्थानिक)' में परि वर्तित किया जाना प्रस्तावित है।"

- (2.) "मुख्य योजना/क्षेत्र एफ-3 हेतु क्षेत्रीय विकास चित्र में 'मंगोरंजनात्मक' उपयोग हेतु विनिद्दिष्ट भूमि में से लगभग 13.14 हैंन्ट० (32.36 एकड़) क्षेत्रफल, जो झाहपुर जाट गांव के उत्तर पूर्व में स्थित है, का भूमि उपयोग 'प्रावामीय उपयोग (खेलगांव)' में परिवर्तित किया जाना प्रस्तायित है।"
- (3.) "मन्य योजना/क्षेत्र एफ-3 हेतु क्षेत्रीय विकास चित्र में 'सार्वजिनक एवं ग्रर्ड-सार्वजिनक मुविधाएं (सांस्थानिक)' उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट भूमि में से लगनग 2.83 हैक्ट० (7 एकड़) क्षेत्रफल जो शाहगुर जाट गांव के पूर्व में स्थित है, का मूमि उपयोग 'श्रावासीय उपयोग (खेल गांव)' में परिवर्तित किया जाना प्रस्ताचित है।"

2. गनिवार को छोड़कर भीर सभी कार्यशील दिनों में दि० वि० प्रा० के कार्यालय (मुख्य योजना भ्रनुभाग), 10वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्य इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त भ्रवधि के दौरान प्रस्तावित संशोधनों का सार्वित निरोक्षण देतु उपवन्य होगा ।

[सं० एफ० 20(6)/79-मु० यो०] बी० के० मल्होत्रा, सचिव दिल्ली विकास प्राधिकरण।

S.O. 2640.—The following modifications which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan are hereby published for public information. Any person having any objection or sugestion with respect to the proposed modifications may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Master Plan Section, 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also given his name and full address:

#### MODIFICATIONS:

- (1) "The land use of an area, measuring about 2.02 heets. (5 acres), out of the land earmarked for 'Recreational' use in the Master Plan/Zonal Development Plan for Zone F-3, located in the north of village shahpur Jat, is proposed to be changed to 'Public & Semi-Public Facilities' (Institutional)."
- (2) "The land use of an area, measuring about 13.14 hects. (32.36 acres), out of the land earmarked for 'Recreational us e in the Master Plan/Zonal Development Plan for Zone F-3, located in the north-east of village Shahpur Jat, is proposed to be changed to 'Residential' use (Sports village)."
- (3) "The land use of an area, measuring about 2.83 hects. (7 acres), out of the land earmarked for 'Public & Semi-Public Facilities,' (Institutional) use in the Master Plan/Zonal Development Plan for Zone F-3, located in the east of village Shahpur Jat, is proposed to be changed to 'Residential' use (Sports village)."
- 2. The plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the of office of the Authority (Master Plan Section), 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20 (6) /79-MP] B. K. MALHOTRA Secy. Delhi Development Authority.

## पूर्ति स्रोर पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1980

काः आः 2641.—निष्कांत सम्पत्ति प्रशासन ग्रधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, विहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के ऋपरा सचिव, श्री राजेन्द्र नाथ सिन्हा को उक्त ग्रधिनियम द्वारा या उसके ग्रधीन सहा-यक महा ग्रभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए, तत्काल प्रभाव से, महायक ग्रभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. इसरो ग्रधिमूचना संख्या 1(1)/वि० सैल/79-एस० एस०-II दिनांक 9-10-1979 का ग्रधितमण किया जाता है।

[सं० 1(1):वि०सैल/79-एस० एस० II]

## MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation) New Delhi, the 5th September, 1980

S.O. 2641.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints with immediate effect Shri Rajender Nath Sinha, Additional Secretary in the Revenue and Land Reforms Department, Government of Bihar, as Assistant Custodian General of Evacuee Property for the purpose of discharging the duties imposed on such Assistant Custodian General by or under the said Act.

2. This supersedes Notification No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS. II, dated 9-10-1979.

[No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS.-II]

का॰ ग्रा॰ 2642.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) ग्रिधिनयम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, विहार सरकार के राजस्व-व-मूमि सुधार विभाग के ग्रपर सचिव, श्री राजेन्द्र नाथ सिन्हा को, ग्रपर सचिव के रूप में उनके ग्रपने कार्यों के ग्रतिरिक्त विहार राज्य में मुगावजा पूल की मूमियों तथा ग्रम्पत्तियों के संबंध में, उक्त ग्रधिनियम द्वारा या उपके ग्रधीन वंदोवस्त श्रायुक्त को सींपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए वंदोवस्त ग्रायुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

2. इससे ग्रिधिमूचना सं० 1(1)/विशेष सेल/79-एस० एस०-II दिनांक 9-10-79 का ग्रिधिकमण किया जाता है।

[सं० 1(1)/वि० सैल/79-एस० एस०-II] एन०एम० वाघवानी, ग्रवर सचिव

S.O. 2642.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri Rajender Nath Sinha, Additional Secretary to the Government of Bihar, Revenue and Land Reforms Department, as Settlement Commissioner for the purpose of performing, in addition to his own duties as Additional Secretary, the functions assigned to a Settlement Commissioner by or under the said Act, in respect of the lands and properties forming part of the Compensation Pool within the State of Bihar.

2. This supersedes Notification No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS. II., dated 9-10-1979.

[No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS.II] N. M. WADHWANI Under Secy.

का० भ्रा० 2643.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) भ्रधिन्तियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, इसके द्वारा, विहार सरकार के राजस्व तथा भूमि मुद्यार विभाग के भ्रपर सचिव, श्री राजेन्द्र नाथ सिन्हा, जिन्हें इस विभाग की भ्रधिसूचना सं० 1(1)/वि०सैल/79-एस० एस०-II दिनांक 5 सितम्बर, 1980 द्वारा बंदोबस्त श्रायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, को श्रपनी निम्नलिखित शक्तियां सौंपता हूं:——

(i) उक्त ग्रिधिनियम की धारा 23 के भ्रम्बीन ग्रपील सुनने की शक्तियां।

And, whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorate of Food the procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not in response to the circular of the Central Government dated the 16th April, 1971 intimated, within the date specified thereir, their interption of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-section (1) of Section 12-A of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12-A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto date the Central Government hereby transfer the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them.

| S.<br>No. | Name of the officer/employ-ecs                            | Permanent<br>post held<br>under the<br>Central Goyt. | Post held under<br>the Central<br>Govt. at the<br>time of transfer | trans-<br>fer to |
|-----------|---|--|--|------------------|
| 1         | 2   | 3  | 4  | 5                |
| Sh        | nri Uma Shankar<br>arma S/o Shri<br>anga Dhar Shar-<br>a. | -  | Watchman   | 1-3-69           |
| S/e       | ri Narpat Singh<br>o Shri Bali<br>ngh.                    |  | Quality Inspec-<br>tor.  | 1-3-69           |
| 3. Sh     | ri P. D. Sharma   | Senior Go-<br>down<br>Keeper.                        | Quality Inspector.   | 1-3-69           |
| 4. Sh     | ri S. T. Jadhav   |  | Shed Tallyman  | 1-3-69           |
| S/c       | ri G. S. Mani<br>o Shri Shiva<br>nth Mani.                | <u></u>  | Godown Clerk   | 1-3-69           |

[No. 52,'1/79-FCIII (Vol. VI)]

#### शुद्धि-पत्न

का० ग्रा॰ 2896 :--इस विभाग के ग्रादेश संता 52/21/68 एफ० सी० 3 (एन जैंड)/वाल्यूम-6 दिनांक 11-6-74 में निम्मूलियिन शुद्धियां की जाएं:--

| स्थानान्तरण ग्रादेश में<br>कम संख्या | की जाने वाली मुह्यां   |
|--------------------------------------|--|
| 537                                  | कालम 4 में "वही" के स्थान पर "वरिष्ठ<br>गोदाम रक्षक" पढ़ें।  |
| 538                                  | कालम 4 में "वहीं" के स्थान पर "कनिष्ठ गोदाम<br>रक्षक" पढ़ें। |

[संख्या 52/1/79-एफ़॰ सी॰ 3 (वाल्यूम-6)] वस्णी राम, उप-सचितं

#### CORRIGENDUM

S.O.2896—In this Department's Order No. 52/21/68/FCIII. (NZ)/Vol. VI dated 11-6-74, the following corrections shall be carried out:

| Sl. No. in the<br>Transfer Order | Correction to be carried out          |
|----------------------------------|---------------------------------------|
|                                  | or the words "-do-" in column 4, reac |

For the words "-do-" in column 4, read "Junior Godown Keeper".

[No. 52/1/79-F.C.III (Vol. VI] BAKHSHI RAM, Dty. Secv.

#### दिल्ली विकास प्राधिकरण

गई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1980

#### सार्वजनिक सचना

का० थ्रा० 2897 — नेन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्न-लिखित संशोधन करने का विचार कर रही है. एनद्द्वारा जिसे सार्वजितक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। इस संशोधन के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई धापत्ति या सुझाब देना हो तो वे ध्रपने धापति या मुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचित्र दिल्ली विकास प्राधि-करण, मुख्य योजना धनुभाग, 10वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रमुख्य इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में मेज दें। जो व्यक्ति प्राधि-धापत्ति या सुझाव दें, वे ध्रपना नाम एवं पूरा पता लिखें।

संशोधन :

'क्षेत्र जी-8 (राजीरी गार्डन) में स्थित "मनोरंजनात्मक" उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट भूमि में से 1.257 हैक्ट० (3.106 एकड़) भूमि का उपयोग "मार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सूविधाएं" (सांस्था- रिक) में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।"

2. शिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि॰वि॰प्रा॰ के कार्यालय, (मुख्य योजना प्रनुभाग) 10वीं मंजिन, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्य इस्टेट, तूई दिल्ली में उक्त श्रवधि के दौरान प्रस्तायित संगोधन का मानचित्र निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा।

[संख्यागुम्ह ०-3 (113) / 7 श-गम ० गी ० )]

#### **DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

New Delhi, the 25th October, 1980 PUBLIC NOTICE

S.O. 2897.—The following modification which the Central Govt, proposes to make to the Master Plan for Delhi is he published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Master Plan Section, 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address.

#### MODIFICATION:

"The land use of an area measuring about 1.257 hects. (3.106 acres) situated in Zone G-8 (Rajouri Garden), out of the land earmarked for 'recreational' use, is proposed to be changed to 'Public & Semi-Public Facilities' (Institutional)."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, (Master Plan Section), 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 3(113)/78-MP]

#### सार्वजनिक सुचना

कां बार 2898. — केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्रारा जिन्हें सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता हैं । इन संशोधनों के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई श्रापत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने ग्रापत्ति/मुझाव इस सूचना

के भीतर सचित्र, दिल्ली विकास यनुभाग, 10 वी गाँजल, विकास भीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पाम लिखिन रूप में भेज दें। जो ब्यनिन अपनी आपत्ति या गुझात दें, वे ग्रपना नाम एवं पूरा पता लिखें:

#### गंगोधन :

Ħ

े ति

14-

ほ)

AT.

410

प्रार.

何可

1)]

modi ig 10 Plan

New f this

'hects rden). use, is Public

vill be

Master Estate,

ain the

78-MP1

मलिखित निना हेत् ां व्यक्ति

स सूचना

- (1) क्षेत्र डी-9 (सेन्ट्रल विस्ट जोन) में पड़ने वाली भूमि जिसका माग 3,66 हैबट० (9,00 एकड) है तथा जिसे भयंड सं० 115 के रूप में जाना जाता है और जो पश्चिम में 36,57 मी० चीडे पंडिन पन्त मार्ग से, दक्षिण पूर्व में लोक सभा भवन से तथा पूर्व में 60.96 मी॰ चौड़े तालकटोरा मार्ग से घिरी है का भूमि उपयोग "राजकीय" से "मनोरंजनात्मक" में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।
- (2) क्षेत्र डी-9 (सेन्ट्रल विस्ट जोन) में पड़ने वाली भिम जिसका 3.76 हैपट० (9.25 एकड़) है तथा जिसे भखंड सं० 36 के हुए में जाना जाता है और जो उत्तर पश्चिम में 18.25 मीं० मार्ग, दक्षिण पूर्व में 18.68 मी० मार्ग तथा पूर्व में 30.48 मी० हैस्टिंग मार्ग से घरी है का भूमि उपयोग "राजकीय" से "मनोरंजनात्मक" में परिवर्तिन किया जाना प्रस्तावित है ।
- शनिवार को छोड़कर और मभी कार्यशील दिनों में दि० वि० प्रा० के कार्यालय (मृख्य योजना अनुभाग) 10 वीं मंजिल, विकास मीलार इन्द्रमस्य इस्टेट, गई दिल्ली में उत्ता अवधि के दौरान प्रस्तावित संगोधन का मानविक निरीक्षण हेत् उपलब्ध होगा ।

[सं० एक 20(12)/79 एम**०** पी०] बी० के० मण्डोचा भचित्र, दिल्ली विकास प्रधिकरक्ष

#### PUBLIC NOTICE

S.O. 2898.—The following modifications which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having y objection or suggestion with respect to the proposed moditations may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Master Plan Section, 10th Floor. Vikus Minar. I. P. Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address:

#### MODIFICATIONS :

- (i) "The land use of an area known as Plot No. 115 measuring 3.66 heets. (9.00 acres), falling in Zone D-9 (Central Vista Zone), hounded by 36.57 M. wide Pandit Pant Marg on the west, Lok Sabha Bhawan on the south-east and 60.96 M. wide Talkatora Road on the east, is proposed to be changed from 'Governmental' to 'Recreational'."
- (ii) "The land use of an area known as Plot No. 36 measuring 3.76 heets. (9.25 acres), falling in Zone D-9 (Central Vista Zone) and bounded by 18.25 M. road on the north-west. 18.68 %1, road on the south-east and 30.48 M. Hastings Road on the east, is proposed to be changed from 'Governmental' to 'Recreational'."
- 2. The plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority (Master Plan Section). 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate. New Delhi, on all working days except Saturdays within the period referred to above.

B. K. MALHOTRA, Secy. Delhi Development Authority [No. F. 20(12)/79-MP]

807 GI/80-5

#### रेल मंत्रालय (रेलवे नोड )

A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1980

का० आ० 2899 भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 147-क हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्रारा उक्त अधिनियम की दिनीय अनुसूची में निम्नसिवित वस्तुएं जोड़ती है, ग्रथांतु:--

''परीक्षा प्रण्न-पत्र''

मिं० टी० सी० [[/2425/80] गे । बालाचन्द्रम, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं सरकार के पढ़ेन संयक्त सचिव

#### MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 16th September, 1980

S.O. 2899.-In exercise of the powers conferred by Section 147A of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby adds to the Second Schedule of the said Act, the following articles, namely—
"Examination Question Papers."

[No. TCII/2425/80] K. BALACHANDRAN, Seey., Railway Board, ex-Officio Jt. Seey.

#### थ्यस मंत्रालय

#### ग्रादेश

नई फिली, 25 जुलाई, 1980

का० क्रा०2900—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्व श्रनमूची में विनिदिष्ट विषय के बारे में तेल और प्राकृतिक गैंग स्रायोग, बड़ीदा के प्रयन्ध से सम्बद्ध एक घीद्योगिक विवाद निर्पातकों ग्रीट उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

श्रीर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशिन करना बांछनीय समझती है;

<mark>ब्रतः, केन्द्रीय सरकार, ब्रौद्योगिक विवाद ब्र</mark>धिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ম) द्वारा प्रदत भक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक ग्रीद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री ग्रार० सी० इसरानी होंगे, जिनका मुख्यालय ग्रहमदबाद में होगा ग्रौर उक्त विवाद को ,उक्त ग्रीद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

#### ग्रनुमूची

तेल श्रीर प्राकृतिक गैस श्रायोग क्षेत्रीय कार्यालय, बड़ौदा के प्रबंधतंत्र की, श्री एल० ग्रार० जादव की सेवा 16 मई, 1978 से रामाप्त करने को कार्यवाही न्यादीचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस जनतोप का हकदार है ?

[सं॰ एव-30012/1/80-डी-🔛 (वी)]

#### MINISTRY OF LABOUR

#### ORDER

New Delhi, the 25th July, 1980

S.O. 2900.—Whereas the Central Government is of opinion s.o. 2900.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Oil & Natural Gas Commission, Baroda and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7.A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Govt. hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri R. C. Israni shall be the Presiding Officer, with headquarters at Aimedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal the said Tribunal.

#### नावहन और परिवहन मंत्रालय

#### (हिन्दी अनुमाग)

#### नई दिल्ली, 16 प्रक्तूबर, 1980

का॰ प्रा॰ 2967.—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 8 (4) श्रीर 10 (4) के श्रनुसरण में भारत सरकार एतद्द्वारा नौवहन श्रीर परिवहन मंतालय के निम्नलिखित संबद्ध श्रीर श्रधीनस्य कार्यालयों श्रादि को श्रधिसूचित करती है, जहां के 80 प्रतिशत श्रीर उससे श्रधिक कमंचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है:—

- इंडियन रोड कंस्ट्रकशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।
- 2. लेखा नियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली।
- 3. श्रघीक्षक इंजीनियर कार्यालय (सड़क पक्ष), जयपुर।
- 4. इंजीनियर सम्पर्क प्रधिकारी कार्यालय (सड़क पक्ष), भोपाल।
- नौवहन महानिदेशालय, बम्बई।
- 6. कप्तान प्रधीक्षक का कार्यालय प्रशिक्षण पीत, 'राजेन्द्र', बम्बई।
- 7. मुख्य नाविक कल्याण कार्यालय, बम्बई।
- 8. समुद्री इजीनियरिंग भीर प्रशिक्षण कालेज निदेशालय, बम्बई।
- 9. दीपघर दीपपोत निदेशक कार्यालय, बम्बई।
- 10. नौवहन शुल्क श्रनुसंघान ब्यूरो, गांघीघाम ।
- 11. नौवहन शुल्क अनुसंग्रान ब्यूरो, कांडला।
- 12. कांडला गोदी श्रम बोर्ड, कांयला।
- 13. कप्तान अधीक्षक का कार्यलय, प्रशिक्षण पोत, 'मवलकी' मवलखी।
- 14. क्षेत्रीय कार्यालय (सड़क पक्ष), चण्डीगढ़।
- 15. इंजीनियर सम्पर्क ग्रधिकारी कार्यालय (सड़क पक्ष), जम्मू।

[फाईल संख्या: एच पी यू/147/80]

वी० शंकरलिंगम, उप सचिव

#### MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

#### (Hindi Section)

#### New Delhi, the 16th October, 1980

- S.O. 2967.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 8 and sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Government of India hereby notifies the following Attached the Subordinate Offices of the Ministry of Shipping and Transport, 80 per cent staff whereof have been reported to have acquired working knowledge of Hindi:—
  - Indian Roads Construction Corporation Ltd., New Delhi.
  - 2. Office of the Controller of Accounts, New Delhi.
  - 3. Office of the Superintending Engineer (Roads Wing), Jainur.
  - 4. Office of Engineer Liaison Officer (Roads Wing), Bhopal.
  - 5. Directorate General of Shipping, Bombay.
  - 6. Office of the Captain Superintendent, Training Ship 'Rajendra', Bombay.
  - 7. Principal Seamen's Welfare Office, Bombay.
  - Directorate Marine Engineering and Training College, Bombay.
  - 9. Lighthouses Lightship Director's Office, Bombay.
  - 10. Freight Investigation Bureau, Gandhidham.
  - 11. Freight Investigation Bureau, Kandla.

- 12. Kandla Dock Labour Board, Kandla.
- 13. Office of the Captain Superintendent, Training Ship 'Naulakshi', Navalakhi.
- 14. Regional Office (Roads Wing), Chandigarh.
- Office of the Engineer Liaison Officer, (Roads Wing), Jammu.

(F. No. PU|147|80) V. SANKARALINGAM, Dy. Secy.

#### दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली 14 अक्तूबर

(सर्वे एंड सैटलमेंट यूनिट-1)

का० ग्रा० 2968.—दिल्ली विकास ग्रिधिनियम 1957 (1957 की सं०-61) की घारा 22 की उपघारा (4) की व्यवस्थाम्रों के मनु-सरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी मनुसूची में उन्विलिखित मूमि म्रामें डाकखाना बनाने हेतु डाक व तार विभाग को हस्तान्तरित करने के लिये मूमि एवं विकास कार्यालय निर्माण भीर मावास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार के निपटान पर लौटा दी हैं:-

#### ग्रनसची

लगभग 1787 वर्ष गज (लगभग 1494 वर्ष मीटर) माप का भूमि खण्ड जो रामा कृष्णा पूरम सैनटर भाठ पर स्थित है, जिसका प्लाट नं• स्थल 89 है भ्रीर जो भ्रधिसूचना सं॰ एस श्रो 4719 दिनांक 21-875 का श्रांशिक/समस्त भाग है।

उपर्युक्त भूमि खण्ड की सीमाएं निम्नलिखित हैं :--

उत्तर में:-- सड़क स्रोर पार्क दक्षिण में: सरकारी भूमि पूर्व में:-- नाला पश्चिम में:-- सड़क

> [सं॰ एस॰ एण्ड एस 339 (42) / 79 एस॰ ग्रो॰ आई॰ 1169-71] बिशन कुमार मल्होता, सन्विव

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

#### (Survey and Settlement Unit. I)

S.O. 2968.—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land and Development Office, Ministry of Works and Housing, Government of India, New Delhi for further transfer to the Post and Telegraph Department for construction of Post Office.

#### **SCHEDULE**

The above piece of land is bounded as follows:-.
North-Road and (Park).
(South-Government Land.
East-Nalla
West-Road.

[No. S&S 33(42)/79/ASO(I)/1169-71]

B. K. MALHOTRA, Secy.